राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम् विधान सभा के प्रथम सत्र का साठवां दिवस [संख्या 28

बृहस्पतिवार,

दिनांक 18 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म०पू० 11-1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 588

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री ब्रजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 589.

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 590.

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 591.

श्री मीठालाल।

किनकी के परमिट

591 श्री मीठालाल (जालसोर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व राजस्थान से बाहर भेजने के लिए किनकी (टूटे हुए चावल) के कुछ परमिट कुछ व्यक्तियों को दिये थे? यदि हां, तो कब और किस किस के कितनी मात्रा के ?

(ख) क्या यह सच है कि उक्त किनकी के परमिट की प्रक्रिया को सरकार ने अचानक बन्द कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार पुन: किनकी के परमिट देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री ओंकारलाल) :

(क) जी हां। दिनांक 21-12-71 को निम्न फर्मों को परमिट दिया गया था।

	क्वि०
1. मै. अग्रवाल ट्रेडिंग कं. हनुमानगढ़ टाउन।	760
2. मै. न्यू एज राइस मिल, हनुमानगढ़ जंक्शन।	306
3. मै. सोभामल रामदित्तमल हनुमानगढ़ टाउन।	180
4. मै. राजस्थान राइस एण्ड ऑइल मिल, प्रा.लि. हनुमानगढ़ जं०	159
5. मै. कोठ्यारी ब्रदर्स, हनुमानगढ़ टाउन।	122
6. मै. बिहारीलाल सूरजभान, हनुमानगढ़ टाउन।	150
7. मै. बजरंग फ्लोर मिल, हनुमानगढ़ टाउन।	150

ता० 17-1-72 को मै. सन्तोकचन्द बन्टिया एण्ड सन्स, सांगरिया को 500 क्वि० का परमिट दिया गया।

(ख) जी हां। उपरोक्त परमिट अनधिकृतरूप से जारी किये गये थे। अतएव वह प्रक्रिया तत्काल बन्द कर दी गई।

(ग) यदि प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् चांवल का स्टॉक बचता है तो उसे भारत सरकार को अन्य राज्यों में वितरित करने हेतु दिया जा सकता है। नये परमिट देने का राज्य सरकार का विचार अभी नहीं है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, जो व्यापारी किनकी का परमिट मांगते हैं और जिन्होंने काफी प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं, भगवान जाने, किस कारण से उनको न देकर एक बाहर की कुछ फर्म को परमिट दे दिए और वह भी अनधिकृत दिये, जो आप स्वयं कबूल करते हैं, गलत तरीके से दिये गये। मेरा इस बात में विरोध नहीं है कि क्यों दिये गये लेकिन, अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार ने इस बात का मालूम किया है, क्या राजस्थान में आपने देखा है, आपने तलाश किया है कि चावल की किनकी की आवश्यकता नहीं है, तो हम चावल, चांवल की किनकी दे सकते हैं। मैं चांवल की किनकी के बारे में अर्ज कर रहा हूं, यह प्रश्न किनकी का है···

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री मीठालाल : किनकी, टूटे हुए चांवल का माल पड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसके बारे में भारत सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उन चांवल की किनकियों को बाहर भेजने के लिए परमिट देने के बारे में विचार करें और उसके लिए परमिट दिये जायं।

श्री ओंकारलाल : जैसा निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की योजना है कि चांवल के परमिट दे दिये जायं।

श्री मीठालाल : लेकिन यह चांवल की किनकी के बारे में हैं।

श्री अध्यक्ष : वन एट ए टाइम।

श्री मीठालाल : चांवल के बारे में लिखा है, यदि प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् चांवल का स्टाक बचता है तो उसे भारत सरकार को अन्य राज्यों में

Page No 3

(श्री मीठालाल)

वितरित करने हेतु दिया जा सकता है। मैं चांवल के स्टाक के बारे में नहीं चांवल की किनकी के बारे में पूछ रहा हूं, इसके बारे में भारत सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह परमिट दिये गये हैं, चांवल की किनकी के, जिनसे यह बाहर गया है, यह अनधिकृत तरीके से दिये हैं तो जिन आफिसर साहब ने दिये हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : इसके साथ ही एक प्रश्न और है, आपने अनधिकृत कहा, तो इसकी व्याख्या कर दीजिये, इल्लिगल या विदाउट जुरिस्डिक्शन है ?

श्री औंकारलाल : इल्लिगल है या विदाउट जुरिस्डिक्शन, आपने पूछा, तो जो भूतपूर्व सहायक आयुक्त, सहायक सचिव ने अनधिकृतरूप से जारी किये 21-12-71 को और 17 जनवरी 72 को, इनका जनवरी में पता लग गया था, और रामदेव जोशी वह व्यक्ति थे, अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही कर ली।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनधिकृत की व्याख्या कर दीजिये, मेलाफाइड था ?

श्री औंकारलाल : उनके अधिकार में नहीं था, इसलिए कहा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके पीछे मेलाफाइड इन्टेन्शन थी ?

श्री औंकारलाल : हो सकती है मेलाफाइड।

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा (सूरतगढ़) : आपने कहा कि अनधिकृत जारी कर दिये गये, और जांच भी चल रही है- इससे क्या तात्पर्य है ? जब प्राइमाफेसी केस साबित हो गया कि अनधिकृत परमिट दिये गये हैं तो सस्पेण्ड क्यों नहीं किया ?

श्री औंकारलाल : जो राज्य अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन अपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट लेता है, उनको कागज भेजे जा रहे हैं, वह कार्यवाही करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मामला कब से चल रहा है ?

श्री औंकारलाल : 72 से।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मामले में....

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : इसके अन्दर कार्यवाही करनी चाहिए थी, जांच क्या की जा रही है ?

श्री औंकारलाल : जांच हो रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या जांच हो रही है, आपने बता दिया कि अनधिकृत है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, इल्लिगल है, फिर क्या जांच करना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : कितने समय से चल रही है ?

श्री औंकारलाल : जनवरी 72 से। माननीय सदस्य समझते हैं, जो आर. ए. एस. ऑफिसर हैं उनकी जांच का एक तरीका होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जांच के इश्यू क्या हैं ! किन इश्यूज पर जांच चल रही हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा····

श्री ओंकारलाल : कोई अनधिकृत काम करता है गजेटेड ऑफिसर तो उसके खिलाफ अपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट एक्शन लेता है, इसकी जांच जारी है जो भी नतीजा होगा उसके आधार पर एक्शन होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एलीगेशन्सन क्या एस्टेब्लिश हुए हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या आपके पास चार्जशीट की कापी है, उसमें क्या क्या चार्ज है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एलीगेशन क्या साबित हुए हैं ?

श्री ओंकारलाल : मैंने निवेदन किया, गजेटेड आफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नियुक्ति विभाग करता है। उसको कागज भेजे जा रहे हैं, वही कार्यवाही करेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या चार्जशीट दी गई है, क्या एलीगेशन और चार्ज लगाये गये हैं ?

श्री ओंकारलाल : किनकी के परमिट अनधिकृतरूप से जारी किये गये हैं ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, परमिट दिये गये, यह आपने बताया, अनधिकृत दिये, वह भी बताया, माल बाहर गया, वह भी बताया तो मेरी समझ में नहीं आता कि कसर क्या रह गई है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या नियुक्ति विभाग ने उनको नोटिस दिया है ?

श्री मीठालाल : हरियाणा और पंजाब से लेवी लेकर चांवल की किनकी परमिट के द्वारा बाहर भेजी जाती है, यहां से ज्यादा माल है तो जो सरकार के भाव हैं उनसे नीचे गिर जाते हैं, जो चांवल के भाव हैं, किनकी के भाव हैं तो चांवल के लिए आप कुछ करिये लेकिन किनकी के लिए आप इजाजत दे दीजिये । आपने कहा कि प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् चांवल का स्टाक बचता है तो इसको कैसे मालूम करेंगे कि कितनी आवश्यकता है ?

श्री ओंकारलाल : इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बताने की कृपा करें·······

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने कहा कि अनधिकृत परमिट इश्यू किए गये तो किन मंत्री महोदय के पास फाइल थी और आखिरी सेंक्शन किन मंत्री महोदय की है ?

श्री ओंकारलाल : इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके दे दूंगा ।

श्री मीठालाल : इसमें जानकारी करने का क्या प्रश्न है, हजारों प्रार्थना-पत्र थे, इन्हीं को संरक्षण क्यों दिया गया, बाकी का क्या हुआ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

Page No 5

श्री ओंकारलाल : स्थगित करने का प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई चीज स्पष्ट सामने नहीं आ रही है।

श्री ओंकारलाल : मैंने स्पष्ट निवेदन किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य, मावली से आने वाले ने पूछा है, किस मंत्री के आदेश से हुआ है, किस मंत्री के फाइल पर हस्ताक्षर हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : किस असिस्टेन्ट सेक्रेटरी से यह ऊपर तक फाइल आई, यह फाइल पर रिकमन्ड हुआ होगा, मंत्री ने आदेश दिये होंगे तो कौनसे ऑफिसर और मन्त्री इन्वाल्व्ड हैं?

श्री ओंकारलाल : कोई मंत्री इन्वाल्व्ड है या नहीं— यह नहीं कह सकता। जो ऑफिसर इन्वाल्व्ड था उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन कौन आफिसर हैं, क्या कार्यवाही कराई जायगी?

श्री ओंकारलाल : नियुक्ति विभाग जो गलत कार्यवाही हुई है उस पर कार्यवाही करेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन कौन अधिकारी?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : चार्जशीट हुआ या नहीं?

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : आपने बताया कि अनधिकृतरूप से जारी किए गए थे तो नियमानुसार किसका अधिकार है?

श्री ओंकारलाल : किसी को अधिकार नहीं है जब तक इजाजत न हो।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : इजाजत कौन देता है?

श्री ओंकारलाल : राज्य सरकार देती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आखिर परमिट इश्यू हुए तो कहीं पर तो व्हेट हुए होंगे, आदेश हुए होंगे, कहीं पर फाइनली सैंक्शन हुए होंगे, सेक्रेटरी के पास फाइल गई होगी, मंत्री महोदय के हस्ताक्षर हुए होंगे। आप की साइट में जब यह चीज आई तो आपने क्या किया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जो सारा बंगलिंग नीचे से हुआ है सिफारिशों के आधार पर ठेठ आपके आधार तक, सारी चेन का अध्ययन करके सदन को बतायें कि कितने अधिकारी इनमें इन्वाल्व्ड हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक बार जिनको अनधिकृतरूप से दे दिया आपकी नॉलेज में आ गया इसके बाद 17-1-72 को फिर परमिट दिया गया और प्राइमाफेसी केस बनने के बाद, कोई भी अधिकारी हो जो इस प्रकार की गलती करता है तो कानूनी खानापूर्ति करनी है तो उसको सस्पेंड करके क्यों नहीं जांच की जाती है?

श्री ओंकारलाल : जल्दी कार्यवाही की जाएगी क्योंकि जो आर. ए. एस. ऑफीसर्स होते हैं उनके खिलाफ नियुक्ति विभाग ही कार्यवाही करता है। हमारे यहां से अप्रेल में नियुक्ति विभाग ने लिखा है और वहां पर फाइल पेंडिंग है वे काम कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी दिलचस्पी हो सकती है। इसमे बंगलिंग हुआ है विभागीय स्तर पर इसलिए सारी चेन का अध्ययन करके सदन को बतायें और आपकी दिलचस्पी भी बतायें। जितना जल्दी इसका डिस्पोजल हो तो अच्छा है, तब तक इसको स्थगित रखा जाए।

श्री केदारनाथ : आपके विभाग ने नियुक्ति विभाग को क्या लिखकर दिया है ?

श्री यशवंतसिंह नाहर : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्ति विभाग को प्राइमाफेसी केस आपके यहां से बनकर गया है और उसकी प्रतिलिपि आपके पास होगी वह पढ़कर सुनायें।

श्री ओंकारलाल : इस समय नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रश्न में दो चीजें स्पष्ट सामने हैं-एक तो नेचर ऑफ चार्ज और दूसरा नंबर ऑफ ऑफीसर्स इन्वाल्वड। दोनों चीजें सदन की मेज पर आनी चाहिए। तब तक इस प्रश्न को स्थगित किया जाए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न ही नहीं, सारा क्लेरीफिकेशन एक स्टेटमेंट के रूप में आप दे दें तो इस बंगलिंग पर ज्यादा प्रकाश पड़ सकता है।

श्री ओंकारलाल : मैंने निवेदन किया कि जिस प्रकार से यह कार्य हुआ और अनधिकृतरूप से जो परमिट जारी किए गए और जो दोषी अधिकारी हैं और ज्यों ही परमिट 17-1-72 को दिया उसके बाद पता लगा। पता लगते ही कार्यवाही करके नियुक्ति विभाग को लिखकर दिया गया क्योंकि संबंधित अधिकारी आर. ए. एस. अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, चाहे उनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस बन भी जाय तो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, चार्जशीट करना पड़ता है उसके बाद...

श्री भानुकुमार शास्त्री : राजपत्रित अधिकारी हुआ तो क्या हो गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है एन्क्वायरी के लिए केस भेज दिया है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : पाइंट प्रिंसिपल का है। यह सदन को नहीं देखना है कि किस विभाग से संबंधित प्रश्न है। सभी विभाग सरकार के हैं। यह आपके विभाग का प्रश्न है और नियुक्ति विभाग से सब फाइल आपके पास आकर सदन के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर निर्णय चाहता हूं या तो अलग नियुक्ति विभाग से सदन प्रश्न करे। मैं इसलिए निर्णय चाहता हूं ताकि आगे जाकर इस संबंध में कोई विषयांतर न हो। अगर नियुक्ति विभाग का संबंध है, नियुक्ति विभाग जवाब देगा तो फिर ऐसा निर्णय हो, उस महकमे के जिम्मे यह प्रश्न हो। यह अध्यक्ष महोदय को निर्णय करना है।

Page No 7

श्री अध्यक्ष : क्या निर्णय चाहते हैं ?

श्री यशवंतसिंह नाहर : क्या नियुक्ति विभाग को आर. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट करने का, पैनल प्रोसीडिंग्स लेने का अधिकार है तो क्या उनका जो 'पेरेन्ट विभाग है उससे अगर प्रश्न पूछा जाए तो ठीक होगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, और प्रकाश डालें।

श्री ओंकारलाल : मैं समझता हूं माननीय सदस्यों के लिए यह चिंता का विषय है। यह सही है कि कोई भी अधिकारी यदि इस प्रकार की बंगलिंग करता है तो उनके खिलाफ जांच करके कार्यवाही होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। मैंने निवेदन किया कि ज्यों ही पता लगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की क्योंकि आर. ए. एस. अधिकारी होने के कारण सारे का सारा मामला नियुक्ति विभाग को भेजा। जांच जारी है। अगर हमारी ओर से देरी होती तो आप कह सकते थे कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। मैं विश्वास दिलाता हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि यह मेरे विभाग से संबंधित है और हमारे विभाग का अधिकारी है इसलिए मैं ताकीद करूंगा और नियुक्ति विभाग को रिमाइंड करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके प्रयत्नों में शक नहीं है, आप ईमानदारी से फालो-अप करेंगे पर सदन जानना चाहता है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ अधिकारी जानकारी तो देते।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

राजस्थान महिला परिषद्, उदयपुर द्वारा संचालित परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र

592. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य परिवार नियोजन अधिकारी श्री बी. एल. माथुर ने राजस्थान महिला परिषद्, उदयपुर द्वारा संचालित परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र पर पुरुष नसबन्दी के फर्जी केसेज दिखाकर करीब 18,000) के गबन करने के मामले में जांच की थी ?

(2) यदि हां तो जांच कब की थी ? कृपया उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखी जाए ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी थी ? यदि हां तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) ऐसी शिकायत आई थी जिसकी जांच की जा रही है।

(2) जांच की अन्तिम रिपोर्ट आने के बाद ही रखी जा सकती है।

(3) जी हां, राज्य सरकार ने पुनः स्वयं वर्तमान राज्य परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा जांच करवाने हेतु लिखा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने इस प्रश्न में निवेदन किया है श्री बी. एल. माथुर नियोजन अधिकारी ने इसकी जांच

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

की। इससे पूर्व स्थानीय अधिकारी ने इसकी जांच की। वह जांच की रिपोर्ट आपके सम्मुख आई या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : आई मगर एक प्रकार से जांच रिपोर्ट इन्कम्पलीट थी जो मेन फैक्टर था, आपरेशन्स जो हुए उन्होंने उन पर लाइट नहीं डाली और सारी चीज उस पर निर्भर करती थी बाकी तो सेकेन्डरी चीजें थीं वे प्रूव हो सकती हैं या नहीं। इसलिए जांच करना जरूरी था । इसलिए जांच करने के लिए कहा गया है। इस बीच में मैं निवेदन कर दूं कि इस संस्था के ग्रांट को रोक दिया गया है और केस को एन्टीकरप्शन विभाग को दे दिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच जिस अधिकारी ने पहले की, उसी अधिकारी के सुपुर्द की गई ? अगर हां तो कब की गई ?

श्री हरिदेव जोशी : अब वह उस पोस्ट पर नहीं हैं लेकिन उस स्थान पर जो आदमी हैं उनसे कहा गया है कि जांच करें खासतौर से आपरेशन्स के मामले को लेकर जो कि मेन पाइन्ट है, उसके बारे में वह रिपोर्ट दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एन्टीकरप्शन को, प्रश्न पूछने से कितना पूर्व दिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : किसी प्राइवेट एजेन्सी को दिया गया है, गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या सरकार अब एन्टीकरप्शन विभाग को सहयोग देने की स्थिति में है या प्राइवेट ऐजेन्सी...

श्री हरिदेव जोशी : टू बी ऑनेस्ट, आपके प्रश्न के बाद यह केस मेरी जानकारी में आया है इसलिए मैं एक बार सारा केस समझ लेना चाहता हूं और मुझे अगर प्राइमा फेसी आपरेशन्स के अन्दर कोई चीज सन्दिग्ध मालूम हुई तो एन्टीकरप्शन को दूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : धन्यवाद तो देते इसके साथ जो 500) ऑनरेरियम मिलता है, उसकी स्थिति क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझसे ज्यादा आप जानते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लेकिन रेकार्ड पर तो नहीं आया। जनता जानना चाहती है। आप और हम जानते हैं लेकिन इस प्रश्न पर जनता अवगत होना चाहती है।

श्री हरिदेव जोशी : जो चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप जानते हैं। जहां तक रेकार्ड का सवाल है, मेरे पास नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जानता हूं, इसकी ताईद करता हूं। 500) रु. बन्द हो गए लेकिन जो दिया गया है, उनसे ले लिया और जो नसबन्दी में हजारों लाखों रुपये उन्होंने खर्च किया है, वह सरकार वापिस उनसे वसूल करने की कार्यवाही कर रही है, मैं जानता हूं, इसमें आपकी सहमति है।

श्री हरिदेव जोशी : निश्चितरूप से इस पर सहमति है और इसलिए बगैर कम्पलीट रिपोर्ट आए मैंने उनकी ग्रान्ट को रोक दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फर्जी नसबन्दी के जो परिणाम होंगे वह कौन भुगतेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : आप।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उतने ही आप।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मैं उप मुख्य-मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जांच कमेटी बैठाने के लिए तैयार हैं या नहीं ? लाखों के गबन इस संस्था में हो रहे हैं। केवल ग्रांट-इन-एड रोकने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एन्टी करप्शन विभाग के पास कम से कम साल डेढ़ साल पहले कागजात चले गए हैं, क्या कार्यवाही चल रही है, दोनों पार्टीज को मालूम नहीं। सारे के सारे फाइल्स उनके पास हैं। आप जांच समिति बैठायें जो पता लगाए कि इसके अन्दर कितने गबन के केसेज हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरा स्कोप बहुत लिमिटेड है वह परिवार नियोजन तक सीमित है। बाकी दूसरी चीजों में मैं अपना हाथ नहीं डाल सकता लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, सरकार कभी भी इसको स्पेयर नहीं करेगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो आपने इन्क्वायरी इस केस के लिए बैठा दी है वह अपनी इन्क्वायरी कितनी अवधि में समाप्त कर देगी ? यह आप जरा बतादें।

श्री हरिदेव जोशी : एक महीने में।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित कानून

593. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. 1 अप्रेल, 1962 से 29 फरवरी, 1972 तक राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने ऐसे निर्णय हुए जिनमें राजस्थान के अधिनियम, नियम अथवा उपनियमों को अवैध घोषित किया गया ? सम्बन्धित अधिनियम विषय की सूची अवैध घोषित किये जाने की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. ऐसे अधिनियम, विषय उपनियमों को अवैध घोषित किये जाने के पश्चात राज्य सरकार ने संशोधन सम्बन्धी कब कब क्या कार्यवाही की ?

3. इतनी अधिक मात्रा में न्यायालयों द्वारा कानूनों को जो अवैध घोषित किया गया है उसे क्या राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक असक्षमता नहीं मानती ?

विधि मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :
(1) सूचना संलग्न मानचित्र के कालम नं. 2 व 3 में दर्शायी गई है।

(2) संलग्न मानचित्र के कालम नं. 4 में वर्णित है।

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपनी कोई प्रशासनिक असक्षमता नहीं मानती।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

Page No 10

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : No supplementary, please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही गंभीर मामला है। आज इस प्रकार के लेक्यूनाज नियमों में रख दिये जाते हैं जिससे लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं और उससे राज्य सरकार को हानि होती है। अभी रोडवेज के रूल्स को लेकर लोग हाई कोर्ट में चले गये वहां पर हाई कोर्ट से स्टे आया हुआ है। इस प्रकार जो सरकार नियम व उप नियम बनाती है उसमें किसी प्रकार के लेक्यूनाज न हों उसके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अध्यक्ष : आपकी सप्लीमेन्टरी हर प्रश्न पर करने की आदत है यह आपका सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है या तकरीर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, तकरीर का क्या मतलब जब राज्य सरकार जवाब गोलमोल देती है तो पूछना पड़ता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जवाब गोलमाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

प्रश्न सं 594

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

सवाई मानसिंह अस्पताल को एक्सरे की मशीन

595. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में एक्सरे की कितनी मशीनें हैं और वे किस किस पावर व कीमत की हैं?

2. क्या यह सही है कि विभिन्न विभागों के डाक्टरों का फिल्मों का कोटा निर्धारित है? अगर हां, तो किस आधार पर?

3. क्या यह सही है कि अधिकतर इन-डोर रोगियों को भी एक्सरे अस्पताल के बाहर के क्लिनिक में कराने पड़ते हैं तथा गरीब लोगों को एक्सरे की फिल्म न होने के कारण इलाज स्थगित करना पड़ता है?

4. क्या यह सही है कि जब डाक्टरों को एक्सरे फिल्म का कोटा समाप्त हो जाता है तो उनको सूचना दी जाती है कि उनको अब कोई फिल्म नहीं मिलेगी।

5. क्या यह सही है कि जब प्राइवेट क्लिनिक में फिल्म की कमी नहीं होती तो उक्त अस्पताल में कमी क्यों होती है?

6. क्या यह सही है कि अस्पताल में जो रोगी इनडोर पेशेंट की हैसियत से दाखिल होते हैं उनको प्रायः दवायें बाहर से ही खरीदनी पड़ती हैं।

7. क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में लाइफ सेविंग ड्रग जैसे पैथेड्रीन व मारफीन आदि भी उपलब्ध नहीं है तथा इसकी वजह से बीमार तड़फता रहता है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) सूची संलग्न है।

Page No 11

(स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) जी हां, इकाई में शय्याओं की संख्या व फिल्मों की उपलब्धि के आधार पर।

(3) इकाई अधिकारी के लिखने पर एक्सरे करी जाती है परन्तु सीमित मात्रा में फिल्में होने के कारण सभी लोगों का एक्सरे करना सम्भव नहीं होता।

(4) जी हां।

(5) सरकारी अस्पताल में एक्सरे फिल्म की कमी के कारण निम्नलिखित है:

1. बजट में प्रावधान की कमी।

2. देश में केवल एक ही राजकीय क्षेत्र में कारखाना हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स होने के कारण।

3. अधिकतर फिल्में विदेशों से आयातित (इम्पोर्ट) होती हैं जो भारत सरकार की आयातित नीति के अनुरूप होती है।

(6) बजट की उपलब्धि के अनुरूप जो दवाइयां खरीदी जाती हैं यथा सम्भव रोगियों को देने का प्रयत्न किया जाता है एवं चिन्ताजनक रोगी की अवस्था को देखते हुए जीवन उपयोगी दवा उपलब्ध भी कराई जाती हैं।

(7) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो एक्सरे मशीन है उसकी कितनी कैपेसिटी है और कितनी प्लेट्स यहां पर तैयार होती हैं और क्या यह सही है कि जितनी कैपेसिटी है उतनी प्लेट्स तैयार नहीं होती हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है कि कैपेसिटी ज्यादा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कितनी ज्यादा है? मैं समझता हूं कि करीब 400 की कैपेसिटी है और सिर्फ 30 प्लेट्स ही तैयार होती हैं।

श्री हरिदेव जोशी I don't deny it

(एक साथ दो तीन सदस्यों के बोलने पर अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या 2300 फिल्मों में से 360 फिल्में ही तैयार की गयी हैं ? क्या यह सही है ? दूसरी ऐसी कितनी मशीनें एक्सरे की हैं राजस्थान में ?

(एक साथ दो तीन सदस्यों के बोलने पर अश्रव्य)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक्सरे फिल्म बनाने के लिये कितने कारखाने हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : पूरे हिन्दुस्तान में एक।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसमें से जो फिल्में राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं उसमें आप और हम लोगों पर कितनी खर्च हो जाती है। कितनी प्रतिशत है ?

श्री हरिदेव जोशी : आप और हम लोगों से क्या मतलब है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यही जो वी. आई. पीज. हैं। इसके अलावा मेरा

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

मतलब है कि ऐसी व्यवस्था है कि लोगों का राजकीय अस्पतालों में एक्सरे नहीं होता ?

श्री हरिदेव जोशी : इसका कारण यह है कि एक तो बजट कम है फिल्मों के लिये दूसरी फिल्में मार्केट में एवेलेबल नहीं होती।

एक माननीय सदस्य : तो फिर दूसरी जगह प्राइवेट एक्सरे क्लिनिक में कैसे हो जाता है ?

श्री हरिदेव जोशी : वे फिल्में ब्लैक मार्केट से खरीदते होंगे।

एक माननीय सदस्य : तो जब प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स खरीद सकती हैं तो क्या गवर्नमेंन्ट डिपार्टमेन्ट नहीं खरीद सकती ब्लेक से ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: ये ब्लैक मार्केट से जो खरीदी जाती है उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली: क्या ऐसा तो नहीं है कि विभाग कम फिल्में काम में लेते हैं और इस प्रकार जो फिल्में बच जाती हैं उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली: क्या आपके पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि फिल्में कम हैं और उसके लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास बहुत शिकायतें आई हैं चूंकि इनकी सप्लाई राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा ही कम होती है इसलिए कम होती है। दूसरा जैसा मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दिया है कि देश में एक ही राजकीय क्षेत्र में कारखाना है हिन्दुस्तान में फिल्मों का इसलिए कम आती हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए भारत सरकार को कोटा बढ़ाने के लिये लिखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब आप और रिमाइन्डर दें और ज्यादा फिल्में मंगवायें ताकि लोगों को राहत मिले।

श्री हरिदेव जोशी : रिमाइन्डर समय समय पर दिया जाता रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि कुछ एक्सरे मशीनें पार्ट्स के अभाव में बेकार पड़ी हुई हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह सही है। अगस्त 67 में, फरवरी 66 में और मार्च 66 में मशीनें बेकार पड़ी रहीं।

श्री हरिदेव जोशी : बेकार नहीं पड़ी नयी परचेज की गयीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मन्त्री महोदय, को मैं निवेदन कर दूं कि सन् 66-67 में यह मशीनें बेकार पड़ी रही हैं, अगस्त, फरवरी और मार्च के महीनों में। और उसमें बेकार होने के बाद श्री नारायण

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

ने उस वक्त एक नोट भी लिखा था। उसके दस्तखत मौजूद हैं। मेरे पास ऐसी इन-फोर्मेशन है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास ऐसी इनफोर्मेशन नहीं, आप इनफोर्मेशन दें मैं जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। प्रश्न

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सन् 18-4-68 को सवाई मानसिंह होस्पीटल में पीने के पानी की समस्या के बारे में कोई निर्णय हुआ और उसकी क्रियान्विति आज तक नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। नैक्स्ट श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य सन् 1968 की बात 1972 में मुझे पूछ रहे हैं और वो भी ऐसा मामला जो मुझसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

पोंग डेम पर व्यय की गयी राशि

596. **श्री योगेन्द्र नाथ हांडा :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. पोंग डेम के निर्माण में राज्य सरकार का कितना पैसा आज तक लग चुका है तथा और कितना लगने की सम्भावना है ? यह राशि पोंग डेम पर लगने वाली राशि का कितना प्रतिशत है ? तथा यह डैम कब तक निर्मित हो जायेगा ?

2. क्या उपरोक्त लगने वाली राशि के व्यय की जांच की राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां तो क्या ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी व्यास परियोजना से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1972 तक राजस्थान राज्य के कुल हिस्से का 69.77 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। शेष 25.53 करोड़ रुपया और खर्च होना है। राजस्थान राज्य का हिस्सा पोंग बांध पर खर्च होने वाली कुल राशि का 58.5/प्रतिशत है। कार्यक्रमानुसार बान्ध का निर्माण-कार्य (जून 1973 तक) पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) पोंग बांध पर व्यय होने वाली राशि की जांच के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई अलग से व्यवस्था नहीं है क्योंकि इस कार्य की जांच व्यास कन्स्ट्रेक्शन बोर्ड है जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधि के द्वारा वैसे ही की जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आखिर हमारे करोड़ों रुपये व्यास परियोजना के अन्दर लगे हुए हैं उनका आज दिन तक कोई ऑडिट हुआ या नहीं, किसी अधिकारी ने जाकर उसे सम्भाला है या उसे राजस्थान सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकार के भरोसे छोड़ दिया है ? अध्यक्ष महोदय, बड़ी दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है कोई देखने वाला ही नहीं है, आखिर यह क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस सारी व्यवस्था के लिये कन्स्ट्रक्शन बोर्ड है और उसमें चार सदस्य है। पहला इरीगेशन मिनिस्टर, इरीगेशन सेक्रेट्री, चीफ इन्जीनियर इरीगेशन और पी० डब्ल्यू. डी. सेक्रेट्री हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके लेखाओं की जांच की गयी है कि कितना रुपया खर्चा हुआ? वहां भारी अव्यवस्था है इन सभी कार्यों के अन्दर।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया न कि इसका कन्स्ट्रक्शन बोर्ड बना हुआ है वही सभी बातें देखता है। (एक साथ कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नाथूराम।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कन्स्ट्रक्शन बोर्ड के मेम्बर्स एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठे रहते हैं उन्होंने आज तक उसका हिसाब का आडिट नहीं कराया। मन्त्री व सेक्रेट्रीज वहीं बैठे हुए हैं। वहां पर तलवाड़े के कलेक्टर ने पौंग डेम पर जहां हमारी जमीन थी कोर्ट बना दिया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है।

(घन्टी)

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह बात राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है।

प्रश्न संख्या 597

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

समाज कल्याण विभाग में नियोजन एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना

*597. श्री नाथूराम (बागीडोरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. समाज कल्याण निदेशालय में वर्तमान में किस किस वर्ग में कितने कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? उनमें से कितने कितने हरिजन व भील आदिवासी हैं?

2. समाज कल्याण विभाग में नियोजन एवं शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना कब हुई? इस प्रकोष्ठ की स्थापना के पश्चात् कितने कर्मचारियों को आरक्षित रिक्तियों पर किस किस वर्ग में नियोजित कराया गया? इनमें कितने मेहतर और भील थे?

3. क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने आरक्षित रिक्तियों की देख-रेख का दायित्व इस प्रकोष्ठ पर रखा है? यदि हां, तो राज्य में कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्ति किस किस शैक्षणिक स्तर के बेरोजगार हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। राज्य में किस-किस विभाग में किस किस वर्ग में कितनी कितनी आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिये अवशिष्ट हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

4. आरक्षित अवशिष्ट रिक्तियों की आपूर्ति के लिये क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जन-जाति के निमित्त बैन उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकार लाल): अध्यक्ष महोदय,

इसे स्थगित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री जेठमल आर्य

सिरोही रेवदर मार्ग पर चलने वाली बसें

598. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

1. क्या यह सही है कि सिरोही से रेवदर चलने वाली प्राइवेट बसें पुरानी व टूटी हुई हैं ?

2. क्या यह सही है कि प्राइवेट बसें इतनी छोटी हैं कि जिनके अन्दर आदमी खड़ा नहीं रह सकता है ?

3. यदि हां, तो प्राइवेट बसें कब तक बन्द की जाकर इस मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाई जायेंगी ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) सिरोही रेवदर मार्ग के लिये 6 अनुज्ञा पत्र (परमिट) स्वीकृत हैं, इसमें दो बसें निर्धारित मोडल की हैं एवं चार बसें निर्धारित मोडल से पुराने मोडल की हैं।

(2) जी हां। पुराने मोडल की बसों को निर्धारित मोडल की बसों में बदलने के लिये प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दिनांक 31-12-71 तक की अवधि निर्धारित की थी किन्तु निजी बस चालकों ने इन आदेशों के विरुद्ध एस. टी. टी. से दिनांक 23-12-71 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। अतः इन बसों को नहीं बदला गया जैसे ही स्थगन आदेश निरस्त हो जायेंगे, इन बसों को निर्धारित मॉडल की बसों में बदलने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) इस मार्ग का अभी राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। मार्ग का राष्ट्रीयकरण होने पर ही इस पर पथ परिवहन निगम की बसें चलाना सम्भव हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री चिम्मन सिंह भाटी।

मोमादह योजना

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि ब्यावर नगर जल प्रदाय के लिये मोमादह नामक योजना स्वीकृत हुई थी और उस पर करीब ढाई लाख रुपये कार्य भी हो चुका है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस योजना को पूर्ण करने का इरादा रखती है ?

2. क्या यह सही है कि मोमादह योजना को वाटर सप्लाई विभाग ने निरस्त कर दी है ?

3. क्या यह सही है कि इसी नाले पर उदयपुर जिले की भीम तहसील में करड़ियादह नामक स्थान पर बान्ध बनाने की योजना कांकरोली सिचाई विभाग द्वारा स्वीकृत कर दी गई है ?

4. क्या राज्य सरकार ने करड़ियादह बान्ध बनाने की स्वीकृति दे दी है या देने का विचार है ? यदि करड़ियादह की स्वीकृति

Page No 16

(चिम्मनसिंह भाटी)

दी गई है तो इसका कार्य कब तक चालू हो जायेगा और स्वीकृति नहीं दी गई है तो कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी और स्वीकृति नहीं दी जायेगी तो क्यों नहीं दी जायेगी ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां, यह सही है कि भोमादेह नामक योजना पर काम हुआ था और उस पर करीब 2,93,467 की लागत का कार्य करवाया गया है, पर राज्य सरकार उस योजना को पूर्ण करवाने का कोई इरादा इस समय तक नहीं रखती है ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । इस योजना का सर्वेक्षण कर तखमीना बनाया जा चुका है परन्तु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अभी स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी ।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : कब तक स्वीकृति मिल जायेगी ?

श्री मूलचन्द: किस कार्य की ?

श्री चिम्मनसिंह भाटी : भाग चार में जो आपने कहा है, उसके लिये ।

श्री मूलचन्द : इसके लिये अभी फन्ड्स नहीं है, वैसे एस्टीमेट बन चुका है और आठ लाख रुपये का है, अभी इसको अबेयन्स में रखा है । धनराशि उपलब्ध होने के बाद इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री चिम्मनसिंह भाटी । धनराशि तब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री केशरीमल (ब्यावर) : यह क्या आपने बिना एस्टीमेट के शुरू किया था ?

श्री मूलचन्द : अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत शुरू किया गया था, लेकिन इसका एम. सी. एफ. टी. कम होने के कारण स्थगित करना पड़ा ।

श्री केशरीमल : शुरू करने के पहले विचार नहीं किया गया था ?

श्री मूलचन्द : मैंने कहा न कि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत शुरू किया गया था पानी की समस्या को हल करने के लिये, लेकिन एम. सी. एफ. टी. कम निकला तो पोस्टपोन कर दिया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : इस योजना के प्रति उपेक्षा कैसे की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण

600. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या जयपुर शहर में राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत एक अस्पताल बनाने की योजना थी ?

2. यदि हां, तो भवन बनाने का काम किस विभाग को कब सौंपा गया था और इस विभाग ने कितना निर्माण-कार्य पूरा कर लिया है ?

3. क्या उपरोक्त अस्पताल भवन में बिजली और पानी का प्रबन्ध कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

4. क्या उक्त अस्पताल भवन का निर्माण-कार्य सन्तोषजनक चल रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। ओवर हैड वाटर टैंक धोबी घाट, रंग रोगन के अलावा सब कार्य पूरा किया जा चुका है।

(3) बिजली के टेम्परेरी कनेक्शन तथा पानी का कनेक्शन मिल चुका है। टैंक बनाना बाकी है।

(4) जी हां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना आपने दी है वह गलत है। अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं है, ढाई साल हो गये। आपने कहा कि बिजली का प्रावधान हो गया है परन्तु अभी तक तो पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से एल० फार्म भी नहीं भरा गया है और अस्पताल में जो पानी आता है वह ठेकेदार ने बिल्डिंग बनाने के लिये जो टेम्परेरी कनेक्शन लिया था, उसको ही काम में ले रहे हैं और अलग से अस्पताल ने कनेक्शन नहीं लिया है।

श्री हरिदेव जोशी : अब मैं यह कह सकता हूँ कि आपको जो सूचना मिली है वह सही नहीं है, क्योंकि मैंने जानकारी करली है पानी और बिजली दोनों दिये जा रहे हैं, और परमानेन्ट या टेम्परेरी कनेक्शन में फर्क नहीं है। परमानेन्ट कनेक्शन भी, आज मैं जब यहां से जाऊंगा उससे पहले मिल जायेगा।

निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या यह सही है कि पी. डब्ल्यू. डी. ने एल फार्म नहीं भरा ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पानी की बात के अलावा, मिस्टर चौपड़ा जो डिप्टी डाइरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि 34 स्थानों पर बिल्डिंग में क्रैक्स हो रहे हैं। क्या उनकी रिपेयर्स करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मिस्टर चौपड़ा कोई कन्स्ट्रक्शन वर्क्स के एक्सपर्ट नहीं हैं। पी. डब्ल्यू. डी. के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखकर बताया है कि यह जो क्रैक्स हैं यह तो टेक्नीकली जरूर है। नेचुरल है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस बिल्डिंग बनाने के लिए कितने लाख रुपये दिये गए थे ?

श्री हरिदेव जोशी : इनीशियल एस्टीमेट 25 लाख रुपये का था और रिवाइज्ड एस्टीमेट 35 लाख, 73 हजार रुपये का था।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर सिंह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 41 लाख रुपये दिये गये हैं, 36 लाख बिल्डिंग बनाने के लिए और 5 लाख जमीन के लिये। इसमें कितने बेड्स बनाने का ख्याल था और 1971 से जो 50 हजार रुपया डाक्टर्स और दूसरे स्टाफ पर खर्च किया गया है जबकि एक भी मरीज वहां पर नहीं आया।

Page No 18

श्री हरिदेव जोशी : 15 तारीख से इ. एस. आइ हॉस्पीटल ने काम करना शुरू कर दिया और कल तक इन्डोर भी शुरू हो जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौनसी 15 तारीख से।

श्री हरिदेव जोशी : इसी 15 तारीख से।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके पहले क्या आपने डॉक्टर्स और नर्सेज को 4 माह की तनख्वाह बिना काम के बिठाकर नहीं दी है।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, कहीं न कहीं उन्होंने ड्यूटी दी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 50 हजार रुपया खर्च हो गया है और एक भी मरीज नहीं आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं मन्त्री महोदय को चेलेन्ज देता हूं कि आपने 4 महीने की तनख्वाह बिना एक मरीज के आये दी हैं। मन्त्री महोदय इस चेलेन्ज को स्वीकार करें।

श्री हरिदेव जोशी : कोई एक आदमी भी बिना काम के रहा होगा तो उस पर कार्यवाही की जावेगी।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आज भी चेलेन्ज देता हूं कि आप चले चलें। वह न आज पूरा हो न कल पूरा हो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर सिंह।

चूरू सरदार शहर सड़क

601. **श्री मोहरसिंह (चूरू) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. चूरू से सरदार शहर सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ ? इस पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है और क्या कार्य हुआ है ?

2. क्या इस सड़क के अन्तर्गत आई हुई भूमि अवाप्त की जाकर किसानों को मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक मुआवजा दे दिया जावेगा ?

3. इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री मूलचन्द) : (1) सहायता कार्यों में इस सड़क का कार्य 1968-69 में आरम्भ हुआ था। रुपया 13,43,109 व्यय हुआ है तथा सड़क पर अर्थवर्क घाघला बिछाई, घाघला कुटाई क्रमशः 12, 8 तथा 7 मील में हुआ है।

(2) सहायता कार्यों में बनी सड़कों का मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है।

(3) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री मोहरसिंह : अभी कितना घाघला पड़ा है ? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने फरमाया, अर्थवर्क फेमिन रिलीफ के अन्तर्गत किया गया था, इसलिये

(श्री मोहरसिंह)

यह प्रश्न फैमिन रिलीफ डिपार्टमेन्ट से ही पूछना चाहिये था। जो सूचना मेरे पास उपलब्ध थी वह सूचना मैंने दे दी।

प्रश्न संख्या 602

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 603

श्री गोवर्धनसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 604

श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 605

श्री प्रद्युम्नसिंह।

राजाखेड़ा क्षेत्र के ट्यूब वैल

605. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1 राजाखेड़ा क्षेत्र में जो सरकारी नलकूप खुद चुके हैं उनको कब तक चालू करने का सरकार का इरादा है ?

2. जो एक्सपेरीमेंटल ट्यूब वैल्स खोदे गये उनको सरकार ने अब तक चालू क्यों नहीं करवाया ? क्या सरकार यह मानती है कि उक्त नलकूपों पर जो धन व्यय हुआ है उनको चालू न करने से बेकार जावेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित

प्रश्न संख्या 606

श्री महेन्द्रकुमार।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामसिंह।

टावर लाइन स्कीम

607. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

क्या यह सच है कि बिलाड़ा कस्बे में राजस्थान विद्युत मण्डल की ओर से टावर लाइन स्कीम मन्जूर हो चुकी है ? अगर हां, तो कब हुई और इस पर क्या प्रगति है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां, ब्यावर से बिलाड़ा तक 132 के.वी. का लाइन नवम्बर, 69 में मन्जूर की जा चुकी है इस लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और स्टब सेटिंग का कार्य शुरू किया जा चुका है।

श्री रामसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि दो साल के दरमियान में कोई भी काम शुरू नहीं किया गया और यह बहुत इम्पारटेन्ट मामला है और इसको जल्दी से जल्दी चालू करने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है और कब तक हो जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें देरी हुई है इसलिए कि टावर के फेब्रीकेशन में दिक्कत आ रही थी आइरन और स्टील के मिलने में, लेकिन यह इतनी बड़ी लाइन है कि इसमें टाइम लगा ही करता है।

श्री रामसिंह : आप सही तारीख बतायेंगे कि किस दिन पूरा हो जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : कई चीजें बताना हमारे बूते के बाहर की चीजें होती हैं।

श्री रामसिंह : कोई भी काम दो साल से चालू नहीं किया गया।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को पता है कि इसका सर्वे भी इसी पीरियड में हुआ है जो लैस कि इम्पारटेन्ट चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरलाल चौधरी।

नावां तहसील में बांध बनाने की योजना

608. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** (नावां):- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

1. क्या यह सही है कि नावां तहसील में सन् 1968 में बाढ़ आने पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री व सन् 1971 में बाढ़ आने पर वर्तमान मुख्य मन्त्री मौके पर पधारे थे तब वहां की जनता को बाढ़ की रोकथाम के लिए कुछ स्थानों पर बांध बनाए जाने का आश्वासन देकर आये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

2. उपरोक्त योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र में कब तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है तथा इस कार्य में कितना समय लगेगा ?

राज्य मन्त्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) इस सम्बन्ध में जो बाढ़ नियंत्रण योजनायें मीठड़ी और नावां बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के नाम से विचाराधीन है।

(2) योजनाओं की स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर कार्य शुरू कराया जा सकेगा।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : यह आवश्यक धनराशि कब तक उपलब्ध हो जायेगी? 68 में बाढ़ आई, 71 में आई और अब 72 आ चुका और अभी तक धनराशि उपलब्ध नहीं हुई तो यह कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री मूलचन्द : उसके लिए फ्लड कन्ट्रोल टैक्निकल ऑफिसर्स कमेटी की बैठक होने वाली है उसमें विचार किया जायेगा।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : इसके अलावा और भी स्कीम है कि जो कि बाढ़ नियंत्रण के लिए विचाराधीन है ?

श्री मूलचन्द : अभी तक तो केवल दो ही योजनायें विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल।

विकास अधिकारी गंगापुर के विरुद्ध शिकायतें

609. **श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल** (गंगापुर) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल)

1. श्री अश्वनी कुमार माथुर, विकास अधिकारी, गंगापुर के खिलाफ भ्रष्टाचार, गबन, अनियमितताओं के सम्बन्ध में जो जांच चल रही थी उसकी रिपोर्ट डी. डी. ओ. सवाई माधोपुर द्वारा दिये जाने पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

2. क्या यह सच है कि विकास अधिकारी, गंगापुर ने अपना उपस्थिति रजिस्टर नहीं रखा है और मनमाने ढंग से गंगापुर से अनुपस्थित रहकर जयपुर रहते हैं ? क्या रजिस्टर में हाजिरी करना आवश्यक नहीं है ?

पंचायत एवं विकास मन्त्री (श्री औंकारलाल) : (1) प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोप-पत्र व आरोपों का विवरण-पत्र मंगवाया जाकर उनकी जांच की गई व आरोप-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है । विभागीय जांच अभी तक नहीं हुई है । अतः जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(2) उपस्थिति रजिस्टर नहीं रखा गया है जिसका रखा जाना जरूरी है ।

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रारम्भिक जांच कब से चल रही है और यह कब खत्म होगी ?

श्री औंकारलाल : प्रारम्भिक जांच 1-2-71 व 6-10-71 के द्वारा प्रारम्भ हुई और उस सम्बन्ध में भी सवाई माधोपुर को आरोप-पत्र व विवरण-पत्र बने होने के बाद 12-1-71 को लिखा गया ।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने जवाब में लिखा है कि प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोप-पत्र व आरोपों का विवरण पत्र मंगवाया जाकर उनकी जांच की गयी तो जो जांच की गयी उसका विवरण क्या है और दूसरे आपने कहा है कि रजिस्टर नहीं रखा गया जो कि रखा जाना जरूरी था-मैं समझता हूं कि इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य ने स्पष्ट आरोप लगाया था कि वह गंगापुर में नहीं रहते और जयपुर में रहते हैं । आपने भी माना है कि रजिस्टर नहीं है तो इसकी तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है, फिर इस मामले में विकास अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री औंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की शिकायत कि वह गंगापुर में नहीं रहता इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी तो इसकी पूरी जांच करने के लिए 22-4-72 को जिलाधीश को भेज दिया गया है और वहां से जांच प्राप्त होते ही नियुक्ति विभाग को इसके लिए लिखा जायेगा । मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में नियुक्ति विभाग क्योंकि आर.ए.एस. ऑफिसर है, वही निर्णय लेंगे और पूरा विवरण जैसे कि रजिस्टर का नहीं रखना, अनियमिततायें और सब के सब पूरे केस को नियुक्ति विभाग में भेजा जाकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इस विकास अधिकारी के खिलाफ

(श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल)

13 अप्रेल को एक ज्ञापन पेश किया गया था क्या इसकी जांच की जा रही है या कर ली गयी है ?

श्री ओंकार लाल : मेरे समक्ष वह ज्ञापन नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

रानी की औद्योगिक बस्ती का विद्युतीकरण

610. श्री मोहनराज (बाली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने रानी (जिला पाली) की औद्योगिक बस्ती का विद्युतीकरण करने हेतु सन् 1964 में रु. 23,000 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को देने थे, और अब तक विद्युत विभाग द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया ?

2. क्या यह सही है कि इस संबंध में रानी औद्योगिक बस्ती की संचालक समिति ने बार बार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, परन्तु फिर भी अब तक उक्त आवश्यक कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के लिए कौन दोषी है और क्या उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

3. अब औद्योगिक बस्ती के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, कार्य समाप्त हो चुका है ।

2. प्रश्न नहीं उठता ।

3. प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहनराज : यह कार्य कब समाप्त हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी: Long Back.

श्री मोहनराज : माननीय मन्त्री महोदय को जो इत्तला है मेरा ख्याल है कि मैंने जब प्रश्न पूछा और अभी एक सप्ताह पहले मैं गया तो मंत्री महोदय कह दें कि कब तक यह काम पूरा होना था और वह पूरा नहीं हुआ है और वहां पर कनेक्शन लगाया हुआ है वह टेम्पोरेरी वायर खींचकर लगाया गया है जिससे केजुएल्टीज हुई हैं और रात दिन खतरा बना हुआ है । यह जो रुपया दिया है एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है और यह अमाउन्ट अभी तक पड़ा हुआ है ।

श्री हरिदेव जोशी : आप जो कह रहे हैं उसके विपरीत मेरे पास सूचना है । सूचना यह है कि 23 हजार रुपया डिपोजिट करवाया गया है और उसके अगेन्स्ट में 25, 831.50 खर्च हो चुका और कम्प्लेन्ट के बारे में यह है "The work was taken in hand and the same has been completed prior to 1965." इसलिए आपने जो इनफोर्मेशन दी है उसको आधार मानकर मैं इसकी इन्क्वायरी करूंगा ।

श्री शंकरलाल : इसकी जांच करवा लें ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल ।

रेडिया नदी पर बान्ध

611. श्री शंकरलाल (पाली) :—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि गांव मण्डिण्डा, तहसील जोधपुर, पंचायत समिति लूनी की सरहद में रेडिया नदी पर कोई बांध बनाने की योजना का सर्वे किया गया था? यदि हां तो सर्वे का क्या नतीजा रहा।

2. क्या यह सही है कि इस बांध के बनने से पाली तहसील के सांवलता खुर्द भूरीवासणी, कलाली, रायपुरा, रोहट, दाला-सणी, मुकनपुरा आदि गांवों में नदी का पानी रूकने से कुओं में पानी सूख जायेगा और भारी नुकसान होगा?

3. क्या सरकार इस तथ्य की जांच करवा कर पाली तहसील के गांवों को नुकसान होने से बचायेगी व बांध के निर्माण को रोकेगी?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मूलचन्द): (1) जी हां, इस योजना का सर्वेक्षण किया गया था तथा अभी इस पर अन्वेषण कार्य चालू है।

(2) अभी इस योजना पर अन्वेषण कार्य चालू है अतः नीचे के गांवों में कुओं का पानी सूख जायेगा या नहीं बताना अभी सम्भव नहीं है।

(3) योजना को बनाते समय इसका ध्यान रखा जावेगा।

श्री शंकरलाल : और नीचे के गांवों को नुकसान होगा तो बांध नहीं बनेगा इसके लिये आप क्या कर रहे हैं? अगर वास्तव में नुकसान होगा तो क्या करेंगे?

श्री मूलचन्द : जब नुकसान की स्थिति होती है तो वह कार्य नही कराया जाता।

श्री शंकरलाल : पानी रुक जाने से जो नेचुरल फ्लो होता है वह रुक जाता है और नीचे के जितने गांव हैं वहां पानी नही रहता है, कई जगह ऐसा हुआ है।

श्री मूलचन्द : उसके लिये निवेदन किया है कि इसके लिए जांच चल रही है और उनके बाद कदम उठाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

मांडल तहसील में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों का कार्य

612. श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या माण्डल तहसील में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कें बनाने के कार्य चल रहे हैं क्या उन पर कार्य करने वाले मजदूरों को बजाय 3.25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के 0.63 पैसे से 1.50 रुपये ही प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो इतना कम क्यों दिया जा रहा है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विकास विभाग से सम्बन्धित हैं इसलिए उनको भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

एस० डी० ओ० की अदालत में विचाराधीन मुकदमें

613. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बांसूर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

1. अलवर जिले के एस. डी. ओ. बहरोड़ की अदालत में बान्सूर तहसील के सेटलमेंट सम्बन्धी कितने मुकदमें कब से चल रहे हैं ?

2. क्या यह सही है कि काम की अधिकता के कारण एस. डी. ओ. बहरोड़ को इन मुकद्मों को सुनने का समय कम मिलता है इसीलिए यह मुकद्में बहुत दिन से चल रहे हैं ?

3. यह सेटलमेंट कब से चालू हुआ है और कब समाप्त हुआ है ?

4. क्या सरकार इन मुकद्मों के शीघ्र तय किये जाने की व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) एस.डी.ओ. बहरोड़ की अदालत में तहसील बान्सूर की सन् 1969 से अब तक 1044 उजरदारियां थीं जिनको बहैसियत एल. आर. ओ. (एस. डी. ओ.) बहरोड़ द्वारा निर्णय किया जाना था। इनमें से अब तक 653 का निपटारा किया जा चुका है और शेष 391 रहती हैं।

(2) एस. डी. ओ. द्वारा अपने केम्प कोर्ट में प्रत्येक शुक्रवार को इन उजरदारियों की सुनवाई का इन्तजाम तथा शीघ्र निपटारा किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। प्रार्थीगण के सबूत रेकार्ड इत्यादि पेश करने में देरी होने के कारण विलम्ब होता है।

(3) तहसील बान्सूर में भू-प्रबन्ध कार्य सम्वत् 2014 में प्रारम्भ हुआ और 2021 में समाप्त हुआ है।

(4) जिलाधीश को इन मुकद्मात को शीघ्र निपटाने हेतु आदेश दिए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

तहसील सराड़ा में सड़कों का निर्माण

614. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या राज्य सरकार ने जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा में गांव डीगरी वाया सल्लाड़ा सड़क, डीगरी से थाना, नठारा, चावण्ड, डीगरी से बड़गांव, मलाड़ा, बड़ावली, इटाली पाल, सलूम्बर, वाया सल्लाड़ा डीगरी जयसमन्द रोड़, रेल्वे स्टेशन सड़क सल्लाड़ा तक निर्माण कार्य आदि के लिये कोई धनराशि स्वीकृत की थी— यदि हां तो अब तक इन कार्यों पर कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

2. क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो कितना ? तथा यह कार्य कब तक पूर्ण होगा और इनमें कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री मूलचन्द) : (1) इनमें से डीगरी रेल्वे स्टेशन से सलूम्बर वाया सल्लाड़ा बड़गांव रोड़ के ग्रेवल रोड एण्ड क्रोस ड्रेनेज की प्रशासनिक स्वीकृति तीन लाख रुपये की 8-11-71 को दी गई। वर्ष 71-72 में 20,000 का प्रावधान किया गया था।

(राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण)

फरवरी 72 तक 13,619.00 रुपया व्यय हुआ है।

(2) वित्तीय प्रावधान अनुसार कार्य प्रगति पर है। अर्थाभाव के कारण कार्य समाप्ति के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। लगभग 2,75,000 रुपया आवश्यक होगा।

श्री देवीलाल : 30 हजार में से 13 हजार ही खर्च क्यों किया गया ? बाकी कहां गया ?

श्री हरिदेव जोशी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : 30 हजार नहीं है 20 हजार है।

श्री रोशनलाल : छोटा अमाउन्ट था यह भी खर्च नहीं हो सकता था ?

श्री हरिदेव जोशी : हो सकता था पता नहीं यह क्यों कम हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बेरवा।

श्री देवीलाल : मैं पूर्ण जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सड़क बनाई जावेगी और इसके लिए कोई रुपया रखा गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस बारे में कह चुका हूं।

श्री देवीलाल : तेजी से काम चालू होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : कोशिश करेंगे तेजी से करने की।

(प्र. सं. 615)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

(प्र. सं. 616)

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती मदनकौर।

गांव टापरा में भूतपूर्व जागीरदार द्वारा छोड़ी गई भूमि

617. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि गांव टापरा (भाखरी खेड़ा) तहसील पचपदरा में लगभग एक हजार बीघा काश्त की भूमि जसोल के भूतपूर्व जागीरदार ने सीलिंग में आने की वजह से छोड़ी है ? यदि हां, तो क्या इस भूमि पर किसी का कब्जा है ?

2. क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों का इस भूमि पर कब्जा है, सम्बन्धित पटवारी ने उनका कब्जा न होना बताकर किन्हीं अन्य व्यक्तियों का रिकार्ड में कब्जा दर्शाया है ?

3. क्या राज्य सरकार इस तथ्य की जांच किसी अन्य राजस्व अधिकारी से कराने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां।

(2) सं. 2022-2025 की खतौनी से यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण की गई भूमि पर भूतपूर्व जागीरदार श्री जितेन्द्रसिंह का

(राजस्व मंत्री)

ही कब्जा दर्ज है। परन्तु, मौके पर अन्य काबिज है।

(3) जी हां।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों का इस जमीन पर कब्जा बताया गया है क्या इन्हीं व्यक्तियों का कब्जा है या किसी दूसरे का है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि कागजात में भूतपूर्व जागीरदार श्री जितेन्द्रसिंह का कब्जा दर्ज है लेकिन मौके पर दूसरे लोगों का है।

श्रीमती मदनकौर : मौके पर दूसरे लोगों का है उसके अलावा भी जो दूसरे गांवों के लोग हैं उनका कब्जा भी रिकार्ड में बताया गया है और सरकारी जमीन अलाट की हुई है। उन लोगों के पास में जो लैंडलैस हैं और उन जमीनों पर काबिज हैं उनको रिकार्ड में गलत बताया गया है, काबिज दूसरे लोग हैं। जब जमीन अलाट की जायेगी तो उन लोगों को अलाट नहीं की जावेगी क्योंकि वास्तव में वे कागजों में काबिज नहीं है, इसलिए लोगों में आपस में झगड़े होंगे और जमीन इन लोगों को मिलेगी नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी जांच के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : जांच हो जब तक तो जिनका कब्जा है उन्हीं को काबिज रखा जाय। ऐसा नहीं हो कि जिनके नाम दर्ज है उन्हीं के नाम अलाटमेंट हो जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

हिंडौन-आसलपुर सड़क

618. **श्री उम्मेदीलाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या सरकार हिण्डौन से खरेटा ग्राम होते हुए आसलपुर (20 मील) की सड़क बनाने की कोई योजना रखती है ? अगर हां, तो यह सड़क कब तक पूर्ण होगी ?

2. क्या यह सच है कि हिण्डौन से आसलपुर जाने के लिए करौली होकर जाना पड़ता है वह 50 मील का रास्ता है ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। दूरी लगभग 36 मील है।

श्री उम्मेदीलाल : यह 36 मील नहीं है। हिण्डौन से आसलपुर करीब 19 माइल है। इसकी 58-59 में सड़क मन्जूर हुई थी और सरकार ने खुद अपने हाथ में ठेका लेकर इसका अपने हाथ में काम लिया था लेकिन अब उस काम को बीच में ही बन्द कर दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसमें आप जो इत्तला दे रहे हैं वह दूसरी तरह की है और विभाग ने हमें इत्तला दी है वह दूसरी है। वह यह है कि इसको कभी भी प्लान में नहीं लिया गया है। ठेके का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Page No 27

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बताऊं कि मैंने खुद मौके पर देखा है और अभी तक भी तीन माइल की दूरी तक रोड़ी पड़ी हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : फैमिन रिलिफ में दिया होगा।

श्री उम्मेदी लाल : अभी भी पड़ी हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री उम्मेदीलाल : कब तक।

श्री हरिदेव जोशी : बहुत जल्दी।

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, वह महत्वपूर्ण सड़क है वहां गरीबों के आने जाने का सवाल है, वहां की खानों का माल ...

श्री हरिदेव जोशी : आप एक हफ्ता बाद मुझ से मिल लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

सिंचाई के तालाबों की मरम्मत

619. **श्रीमती भगवती** (भिनाय) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सत्य है कि अजमेर जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत कई सिंचाई के तालाबों की मरम्मत की गई थी ?

2. क्या यह सही है कि अजमेर जिले में कई तालाबों का काम आज भी अधूरा पड़ा है। अधूरे कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन अधूरे कार्यों का कब तक पूरा करवा दिया जावेगा। क्या इनके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान रखा जायेगा।

राज्य मन्त्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां।

(2) जी हां। अजमेर में 89 तालाबों का काम अधूरा पड़ा है। अधूरे कार्यों की सूची संलग्न है।

(3) आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर ही इन्हे पूरा करवाया जा सकेगा। इस के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्रीमती भगवती : इस साल तो पूरे होंगे या नहीं होंगे ?

श्री मूलचन्द : निवेदन कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम

(प्रश्न पूछने खड़े नहीं हुए)

श्री भीमसेन : 621।

एक माननीय सदस्य : मालाराम जी मौजूद हैं।

गांवडी सांवलपुरा सड़क

620. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नीमका थाना तहसील में गांवडी से सांवलपुरा सड़क का सर्वे होकर सड़क बनाने

(श्री मालाराम)

की स्वीकृति हो चुकी है। यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब तक शुरू किया जावेगा।

राज्य मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री मूलचन्द): जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर तहसील के गांवों में सेटलमेन्ट का कार्य

621. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. तहसील बीकानेर के रूणियावास समूह, रामसर, जामसर आदि गांवों का सेटलमेंट कितने वर्ष पूर्व हुआ था?

2. क्या सरकार उक्त तहसील के गांवों का बन्दोबस्त तत्काल कराने का इरादा रखती है ताकि राजस्व रेकार्ड सही तरीके से तैयार होने से काश्तकारों को राहत पहुच सके?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) बीस वर्ष पूर्व बन्दोबस्त कार्य हुआ था।

(2) प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीम सेन : अध्यक्ष महोदय, बीस वर्ष पहले नहीं 60 वर्ष पहले हुआ था, कौन से गांवों का बीस वर्ष पहले हुआ है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तहसील बीकानेर के 182 गांवों में से 58 गांवों का बन्दोबस्त तो सम्वत् 1965 में हुआ जो कि सम्वत् 2012 तक का था। 124 गांवों का बन्दोबस्त 2008 से 2020 तक 12 वर्ष का बन्दोबस्त था।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री भीमसेन : मैंने जिन गांवों के बारे में भाग (1) में प्रश्न पूछा है उन गांवों का बन्दोबस्त कब हुआ था?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपको बताया कि सम्वत् 2012 में।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना जो माननीय मन्त्रीजी ने दी है वह कतई गलत है। यह रामसर, जामसर आदि का सेटलमेंट जो हुआ था वह सम्वत् 1965 में हुआ था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बीस वर्ष पूर्व ही तो हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मनोहर कोठारी।

नाथद्वारा हल्दी घाटी उदयपुर सड़क

622. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि नाथद्वारा हल्दी घाटी-उदयपुर सड़क पर डामर कार्य करने की योजना है और उक्त प्रयोजन से सड़क पर मिट्टी, डामर आदि डाल दिए गए थे? यदि हां, तो यह सामान सड़क पर कब डाला गया और अब वह कहां है?

Page No 29

(श्री मनोहर कोठारी)

(2) इस सड़क पर डामर का कार्य कब तक पूरा कराने का विचार है ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं । सहायता कार्य में सड़क पर डामर करने के लिए डामर ढोल वर्ष 1969-70 में सड़क पर लाये गये थे जिनका उपयोग सहायता कार्यों के समाप्त होने से नहीं हो सका है । डामर साइट पर रक्खा हुआ है ।

(2) डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने 'जी नहीं' से अपना प्रश्न का उत्तर शुरू किया लेकिन डामर किस बात के लिए रखा गया है । क्या वहां पर सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं थी । क्या राज्य सरकार इस बात को महसूस नहीं करती कि हल्दीघाटी जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान तक डामर की सड़क न बनाई जाय जहां पर कि सैकड़ों लोग बाहर से, फारिनर्स वगैरा आते हैं । क्या आप इसकी उपयोगिता को अनुभव नहीं करते ? पहली पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को लिया गया है ।

श्री हरिदेव जोशी : आपने जिस तरह से प्रश्न किया उसी तरह से प्रश्न का उत्तर दिया गया है । आपने कहां कि पहली योजना में इसको लिया गया तो वह योजना भी खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी योजना और तीसरी योजना खत्म हो गई। उसके बाद श्री एन्यूग्रल ईयर्स निकल गए और अब तो फोर्थ प्लान भी खत्म हो रहा है ।

श्री मनोहर कोठारी : अब तो डामर भी पड़ा हुआ नहीं है । मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : यह फैमिन रिलीफ डिपार्टमेंट ही कह सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री मनोहर कोठारी : यह सड़क फैमिन रिलीफ में नहीं पी. डब्ल्यू. डी. की ओर से चल रही है ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को इसका पता नहीं होगा । इसका काम फैमिन रिलीफ में हुआ था और फैमिन रिलीफ में ही योजना थी । इसको टार्ड करने का तो प्रश्न ही नहीं है, अभी तक तो मेटल भी नहीं की गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा ।

सिंचाई डिवीजन झालावाड़ द्वारा सामान की खरीद

623. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि सिंचाई डिवीजन झालावाड़ ने जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक त्रिपालवाटर टैंकें, सिरकिये, फर्नीचर व दीगर सामान की खरीद की है ? यदि हां, तो कितना कितना सामान किस किस रेट पर, किस किस से कब कब खरीदा गया : कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

2. क्या उक्त सामानों के लिए कोई टेन्डर आमंत्रित किए गए थे ? यदि हां, तो कब टेन्डर नोटिस जारी किये और कब टेन्डर खोले गये तथा सामान की खरीद कब हुई ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह सही है कि सामान की खरीद में अनियमितता किए जाने के खिलाफ तारीख 22-8-71 को सिंचाई विभाग व मुख्य मंत्री को ज्ञापन दिया गया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) सूची संलग्न हैं।

(2) सूची में अंकित है।

(3) इस मामले की जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर 22-8-71 को इसके बारे में मैंने सूचना दी तो अभी तक जांच क्यों नहीं हुई ? यह त्रिपाल और वाटर टैंक की कीमत पांच हजार रुपया प्रति वाटर टैंक बताया है जब कि एक हजार में वाटर टैंक बाजार में मिल सकते है। एक हजार से ज्यादा इनकी बाजार में कीमत नहीं है। त्रिपाल के भी 80-90 रुपये दिए हैं जब कि 50-60 रुपयों में त्रिपाल मिल सकते हैं। तीन, साढे तीन रुपयों में सिरकियां मिलती हैं जब कि 7.50 के हिसाब से 3500 सिरकियां खरीदी गई हैं। फर्नीचर के हजारों रुपये दिए गए हैं। पांच सौ रुपयों की एक कुर्सी है बैठने के लिए। यह तो फिजूल खर्ची का एक नमूना है कि इन्जीनियर के बैठने के लिए पांच सौ रुपये की एक कुर्सी खरीदी गई है और इस तरह से 9 कुर्सियां खरीदी गई हैं। इस तरह से पैसा जाया होता है यह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह टेंडर जब लिया गया तो टेंडर को 60 रोज के लिए या 15 रोज के लिए लेना चाहिए था, इसके बजाय टेंडर तीसरे दिन खोले जाते हैं। टेंडर लेने से पहले ही माल आ करके इकट्ठा हो जाता है, खरीद लिया जाता है और बाद में टेंडर लिए जाते हैं। इसकी जांच के लिए मैंने निवेदन किया था। एक लाख रुपये का सामान खरीदा गया जिसमें बड़े घोटाले हैं, इनके बारे में जांच होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, इन अनियमितताओं की शिकायत के बारे में जांच की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : एक लाख रुपये की शिकायत है लेकिन इस तरफ भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब एक एम. एल. ए. ने लिख कर दिया है कि एक लाख रुपयों के घोटाले का मामला है। अध्यक्ष महोदय, एम. एल. ए. ने लिख कर कि तीन दिन में टेन्डर खोल लिए, सामान ज्यादा कीमत में खरीदा तो फिर अभी तक इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाई जब कि 22-8-71 को ही लिख कर दे दिया था। इसका मतलब है कि इस डिपार्टमेंट को कोई देखने वाला नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसमें यह बताया गया है कि पांच हजार में एक टैंक खरीदा गया। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, जोखिम प्रोजेक्ट ने, अपने प्रोजेक्ट के लिए जैसे टेन्डर मांगे थे, उस हिसाब से यह टैंक खरीदा गया है। जो लोएस्ट टेन्डर था उस पर त्रिपाल लिये गए थे और दरअसल में यह गलत छप गया है। यह 501 नहीं है यह सिर्फ 50 रुपये ही हैं। यह गलत छपा है। पांच सौ नहीं पचास है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह 501 कुर्सी की कीमत वाजिब लिखी गई है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह गलत है। 50 है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : एक रह गया है।

बेरोजगार डॉक्टरों को सुविधायें

624. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

1. राज्य में आज तक कितने डाक्टर बेरोजगार हैं ?

2. कितने डाक्टरों ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए सरकार से सुविधा मांगी है ?

3. ऐसी सुविधा कब कब मांगी गई और उनको सुविधा कब कब दी गई ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मासलपुर करौली रूट पर चलने वाली बसें

588. श्री ब्रजेन्द्रपाल (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि मासलपुर-करौली रूट पर बस नम्बर, आर. जे. एल. 6093 और आर. आर. एल. 9200 चल रही है ?

2. क्या यह सही है कि यह बसें 1956 और 1396 माडल की है ?

3. क्या इन बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त है ?

4. यदि हां, तो इन को फिटनेस सर्टिफिकेट किस आधार पर दिये गये ?

5. क्या यह सही है कि इन बसों पर यात्रियों से एक रुपया पैंसठ पैसा लिया जा रहा है जब कि निर्धारित रेट एक रुपया पचपन पैसा है ?

6. क्या यह सही है कि इन बस मालिकों पर एक एक हजार रुपया जुर्माना किया गया था ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

उत्तर

(1) बस नं० आर. जे. एल. 6093 मासलपुर-करौली मार्ग पर चल रही है। बस नं० आर. आर. एल. 9200 इस मार्ग पर नहीं चल रही है।

(2) बस नं० आर. जे. एल. 6093 डॉज 1955 माडल की है एवं बस नं० आर. आर. एल. 9200 का माडल 1963 है।

(3) जी हां।

(4) फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों की दशा ठीक होने पर दिये जाते हैं जिसका आधार मोटर व्हीकल्स एक्ट का अध्याय 5 होता है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां, सन् 1970 में।

श्रम न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

589. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) राज्य के श्रम न्यायालय में कुल कितने मुकदमे विचाराधीन हैं तथा इनसे कितने श्रमिक सम्बन्धित हैं ?

(ख) ऐसे मुकदमें कितने हैं जो 2 साल व 5 साल से अधिक समय से इस न्यायालय में चल रहे हैं ?

(ग) क्या राज्य सरकार श्रम न्यायालय को फैसले देने के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(क) श्रम न्यायालय राजस्थान के समक्ष जो मुकदमें विचाराधीन है तथा जिनमें जितने श्रमिक सम्बन्धित हैं, का वर्णन सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) दो साल व पांच साल से अधिक समय से चल रहे मुकदमों की संख्या उपरोक्त तालिका के कोलम नं० 5 व 6 में बताई गई है।

(ग) जी नहीं

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

तहसील सांचोर के काश्तकारों को पास-बुकों का वितरण

590. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में काश्तकारों को अभी तक पूरी पास बुक का वितरण नहीं किया गया है ? अगर हां तो क्यों ? अभी तक कितनी पास बुक्स वितरित की गई हैं एवं कितनी पास बुक्स का वितरण करना शेष है तथा इनका वितरण कब कर दिया जावेगा ?

2. इस जिले में कुल कितनी पास बुक्स की आवश्यकता होगी तथा अब तक जिले में कुल कितनी पास बुक्स वितरित की गई हैं ?

उत्तर

(1) हां यह सही है कि तहसील सांचोर के सब काश्तकारों को अभी तक पास बुकों का वितरण नहीं किया गया है। पटवारियों के पास कृषि गणना, चुनाव एवं पशुगणना का कार्य होने से इस कार्य में विलम्ब हुआ है।

सांचोर तहसील में कुल 3818 काश्तकारों को पास बुकें वितरण की जा चुकी हैं। एवं 18,802 काश्तकारों को पास बुकें वितरण करना शेष है।

(2) जालोर जिले में कुल 58100 पास बुकों की आवश्यकता है। इसमें से 30100 पास बुकें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 12417 पास बुकें काश्तकारों को वितरण की जा चुकी हैं, शेष 17683 पास बुकों का वितरण करने की कार्यवाही तहसीलदारों एवं पटवारियों द्वारा जारी है।

बाड़मेर नगरपालिका के चुनाव

594. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर-पालिका में प्रशासक सन् 1967 से अब तक नियुक्त हैं ?

2. क्या यह सही है कि उक्त पालिका के चुनाव सन् 1970 में अन्य पालिकाओं के साथ होने वाले थे परन्तु चुनाव नहीं कराये गये ?

3. उक्त पालिका के चुनाव न कराने में किन किन अधिकारियों की त्रुटि रही है और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

4. उक्त पालिका के चुनाव अब कब तक करा दिये जायेंगे निश्चित तिथि से अवगत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगरपालिका की सीमा वृद्धि का मामला अन्तिमरूप से तय नहीं होने के कारण अन्य नगरपालिकाओं के साथ सन् 1970 में इस नगरपालिका के चुनाव नहीं कराये गये।

(3) नगरपालिका की सीमा वृद्धि के संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है। किसी अधिकारी की त्रुटि नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) नगरपालिका की सीमा वृद्धि की कार्यवाही सम्पन्न होते ही चुनाव कराये जाने हेतु निर्वाचन विभाग को निवेदन कर दिया जावेगा।

भूमि की अधिकतम सीमा

602. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि राज्य में लागू किए गये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार अभी तक पूरी कार्यवाही नहीं कर सकी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है ?

2. क्या यह भी सही है कि अब राज्य सरकार भूमि की अधिकतम सीमा को 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से, जो अब तक लागू कानून के अन्तर्गत निर्धारित थी, घटा कर 18 स्टेण्डर्ड एकड़ करने जा रही हैं। यदि हां, तो कब तक और क्यों ?

3. क्या यह सही है कि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी परिवर्तन की घोषणा के कारण राज्य के किसानवर्ग में भारी असन्तोष मचा हुआ है तथा राज्य में भारी संख्या में भूमि स्थानान्तरण की रजिस्ट्रियां हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और उनसे सरकार को कितनी आय किस किस प्रकार हुई ?

4. क्या राज्य सरकार इस अस्थिरता और अविश्वास तथा उद्विग्नता की स्थिति को उचित मानती है और क्या इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ? यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति के नियन्त्रण के लिए क्या क्या प्रयत्न किये ?

उत्तर

(राजस्व मन्त्री)

(1) राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा के कानून के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी हां, शीघ्र ही इस सम्बन्ध में उचित विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें विधेयक लाने के कारण भी अंकित होंगे।

(3) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी परिवर्तन की घोषणा के कारण काश्तकारों में किसी प्रकार के असन्तोष की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

एकत्रित जानकारी के अनुसार भूमि के स्थानान्तरण एवं उससे हुई आय (स्टाम्प ड्यूटी) का ब्यौरा परिशिष्ट (ख) में संलग्न है।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम देवीपुरा के ग्राम सेवक क्वार्टर

603. **श्री गोरधनसिंह (सीकर) :** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि ग्राम देवीपुरा पंचायत समिति शाहपुरा (जयपुर) में ग्राम सेवक क्वार्टर बनाने का ठेका हुआ था ? यदि हां तो कब ?

2. क्या यह सही है कि क्वार्टर का आधा कार्य हो चुका है जो करीब 7 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब सरकार इसको कब तक पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ठेका वर्ष 1959 में दिया गया था।

(2) जी हां। ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न करने के कारण क्वार्टर अधूरा पड़ा हुआ है। क्वार्टर का कार्य शीघ्र पूरा करवाने के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

गंगापुर में गांवड़ी सड़क का कार्य

604. **श्री भरतलाल (वामनवास) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जिला सवाई माधोपुर में गंगापुर से गांवड़ी सड़क कौन सी योजना में कहां से कहां तक स्वीकृत हुई थी ?

2. इस समय इस सड़क का कितना कार्य पूरा हो चुका है ? शेष कार्य को पूरा कराने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

3. क्या यह सही है कि इस सड़क के बारे में करीब 15 ग्राम पंचायत व 2 पंचायत समिति के प्रधानों ने बार-बार विभाग के उच्चाधिकारियों से प्रार्थना की है ?

4. क्या यह सही है कि यदि इस सड़क को वाया शफीपुरा क्रेश स्कीम सड़क जो कि सिर्फ 5 मील की दूरी पर है वहां

(श्री भरतलाल)

से रानीला से गढ़खेड़ा सड़क में मिला दिया जावे तो सैकड़ों गांवों को सब-डिवीजन हैड क्वार्टर व जिला मुख्यालय पर जाने की काफी सुविधा हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन देगी ?

उत्तर

(1) द्वितीय पंचवर्षीय योजना (6-12-60) में 2 मील तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना (8-11-63) में 2 मील 2 फर्लांग की स्वीकृति दी गई थी।

(2) 3 मील 2 फर्लांग में कार्य पूर्ण हो चुका है मील 3/2 से 4/0 में तथा 4/0 से 4/2 तक क्रमशः सोलिंग लगाई तथा निर्माण सामग्री एकत्रित का कार्य हुआ है वर्ष 72-73 में कार्य पूर्ण होने की आशा है।

(3) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ?

(4) जी हां, अर्थाभाव के कारण आश्वासन सम्भव नहीं है।

जिला डूंगरपुर के आदिवासियों को मकान बनाने की अनुमति

606. श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. विकास पंचायत "कोलखंडा" जिला डूंगरपुर द्वारा विगत 10 वर्षों में किन किन आदिवासियों को कहां कहां मकान बनाने की अनुमति दी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सत्य है कि विकास पंचायत की विधिवत् अनुमति के पश्चात् आदिवासियों ने जब मकान बना लिए फिर भी उनको वर्षों बाद गिराने के नोटिस दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो आदिवासियों को किन आदेशों के अधीन परेशान किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, जब नोटिस ही नहीं दिये गये हैं तो परेशान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

भूमि की सीलिंग सीमा में अन्तर

615. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या राज्य में चम्बल कमाण्ड और राजस्थान केनाल की भूमि की सीलिंग की सीमा में अन्तर है? यदि हां, तो कितनी कितनी सीलिंग की सीमा निर्धारित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने चम्बल केनाल व राजस्थान केनाल की सीलिंग की सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च कमेटी का निर्माण किया था ?

(श्री नन्दलाल बैरवा)

यदि हां, तो इस कमेटी के सदस्य कौन कौन व चेयरमैन कौन हैं तथा इसकी अब तक कितनी बैठकें कहां कहां हुई हैं ?

3. चम्बल नहरी भूमि अथवा राजस्थान कैनाल गंगानगर की भूमि की सीलिंग सीमा निर्धारित करते समय कितनी कितनी एकड़ रखी गई थी और अब उपरोक्त कमेटी की क्या राय है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लिए सीलिंग की सीमा में कोई अन्तर नहीं है।

(2) जी हां, कमेटी के अध्यक्ष श्री एस. पी. सिंह भण्डारी तत्कालीन विकास आयुक्त थे एवं श्री शेरसिंह तत्कालीन वाणिज्य कर आयुक्त एवं श्री के. एल. बराया, तत्कालीन राजस्व सचिव सदस्यगण थे।

उक्त कमेटी की बैठकें कोटा एवं जयपुर में हुई थीं।

(3) चम्बल नहरी भूमि अथवा राजस्थान नहर गंगानगर की भूमि की जहां तक सीलिंग सीमा का प्रश्न है उसमें कोई अन्तर नहीं है, सारे राज्य में सीलिंग सीमा 30 स्टैण्डर्ड एकड़ ही रखी गई है। अलबत्ता यह सीमा अलग अलग क्षेत्रों में भूमि के वर्गीकरण एवं अन्य बातों के आधार पर साधारण एकड़ों में निर्धारित की गई है जिसका ब्यौरा परिशिष्ट (क) में संलग्न है।

कमेटी ने जो राय दी है वह परिशिष्ट (ख) में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

कोटा जिले की सड़कें

616. **श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. कोटा जिले की आम सड़कों की हालत खराब होने के क्या कारण हैं ?

2. कोटा से कैथून, कोटा से रंगपुर, कोटा से इटावा, कोटा से बनियानी होती हुई सांगोद तथा कोटा से भंडाना दरा रोड़ की मरम्मत कब हुई थी ? इस समय इन सड़कों की हालत कैसी है और अब कब इनमें सुधार की संभावना है ?

उत्तर

(1) अत्यधिक वर्षा, चिकनी मिट्टी, सड़कों की कम मुटाई तथा नहरी पानी के सिपेज (Seepage) मुख्य कारण हैं।

(2) साधारण मरम्मत प्रतिवर्ष की जाती है। कोटा इटावा रोड़ को छोड़कर शेष सड़कों की दशा अधिक खराब नहीं है। मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

संचालक चिकित्सा विभाग द्वारा कम्पनियों को दिये गये आर्डर

228. **मोहनलाल छंगाणी (फलोदी):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

1. गत दो वर्षों में कितनी कितनी राशि के किस किस कम्पनी को संचालक चिकित्सा विभाग, जयपुर के कार्यालय से दवाइयों, बैन्डेज, कैमिकल्स, कॉटन इत्यादि चीजों के ऑर्डर दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. उपरोक्त कम्पनियों को किन कारणों से इस तरह के ऑर्डर दिये गये? क्या इस तरह के आइटम्स के ऑर्डर 1968-69 में भी दिये गये थे? यदि हां, तो कितनी कितनी राशि के आर्डर किन कारणों से किस किस कम्पनियों को दिये गये?

उत्तर

(1) सूची पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

(2) इन कारणों का विशेष विवरण सूची में अंकित है। सन् 68-69 में इन आइटम्स के ऑर्डर नहीं दिये गये थे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डिप्टी डाइरेक्टर इ. एस. आइ. द्वारा कम्पनियों को दिये गये आर्डर्स

229. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. डिप्टी डाइरेक्टर इ. एस. आइ. के कार्यालय से 1 मार्च, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक किस किस कम्पनी को कितनी कितनी राशि के कब कब निम्न चीजों के आर्डर दिये गये:—

(1) कॉटन, (2) बेन्डेज, (3) बिस्मय कार्य, (4) दवाइयां।

2. क्या उपरोक्त चीजों के भारी राशि के आर्डर देना नितान्त आवश्यक था?

3. इन चीजों में से क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई और कितनी कितनी बकाया हैं?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) वार्षिक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक था।

(3) सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

तहसील नीम का थाना के ग्रामों का विद्युतीकरण

230 श्री मालाराम (नीमकाथाना): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नीम का थाना के किन किन गांवों में बिजली की सप्लाई के लिए सर्वे किया जा चुका है और किन गांवों का अब सर्वे होगा? कृपया गांवों के नाम व पटवार सर्किल दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नीम का थाना तहसील के किस किस ग्राम के किस किस काश्तकार ने बिजली लगवाने के लिये विभाग को आवेदन पत्र दिये हैं? क्या इन आवेदन पत्रों पर विभाग ने एस्टीमेट तैयार करवा लिया है?

(श्री मालाराम)

क्या इनके डिमान्ड नोटिस भी जारी कर दिये गए हैं ?

उत्तर

(1) तहसील नीम का थाना के जिन 10 गाँवों का सर्वे सन् 1971-72 में किया गया है, उसकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है। पटवार सर्किल के आधार पर गांवों की सूची विद्युत मण्डल में नहीं रखी जाती है। अब किन किन गाँवों का सर्वे होगा, इसके बारे में अभी निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) विद्युतीकृत विभिन्न ग्रामों में काश्तकारों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर की गई कार्यवाही व वर्तमान स्थिति बताते हुए सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

231. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर सदर तहसील के चार गांवों केसरदेसर बोहरान, केसर देसर जाटान, किलचू और कल्याणसर का विद्युतीकरण हो जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि किलचू व केसरदेसर के दो ट्यूबवैल्स को चलाने के लिये बिजली की आवश्यकता है ?

(3) सरकार इस कार्य को कब तक पूरा कर देगी ताकि बिजली के अभाव की पूर्ति से पानी के अभाव को भी दूर किया जा सके ?

उत्तर

(1) अभी निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) विद्युत मण्डल को इसकी जानकारी नहीं है।

(3) अभी निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

पी० बी० एम० अस्पताल, बीकानेर

232. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. बीकानेर के पी. बी. एम. अस्पताल में गत पांच वर्षों में कितनी शय्याओं का विस्तार हुआ है ?

2. उसके अनुपात में कितना नर्सिंग व चतुर्थ श्रेणी स्टाफ बढ़ाया गया ?

3. क्या यह सही है कि वहां वार्डों में अपर्याप्त नर्सिंग सेवा के कारण मरीजों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

उत्तर

(1) बीकानेर के पी. बी. एम. अस्पताल में सन् 1969 में 102 शय्याएं बढ़ाई गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

हरिजनों के मोहल्लों में रियायती दरों पर बिजली लगाना

233. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) :— क्या विद्युत मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(क) जिला गंगानगर में कितने ऐसे शहर या कस्बे हैं जिनमें हरिजन मोहल्लों में बिजली लगाई गई है ?

(ख) क्या सरकार ने हरिजन मोहल्लों के लिए विद्युत की दरों में कोई रियायत दी है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या राज्य सरकार भविष्य में हरिजनों के मोहल्लों में रियायती दरों पर बिजली लगाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जिला गंगानगर के जिन 2 कस्बों व नगरों के हरिजन मोहल्लों में बिजली लगाई गई है उसकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी नहीं, हरिजन मोहल्लों के लिये विद्युत की दरों में कोई रियायत नहीं दी गई । यह दरें विद्युत मण्डल की टेरिफ के अनुसार है जिसमें एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं में किसी भी व्यक्ति या समुदाय के लिये भेदभाव नहीं बरता जाता । विद्युत मण्डल ने हरिजन मोहल्लों में बिजली लगाने के लिये निर्धारित मिनिमम रिटर्न को (साधारण) 10% से घटा कर 3% पहिले ही कर दिया है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

गंग नहर क्षेत्र के प्रत्येक गांव में बिजली पहुँचाना

234. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 50, 51 व 54 एफ. व 57 एफ. नहर के साथ साथ जो ट्यूबवैल है उनमें से इस समय तीन ही चल रहे हैं और चार जल्दी ही तैयार होने वाले हैं ? यदि हां, तो उन्हें बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार गंग नहर क्षेत्र के हर गांव व हर झोंपड़ी तक बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इसकी जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है । इन चकों के विद्युतीकरण नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि ये विद्यमान 11 के० वी० लाइन से अधिक दूर (करीब 10-15 किलोमीटर) है ।

(2) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है । ग्रामों का विद्युतीकरण योजना बनाने पर लाभप्रद होना एवं पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

जयपुर में विस्थापितों को दुकानों का अलाटमेन्ट

235. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या पुनर्स्थापन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

1. जयपुर में कुल कितनी दुकानें विस्थापितों को एलाट की गई और इन अलाटीज में क्लेमेन्ट कितने थे और नान-क्लेमेन्ट कितने थे ?

2. क्या क्लेमेन्ट से कोई ब्याज लिया जाता रहा ? यदि हां, तो कब से कब तक और किस दर से ?

3. कितने एलाटीज ने किस्तों में रकम की अदायगी की प्रार्थना की है और कितने हस्ब इकरार यह किस्तें नहीं दे रहे हैं ?

4. क्या यह सत्य है कि इन डिफाल्टर्स के नाम रीहैबिलीटेशन कलेक्टर, जयपुर से नोटिस दिनांक 9-8-71व4-11-71 को जारी किये गए, किन्तु इन नोटिसेज में न असल रकम, न ब्याज और न ही तादाद अकसात बकाया दर्ज किये गए हैं ? यदि हां तो क्यों ?

5. क्या यह सत्य है कि यह सूचना कई एक अलाटीज की मांग पर भी उन्हें नहीं भेजी गई ? क्या सरकार रीहैबिलीटेशन कलेक्टर, जयपुर की अलाटीज को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी भेजने का आदेश देगी ?

उत्तर

(1) जयपुर में 842 दुकानें विस्थापितों को अलाट की गई हैं इनमें से 270 दुकानें क्लेमेंट्स को व 572 दुकानें नान-क्लेमेंट्स को अलॉट की गई हैं।

(2) जी हां, क्लेमेंट्स विस्थापितों को भिन्न भिन्न श्रेणी में केन्द्रीय सरकार के पत्र दिनांक 5-5-60 के द्वारा विभक्त कर रक्खा है। अत: उनसे भिन्न भिन्न तारीखों तक ही ब्याज वसूल किया जाता है। ब्याज की साधारण दर 5 प्रतिशत हैं तथा पेनल दर 6 प्रतिशत हैं।

(3) किस्तों के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। समस्त अलाटीज ने हस्बे इकरार हायर पर्चेज की किस्तें जमा नहीं कराई हैं।

(4) जी हां, क्योंकि इन्हे जो प्रथम नोटिसेज दिए गए थे, उसमें बकाया राशि का विवरण दिया जा चुका था।

(5) जी नही, अलॉटीज के जानकारी चाहने पर बकाया ऋण व ब्याज की सूचना आवश्यक दी जाती है।

कोलायत तहसील में अनाज की पैदावार

236. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. कोलायत तहसील में गत वर्ष कितना अनाज पैदा हुआ और यह पैदावार पिछले वर्षों की अपेक्षा कितनी अधिक रही ?

2. पैदावार के मुकाबले अनाज की खपत कितनी रही ?

3. अनाज की कमी की पूर्ति सरकार ने किस प्रकार की ?

उत्तर

(खाद्य मंत्री)

(1) तहशील कोलायत में गत वर्ष सम्वत् 2028 में लगभग ज्वार 139, बाजरा 8864 एवं गेहूं 9 टन पैदा हुए। पिछले 5 वर्ष की अपेक्षा ज्वार 73, बाजरा 4632 टन अधिक एवं गेहूं 6 टन कम पैदा हुआ।

(2) पैदावार के मुकाबले में खर्च 479 टन अधिक रहा।

(3) अनाज का भाव लगभग आस-पास की तहसीलों में समान होने से पूर्ति होती रही। सरकार को विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं हुई।

ग्राम भांडारेज के वलाइयों के मोहल्ले में बिजली लगाने की व्यवस्था

237. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम भांडारेज में मोहल्ला बलाइयों में बिजली क्यों नहीं लगाई गई ?

(ख) इस ग्राम के हरिजन जाति के लोगों को बिजली के लिए कितनी राशि दी गई ?

(ग) क्या सरकार उक्त मोहल्ले में बिजली लगाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(क) ग्राम भांडारेज के मोहल्ला वलाइयों में बिजली लगाने के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये।

(ख) इस विभाग द्वारा हरिजनों को बिजली लगाने हेतु धनराशि नहीं दी जाती है।

(ग) प्रस्ताव आने पर विचार करना संभव होगा।

तहसील नीम का थाना में बांधों के निर्माण की योजना

238. **श्री मालाराम** (नीमका थाना): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. तहसील नीम का थाना में कहां कहां बांध बनाये जाने की योजना का सर्वे हुआ है ? क्या मांकड़ी बांध, सिमली बांध, ठीकरिया बांध, भगेगा भगोट बांध, सिरोही राणासर बांध, बिहारीपुर बांध, कोला का नांगल बांध, दीमवास बांध, मोटका बांध फतहपुरा (छगावानांगल) बांध की सर्वे आदि का कार्य पूरा हो गया है ?

2. तहसील नीम का थाना में उक्त बांधों की योजना पर कब तक कार्य शुरू होने की सम्भावना है ? बांधवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील नीम का थाना में ठीकरियां भगोगा भगोट, बिहारीपुरा, सागर की मोरी रायपुर जागीर, तथा राणासर बांधों का सर्वे करवाया गया है। प्रश्न में अंकित बांधों में से केवल भगोगा भगोट, ठीकरियां व बिहारीपुरा का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।

Page No 42

(उत्तर)

(सिचाई मंत्री)

(2) प्रशासनिक स्वीकृति मिलते व आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर ही हाथ में लेना सम्भव हो सकेगा।

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में दुकानों का अलाटमेन्ट

239. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कहां कहां पर किस नाप से डब्ल्यू. एफ. पी. के अन्तर्गत दुकानें अलाट की गई तथा उनके क्या आधार हैं ?

(2) क्या सरकार उस क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों के निवासियों को स्थानीय लोगों के मुकाबले प्राथमिकता देना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में डब्लू. एफ. पी. के अन्तर्गत अलाट की गई दुकानों की सूची संलग्न है।

इस योजना के अन्तर्गत दुकानें आवंटित करने के निम्न मुख्य आधार हैं:—

(अ) सामान्यतः दुकान एलाट करने से पूर्व प्रार्थी की आर्थिक स्थिति के संतोषजनक होने एवं उसकी हैसियत की जानकारी की जाती है।

(ब) प्रार्थी के विरुद्ध डब्लू. एफ. पी. परियोजना के किसी कार्य में भी अपहरण जैसे कोई मामले आरोप न हो।

(स) प्रार्थी को दुकान एलाट किये जाने पर विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना के नियमों का सच्चाई एवं निष्ठापूर्वक पालन करेगा और धोखा, जालसाजी, अपहरण जैसा कृत नहीं करेगा।

(द) उसे व्यापार कार्य का अनुभव, लगन एवं क्षमता हो।

(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना की दुकानें आवंटन करने में स्थानीय या अन्य व्यक्ति को इस आधार पर प्राथमिकता देने जैसी कोई बात नहीं है। वस्तुतः एक ही राज्य में स्थानीय व दूसरों का भेद करना उचित प्रतीत नहीं होता एवं ऐसा करना संविधान की भावना के भी प्रतिकूल होगा। फिर भी अधिकतर प्रार्थना-पत्र स्थानीय व्यापारियों के ही होते हैं इस कारण अधिकतर दुकानें भी उन्हें ही एलाट होती हैं। अगर बाहर के व्यापारी भी यह काम करने को आवेदन करें तो प्रश्न (1) के उत्तर में वर्णित आधार पर उन्हे भी दुकानें आवंटित की जाती हैं।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

लेन्ड रेवेन्यू की बकाया की वसूली

240. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कुल कितने जागीरदारों में लैंड रेवेन्यू बकाया है ?

(2) बकाया धनराशि कुल कितनी है और कब से इसकी वसूली नहीं हो रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

Page No 43

राजस्थान नहर निर्माण पर व्यय की गई राशि

241. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान नहर गत वित्तीय वर्ष में कितने मील आगे बनी ?

2. गत वित्तीय वर्ष में राजस्थान नहर निर्माण हेतु सरकार ने निम्न मदों में कितनी राशि व्यय की :—

(अ) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि पर।

(ब) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों के निर्माण व अन्य विकास कार्यों पर।

(स) मशीनरी की खरीद पर।

(द) नहर खुदाई एवं निर्माण कार्य पर।

3. राजस्थान नहर के निर्माण हेतु प्राप्त धन पर राज्य सरकार अब तक कुल कितना ब्याज भुगता चुकी है और कितनी राशि देय है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जोधपुर टी. बी. अस्पताल में भर्ती न किये जाने के कारण एक निर्धन हरिजन श्री बन्शीलाल द्वारा की गई आत्महत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है।

2. श्री गोपाल जोशी और श्री भीमसेन, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर शहर में गंदे पानी के निकास के लिये बनाये जाने वाले नाले की धीमी प्रगति एवं सूर सागर में गंदे पानी के एकत्रित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

3. श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने सारे राजस्थान और विशेषरूप से जयपुर में रेजगारी की समस्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न पर एक अन्य सदस्य द्वारा दिये गये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर राज्य सरकार को एक वक्तव्य देने के लिये कहा जा रहा है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री शंकरसिंह, सदस्य विधान सभा ने अजमेर जिले में शीत लहर पड़ने के कारण रबी की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और न हाल की किसी घटना से संबंधित है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

Page No 44

(श्री अध्यक्ष)

5. कल दिनांक 17 मई, 1972 को सर्वश्री केशरीमल, रामानन्द अग्रवाल, भानुकुमार शास्त्री और गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने बेरोजगार अभियन्ताओं पर मुख्यमन्त्री के निवास स्थान पर दिनांक 16 मई, 1972 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। मैं चाहूंगा कि आज माननीय गृह मन्त्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

6. कल दिनांक 17 मई, 1972 को ही राजस्थान विश्व विद्यालय में अमेरिकी खुफिया विभाग से सम्बन्धित कुछ गतिविधियों और राजस्थान विश्व विद्यालय के कुछ छात्रों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र के सम्बन्ध में अमेरिका को जानकारी भेजे जाने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सम्बन्ध में एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई है। इन स्थगन प्रस्तावों पर कल सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और मैं माननीय गृह मन्त्री से आज इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य देने के लिए कह रहा हूं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं और मैं माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे आज इस विषय में एक वक्तव्य दें।

7. श्री रामचरण, सदस्य विधानसभा ने पंचायत समिति अटरू के अध्यापकों को वेतन के बकाया और चिकित्सा बिलों के भुगतान न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

8. श्री जगमोहनसिंह, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष 15 मई से जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर का जन-स्वास्थ्य खतरे में है। बीकानेर शहर में सारा गंदा पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है और वह एक नारकीय कुण्ड बन गया है। इसके लिये मैं जन-स्वास्थ्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसके लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। यह प्रश्न यहां पर पहले भी उठाया गया है····

श्री अध्यक्ष : कई दफा हो चुका है।

श्री गोपाल जोशी : वहां पर रहना मुश्किल हो रहा है··

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए भेजा है।

श्री गोपाल जोशी : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मन्त्री महोदय, इससे वहां के लोगों को शीघ्र ही राहत दिलावें। यह एक ऐसा नारकीय कुंड बन गया है, हान्डा

(श्री गोपाल जोशी)

साहब उठ रहे हैं, उन्होंने इसको देखा है। शायद वे भी इस बारे में कुछ कहेंगे। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को इसकी भयंकरता के बारे में मालूम है। आज जयपुर शहर को हम पिंक सिटी कहते हैं तो उसी तरह से यह बीकानेर में एक पिंक झील बन गई है। आप देखिये किसी ने गलती से डुबकी लगा ली तो समझिये उसने मौत का आलिंगन किया है ..

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : यह नर कुंड बन गया है। सवाल कर रहे हैं तो और भी विभत्स बन जायेगा।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली बात नहीं है। शहर का आज जन-स्वास्थ्य खतरे में है। कोई आदमी वहां पर नहीं चल सकता है। मच्छरों की भनभनाहट और झनझनाहट में से कोई नहीं गुजर सकता है। ऐसी परिस्थति में यह कब तक चलता रहेगा। मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : अध्यक्ष महोदय, हरिजन के द्वारा आत्म हत्या की बात है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही गई है।

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा : इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जाना चाहिए। अस्पताल की हालत ऐसी है कि सिलेन्डर नहीं मिला और मिला तो बिना आक्सीजन का। सीनियर वार्डन हास्पिटल को विजिट नहीं करते हैं। वे प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं। एक्सरे की प्लेट ब्लेक में बेची जा रही है। एक गरीब हरिजन भर्ती होने के लिए टी. बी. अस्पताल में गया तो नहीं किया गया। वह बेरोजगार था। निराश होकर कुए में कूद कर उसने आत्महत्या कर ली यह प्रश्न इतना बड़ा है, बेरोजगारी का प्रश्न है और हमारे अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, हमारे डाक्टर्स का क्या एटीट्यूड है, मरीजों की तरफ गरीबों का क्या एटीट्यूड है, यह गरीबों की तरफ, गरीब हरिजनों की तरफ संकेत करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप चिकित्सा मन्त्रीजी को कल ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए कहेंगे। एक के बाद एक घटनाएं होती चली जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री शंकरसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर में शीत लहर से फसलें नष्ट हो गई है। इसके बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। आज वहां पर फसलें खराब हो गई हैं और पूरे जिले में पेय जल की समस्या पहले से ही है और कुओं में पानी नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अजमेर जिले का दो तिहाई भाग पानी से वंचित है और जितनी बुआई की गई थी वह सब शीत लहर की वजह से खतम हो गई है। अजमेर जिले की स्थिति इस प्रकार की है कि उस पर मन्त्री महोदय आज ही वक्तव्य दें और स्थिति पर प्रकाश डालें। ब्यावर के आगे का क्षेत्र जो पहाड़ी इलाका है वहां पर फसलें नष्ट हो हो गई हैं। इस सम्बन्ध में सरकार का मैंने ध्यान आकर्षित किया है। वहां पर पेयजल की गंभीर समस्या है। फसलें नष्ट हो गई हैं। सारी व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है। इस पर सरकार जरूर गौर करे।

श्री नत्थीसिंह : अभी अभी भरतपुर जिले की नदबई और कामा तहसीलों में 56 पर्सेन्ट की रिपोर्ट कलेक्टर ने गवर्नमेंट के पास भेज दी लेकिन आज तक उस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। भरतपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह काहे पर फर्मा रहे हैं।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर की श्रम स्थिति के सम्बन्ध में

श्री ओंकारलाल (श्रममंत्री): माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य श्री केदारनाथ के स्थगन प्रस्ताव के संबंध में जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर की श्रम स्थिति के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० जयपुर में लगभग 1300 श्रमिक कार्य करते हैं। कारखाने में इस समय दो श्रमिक संगठन हैं :—

1. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, जयपुर, जिसका सम्बन्ध इन्टक से है।

2. सूती मिल मजदूर समिति, जिसका सम्बन्ध सीटू से है।

प्रबन्ध द्वारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ को मान्यता दे रखी है।

सूती मिल मजदूर एकता समिति की ओर से एक मांग-पत्र दिनांक 19-4-72 को मिल के व्यवस्थापक को दिया गया, जिसकी प्रति प्रादेशिक उप-श्रम आयुक्त एवं समझौता अधिकारी, जयपुर को दिनांक 21-4-72 को प्राप्त हुई। इस मांग-पत्र में निम्नलिखित 15 मांगें थीं:

1. जिन मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है या जिनके सम्बन्ध में कोई विवाद विचाराधीन है, उन्हें वापिस नौकरी पर रखा जाय तथा उन्हें उपयुक्त मुआवजा दिया जाय।

2. गत 2 वर्षों का बोनस 20 प्रतिशत की रेट से दिया जाय।

3. ओवर टाइम डबल रेट से दिया जाय।

4. ड्यूटी पर उपस्थिति के लिये मजदूरों को आधा घन्टे का ग्रेस पीरियड दिया जाय और इस सम्बन्ध में एन० इ० आइ० की तरह व्यवस्था लागू की जाय।

5. प्रत्येक खाते का बढ़ाया हुआ वर्कलोड कम किया जाय और इस सम्बन्ध में मार्च, 1967 में चल रहे वास्तविक वर्कलोड (जो भी अधिक व मनमाना था) को आधार मानकर फिलहाल वर्कलोड कम किया जाय तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत बातचीत की जाय।

6. एक वर्ष में 15 सवैतनिक आकस्मिक अवकाश दिया जाय।

7. राष्ट्रीय त्यौहारों की सवैतनिक छुट्टियां बढ़ाकर उनकी संख्या वर्ष में 12 की जायं।

(श्री ओंकारलाल)

8. स्पेशल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अवार्ड में जो फण्ड बनाने की बात कही गई है, उसकी रकम प्रत्येक मजदूर को वितरित कर दी जाय।

9. बदली मजदूरों को शत प्रतिशत स्थानों पर परमानेन्ट किया जाय तथा जो रह जाय उनको माह में कम से कम 20 दिन हाजरी की गारंटी हो।

10. सवेतनिक अवकाश के लिए 20 दिन पर एक छुट्टी के हिसाब से छुट्टियां दी जायं तथा इसके लिए साल में 240 हाजरी का बन्धन समाप्त किया जाय।

11. मजदूर बस्ती में क्वार्टरों की संख्या बढ़ाई जाय तथा क्वार्टरों तथा पूरी बस्ती का आधुनिकरण किया जाय। जिन मजदूरों के पास क्वार्टर नहीं हैं उन्हें मकान भत्ता दिया जाय।

12. जिन खातों में रूई के कण उड़ते हैं उनमें काम करने वाले तथा मोटे माल पर काम करने वाले मजदूरों को प्रति दो घन्टे, आधा घन्टे का अवकाश स्पेशल एलाउन्स दिया जाय।

13. वर्क्स कमेटी के चुनाव कराये जायं।

14. सभी मजदूरों को साल में 3 वर्दियां निशुल्क दी जायं।

15. रिंग खाते में स्पिडल एलाउन्स दिया जाय।

समझौता अधिकारी ने मांगों की एक प्रति प्रबन्ध को भेजकर समझौता वार्ता के लिए दिनांक 2-5-72 को 2 बजे बुलाया, लेकिन प्रबन्धक ने सूचित किया कि सूती मिल मजदूर एकता समिति के प्रतिनिधियों से वे बात करने को इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार अधिकांशतया श्रमिक इस यूनियन के सदस्य नहीं हैं। समझौता अधिकारी ने ऐसी परिस्थिति में असफल वार्ता प्रतिवेदन तारीख 9-5-72 को राज्य सरकार को भिजवा दिया, जो अब राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

इसी दौरान 26-4-72 को रात्रि को श्रमिकों के दो दलों में आपसी झगड़ा हो गया। इस बात को लेकर सूती मिल मजदूर एकता समिति ने अगले दिन से हड़ताल करवा दी। प्रबन्धकों का कहना है कि सूती मिल मजदूर एकता समिति कार्यकर्ता तथा कुछ बाहरी व्यक्ति श्रमिकों को कार्य पर जाने से जबरदस्ती रोकते हैं तथा उनके साथ मारपीट करते हैं। इसी कारण अधिकांश श्रमिक काम पर नहीं आ रहे हैं।

सूती मिल मजदूर एकता समिति के प्रतिनिधि दिनांक 9 मई, 1972 को मुझ से मिले तथा जोर दिया कि कारखाने में हुई मारपीट की घटनाओं के बारे में मजिस्ट्रेट से जांच करवाई जाय तथा इस जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने तक किसी श्रमिक के विरुद्ध प्रबन्धों द्वारा कार्यवाही न की जाय। साथ ही यूनियन की मांगों पर प्रबन्धकों को वार्ता के लिए बाध्य किया जाय। मैंने इस सम्बन्ध में प्रबन्धक प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। प्रबन्धक इन सुझावों से सहमत नहीं थे, उनका कहना था कि कारखाने के अन्दर हुई घटनाओं तथा दुराचरणों के बारे में जांच का अधिकार उन्हें है, अतः वे बाहरी जांच को स्वीकार

(ओंकार लाल)

नहीं कर सकते तथा यूनियन के मान्यता प्राप्त न होने से, मांगों पर उससे बात नहीं कर सकते।

हड़ताल मुख्यत: श्रमिकों के दो दलों में आपसी झगड़े को लेकर उत्पन्न हुई है, मांगों के सम्बन्ध में समझौता अधिकारी कार्यवाही पहले ही कर रहे थे। मान्यता के बारे में इस राज्य में कानूनी प्रावधान है। यदि कोई यूनियन यह महसूस करती है कि मान्यता उन्हें दी जानी चाहिए तथा प्रबन्धक अन्य कारणों से इसको टालते हैं, तो वे कानूनी संरक्षण द्वारा मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। हड़ताल द्वारा इस प्रश्न पर दबाव उचित प्रतीत नहीं होता। हड़ताल से उत्पादन की क्षति होती है, साथ ही श्रमिकों को भी वेतनों का नुकसान होता है। यूनियन (सूती मिल मजदूर एकता समिति) ने यह भी आरोप लगाया है कि कई मामलों में प्रबन्धकों द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं। यह सही है, परन्तु कानूनी अधिकारों का उपयोग करने से प्रबन्धकों को श्रम विभाग अथवा अन्य विभाग द्वारा रोकना सम्भव नहीं है।

यह तथ्यों पर आधारित प्रश्न है कि वास्तव में सूती मिल मजदूर एकता समिति का ही बहुमत है अथवा अन्य दूसरे पंजीकृत यूनियन का? यह यूनियन यदि चाहे तो रजिस्ट्रार रिप्रजेन्टेटिव यूनियन्स के समक्ष प्रार्थना-पत्र देकर रिप्रजेन्टेटिव यूनियन का प्रमाण-पत्र हासिल कर सकती है।

जहां तक श्रम कानूनों के उल्लंघन का प्रश्न है, इसके बारे में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है, उनकी पूरी जांच की जायेगी तथा कानून का पालन न करने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मुख्यतः शिकायतें वर्क्स कमेटी न बनाने तथा फैक्ट्रीज एक्ट व पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट के उल्लंघन से सम्बन्धित हैं। इस बारे में उप श्रम आयुक्त जयपुर तथा मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्रीज को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके हैं।

तारीख 13 मई, 1972 की रात्रि को इंटक से सम्बन्धित श्रमिकों ने कामों पर जाना प्रारम्भ कर दिया है। अब तक लगभग 200 श्रमिक व कर्मचारी काम पर जाने लग गये हैं तथा फैक्ट्री आंशिकरूप से चालू हो गई है।

मैं यह आशा करता हूं कि सभी श्रमिक काम पर चले जायेंगे तथा प्रबन्धक भी किसी श्रमिक के विरुद्ध विक्टिमाइजेशन की नीयत से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तथा मिल के अन्दर शान्ति कायम रखने का पूरा प्रबन्ध करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कानूनी प्रावधानों का पूरा पालन करवाया जायगा और पूरा प्रयास किया जायगा कि यह जो आंशिकरूप से कार्य हो रहा है वह पूर्णरूप से कार्य शुरू हो जायगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रीजी ने जो चल रही है हड़ताल उसके बारे में वक्तव्य दिया न मेरी उनके एप्रोच से सहमति है और न मैं यहां पर, अध्यक्ष महोदय, दो यूनियनों के झगड़ों के बीच में कोई कन्ट्रोवर्सी रेज करना चाहता हूं। मेरा इन्ट्रेस्ट केवल मजदूरों का इन्ट्रेस्ट है। मैनेजमेंट, सरकार और लेबर डिपार्टमेंट अगर दो यूनियनों के झगड़े के

(श्री केदार नाथ)

नाते अपनी जिम्मेदारी से बरी होना चाहते हैं तो यह सरकार के लिए ठीक नहीं है।

आज 18 तारीख से हड़ताल चल रही है और 1300 मजदूरों में केवल 200 जाबर्स, क्लावर्स, सुपवाइजरी स्टाफ का आना अगर आप आना समझते हैं किसी यूनियन का तो मैं नहीं समझता कि किसी डिटरमिनेशन के लायक हैं। इसलिए मेरा आपके मार्फत यह निवेदन है कि लाठीचार्ज का पार्ट तो अलग है । 24 तारीख को झगड़ा हुआ, 30 को हुआ और फिर 13 तारीख को लाठीचार्ज हुआ । यह अलग केस है, मैं निवेदन करूंगा आपकी मारफत कि होम मिनिस्टर साहब अलग से स्टेटमेंट दें उसके बारे में।

जहां तक मैनेजमेंट और लेबर का सवाल है...

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्यमंत्री) : वह अभी दे रहे हैं।

श्री केदारनाथ : आपको कोई न कोई ऐसी एजेन्सी क्रियेट करनी पड़ेगी ताकि ये झगड़े मिट सकें और मैनेजमेंट जिसका फायदा न उठाये । अध्यक्ष महोदय, कोई भी गिरफ्तारी मैनेजमेंट के आदमियों की नहीं हुई, कोई भी गिरफ्तारी मिल मजदूर यूनियन के लोगों की नहीं हुई, केवल एक पक्ष की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद झगड़ा जारी रहा विद दी कनाइवेन्स ऑफ दी मैनेजमेंट और वह यूनियन जिसके पास में ज्यादा ताकत है वह चुप नहीं बैठ सकती। आपका लेबर डिपार्टमेंट क्या करता है ? झगड़ा उनकी लीडरशिप का हो सकता है, झगड़ा उनके फिलसफी का हो सकता है, लेकिन मजदूरों की कोलोनी में जाना, मकानों को तोड़ना और वहां से मकानों से जबरदस्ती लोगों को घसीटकर बाहर निकालना आखिर यह चीजें कब तक बरदाश्त के लायक होंगी ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए कोई न कोई एजेन्सी क्रियेट करनी होगी । आप दोनों यूनियनों के नुमाइन्दों को बुला लें, मजदूरों को बुला लें, मैनेजमेंट को बुला लें और एक टेबल पर बिठायें। मैं समझता हूं कि यह वक्त आ गया है । लेकिन हड़ताल चलती रहे तो क्या सरकार यह सोचती है कि मजदूरों के पास ताकत है और हड़ताल से निराश हो जायेंगे और मजदूर वायलेन्ट नहीं होंगे । अगर यह गलतफहमी है तो इसको दूर करें और डेमोक्रेटिक मीन्स अपनायें । अगर मजदूरों के नुमाइन्दे नापसन्द करते हों, अगर मैनेजमेंट बैठना टेबल पर पसन्द न करे तो आखिर मजदूर क्या रास्ता लें? इसलिए मैं इस पाइंट पर स्ट्रेस करता हूं कि एप्रोच पालिसी एक हो इन्टर राइवल यूनियन्स के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुण्डाइज्म कहां पर है...

मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से या यूनियन की तरफ से । मैं इसको एप्रीसियेट नहीं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप टेबिल पर दोनों यूनियनों के नुमाइन्दों को बैठा कर बात करें। मैं यूनियन के नुमाइन्दों को कहना चाहता हूं कि वे काम पर जायें। इतने दिनों जो हड़ताल हुई, वह पैसे उनको दिये जायें। होम मिनिस्टर साहब जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके बारे में वक्तव्य दें। जांच करायें। 100 आदमी गिरफ्तार हुये कइयों के वारण्ट हैं। 151 और 107 की

(श्री केदारनाथ)

कार्यवाही में मैं आवश्यक कण्डीशन्स समझा नहीं सकता हूं। मजदूरों को जो गिरफ्तार है, उनको छोड़िये। दोनों यूनियन को बुलाकर आप बात कर सकते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। आप ताज्जुब करेंगे अध्यक्ष महोदय, अभी तक लेबर डिपार्टमेंन्ट ने कोई केस नहीं बनाया है। मैनेजमेन्ट की हमेशा ही एडवान्टेज की पोजीशन रही है। अभी तक जितने केसेज हुये हैं, मिल मालिकों ने कोई भी कायदा कानून नही माना है। मैं निवेदन करूंगा कि आप पंच बनना स्वीकार करें। लाठीचार्ज की जांच कराना स्वीकार करें। इसके अलावा मैनेजमेन्ट कोई हस्तक्षेप न करे। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पीनिंग और वीविंग मिल के मजदूरों पर लाठी प्रहार किया गया है। वह लोग राजस्थान विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने आये हैं। उनकी दो यूनियन का झगड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि 26 अप्रेल को गुण्डागर्दी हुई है। उसे पुलिस नहीं रोक सकी। 13 ता० की रात्रि को वहां पास में जो बस्ती है, वहां लोग सो रहे थे। उनके अन्दर घुसकर लाठी प्रहार किया गया है। लाठी प्रहार ही नहीं हुआ, भीतर घुसे चले गये। जो सोये हुये व्यक्ति थे, उन पर लाठी प्रहार किया गया है। 56 व्यक्ति घायल हुये हैं। वृद्ध लोग, औरतें और बच्चे भी हैं। उन वृद्ध लोगों, महिलाओं और बच्चों को भी चोटें पहुंचाई गईं हैं। जो टीयरगैस चलाई गई है, वह मैंने पास वाले पुलिस हैडक्वार्टर से जानकारी की है, वह टीयरगैस चलाई गई है, जब कि कोई बड़ा सिविल राइट हो जाये। वहां पर वह चलाई गई है। यह सी. पी. आइ. और सी. पी. एम. का झगड़ा है। सी. पी. आइ. के तो मिलने भी नहीं गये। मनोहरलाल मिलने के लिए गये हैं। 13 ता० की रात्रि को लोगों को सताया गया। उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त रूप से कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सी. पी. आइ. से मिलकर गरीब मजदूरों पर प्रहार किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये जनसंघ के सी. पी. एम. के दोस्त कब से हो गए ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं। इनकी (श्री भार्गव) तरफ से एक परचा निकाला गया है। भारतीय मजदूर संघ की तरफ से निकाला गया है 'मजदूरों' कम्युनिस्टों के पंजे से निकल कर सत्यानाश से बचो'। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झगड़े में हाथ किसका है। यह परचा हमारे हाथ में है। मैं इस परचे को सदन की मेज पर रखता हूं। इस परचे के बाद यह घटना होती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कभी सी. पी. एम. की गोद में बैठते हैं, कभी शराब वालों की गोद में बैठते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गरीब मजदूरों से मिलने के लिए फिर भी नहीं गये।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, सी. पी. आइ. पर आरोप लगाया गया है।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री): यों ही आरोप लगते हैं। क्यों परेशान होते हैं आप।

श्री ओंकारलाल : मैं अध्यक्ष महोदय, मैनेजमेन्ट को बुलाकर बात करूंगा। जैसा कि माननीय केदारजी ने रखा है, मैं उनको बुलाऊंगा। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी नाजायज या पक्षपात की बात नहीं की जायेगी हवामहल से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो एक दो बातें कही हैं, उस सम्बन्ध में गृह मन्त्रीजी स्टेटमेंट देंगे।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री जो।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट हो उससे पहले...

श्री अध्यक्ष : काम काफी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं बोलूंगा भी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो जनसंघ के माननीय सदस्य ने सी. पी. आइ. पर जो आरोप लगाये हैं, उस पर मेरा स्पष्टीकरण आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, फरमाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस फैक्टरी में 3 यूनियन हैं। सी. पी. आइ, एच. एम. और सी. टू. ने अपना निर्णय लेकर हड़ताल कर दी। उनसे मिल कर कोई फैसला लिया होता, यह नहीं हुआ। इस प्रकार एक यूनियन दूसरी फैक्टरी के कुछ मजदूर लोगों को लेकर हड़ताल को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करती है, तो अध्यक्ष महोदय, यह दूसरी यूनियनों को कैसे मंजूर हो सकता है। यह उन यूनियनों को मंजूर नहीं हो सकता है। अपने तरीके से यदि वह अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनको रखने का हक था, लेकिन वह ताकत के बल पर रखना चाहते हैं, दूसरे मजदूरों से, दूसरी यूनियन से सलाह मसविरा नहीं किया और इस तरह से नहीं करके करना चाहते हैं वह फोर्स है। इसलिए इसमें मान्यता का प्रश्न है, जनरल प्रश्न है, दरअसल राजस्थान के अन्दर मान्यता की वजह से इन यूनियनों में झगड़ा होता है। इसमें ए. आइ. टी. यू. सी. को चिन्ता नहीं है कि सीक्रेट बैलट के आधार पर, जिनकी मेजोरिटी होती है उनको मान्यता प्रदान की जाय। बहुत सी यूनियन का बहुमत हो सकता है, कुछ का अल्पमत हो सकता है, इसलिए यूनियन को जो बेसिक मान्यता देने का प्रश्न है, मैं उनमें से हूं कि चाहे ए.आइ.टी.यू.सी. हो, चाहे सी. टू हो, चाहे एच.एम.एस.हो—मेरा सरकार को कहना है और मेरी आफर है कि डेमोक्रेटिक बेसिस पर इसको मान्यता प्रदान करने का तरीका है वह बैलट है, जो बैलट के जरिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेजोरिटी में आये उसको आप मान्यता दें। आज मालिक की मर्जी के मुताबिक मान्यता दी जाती है चाहे वह मेजोरिटी में हों चाहे माइनोरिटी में हो…

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं दो मिनिट और लूंगा।

अभी हम जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग फैक्ट्री के बारे में आलोचना कर रहे हैं, इसी प्रकार से एन. बी. सी. का प्रश्न आता है. दूसरी जो यूनियन है वह वहां पर कई सवाल उठाती है लेकिन एक यूनियन यह कह कर कि वह खुद मान्यताप्राप्त है. दूसरी यूनियन को दबाने की कोशिश करती हैं, जो कि अल्पमत में यूनियन है। मैं समझता हूं कि सीटू की नीति है कि जहां वह बहुमत में है वहां वह दूसरी यूनियनों से बात नहीं करती है और जहां पर अल्पमत में है। वहां पर ताकत के बल पर दूसरों पर जबर्दस्ती अपने निर्णय थोपती है। मैं समझता हूं, इसको मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीटू की इस तरह की नीति से मजदूर संगठन की एकता कायम नहीं रहेगी इस तरह की उन्होंने बंगाल में कोशिश की, केरल में कोशिश की, महाराष्ट्र में कोशिश की। महाराष्ट्र में दूसरी यूनियन ने मिल कर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, बंगाल में मुंह तोड़ जवाब दिया है, केरल में मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके साथ ही मुझे आश्चर्य है, यह नया नजारा देखने को मिल रहा है जो अपने आपको रिवाल्यूशनरी कहलाने वाले हैं, वह रीएक्शनरी के साथ में मिलते हैं। इस तरह की स्थिति हम जयपुर में देख रहे हैं, सी. पी. एम. अपने आपको एक्स्ट्रा आर्डिनरी रिवाल्यूशनरी कहलाने वाले हैं, वह आज रिऐक्शनरीज के साथ उठते बैठते हैं। उसके पक्ष में बात कहने वाले गुमानमलजी हैं, गिरधारीलालजी भार्गव हैं जो कभी सी. पी. एम. पर बैन लगाने की बात कहते थे, कभी राष्ट्रद्रोही होने की बात कहते थे, वह आज उनके साथ में मिल कर चल रहे हैं……

श्री चन्दनमल बैद : उनकी वकालत कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : असलियत में न मजदूरों से प्रेम है, न उनका मजदूरों से कुछ लेना देना है। लेकिन चुनाव में पिटने के बाद में हर मामले में बोलने की कोशिश करते हैं, भले ही मजदूरों का मामला आ जाय तो लोढ़ा साहब उठ कर कहने की कोशिश करेंगे। किसानों का मामला आ जाय तो गिरधारीलालजी उसको सम्भालने की कोशिश करेंगे। एकदम यह चेतना कहां से आ गई, यह हम जानते हैं। इतने वर्षों तक बड़े बड़े जागीरदारों की, राजाओं की गुलामी की है और आज भी पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं। इस राज को यह कह कर छिपाना चाहते हैं तो वह छिप नहीं सकता है। वास्तविकता सामने आई है। हर इश्यू पर इनका चेहरा सामने आ रहा है, चाहे वह सीलिंग का हो या कोई और हो…

श्री अध्यक्ष । कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीलिंग के मामले में छत्तीस सौ के बजाय पन्द्रह सौ की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आय पर सीलिंग करना चाहते हैं। इन सारे प्रश्नों पर इनका चेहरा सामने आ रहा है। इस सदन में सी. पी. एम. के एक माननीय सदस्य भी नहीं है, वह इसलिए कि जनता ने उनको पसन्द नहीं किया। मैं इस सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता था लेकिन उनके वकील जिस तरह से यहां वकालत कर रहे हैं इसलिए मुझे मजबूर होकर इस प्रकार से इस स्थिति को स्पष्ट करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री, गृह !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : काउन्टर रिप्लाई नहीं होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऐसा है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अभी आप बिराजिये, मुझे सुनें लीजिये। आप फर्मायेंगे, फिर वह भी फर्मायेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी आपने कांग्रेस के पिछलग्गुओं को अनुमति दी...

श्री अध्यक्ष : राज्य मन्त्री, गृह !

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह नहीं हो सकता कि आप एक दल को अनुमति दें और दूसरे को न दें।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को भी नहीं दूंगा। गृह मन्त्री जी !

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं नहीं बैठूंगा यदि आप इस प्रकार करेंगे, आप एक दल को अनुमति देंगे और दूसरे को नहीं देंगे तो मेरे लिए बैठना सम्भव नहीं होगा। जो कांग्रेस के तलवे चाट कर...

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री !

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक दल इस प्रकार सदन को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहा है, जबकि उसने राजस्थान के अन्दर कई जगह पर कांग्रेस से मिल कर चुनाव लड़ रहा है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एक दल ने दूसरे पर आरोप लगाये हैं इसलिये उसका उत्तर देने की अनुमति दी जाय, आप समय दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इतने नाराज क्यों होते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कांग्रेस के पिट्ठू हैं, दलाल हैं, कांग्रेस के पिट्ठू हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : सत्य बहुत कटु होता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह कहना चाहता हूं, जब राज्य सरकार...

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य को फोबिया हो गया है साहब।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कांग्रेस के दलाल हैं और कांग्रेस के दलाल होने के कारण चाहते हैं...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कांग्रेस के बल पर जीत कर आये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम अपनी ताकत पर पन्द्रह वर्ष से आ रहे हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तालियां बजवा लीं कांग्रेस के मेम्बरों से।

श्री अध्यक्ष : काफी हो गया है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : 62 में इनकी जमानत जब्त हुई थी, 67 के अन्दर इनकी जमानत जब्त हुई थी। अबकी बार जीत कर आ गये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अबकी बार बच नहीं पाओगे, कांग्रेस के बल पर जीत कर आये हो, कांग्रेस के तलवे नहीं चाटते तो हार गये होते····

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : काफी हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किसान और मजदूर हमारे साथ में है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जयपुर स्पीनिंग और वीविंग मिल के मजदूरों पर इन्होंने लाठी चलवाई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिड़ला के चमचे क्या बात करता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मजदूरों···

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जोधपुर के राजा के चमचे होश से बात कर।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: सारी उम्र पूंजीपतियों की···

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कांग्रेस के तलवे चाट कर चुनाव लड़ा है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : काफी हो गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शराब के ठेकेदारों की वकालत करते हैं'

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : महारानी का आंचल पकड़ कर आने वाले लोग हैं····

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इन्होंने गरीबों की जेब काटी है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हमने लाठियां खाई हैं, हमने इतनी कुर्बानी की है··

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : कांग्रेस के तलवे चाट कर आये हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

मजदूरों को गुमराह करने वाले हैं, मजदूरों पर लाठी चलवाने वाले हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आन. ए. पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ! आन. ए. पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : एम्बुलेंस का इन्तजाम करें, अध्यक्ष महोदय. एम्बुलेंस से से आदर्श नगर भेजने का इन्तजाम करें माननीय सदस्य को।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कांग्रेस के बल पर जीत कर आये हैं। नहीं तो पता भी नहीं लगता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेन्टल हास्पीटल से डॉक्टर व्यास को बुलवाया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कांग्रेस के तलवे चाटे हैं···

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑन. ए. पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ! आन. ए. पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारे खिलाफ क्यों बोलते हैं···

श्री अध्यक्ष : यश प्लीज !

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जो क्षुब्ध वातावरण इस समय हो गया है वह अनजाने में हो गया है या जाने में, कैसे हो गया, सिद्धांतों पर हो गया····

श्री अध्यक्ष : हो गया सो होगया, आगे क्यों करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन करना चाहूंगा, दोनों ओर से, जिन नियमों का परिपालन इस सदन के माननीय सदस्य करते हैं, उनका उल्लंघन हुआ है या नहीं, मैं शांति दूत की तरह खड़ा हुआ हूं ताकि आगे कार्यक्रम चले और समय बच जाय।

श्री भगराज चौधरी : This is no point of order.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is creative order.

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री !

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर स्पीनिंग और वीविंग मिल में दिनांक 13-5-72 की रात्रि को हुई घटना के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार हैं :

जयपुर 26/27-4-72 की मध्य रात्रि से जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल के मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की सीटू से सम्बन्धित कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल करवा दी और काम पर जाने वाले अन्य गैरहड़ताली कर्मचारियों को प्रवेश द्वार पर रोका और उनके साथ मारपीट की जिसके फलस्वरूप 7 गैर हड़ताली कर्मचारियों के लाठियों की साधारण चोटें आई और 1 कर्मचारी के हाथ में फ्रेक्चर हो गया, जिससे वे लोग काम पर नहीं जा सके। श्री ओम प्रकाश चौधरी सुपरवाइजर जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल की लिखित रिपोर्ट पर इस घटना का मुकदमा नं. 74 धारा 148/149, 325 ता. हि. पुलिस थाना बनीपार्क में दिनांक 27-4-72 को रात्रि के 1 बजे दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई तथा मिल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये पुलिस का एक प्लाटून, एक थानेदार के नेतृत्व में

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

तैनात किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 30-4-72 को रात्रि के करीब 9.30 बजे जब पुलिस के सिपाही स्टाफ गेट पर तैनात थे और हड़ताली कर्मचारी गेट से करीब 30 फिट दूर बैठे नारेबाजी कर रहे थे उस समय रेलवे क्रासिंग की तरफ से अन्धेरे में एक जीप गेट के पास आई और जीप में बैठे आदमियों ने हड़ताली कर्मचारियों पर सोडे की बोतलें फैंकी और फौरन जीप में भाग गये। इस पर हड़ताली कर्मचारियों ने पुलिस के जवानों पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया जिसके फलस्वरूप पुलिस के 5 कर्मचारी घायल हुए। तत्पश्चात हड़ताली कर्मचारी मिल में घुस गये और उन्होंने मिल के गेट, आफिस और टेलीफोन एक्सचेंज को नुकसान पहुंचाया तथा मिल से टेबिल, कुर्सियां उठा कर ले गये। हड़ताली कर्मचारियों की रिपोर्ट पर मु. नं. 80 जेर दफा 147/148/336 ता. हि. दिनांक 30-4-72 को दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई। इसी प्रकार श्री श्रीचन्द मुख्य आरक्षी की रिपोर्ट पर मुकद्दमा नं. 81 जेर दफा 147/148/336/452/332/353 427 ता. हि. दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई।

मुकद्दमा नं. 74 में 10 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर दिनांक 4-5-72 को अदालत में चालान पेश किया गया तथा मुकद्दमा नं. 80 की तफतीश जारी है जिसमें हड़ताली कर्मचारियों ने एफ. आई. आर. में श्री हजारीलाल शर्मा, उनकी जीप और 11 साथियों को नामजद किया है लेकिन उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई गवाह पेश नहीं किये हैं। मुकद्दमा नं. 81 में भी तफतीश जारी है। अब तक 12 मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं। इसके पश्चात् मिल में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दोनों पार्टियों के विरुद्ध दिनांक 2-5-72 को जेर दफा 107/(117(3) सी. आर. पी. सी. के तहत इस्तगासे पेश किये गये जो जेरतजवीज अदालत है।

दिनांक 13-5-72 की रात्रि के करीब 10-15 बजे 200 गैरहड़ताली कर्मचारी 2 ट्रकों व 3 जीपों में बैठ कर काम करने के लिये मिल पर आये। उस समय लगभग 500 व 700 हड़ताली कर्मचारी लाठियों, पत्थरों और फरसों से लैस होकर स्टाफ गेट पर नारेबाजी कर रहे थे ताकि गैर-हड़ताली कर्मचारी काम पर न जा सकें।

हड़ताली कर्मचारियों की भीड़ ने गैर-हड़ताली कर्मचारियों को मिल में नहीं जाने दिया और उन पर पथराव शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप ट्रकों, जीपों के शीशे टूट गये। ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलजिमानों ने स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने लाठी, पत्थरों व फर्सों से पुलिस मुलाजिमानों पर वार कर उनको घायल कर दिया। इसी दौरान हड़ताली कर्मचारियों से गैर हड़ताली कर्मचारी सर्व श्री नरदेज जांगिड़, मुस्तावखां व मोतीसिंह को जबरदस्ती पकड़ लिया और उनको सूत मिल कालोनी की तरफ ले गये। हड़ताली कर्मचारियों ने मील में तथा कॉलोनी में गैर हड़ताली कर्मचारियों के साथ काफी देर तक मार पिटाई की तथा कॉलोनी में उनके क्वार्टर, झुग्गी, आटे की चक्की इत्यादि को तोड़

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। घटनास्थल पर मौजूद एस. एच. जो बनीपार्क ने शांति व्यवस्था कायम करने का भरसक प्रयत्न किया लेकिन हड़ताली कर्मचारी पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ की कार्यवाही करते रहे। इसी बीच श्री वेदप्रकाश गोयल मजिस्ट्रेट और उप अधीक्षक पुलिस भी मौके पर पहुंच गये। जब हड़ताली कर्मचारी काफी समझाने के बाद भी उपद्रव करने से न रुके और उन्होंने गैरहड़ताली कर्मचारियों ने मील स्टाफ तथा इन्तजामी पुलिस के जवानों के लिये खतरा पैदा कर दिया तब मजिस्ट्रेट ने उनकी भीड़ को अवैधानिक घोषित कर उन्हे तितर बितर होने की चेतावनी दी। जब हड़ताली कर्मचारी इस चेतावनी के बाद भी तितर बितर नहीं हुए तब मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। जब उपद्रवी भीड़ पर अश्रु गैस का भी कोई असर नहीं हुआ तब जान माल की रक्षा हेतु मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उन पर लाठी चार्ज किया गया जिसके फलस्वरूप हड़ताली कर्मचारी भाग खड़े हुए और 3 गैरहड़ताली कर्मचारियों को भी छोड़ दिया। इस झगड़े में पुलिस के 7 कर्मचारियों को चोटें आइ तथा 19 गैरहड़ताली कर्मचारी और 12 हड़ताली कर्मचारी भी घायल हुए। इस घटना के सम्बन्ध में श्री बंशीलाल धामाणी मैनेजर मिल की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बनीपार्क में मुकद्दमा नं. 97/जेर दफा 147/148/149/323/353/332/307/427/336/341/342 ता. हि. दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई जो अभी तक जारी है। अब तक की तफतीश में 14 मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं जो जेल में हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : जिन व्यक्तियों ने जीप में आकर सोडा वाटर की बोतलें फेंकी क्या उनके खिलाफ मुकद्दमें दर्ज किए गए, उनको गिरफ्तार किया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया लेकिन बयानात क्योंकि उनके खिलाफ कोई नहीं हो पाए इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या ये लोग मिल मालिक, कांग्रेस व सी०पी०आइ० की जो मजदूर संस्थायें हैं उनके द्वारा भेजे हुए गुण्डे थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रात को घुस कर प्रहार किया...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मजदूरों के आहते में झोपड़ियां टूटी हैं या तोड़ी गई हैं, उनकी संख्या क्या है ? दूसरी बात, अश्रु गैस के गोले जो छोड़े गये उनकी संख्या क्या है ? तीसरी बात जिनकी पिटाई हुई है और जिनका मेडिकल इग्जामिनेशन हुआ उसके अतिरिक्त भी क्या कोई मजदूर पीटे गये. जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ और वे झोंपड़ियों में पड़े हुए हैं और इसकी जांच भी की गई ? जिनकी पिटाई हुई ऐसे कई लोग हैं जो झोंपड़ियों में पड़े रहे और जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सका, इस स्थिति का क्या अध्ययन किया गया ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : 30-5-72 की रात को 9 बजे जो जीप आई और सोडा वाटर और तेजाब की बोतलें डाल गई हड़ताली मजदूरों पर, आखिर पुलिस तैनात थी, जीप का क्या नम्बर था, किसकी जीप थी ? दूसरी बात आपने फरमाया 13 तारीख को जब कुछ मजदूर अन्दर जाना चाहते थे हड़ताल के दौरान, क्या यह सही है कि वे मजदूर पुलिस की ट्रकों के बीच में बैठे हुए थे ? क्या यह सही है कि पुलिस के लाठी चार्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट वहां पहुंचा ? मैं नहीं चाहता कि गैरहड़ताली मजदूर गिरफ्तार हों, मेरी यह मान्यता नहीं है। इस पुलिस के रवैये से मदद किसको मिली ? 107 व 151 की कार्यवाही से लॉ एण्ड आॅर्डर के नाते लगातार 24 से लेकर 13 तारीख तक पुलिस की कार्यवाही से क्या यह सही है कि मालिक के हाथ मजबूत नहीं हुए ? मालिकों का एक भी आदमी क्लर्क या और कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी नहीं पीटा गया पुलिस पिटी होगी पत्थरों से, मानता हूं। मार्किट्स पिटे होंगे जो मजदूर यूनियन से सम्बन्ध रखते हैं, मालिक का कौन पीटा गया ? कौन अस्पताल में भर्ती हुआ ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : 13 ता. से कब तक वहां पुलिस बनी रही ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसमें बूढ़े, महिलायें व बच्चे कितने थे और जो अश्रु गैस छोड़े गये, क्या उन पर भी उपयोग किया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : महिलायें पुरुष व बच्चे कितने थे, मेरे पास विवरण नहीं है लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या यह सही है कि मजिस्ट्रेट के आने से पहले लाठी चार्ज हो गया, यह स्थिति सही नहीं है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया पहले मजिस्ट्रेट ने उनको चेतावनी दी, जब नहीं माने तो अश्रु गैस के गोले छोड़े गये और जब उससे भी तितर बितर नहीं हुए तो लाठी चार्ज का आदेश दिया। इसलिए मजिस्ट्रेट के न होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीन कार्यवाहियों के बाद यह लास्ट एक्शन मजिस्ट्रेट के आदेश से लिया गया। कितने झोंपड़े जलाए, कितने व्यक्ति जो इसमें रिपोर्टेड हैं उनके अलावा झोंपड़ों में घायल पड़े हैं, यह प्रश्न ऐसा है जिसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी होगा, मेरे पास जानकारी नहीं है। टोटल नुक्सान 1900) अन्दाजन है। इसकी और जानकारी करने से निश्चतरूप से बताया जा सकता है।

श्री केदारनाथ : जब पुलिस एक पार्टी के रूप में आ जाए तो जांच कौन करेगा ? यह सिद्धान्त का सवाल है। पुलिस मैनेजमेंट की मदद करने के रूप में, एक पार्टी बन कर आती है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, अश्रु गैस के गोले फेंके, गिरफ्तारियां, मारपीट की तो पुलिस एक पार्टी बन गई तो जांच कौन करेगा ? किसके माध्यम से जांच होनी चाहिये ? मैं किसी यूनियन का पक्ष नहीं लेने वाला हूं। टोटल गिरफ्तारियां हो रही है, एक तरफ मारपीट और पिटाई हो रही है तो पुलिस पार्टी बन गई तो लाजमी तौर से पुलिस की जांच होनी चाहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पुलिस ने तीनों पार्टीज का मुकद्दमा दर्ज किया है और निष्पक्षता से जांच कर रही है और जो भी उचित कार्यवाही होगी वह करेगी। हड़ताली मजदूर, गैर-हड़ताली मजदूर और मैनेजमेंट तीनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

खुद ने भी लॉ आर्डर भंग होने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवानी चाही वह भी की है। सभी की तफतीश निष्पक्षरूप से हो रही है, माननीय सदस्यों को इस बारे में शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री केदारनाथ : जांच किसी और एजेन्सी से करवाइये, आपके हाथ मजबूत हो जायेंगे। कितनी टोटल गिरफ्तारियां कीं, और कितनों के खिलाफ वारन्ट जारी हुए ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : हरेक मुकद्दमे में कितनी कितनी संख्या है मैंने जैसे निवेदन किया मुकद्दमे नम्बर 74 में 10 मुल्जमान, मुकद्दमे नम्बर 80 में 11 नामजद किए गए लेकिन उनके खिलाफ गवाह पेश नहीं हुए, मुकद्दमे नम्बर 81 में 12 मुल्जमान।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न सीधा है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा, पुलिस की भी पिटाई हुई जैसे आप कह रहे हैं और इस पिटाई का असर पुलिस के विभाग पर होना स्वाभाविक है और वहां का तांता इसका इन्वेस्टीगेशन करेगा। 13 तारीख के बाद पुलिस का वहां जमाव रहा। ऐसी स्थिति में सारा माहोल हुआ। झोंपड़ों से रसद ले गये, झोंपड़े भी तोड़े गये और आदमी घायल भी हुए जिनकी जानकारी आपको नहीं है। राज्य सरकार को स्थिति का पूरा अध्ययन हो सके और सदन को भी स्थिति की जानकारी मिल जाए, क्या किसी निष्पक्ष एजेन्सी के माध्यम से, आपके द्वारा जानकारी देने के आधार पर कोई ऐसी एजेन्सी जिसके माध्यम से जांच हो सके, आप इस स्थिति में नहीं हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा जांच की जा रही। पुलिस के हड़ताली और गैर-हड़ताली दोनों की तरफ से चोट आयी हैं। इसलिये उसके लिये तो दोनों ही पक्ष बराबर हैं। दूसरे पुलिस ने मजदूरों के घरों पर जा कर मारने की कार्यवाही नहीं की है और जब पुलिस खुद एक ढंग से जांच कर रही है तो फिर ऐसी आशंका रखने का कोई कारण नहीं है कि इसकी दूसरी मशीनरी से जांच करवायी जावे। पुलिस कोई गलत कार्यवाही इस केश में नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब रक्षक ही भक्षक हो जाय तो फिर क्या करें। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है कि 13 तारीख की रात को जब मजदूर लोग अपने घरों में सो रहे थे तो उनकी झोंपड़ियों के अन्दर जाकर मारा। सोते हुए लोगों पर जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी थे, उन्हें पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, झोपड़ियों में जाकर हमला किया गया। मैं तो कहूंगा कि इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी और इसके लिये जरूरी है कि कोई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वह भी दूसरी मशीनरी से ताकि यह पता लग सके कि सही स्थिति क्या थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रदर्शनकारी बेरोजगार अभियन्ताओं पर लाठी चार्ज

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

व श्री केसरीमल विधायकों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है :-

दिनांक 16-5-72 को बेरोजगार अभियन्ताओं का एक जूलूस प्रातः करीब 8-30 बजे गवर्नर हाउस की तरफ से मुख्य मन्त्री निवास स्थान की ओर आया जिसमें करीब 60-65 बेरोजगार अभियन्ता थे। अभियन्ताओं के इस जुलूस ने मुख्य मन्त्रीजी के निवास स्थान के बंगले में प्रवेश करना चाहा तो इन्हें मुख्य द्वार पर ही रोका गया और निवेदन किया गया कि वे अपना एक शिष्ट मण्डल अन्दर भेजें। मुख्य मन्त्रीजी के निजी सचिव द्वारा शिष्ट मण्डल को अन्दर बुलाया गया तो इसमें से 8-10 अभियन्ता शिष्ट मण्डल के रूप में अन्दर गये। अभियन्ताओं का यह शिष्ट मण्डल वहां पर पहले निदेशक जन अभियोग निराकरण विभाग से मिला, इसके पश्चात् मुख्य मन्त्रीजी से मिलने के लिये प्रतीक्षालय में बैठ गये।

मुख्य मन्त्रीजी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण व इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु शीघ्र ही रवाना होने के कारण अभियन्ताओं के इस शिष्ट मण्डल से नहीं मिल पाये। अभियन्ताओं के शिष्ट मण्डल को यह ज्ञात हुआ तो उन लोगों ने प्रतीक्षालय के कमरे में ही नारे लगाना शुरू कर दिया। शिष्ट मण्डल के अभियन्ताओं, वहां उपस्थित कर्मचारियों ने शान्तिपूर्ण ढंग से समझाया जिस पर यह अभियन्तागण नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार की ओर आ गये और कुछ समय तक मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते रहने के पश्चात् वहां से चले गये।

मुख्य मन्त्रीजी के निवास स्थान पर पुलिस या आर० ए० सी० द्वारा किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार इन अभियन्ताओं के साथ नहीं किया गया और ना ही कोई धक्का मुक्की या लाठी चार्ज किया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। प्रथम तो यह जब विद्यार्थी लोगों को प्रतीक्षालय में मुख्य मन्त्री के यहाँ बैठाया गया तो क्या मुख्य मन्त्रीजी के आदेश से बैठाया गया या उनके निजी सचिव ने ही उन्हें वहां पर बिना आज्ञा के बैठा दिया। क्या मुख्य मन्त्रीजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे ? दूसरे मुख्य मन्त्रीजी, अगर उनसे मिलना नहीं चाहते थे, उस वक्त किसी कारणवश तो क्या वह आकर उन्हें नहीं कह सकते थे कि आज मैं आप लोगों से मिलने में असमर्थ हूं ? आप और कभी मुझसे मिल लें। पर ऐसा नहीं हुआ इसके विपरीत मुख्य मन्त्रीजी उनसे बिना मिले ही पीछे के दरवाजे से भाग गये और उनके जाने के बाद उन विद्यार्थियों को वहां से धक्के मारकर प्रतीक्षा गृह से निकाला गया और बाद में उन पर लाठी चार्ज किया गया। अध्यक्ष महोदय, उन विद्यार्थियों को जो कि पहले ही बेरोजगारी से परेशान हैं उनकी परेशानियों का निराकरण तो करना दूर रहा बल्कि उसके विपरीत उन्हें धक्के मारकर वहां से निकाला और फिर अगर स्टूडेन्ट्स ने कुछ कहना चाहा तो आपने उनकी सुनी नहीं। उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन उनकी सर्विसेज के लिये नहीं दिया। मानलिया आपके पास काम है पर इतना कह देते कि अभी मुझे समय नहीं है कल मिल लूंगा, क्या बात थी इसमें। मैं समझता हूं कि वह पढ़े लिखे इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे वह वहां से शायद चल देते और

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

बाद में किसी दिन उनसे मिल लेते। पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बाद में उन पर लाठी चार्ज किया यह कहां का न्याय है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई थीं कि आपके पास उनके लिये एक मिनट का भी समय नहीं था। दूसरे पुलिस अधिकारियों ने जिन्होंने उन पर लाठी चार्ज किया उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा, इस बारे में। पहला तो यह कि जब मुख्य मन्त्रीजी के निजी सचिव ने प्रतीक्षालय में उन छात्रों के शिष्ट मण्डल को बैठाया था और वह लोग जब जाकर बैठ गये होंगे तो यह भी मेरा पक्का ख्याल है कि उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी को बताया ही होगा कि इस प्रकार छात्रों का शिष्ट मण्डल आपसे मिलने आया हुआ है। यह तो निश्चित ही है कि मुख्य मन्त्रीजी को इस बात की जानकारी मुख्य मन्त्रीजी के निजी सचिव ने दी होगी। मैं समझता हूं जरूर दी होगी और मुख्य मन्त्री जी ने उनके शिष्ट मण्डल से मिलने के लिये स्वीकृति दी होगी। तभी तो उनका निजी सचिव इतनी हिम्मत कर सकता है। जब उन्होंने स्वीकृति दी तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि उन्हें पीछे के दरवाजे से भागने की जरूरत पड़ी। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो सम्बन्धित बेरोजगार इन्जीनियर्स जो अपनी मांगों को लेकर गये थे उन्होंने शायद मुख्य मन्त्री को अपनी मांगों का ज्ञापन भी दिया होगा। तो कुछ तो मुख्य मन्त्रीजी को उन्हें कहना चाहिये था, कुछ तो आश्वासन देना चाहिये था। आखिर वह ग्रेजुएट इन्जीनियर्स हैं, आज बेरोजगार हैं आज वह पूल में काम कर रहे है। राजस्थान की सरकार अपनी नीति के अनुसार उन्हें स्टाइपेन्ड देती है। ग्रेजुएट को 200 रुपया और 150 रुपया डिप्लोमा धारियों को मिलेगा। हो सकता है वह कुछ समय बाद बन्द भी हो जाय तब फिर वह क्या करेंगे। शायद अपनी सर्विस के मामले में प्राथमिकता के बारे में मिलना चाहते होंगे। क्योंकि थोड़े समय बाद इस सत्र के नये इन्जीनियर्स भी तो पास करके आ रहे होंगे, इसके लिये कुछ अपनी व्यवस्था करवाने आये होंगे। पर वहां तो मुख्य मन्त्रीजी उस शिष्ट मण्डल से मिले ही नहीं। इस प्रकार जो अपनी प्रोब्लम्स लेकर गये थे, उनकी प्रोब्लम्स का कोई निदान नहीं हुआ। चाहे मुख्य मन्त्रीजी उस वक्त कोई फैसला नहीं करते पर उन्हें उनसे मिलना चाहिये था। उन्हें ढाढ़स तो बन्धाना चाहिये था। पर जब मुख्य मन्त्रीजी उनसे मिले नहीं और बाद में जब उन लोगों को वहां प्रतीक्षालय से बाहर भेजा गया था, उस वक्त हो सकता है कि उन्हें रोष हो गया हो और उन्होंने मेन गेट पर आकर नारेबाजी की होगी। और जब स्टूडेन्ट्स की भीड़ को हटाया गया होगा, धक्के दिये होंगे तो उसमें पुलिस और स्टूडेन्ट्स में खींचतान हो गयी होगी तब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया होगा। तो जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात हो गयी कि जिससे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। और उसके लिये मुख्य मन्त्री जी ने उन छात्रों के लिये क्या कार्यवाही की और क्या पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की इसकी सूचना मैं चाहूंगा। तीसरी बात पुलिस ने जो यह कार्यवाही की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है उसके लिये मुख्य मन्त्री जी ने क्या स्वयं ने उसकी जांच की ? और स्टूडेन्ट्स के लिये मुख्य मन्त्री जी ने क्या भविष्य में कार्यवाही करने का सोचा है। या मुख्य मन्त्रीजी ने उसे इसके लिये डाइरेक्टर ग्रिवान्सेज की जांच के लिये आदेश दिया है या देने का विचार रखते हैं। मुझे मुख्य मन्त्रीजी, इन सभी बातों की जानकारी देने की कृपा करेंगे। इसके अलावा क्या मुख्य मन्त्री जी इस सारे मामले की कोई निष्पक्ष जांच करवाने की इच्छा रखते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय,......

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : जिसके पहले मुख्य मन्त्रीजी जवाब दें मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब श्री बरकतुल्ला खां साहब मुख्य मन्त्री बने तो उसके बाद में उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैंने मेरे नीचे एक डाइरेक्टर ग्रिवान्सेज की पोस्ट क्रियेट की है वह एक आइ. ए. एस. के स्तर का होगा। जिसका काम यही होगा जो शिकायतें मुख्य मन्त्री जी के पास आयें, उसकी जांच करके मुख्य मन्त्री को रिपोर्ट करें। मैं जानना चाहूंगा कि बेरोजगार इन्जीनियर्स ग्रेजुएट्स की क्या ग्रिवान्सेज उन डाइरेक्टर ग्रिवान्सेज महोदय ने सुनी या क्या मुख्य मन्त्री ने उन्हें इसके लिये कहा। बड़े अफसोस की बात है कि आपने इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट्स को प्रतीक्षालय में बैठाया और फिर मुख्य मन्त्रीजी उनसे मिले नहीं और पीछे के दरवाजे से भाग गये और फिर बाद में उन स्टूडेन्ट्स पर लाठी चार्ज किया। आप मना करते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो चलो उन्हें धकेला गया। आजकल लाठी चार्ज को हम धकेली चार्ज कह दें तो कोई बात नहीं। आज कल जो भीड़ होती है उसे लाठियों से पुश किया जाता है। इस प्रकार उन्हें लाठियों से धकेलते हुए, लाठी चार्ज करते हुए वहां से हटाया गया। तो क्या मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं ने इसकी जांच की है या उन्होंने डाइरेक्टर ग्रिवान्सेज की जांच करने के लिये कहा है ? इसके अलावा दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया कि लाठी चार्ज नहीं हुआ पर क्या मुख्य मन्त्रीजी ने उन स्टूडेन्ट्स के हित के लिये कोई कार्यवाही की है ? क्या उनकी मांगों पर विचार किया जावेगा ? उन्होंने उनकी मांगों पर क्या निर्णय लिया ? इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और आपको निवेदन करदूं कि आज कल मिनिस्टर्स कन्सर्न्ड जो होते हैं और जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को या जिनको कि वे फेवर करना चाहते हैं उनको पहले किसी छोटी पोस्ट पर एपॉइन्ट कर देते हैं और उसके बाद में या तो उस पोस्ट को अपग्रेड कर देते हैं या फिर उन्हीं लोगों को प्रोमोशन्स कर देते हैं। जिससे जो लोग ये पूल में होते हैं उनका नम्बर सर्विसेज में नहीं आता है। इसके लिये मैं कह रहा था कि मुख्य मन्त्रीजी ने क्या कार्यवाही की है। और ये पूल के लोग हमेशा पूल में रहते हैं। न इधर और न उधर त्रिशंकु की तरह से रहते हैं। लाठी चार्ज की बात छोड़कर प्रेक्टिकल बिजनिस की बात करें। जिससे उनकी समस्या हल हो सके। इस सम्बन्ध में राहत देने के लिये कोई घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री ।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको मालूम है आप से आज्ञा लेकर मैं यहां सदन में नहीं था, भीलवाड़ा जाना पड़ा क्योंकि एक कॉलेज के लिये दस लाख रुपया दिया गया था। दिन भर चलने के बाद शाम को पहुंचा यहां। उसके पश्चात् केबिनेट में बात करके माननीय गोकुलभाई भट्ट के उपवास के सम्बन्ध में, मैं उनसे मिलने चला गया। यहां इस चीज पर चर्चा की गई कि इन्जीनियर्स से बात नहीं की। रात ज्यादा पड़ गयी थी और दूसरे दिन सदन में क्वेश्चन आवर था और इसी सदन में मेरे दो स्टेटमेंट भी थे। इन सब चीजों के बैकग्राउन्ड को रखने की इसलिए जरूरत है इसलिए कि मैं नहीं मिलता यह बिल्कुल गलत है। मैं सदन के काम को प्रायोरिटी देता हूं। सदन का काम होता है तो मैं रास्ते चलते बात कर दूं यह मेरी आदत नहीं है। मैं पूरी प्रिपेरेशन्स करके आता हूं। कट मोशन्स को देखता हूं, नोट पढ़ता हूं।

जहां तक इन्जीनियर्स का सवाल है, मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, कोई महीना नहीं गया कि एक या दो बार मैं उनसे नहीं मिलता हूं और मैंने मुलाकात नहीं की हो। उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर मैंने बात की है। पावर और पी. डब्ल्यू. डी. सेक्रेटरी को बुला कर इनके विषय में बात की है। लेकिन यह कह देना कि मिलना पड़ेगा मैं समझता हूं कि यह किसी के लिये भी सम्भव नहीं होगा। जनसंघ के नेता भी अदालत में केस लगा हो और उनको आरग्यू करना हो तो कोई आदमी रोकना चाहेंगे तो भी नहीं रुकेंगे। इसलिये इस प्रकार का वातावरण बनाना गलत है। मैं मिलता हूं, सबसे मिलता हूं और डाइरेक्टर प्रिवान्सेज से भी वे बच्चे मिले। मिलने के बाद रिप्रेजेन्टेशन दिया और बराबर आज तक इस कोशिश में हूं कि उनकी मदद करूं और करता हूं। मदद की है। न हाय हाय की, न मुर्दाबाद और न ही वाह वाह की परवाह करता हूं। जो मेरा फर्ज है उसको मैं निभाता हूं, ईमानदारी से निभाता हूं। नौजवान इन्जीनियर्स हैं जो काम पर आने वाले हैं उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी सीखना पड़ेगा। अगर पोलिटिकल पार्टीज के हाथों खेलते हैं तो यह लगता है कि इतने बड़े होने पर भी किसी के हाथ के टूल हैं और उन का अपना थिंकिंग नहीं है। इस चीज का मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं है और जो जायज चीज है यह मैं कर रहा हूं और करूंगा। राजस्थान सरकार ने अनएम्पलोयमेंट को दूर करने के लिये बहुत किया है और आगे भी करने जा रहे हैं। चन्द बच्चों के रवैये की वजह से हम अपना रवैया बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं राज्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो अब तक किया गया है उसको वह पढ़ कर सुना दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय समय पर बेरोजगार इन्जीनियर्स से बात हुई है और अनेकों बार मुख्य सचिव से भी वे अपनी मांगों के सम्बन्ध में मिल चुके हैं। उनकी मांगों पर विचार विमर्ष करने एवं निर्णय लेने हेतु दिनांक 18-1-72, 13-3-72 व 18-4-72 को मुख्य सचिव ने सम्बन्धित शासन सचिवों और विभागाध्यक्ष की बैठकें

Page No 64

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

बुलाई जिसके परिणामस्वरूप निम्न निर्णय लिये गये :-

(क) विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में जन-शक्ति निदेशालय द्वारा बनाये गये रोस्टर में से पूर्व की भांति तदर्थ नियुक्तियां की जाती रहेंगी ।

(2) समस्त बेरोजगारी अभियांत्रिक को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से (पुल स्कीम वाले भी) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं अन्य विभागों द्वारा चयन हेतु स्नातकों को तथा डिप्लोमाधारियों की परीक्षा का आयोजन किया जावेगा । (स्क्रीनिंग टेस्ट) तथा जो अभ्यार्थीगण इस परीक्षा में सफल घोषित किये जायेंगे उनको साक्षात्कार के लिये आमन्त्रित किया जावेगा । यह चयन परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी ।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष ने यह संकेत दिया है कि यदि लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को आयोजित करने में असमर्थता प्रकट करे तो राजस्थान विद्युत मण्डल इन परीक्षाओं को आयोजित करने को तैयार है । विशिष्ट सचिव, नियुक्ति विभाग लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन परीक्षाओं को आयोजित करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे रहे हैं ।

(4) समस्त पूल स्नातक इन्जिनियर्स चाहें वे किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हों, सहायक अभियन्ता के पदों के लिये चयन परीक्षा में बैठने के योग्य माने जायेंगे । इसी भांति पूल के डिप्लोमा-धारियों को भी सबोर्डिनेट इंजिनियरिंग पदों के लिये परीक्षा में बैठने के लिये योग्य माना जावेगा ।

(5) राज्य विद्युत मण्डल को इस बात को आवश्यकरूप से देख लेना होगा कि सबोर्डिनेट इन्जीनियरिंग के 25 प्रतिशत रिक्त पदों को डिप्लोमाधारियों से भरना होगा । इसी भांति राज्य सरकार के अन्य इन्जिनियरिंग विभाग भी मौजूदा प्रणाली को आवश्यकरूप से अपनाते हुए 75 प्रतिशत सबोर्डिनेट इन्जीनियर्स के रिक्त पद डिप्लोमा-धारियों से भरें ।

तथा इसके अतिरिक्त निम्न पदों को डिप्लोमा-धारियों के लिये 50 से 100 प्रतिशत तक सुरक्षित रखें ।

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

1. जूनियर फील्ड अटेन्डेन्ट
2. सीनियर सिविल मिस्त्रीज
3. मीटर रीडर
4. जूनियर ड्राफ्ट्समैन

(ख) सिंचाई विभाग :

1. सुपरवाइजर
2. सर्वेयर
3. सीनियर फोरमैन
४. मकेनिक्स । इलेक्ट्रीशियन्स ।

मैकेनिक्स, वैल्डर, फोरमैन इत्यादि के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को डिप्लोमाधारियों-से ही भरा जावेगा ।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(ग) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

सर्वेयर्स एवं एस्टीमेन्टर्स के रिक्त पद पर अधिकांश रूप से डिप्लोमाधारियों से ही भरे जावे।

(घ) सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग में जो 70 सबोर्डिनेट इन्जीनियरिंग के कुछ पद भरे जा रहे हैं उनके लिए पूल के समस्त सिविल स्नातक एवं डिप्लोमाधारियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जावेगा यही निर्णय सहायता एवं पुनर्वास विभाग में 72 इंजिनियरिंग पदों को भरने के लिये मान्य कर दिया गया है।

(ई) जनस्वास्थ्य विभाग के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप इंजीनियरों को अधिक रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

(च) पूल में, वृत्तिका पानी की अवधि दो वर्ष से बढा कर तीन वर्ष कर दिया गया है।

बेरोजगारी की बढती हुई जटिल समस्या के समाधान के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के अतिरिक्त जिनमें भी रोजगार की सम्भावनायें हैं 1972-73 में बेरोजगारी उन्मूलन योजनाओं के लिये लगभग 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य दिया गया है, मैं निवेदन करूंगा, यह सरकुलेट कर दिया जाय। इस पर, अध्यक्ष महोदय, यह काफी इम्पोर्टेन्ट घोषणा है और सदन को मौका दिया जाय कि इस पर विचार किया जा सके। कई पोइन्ट्स अच्छे हैं, कई पोइन्ट्स पर क्लेरिफिकेशन पूछना है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट डिस्कशन के लिये तैयार होगी और हमें मौका देगी कि हम इस पर डिस्कशन कर सकें। इसके लिये समय दिया जायगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कोई एतराज नहीं है।

श्री केदारनाथ : वैसे भी चर्चा का अधिकार है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चर्चा के लिये टाइम।

श्री अध्यक्ष : तय कर लेंगे।

राजस्थान विश्वविद्यालय में सी. बी. आई. की गति विधियां

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार हैं;—

अप्रेल 1971 में मिनीसोटा विश्वविद्यालय, अमेरिका में एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें भारतीय और अमेरिकी विद्वानों द्वारा संयुक्त शोध हेतु विचार विमर्श किया गया था। इस गोष्ठी के अन्त में यह तय हुआ था कि "मोडलिंग रिजनल डवलपमेन्ट, कोलोबोरेटिंग सिस्टमस एनोलासिस आफ "इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इन्डिया" के विषय पर एक शोध कार्य किया जाय, जिसके लिये अमेरिकी विद्वानों द्वारा शोध सामग्री नेशनल साइन्स फाउन्डेशन को और भारतीय विद्वानों द्वारा शोध सामग्री इन्डियन कौंसिल

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

आफ दी सोशियल साइन्स रिसर्च को प्रस्तुत की जाय । इस गोष्ठी में राजनीति शास्त्र, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इकबालनारायण और ह्युमेनिटीज एवं सोशयल साइन्सेज, इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी कानपुर के प्रोफेसर के. एन. शर्मा ने भाग लिया था । इस शोध सम्बन्धी रूपरेखा को भारत सरकार द्वारा अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि यह कार्य संयुक्त शोध से सम्बन्धित है।

अभी तक की जानकारी से ज्ञात हुआ है कि प्रोफसर रिचर्ड एन. ब्लू. को मिडवेस्ट यूनिवर्सिटी कन्जोरटियम फार ईन्टरनेशल एकटीविटीज द्वारा वित्त सुविधायें एक व्यक्तिगत शोध करने हेतु प्रदान की थी जिसके अन्तर्गत प्रो. ब्लू. दिल्ली में 21-9-71 और तत्पश्चात जयपुर में 27-9-71 को द्वारा पासपोर्ट संख्या जे-143086 दिनांक 19-2-68 एवं वीसा एन्ट्री संख्या 7007 दिनांक 15-9-71 को आये थे। इनको वीसा 20-7-72 तक का जारी किया हुआ है। इनकी भारत यात्रा का उद्देश्य रिसर्च वर्क आन डवलपमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल रेफरेन्स टू राजस्थान विषय पर व्यक्तिगत शोध करना था।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार के श्री जे. पी. नायक, मेम्बर सचिव इण्डियन कौंसिल ऑफ सोशियल साइन्स, नई दिल्ली द्वारा प्रो. ब्लू. की उपरोक्त व्यक्तिगत शोध कार्य की अनुमति उनके पत्र संख्या दिनांक 31 अगस्त, 1971 द्वारा जो उन्होंने डा. रोबर्ट टी. होल्ट डाईरेक्टर एवं प्रो. राजनैतिक शास्त्र आफ मोनीसोटा को लिखा था दी गई थी। भारत सरकार का इस अनुमति के आधार पर ही प्रो. ब्लू. राजस्थान में शोध कार्य कर रहे है जिसके लिए उनका संबंध राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग से किया गया है । शोध कार्य हेतु प्रो ब्लू. ने सर्वश्री सत्यदेव बारेठ, ओमप्रकाश मिश्रा और सिंघवी को अपने कार्य सहायक के रूप में 400) रु. प्रति माह के वेतन आदि पर लगाना बताया जाता है ।

प्रो. ब्लू. जयपुर में अपने परिवार सहित 9, मोतीडूंगरी रोड़ पर रह रहे थे और ऐसा ज्ञात हुआ है कि वे 1 मई,1972 को सपरिवार कसोली चले गये हैं। ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि कोटा भ्रमण करने के अतिरिक्त वे शायद बीकानेर अपने सहायक श्री बारेठ के साथ 11 एवं 12 नवम्बर, 1971 को गये थे, जहां उन्होंने कुछ मन्दिरों का भ्रमण किया था। अब तक की जानकारी से प्रो. ब्लू. के विरुद्ध कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं जिसके आधार पर यह माना जा सके कि वे भारत विरोधी तत्वों की सांठगांठ से कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भारत की सुरक्षा के हित में नहीं हैं । अग्रिम जानकारी की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, 15 अप्रेल, 1971 को जो सिनोपसिस तैयार की गयी यह अध्यक्ष महोदय रिवाइज्ड सिनोपसिस है। तो मैं एक तो जानकारी यह चाहूंगा कि ओरीजिनल सिनोपसिस कब तैयार की गयी थी और 27-9-71 को प्रोफसर ब्लू जयपुर आये और वे सन् 70 में भी आ चुके हैं। इसलिए मैं यह भी जानकारी चाहूंगा कि 70 के अन्दर वह जयपुर कब आये और अध्यक्ष महोदय यह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

भी जानकारी चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर इस प्रकार के जो शोध कार्य होते हैं या ग्रनुसंधान होते हैं उसके लिए कोई राज्य सरकार की जानकारी है कि कितने शोध कार्य चल रहे हैं और क्या राज्य सरकार को इस प्रकार की इनफर्मेशन दी जाती है कि इस स्कीम के बारे में और इसके अलावा डाक्टर ब्लू राजस्थान के अन्दर रह रहे हैं उसके बारे में राजस्थान सरकार को जानकारी है ? क्या राज्य सरकार को यह मालूम है कि वे राजस्थान में किस किस इलाके के भ्रमण पर गए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि राज्य सरकार का जो उत्तर है वह इस प्रकार का उत्तर है कि जैसे होम डिपार्टमेंट में कोई साधारण चोरी के केस को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा गया हो। सी. आई. ए. की एजेन्सी द्वारा जासूसी का काम रिसर्च वर्क के द्वारा किया जाये और कल यहां पर डिसकशन हुआ उसके बाद राज्य सरकार को कोई जानकारी शाम के 5 बजे तक थी नहीं और इस प्रकार का जवाब ग्राये कि इकबाल नारायण से बातचीत करके जवाब दिया जावे तो मैं समझता हूं कि कोई जवाब आने वाला नहीं है। यह तो रिसर्च का कवर है जो कि इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ग्रभी मंत्री महोदय ने स्वयं ने माना है कि मिस्टर ब्लू बीकानेर और गंगानगर के ग्रन्दर आ गये हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : बीकानेर कहा है गंगानगर नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई एजेन्सी है कि कोई फोरेनर किसी रिसर्च के नाम पर राजस्थान के बोर्डर एरियाज का भ्रमण करे और उसकी टाइम टू टाइम इनफर्मेशन भेजे। क्या राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई एजेन्सी है कि जिससे राज्य सरकार को इस प्रकार के अनुसंधान के अन्दर काम करने वाले दूसरे लोगों को जो कि नौजवान लड़के रिसर्च के नाम से उनके साथ एसोसियेट होते हैं उनको पता नहीं है कि उनके रिसर्च की यूटीलिटी क्या है और ये लोग अपने डिफेन्स परपजेज के लिए इण्डिया के खिलाफ करने वाले हैं ? क्या राज्य सरकार के पास इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करने की मशीनरी है कि यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स इस प्रकार की रिसर्च से अपने आपको एसोसियेट करते हैं वह कहां कहां भ्रमण करते हैं और किस प्रकार के डेटाज कलेक्ट करते हैं, ग्रध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि शोध कार्य और ग्रनुसंधान कार्यों के विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्डियन कौंसिल ग्राफ सोशियल साइन्सेस रिसर्च की मेरिट के ग्राधार पर स्वीकृति प्रदान करे या नहीं करे यह अलग मसला है। मसला यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार का गृह विभाग क्या करता है ? राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों का प्रश्न है तो क्या होम डिपार्टमेंट के पास ऐसा महकमा है कि इसकी इनफर्मेशन मिलती रहे। बड़े ग्राश्चर्य की बात है कि मैं माननीय मन्त्री महोदय से कह सकता हूं कि उनको यह भी पता नहीं होगा कि राजस्थान के ग्रन्दर कितने रिसर्च कार्य होते हैं--

श्री अध्यक्ष : सूक्ष्म रूप से कहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। कितने इस प्रकार के अनुसंधान कार्य हो रहे हैं जिनके अन्दर फोरेनर्स या राजस्थान के प्रोफेसर्स या दूसरे दीगर लोग एसोसियेट करके बोर्डर एरियाज का दौरा करते हैं, इसकी भी राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए।

दूसरे मैं स्पेसिफिक अवेश्चन इस सिनोपसिस के बारे में भी रखना चाहूंगा क्योंकि 1971 के अन्दर एक मेनीसोटा के अन्दर गोष्ठी हुई और उसके अलावा सिनोपसिस के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई है और इस रिसर्च स्कीम के आधार पर कोई दौरा बीकानेर, गंगानगर का नहीं किया गया है और किसी प्रकार की कार्य विधि राज्य सरकार के अन्दर नहीं रही है। यदि मन्त्री महोदय का वक्तव्य सही आये कि 71 में अलग दूसरी मीटिंग हुई। सिनोपसिस के अन्दर लिखा हुआ है :

" Prof. Blue visited India in June and July of 1970 to confer with two potential collaborators, Professor Iqbal Narain and Professer K. N. Sharma. Collaborative research proposals were discussed and two sites were identified as potential locations for field research. It was agreed to seek support for a planning conference to be held early in 1971."

तो प्रोफेसर ब्लू आये और के० एन० शर्मा और इकबाल नारायण से मिले और कोटा के अन्दर गंगानगर के अन्दर उन्होंने दो साइट निश्चित की। इसका मतलब यह है कि उन साइट पर वह जरूर गये होंगे इस प्रकार का इनफरेन्स इस डाकुमेंट से निकाला जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस मसले में सी.आई.ए. किस प्रकार से अपनी एक्टीविटीज करते हैं वह सर्वविदित है। कल इस मुद्दे को उठाया गया और मैं समझता हूं कि राज्य के मन्त्री महोदय यहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस मसले की सीरियसली सारी बातें नोट करके राज्य सरकार के नोटिस में नहीं पहुंचाया और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले में मंत्री महोदय का वक्तव्य श्री इकबाल नारायण द्वारा दी गयी जानकारी के ऊपर आधारित है तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति विशेष के लिए जो कि एसोसियेट करता है अपने आपको कई अनुसन्धान कार्यों के अन्दर अमेरिका की डिफरेन्ट एजेन्सी के द्वारा और राजस्थान के अन्दर इम्पोरटेड मेटेरियल इकट्ठा करके रिसर्च के नाम पर इसको कवर देकर अमेरिका भेजते हैं, उस आदमी से इस प्रकार की जानकारी राज्य सरकार इकट्ठी करे और उसकी जानकारी के आधार पर अगर मंत्री महोदय सदन में वक्तव्य दें तो मैं समझता कि सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा और अगर हमको सी० आई० ए० की एक्टीविटीज को कर्ब करना है तो अध्यक्ष महोदय जब कभी कोई तथ्य इस सदन के अन्दर नहीं बल्कि सदन के बाहर भी राज्य सरकार के नोटिस में लाये जाये तो राज्य सरकार उस संबंध में कार्यवाही करे और उसी समय उन डाकुमेन्ट्स को पकड़ने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही राज्य सरकार के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नोटिस में आ सकती है और सही स्थिति सामने आ सकती है लेकिन अध्यक्ष महोदय यहां पर डिसकशन हाउस में चल रहा है और हाउस के अन्दर से एक सीनियर आफिसर, रेस्पान्सीबल आफिसर इकबाल नारायण को टेलीफोन करें कि इस प्रकार से प्रस्ताव आया है सदन के अन्दर विचार हो रहा है और तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो और फिर इकबाल नारायण की इनफर्मेशन के ऊपर यदि इस प्रकार हम चलना चाहें तो मैं समझता हूं कि हम सी० आई० ए० की एक्टीविटीज को कभी कर्ब नहीं कर पायेंगे, कभी पकड़ नहीं पायेंगे और यह एजेन्सी जो इन्डिया में काम करती है यह करती रहेगी और इनफर्मेशन कलेक्ट करके रिसर्च के नाम से भेजते रहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इकबाल नारायण को टेलीफोन किसने किया माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जानकारी में है कि किसने टेलीफोन किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय... ...

श्री अध्यक्ष : आप भी थोड़े में फरमावें। फरमावें जरूर।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : थोड़े में ही कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा गम्भीर प्रश्न है जिस पर हमें स्वयं को गम्भीर होना है और सदन के टाईम देने के समय का भी खयाल रखना है। मैं समझता हूं कि यह सी. आई. ए. का प्रश्न, उसकी एक्टीविटीज इस प्रकार की साधारण तरीके की नहीं होती कि जिसको ऊपर से आसानी से देखा जा सके। प्रोफेसर एन नटराजन् ने एक पुस्तक लिखी है "अमेरिकन शेडों ओवर इण्डिया" इसमें उन्होंने पोइन्ट टू पोइन्ट व्याख्या की है और एन्जाम्पल देकर बताया है कि किस तरह अमेरिका की कितनी ही यूनिवर्सिटीज में सी. आई. ए. के बड़े-बड़े आफिसर्स एज रिसर्च स्कॉलार्स काम करते हैं और दूसरी कण्ट्रीज में ओपरेट करते हैं। यह शोध कार्य केवल इन केमोफ्लेग होता है और जो उनका इण्टेलीजेंस का वर्क है उसको केरीओन करने के लिए कवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पृष्ठभूमि में हम चाहते थे कि हमारी राज्य सरकार इन तमाम तथ्यों को देखेगी और इनको आंकने की कोशिश करेगी। यह प्रश्न केवल हमारे देश के नागरिकों द्वारा अपनी नागरिक स्वतन्त्रता के अधिकारों को इस्तेमाल करने का नहीं था। यह प्रश्न एक ऐसे देश के नागरिक की हमारे देश में एक्टीविटिज से सम्बन्धित है, जिस देश के सम्बन्ध आज हमारे देश से अच्छे नहीं हैं, जिस देश के सम्बन्ध हमारे देश के प्रति होस्टाईल हैं, न केवल इस बार में बल्कि पिछली वारों में, सिक्स्टीफाईव की वार में और अभी भी लगातार जो डिप्लोमैटिक हमारे देश के प्रधान मंत्री और वहां के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हो रही है उसमें हमारे प्रधान मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं गोया हम रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जिस,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह जो मीटिंग हुई और जिसका आपने जिक्र किया कि 1970 में मीटिंग हुई उसमें दोनों कण्ट्रीज में जोइन्ट रिसर्च वर्क के सम्बन्ध में एग्रीमेंट हुआ और उसके अनुसार जैसा कि राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। इसका मतलब है कि बिना अनुमति के यह शोधकार्य अपने आप ही इन दोनों इंस्टीट्यूशन्स के बीच में अपने आप शुरू हो गया, और गवर्नमेंट आफ इण्डिया को इसकी अनुमति देनी है। मैं मुख्य मंत्रीजी के नोटिस में यह लाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 9-4-71 को प्रधान मंत्री ने इण्डियन पार्लियामेंट में इस बात को, एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि एशिया फाउण्डेशन का जो भी कुछ पैसा है वह सी. आए. ए. का पैसा है और जो भी रिसर्चेज एशिया फाउण्डेशन अपने खर्चे से कर रहा है वह सी. आई. ए. की एक्टीविटी को फायदा देने के लिए कर रहे है। इसी प्रकार से फोर्ड फाउण्डेशन, पी. एल. 480 वगैरा की जो गतिविधियां हैं इनको चैनेलाईज करके देखना पड़ सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि अमेरिका के स्कॉलर्स को हमारे देश की युनिवर्सिटिज के अन्दर हमारे देश की यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफियेरेंस करने का क्या अधिकार है। हमारी यह विधान सभा हमारी यूनिवर्सिटीज की नियुक्तियों में, प्रमोशन्स में हमारे चीफ मिनिस्टर उसमें कोई इण्टरफियरेन्स नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका में बैठे हुए प्रोफेसर हिल्डनबर्ग चिट्ठियां लिख कर यहां की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कौन रीडर बने, कौन रीडर बनना चाहिए, इस प्रकार का इण्टरफियरेंस करे, इस बात को कहां तक जायज समझ सकते हैं, मैं अब एक लेटर आपको प्रोफेसर हिल्डनबर्ग का सुनाता हूं जो कि उमाकान्त को जो कि प्रोफेसर बनना चाहते थे उनको लिखा है। उन्होंने लिखा है :—

Dear Mr. Kant,

Yes, I received your letters of July 26 and August 23. (My date since your letter was undated). On August a letter was sent to Dr. Lal and today a letter goes to Dr. Ram. My letter to Dr. Lal was more comprehensive and I did not wish to repeat the same letter to Dr. Ram. The ideas you mentioned were among those included in my two letters. Let us hope you get a favourable response on your application. You are well trained to do this work. Please give our regards to Dr. Arya, Chandra and other friends in the department.

यानि यहां से श्री उमाकान्त साहब लिखते है अमेरिका के हिल्डनबर्ग को कि मुझे रीडर बनाने के लिए आप यहां हमारे वाईस चांसलर लाल साहब को सिफारिश कर दें और एक दूसरी युनिवर्सिटी के है डाक्टर राम उनकी सिफारिश और किसी मामले में करने के लिए वह साहब और यहां चिट्ठी लिख रहे हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह उनका खुद का माना हुआ है, कन्फेस्ड हैं, उनको इस तरह से चिट्ठी लिखी है। यह डायरेक्टर इण्टरफियरें'स एक फारन कण्ट्री के स्कालर का हमारे देश की युनिवर्सिटिज के अन्दर अपोइन्टमेंट्स के अन्दर हो रहा है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, उनके स्कालर्स को किस तरह से चैन किया हैं, किन लोगों को दूसरी एक्टीविटिज का फायदा पहुंचाया जाय, इस तरीके से लाभ उठाते हैं। अभी मेरे पास एक लेटर और है जो कि ओरिजिनल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। यह कोई डी. ई. स्मिथ हैं जिन्होंने प्रोफेसर इकबाल नारायण को लिखा है सितम्बर 7, 1971 को। उन्होंने वहां पर कोई किताब लिखी है उनके कहने से जिस तरह से वे चाहें और उनका इन रीडर्स की दृष्टि से वह यहां पर इसको पोपुलर करना चाहते हैं।

Dear Prof. Narayan·

Many thanks for your letter. It was a great pleasure to get acquainted, and I hope we may meet again soon. I have completed my paper on secularism in India, which is an expanded version of the last chapter of my book and it is now being typed. This is for the reader which you mentioned. I shall get it to you within the next week or ten days. Thank you for the information re-Dr. D.B. Mathur. I shall keep him in mind as your honour however, there is now a serious problem of unemployment among academics in this country and research and teaching opportunities are actually decreasing. So it is a difficult time but the chance is always therewith Best wishes;

यानि यहां से यह लिखकर भेजा जाता है कि इस किस्म का मेटिरियल इस किस्म के रिडर्स के लिए चाहिए और वह अमेरिका में बैठे हुए साहब इस तरीके का मेटिरियल लिखते हैं और यहां पर वह चाहते हैं कि उनके नाम से छपे। इस तरह से इस देश के अन्दर इन एक्टीविटिज को बढ़ाया जाता है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से पैसे का लेनदेन और यह लालच हो रहा है। इसको अण्डरनीट बहुत सी इंजूरियस एक्टीविटी, एण्टी नेशनल एक्टीविटि हो सकती है जिसकी मुख्य मंत्रीजी ने केवल चन्द घन्टों में आप शोध करते हैं और इस नतीजे पर पहुंच गए कि वह एन्टी नेशनल नहीं है। मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो गृह मंत्रीजी का वक्तव्य है उससे आपने बिल्कुल क्लियर कट सर्टिफिकेट दे दिया, आपने यह भी नहीं सोचा कि इसकी बातों की जानकारी करेंगे....

श्री बरकततुल्ला खां : कहा है। माननीय सदस्य ने सुना नहीं यह मेरी बदकिस्मती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने तो कल यह मांग की थी कि फौरन इन सब शोध कार्यों को आप कोन्फिसकेट करें, अपने कब्जे में लें और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मालूम करे कि किस तरीके से यह सारा काम चल रहा है। यहां के प्रोफेसर्स ने यह रेज्योलेशन पास कर दिया है कि हम कोई पैसा या अनुदान के द्वारा यह काम नहीं करेंगे तो जब यह रेज्यूलेशन पास कर दिया तो गवर्नमेंट भी घोषणा आसानी से कर सकती थी और करनी चाहिए, इस सदन की भावनाओं को देखते हुए और नेशनल इण्टरेस्ट का ख्याल रखते हुए कि यह अमरिका और हमारे देश के बीच में इस तरह यह जो जाइन्ट काम करने की बात थी उनके अनुदान के ऊपर, इस तरह का शोध कार्य नहीं किया जायगा। मौजूद तो यह है कि इनको यह शोध करने से स्टॉक कर दिया जाय और जो कुछ उसके पास है उसको कब्जे में लेकर उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाय कि इसका क्या मकसद था और सप्लीमेंट्री क्या मकसद हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कितने ही यह शोध कार्य हैं। मेरे पास एक लिस्ट है। इस यूनिवर्सिटी में जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर इकबाल नारायण का जिक्र है, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा मिलता रहा है। डॉक्टर इकबाल नारायण को एक, दो, तीन मिले हैं। यहां जो इलेक्शन हुए हैं, फिफ्थ इलेक्शन हुए हैं उस पर शोध कार्य हुआ ...

श्री अध्यक्ष : सुरक्षा सम्बन्धी तथ्य ही बतावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश के अन्दर इलेक्शन हुए उसमें जो पोलिटिकल लाइबिलिटिज है। उसके साथ साथ वे क्या क्या चीजें भेजते हैं जिसका हमें इन्क्वायरी करने के बाद ही पता लगेगा। तीन लाख, डेढ़ लाख एक एक शोध कार्य में दिये जाते हैं। यह इन्सेन्टिव है, पैसा देकर उसके जरिये एजेन्ट बनाया जाता है और उस मुल्क के अन्दर ऐसे लोगों को कायम किया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस तरीके से इसको लाइटली न ले बल्कि उन तमाम सवालों को गम्भीरता के साथ विचार करे, तमाम शोध कार्यों की जांच करे, उनको अपने कब्जे में ले ले और घोषणा करें कि इन शोध कार्यों की जांच की जायेगी और जो हो रहा है उसको बन्द किया जाये और अमेरिकी एजेन्सीज से अनुदान नहीं लिया जाये, यही मैं उम्मीद करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : यहां पर अमेरिकन पीस कोर के डाईरेक्टर हैं और यहां राजस्थान में 16 आदमियों का बेच था। वे कानोता इत्यादि स्थानों को देखने के लिए गये और इस सारे बेच की एक्टीविटिज, डाइरेक्टर की एक्वीटिज फौरन एक्ट के विरुद्ध पाई गई थी और उन के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। इसी बीच में पुलिस विभाग के एक अधिकारी के रिश्तेदार ने अपने प्रभाव को काम में लेकर उनको स्वदेश लौट जाने का इजाजत दिला दी। मेरा निवेदन है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो पत्रावली है उसको पढ़ा जाये और उसको निकाल कर कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप भी फर्माना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सिर्फ एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है पहली थी। शायद जवाब देने से पहले यह गौर नहीं किया है कि यह रिवाईज्ड रिपोर्ट हैं, 15 अप्रैल, 71 की। दूसरा मन्त्री महोदया ने जो जवाब दिया है, उसमें कॉलो-ब्रेटेड सिस्टम का, सिस्टेमेटिक एनालिसिसेज आफ इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स है, यह इसका मुख्य मुद्दा है। जो वेरीयस इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स है, उनके सिस्टम को स्टेडी करने के लिये, सारे हिन्दुस्तान में सैकड़ों हजारों सिस्टम है। यू० पी०, बंगाल में कई सिस्टम है। आपके मध्य प्रदेश में इसके कई सिस्टम हैं और कई मेजर इर्रीगेशन के सिस्टम हैं। इनमें आउट ऑफ आल सिस्टम सबसे ज्यादा जो सिस्टम पसन्द प्रोफेसर ब्लु को, एक फोरेनर को पसन्द आया, वह है राजस्थान केनाल। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल एक ऐसी केनाल है जो कि आपकी 134 मील निकाल दीजिये, उसके बाद 292 मील है उसमें तीस मील पेरेलल टु दी बोर्डर चलती है। इसमें स्टेडी करके देखें कि इतने बड़े बोर्डर के अन्दर ब्लु साहब गये हैं, प्रोफेसर साहब गये हैं और उन्होंने वहां पर सेम्पल सब की है। उन्होंने वहां पर कन्टयूर्स को कलेक्ट किया है, टोपोग्राफी को कलेक्ट किया है, ज्योग्राफिकली साइड को कलेक्ट किया है और यह सब पाकिस्तान के एग्रेशन के पहले किया है। इससे ज्यादा गम्भीर बात नहीं हो सकती है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि 14 लाख डालर उनके डिस्पोजल पर था। यह सबसे पहली रिपोर्ट थी। उसके अकाउन्ट्स का किस तरह का डिस्ट्रीब्युशन है, उसमें मेजर पोरशन, इर्रीगेशन पोरशन सिस्टम को स्टेडी करने का ऐलाट किया गया है। इसमें सिस्टम को, पेटर्न को, वहां के स्टेटस को और इकोनोमिक स्टेटस को स्टेडी किया गया है। यह सब एक्चुअल रिपोर्ट है जहां पर दो अमेरिकन महापुरुषों का प्रवेश हुआ है और यहां से सी. बी. आई. की एक्टीविटी शुरू होती है और वह सिस्टम है केनाल का फिर अध्यक्ष महोदय इन दोनों व्यक्तियों के अमेरिका के अन्दर जो डिपार्टमेंट है, उसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ हैं, वह मन्त्री महोदय ने शायद पढने का कष्ट नहीं किया है, उनमें से ···

श्री बरकततुल्ला खां : मैं पढ दूंगा, वह मेरे पास में हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उनमें से ···

श्री अध्यक्ष : यह क्या चीज है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह पाकिस्तान के बैंक से रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष : आप किस चीज को पढ रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये नोट्स हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या है? कोई फाइल है, या क्या कागजात है? ···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह जो पढ रहा हूं वह है रिपोर्ट ···

श्री अध्यक्ष : आप यहां पर रख रहें है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहेंगे तो रख दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपको सोचना है ?

श्री बरकततुल्ला खां : मैं इनकी तरफ से रख दूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्पेशली इनमें जो डाक्टर व्लु है वह अमेरिका के जिस डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से कन्सर्न रखते हैं वह डिपार्टमेंट पाकिस्तान के बैंक से रिलेटेड डिपार्टमेंट है । पाकिस्तान के एग्रेशन से पहले उनको केनाल का सर्वे करना, मेप्स कलेक्ट करना और अमेरिका के अन्दर उनके विभाग का पाकिस्तान के बैंक से सम्बन्ध होना अध्यक्ष महोदय यह एक गहरी बात है । इसका जिस सरलता से उत्तर दे दिया गया है वह उत्तर उतनी सरलता से नहीं दिया जाना चाहिये था यह माननीय सदस्यों की भावना है । वहां पर मेप्स कलेक्ट किये गये हैं, ज्योलोजिकल मेप्स कलेक्ट किये गये हैं, टोपोग्राफ कलेक्ट किये गये है, कण्टूरस कलेक्ट किये गये हैं । मेरा निवेदन है कि गवर्नमेन्ट इस सारे को सीज करे और उसके बाद इन सारी चीजों का डीपली प्राब करे तो बहुत सारी चीजें जो छिपी हुई है आपको मालूम हो सकेगी ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका पिछले दस सालों से अपने थाट बाय मनी बेच रहा है । इसके लिये उसके पास तीन ऐजेन्सीज हैं, एक तो है फोर्ड फाउन्डेशन, एशिया कोउन्सिल फाउन्डेशन और तीसरी है राक फेलर फाउन्डेशन । यहां से अमेरिकन मनी आता है । मैं समझता हूं कि इनका नेशनल साइन्स रिसर्च इन्स्टीट्युशन और इन्डियन कोउन्सिल आफ रिसर्च इन्स्टीट्यूट से एग्रीमेंन्ट होता है । इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेन्ट होता है और इनकी मार्फत ही रिसर्च स्टूडेन्ट्स को पैसा दिया जाता है और फिर वे किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड होते हैं । हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट इसके इन्चार्ज होते हैं। मेरा आपसे निवेदन करना है कि पिछले दस सालों के अन्दर कितने स्टूडेन्ट्स ने इस स्कीम्स के तहत रिसर्च किया है और कौन कौन अमेरिकन प्रोफेसर यहां पर आये, कितने स्टूडेन्ट्स यहां से बाहर गये और उनमें से कितने वापिस आये, कितनों ने आपसे पेपरस सम्मीट किये, उनमें से कितने तो बोर्डर के बारे में है, कितने राजस्थान कैनाल के बारे में है । यह देखना चाहिये पिछले पांच, दस सालों से मैं सीनेट की मीटिंग अटेन्ड करता हूं और इन मसलों को वहां पर उठाया करता हूं । राज्य सरकार इस मसलों को देखें और सेन्ट्रल को भेजे । मेरा कहना है कि जो भी पेपर सम्मीट किये जायें उनको यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट चेक करे । डिपार्टमेन्ट पर ही छोड़ दे यह काफी नहीं है । आपका गवर्नमेन्ट का एक सेल जो इसका जानकार हो वह सारे के सारे पेपरस की स्टेडी करे और क्लीरेन्स सर्टीफिकेट दे तभी जाकर वे अमेरिकन यूनिवर्सिटिज को सब्मीट हो

Page No 75

(श्री केदारनाथ)

सके। भारत सरकार के जरिये इसका इन्तजाम कराना चाहिये। हमारे स्टूडेन्ट्स भी इनके साथ रहें या जिसको आप लगाना चाहे उसको साथ रखें। इस पर पाबन्दी लगनी चाहिये। राजस्थान केनाल एक डिफेन्स कैनाल है। उस इलाके में कोई जाये तो आपके सी. आई. डी. के लोग, जो एक्सपर्टस है उनको उनके साथ करें। जो पेपर उनको दें पहले उसको स्टेडी कर लें। यहां पर बहुत सारी एजेन्सीज काम कर रही हैं। ब्रिटिश एजेन्सीज भी हैं। जितने भी पेपरस आइन्दा आवें, किसी एक प्रोफेसर के विश्वास पर न छोड़ें और जैसा रामानन्द जी ने यहां पर कहा है, क्योंकि उनके सामने बड़ा से बड़ा एल्यूरमेन्ट होता है और कोई भी आदमी उसको रेसिस्ट नहीं कर पायेगा।

इसलिए उसके थाट, ब्रेन को ब्रेन की मारफत उसकी एलिजियन्स को, लायलटी को परचेज करने के लिए काफी साधन हैं। जो पेपर्स, सिनाप्सिस, स्लाइट्स और पोस्टर्स हैं जब तक उनका क्लियरेन्स सर्टिफिकेट न दे दें तब तक इस देश से बाहर नहीं जाने चाहिए। यह निवेदन मुझे आपकी मारफत करना है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा सबंध में और हमारे डिफेन्स का संबंध में भारत सरकार और राजस्थान सरकार जागरुक है। हम इन एक्टीविटीज को भी समझते हैं कि कहां कहां पर बाहर की एक्टीविटीज हो रही हैं। हम यह भी जानते हैं कि किन किन चैनल्स से रुपया भेजा जाता है, और क्या क्या एल्योरमेंट दिये जाते हैं, यह भी हम जानते हैं कि ओपन सोसाइटी के अन्दर इस तरीके की हम चीज नहीं कर सकते हैं जो क्लोज सोसायटी में होती है। मैं यह भी कहूंगा कि जितने भी लोग राजस्थान के अन्दर आते हैं और जिन पर बराबर शुबाह हुआ है उन पर हमने नजर रखी है। यों तो मैं समझता हूं कि मालपुरे से आने वाले माननीय सदस्य जिनके पिताजी कभी होम मिनिस्टर थे वह शायद नहीं चाहेंगे कि सर्टिफिकेट मैं सदन के सामने दे दूं और वे लोग जिनके ऊपर हम खुद नजर रखना चाहते हैं, जिनके खिलाफ हम कदम उठाना चाहते हैं वह सारी बात यहां पर कह दूं।

माननीय अध्यक्षजी, यहां पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल यहां जो सदन के अन्दर जिस वक्त वार्ता हुई तो मैंने आर्डर दिया, वर्बल आर्डर दिये थे कि जो राजस्थान के अन्दर प्रोफेसर्स हैं उनको बुलाया जाय और उनसे पूछा जाय और उनसे जानकारी हासिल की जाय, क्योंकि हम सारी चीजों की तह में जाना चाहते हैं। असल में जो इसके अन्दर गलतफहमी हुई है वह यह हुई है कि दो प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट तो है पूरे भारतवर्ष की सिंचाई सिस्टम के लिए और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वह इन्हीं डेरेल और दूसरे लोगों ने लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से या भारत सरकार की ओर से जो इण्डियन कौंसिल ऑफ सोशियल साइन्स रिसर्च है उन्होंने जो लेटर लिखा है उसकी कापी राजस्थान सरकार को नहीं मिली है। मैं उस पत्र की कॉपी अभी सदन की मेज पर रखूंगा—

D.O. No. F.2-17/71-RIB dated 31st August, 1971

(श्री बरकतुल्ला खां)

इसको छोड़ दे डी. ओ. नम्बर वैगरह को-
My Dear Dr. Holt,

Will you please refer to your letter of 6th August, 1971,

The personal research project of Dr. Blue has been cleared by the Government of India. I hope he must have received visa by now.

In so far as the collaborative research project between Dr, Iqbal Narain, Dr. K. N. Sharma Dr. Blue and Dr. Frohrib is concerned, the matter is under examination at present. I will write to you again as soon as a decision is taken.

With best regards,

Yours sincerely,
(J.P. Naik)

श्री केदारनाथ : यह लेटर कब का है ?

श्री बरकतुल्ला खां : 31 अगस्त, 1971। वह जो लेटर था यह लेटर वहां पहुंचा। राजस्थान सरकार के पास यह खत नहीं आया। उसके साथ-साथ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी यह आपके पास कहां से आया ?

श्री बरकतुल्ला खां : अभी प्रोफेसर इकबाल नारायण साहब से अपनी ओर कन्सलटेशन किया उसमें उन्होंने लेटर दिया है।

इस तरीके से, माननीय अध्यक्ष, दूसरी चीज मैं एक और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं वह यह कि यह पत्र और यह रिपोर्ट दोनों सदन में अपनी बात कहने के बाद सदन की मेज पर रख दूंगा।

जहां तक राजस्थान सरकार का संबंध है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने क्या रवैया अपनाया है उस वक्त जब डा० रिचर्डसन एन. ब्ल्यू, पी. एच. डी. ने चीफ सेक्रेटरी को 30-12-71 को एक लेटर लिखा है—

Enclosed is a letter of introduction from Dr. Iqbal Narain indicating my affiliation with the University of Rajasthan. I am involved in maldisciplinary research project regional develoment in Rajasthan. The Govt. of India is reviewing the overall project but in the meanwhile they have permitted the work to be taken on analysis of original planning and in administration in Rajasthan. It is this subject that I have undertaken as my research.
बाकी दूसरे डिटेल्स हैं।

उसके बाद जब इसके बारे में अनुमति बताई गई तब उसके पहले एक खत लिखा उसका यह उत्तर दिया है—

(श्री बरकतुल्ला खां)

On December I sent you a request in writing for a letter of introduction which will facilitate my research efforts in Rajasthan. I have not persuaded this issue due to emergency. I feel I must again raise the issue. During my trip to Delhi I discussed my research activities with J. P. Naik of Indian Council of Social Science Research. He agreed to me to write to you a letter on my behalf to you.

सेन्टेन्स बड़ा अजीब सा है।

He agreed to me to write a letter on my behalf to you. I presume that this letter has been received. I would appreciate very much the opportunity of meeting with you and answer any question you have regarding my research plan. Dr. Iqbal Narain has agreed to put myself at your disposal in this matter. Should you require any information. I discussed my research with Dr. Rajendra Pal Singh. I stress again that the nature of my work require immediate letter of recognising the memo of my research if not the formal approval of the Govt. of India.

Looking forward to hear from you soon.

इसके ऊपर चीफ सैक्रेटरी ने यह रवैया लिया है वह यह है कि न तो लेटर ग्राफ इन्ट्रोडक्शन दे सकते हैं और न हम ग्रापको परमिशन दे सकते हैं जब तक कि भारत सरकार से क्लियरेन्स न हो जाय, ग्रौर भारत सरकार हमें न लिख दे उस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा सकता। उसके बाद में जो जानकारी हमें मिली है वह यह मिली है कि कोटा के चम्बल एरिया के ग्रन्दर और कोटा साइड में इन्होंने ग्रपना रिसर्च शुरू किया है। यह भी हमें खबर मिली है कि वहां के कलेक्टर से वह मिले, वहां के इरिगेशन के जो इन्चार्ज हैं उनसे भी मिले। हमने सब तरफ से जानकारी हासिल की कलेक्टर से, एस० पी० से ग्रौर दूसरी जगह से जो हमारे सोर्सेज हैं जिनके बारे में यहां पर जिक्र नहीं करना चाहता हूं, सब जगह से यह पता लगा कि यह जो बीकानेर गये थे ग्रौर दो दिन वहां पर रहे और कुछ मंदिर देखे हैं ग्रौर कुछ और जगह देखकर लौटकर ग्रा गये। ग्रभी भी इसके ग्रन्दर पूरी जानकारी कर रहे हैं जो आपने कही है।

इसी दौरान राज्य सरकार ने यह भी तय किया है और भारत सरकार को लिखा है कि जब भी ऐसे रिसर्च. प्रोजेक्ट लिये जायं तो या तो इससे पहले पूछ लिया जाय और ग्रगर पहले नहीं पूछ सकते तो हमें लिखकर दे दें कि फलां रिसर्च के लिए फलां ग्रादमी को आज्ञा दी जो हमारे यहां जा रहा है। उसके बाद भी हमें यह ग्रधिकार है ग्रौर हमने भारत सरकार को लिखा है कि यह जो रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट्स रखे हैं

Page No 78

(श्री बरकतुल्ला खां)

इनके अन्दर यह डिफेन्स साइट्स भी कवर हो सकते है जो इसमें रखे हैं। इसी तरीके से सारे राजस्थान में सारे विभागों को आदेश दे दिये गये हैं कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट वे स्पोन्सर्ड नहीं करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट की क्लियर परमीशन नहीं होगी, चाहे वह इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पी. डब्लू. डी. विभाग हो चाहे सोइल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकलचर विभाग हो, चाहे एनीमल हजबेन्ड्री हो, सारे विभागों को यह आदेश जा रहा है कि राजस्थान सरकार की रिटन आज्ञा के बगैर आप रिसर्च स्पोन्सर नहीं कर सकते हैं और न परमिट कर सकते हैं।

इसी के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मैं सदन में नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी समय हमको मिला है, उसमें पूरी जानकारी प्राप्त की है। मैंने यह भी पता लगाया है कि वह इस समय कहां है ? माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि खतों से मालूम होता है, उन्होंने नाराज होकर भी लिखे हैं। यहां से न तो उनको इन्ट्रोडक्टरी लैटर दिया जायेगा और न परमीशन दी जायेगी जब तक कि भारत सरकार से मन्जूरी नहीं आ जायेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया बदकिस्मती से एक खत आया जिससे यह सब हुआ है। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि एण्टीनेशनल एक्टीविटीज क्या होती है, इसका मुझे पता है। कैसे ब्रेन वाशिंग की जाती है, किस तरह से किसी से एण्टीनेशनल काम कराये जाते है। मैं समझता हूं कि जिन्होंने यह प्रस्ताव किया है और कहा है कि यह एण्टीनेशनल एक्टीविटीज में मदद देते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके लिए भारत सरकार को लिखना पड़ेगा और उनका ध्यान इस ओर दिलाना पड़ेगा। यह सब चीजें करते हुए, आपको और माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा, जो पूछना चाहे, वह पूछ लें। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग किसी पार्टी में भी हो सकते हैं। वह हमें जानकारी है। अमेरिका में कौन लोग बार-बार बुलाये जाते हैं। हमें यह मालूम है। बुलाकर किस तरह से उनके साथ विचार किया जाता है, यह भी मालूम है। किस प्रकार के लीडर बुलाए जाते हैं, यह भी मालूम है। ये सब चीजें मालूम हैं। ऐसा नहीं है, कि हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियां होती है; कुछ वजूहात होते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी को ढील दी जायें तो वह किस तरफ जाता है। लेकिन यह कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार पूरी जागरुक है। हम भारत सरकार को लिखने वाले हैं कि जो भी प्रोजेक्ट किसी को करें तो हमें उसकी सूचना मिल जाये। अभी तो हमारा यह है कि जब वीसा पासपोर्ट मन्जूर हो जाता है तो पता हमें लगता है। एक चीज माननीय अध्यक्ष आपकी आज्ञा से मैं रखता हूं--

Revised 15 April 1971–

Research Proposal Submitted to the National Science Foundation by the Center for Comparative Studies in Technological Development and social Change-the University of

(श्री बरकतुल्ला खां)

Minnesota Minneapolis, Minnesota, Modelling Regional Development–A calibrated systems analysis of Irrigation Projects in India.

इसको मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा ताकि माननीय सदस्यगण इसको पढ़ कर अध्ययन भी कर लें। मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जो सदन में कहा गया है, मैं समझता हूं कि उस पर हम सब सोच विचार करेंगे। हम एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी प्रकार से इण्डिया गवर्नमेंट सोशल साइन्सेज एण्ड रिसर्च का लैटर है।

F.2-17/71 RIB dated 31st August, 1971 from J.P. Naik.

जे. पी. नाइक के दस्तखतों से यह खत है। उनको भेजा गया है—

Dr. Robert T. Holt,

Copy to Dr. Margeret Clapp, Chief Cultural Affairs officer USIS New Delhi.

Prof. Iqbal Narain,

Dr. K. N. Sharma, Kanpur.

मैं यह सदन की मेज पर रखता हूं। और कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में जनरल जानकारी करना चाहें तो जानकारी दे दूंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, हम क्या समझाना चाहते हैं, इसके बारे में मुझे ज्यादा प्रेस नहीं करें तो ज्यादा आभारी होऊंगा।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो मुख्य मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है, उससे दो बातें सामने आई हैं। पहली यह कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से लेटर गवर्नमेंट आफ राजस्थान को डायरेक्ट नहीं मिले हैं। दूसरा यह कि बराबर राज्य सरकार को एप्रोच किया गया है। न उनको इन्ट्रोडक्टरी लैटर दिया गया है और न परमीशन दी गई है। तीसरा यह है कि बावजूद लैटर आफ इन्ट्रोडक्शन नहीं देने के ये सज्जन चम्बल प्रोजेक्ट में गये हैं। बीकानेर में गये हैं। ऐसे अन्य क्षेत्रों में गये हैं जिन क्षेत्रों का उनको क्लीयरेंस नहीं मिला है। जिसके लिए उनको क्लीयरेंस लेना बहुत जरूरी था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह क्लीयरेंस नहीं मिलने पर भी ये डाक्टर साहबान जयपुर में रहते हुए दूसरी जगहों पर गये हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया है ? क्या गवर्नमेंट आफ राजस्थान के नोटिस में यह नहीं आया है कि वह चम्बल और बीकानेर में गए है आपके नोटिस में यह नहीं आया है। आपको पता नहीं है ? यह बात आपके नोटिस में कब आई ? क्या यह पहले ही नोटिस में आ गई थी ? अगर यह पहले आई थी उसके लिए क्या कदम उठाये। अगर यह बात पहले ही नोटिस में आ गई तो अब तक छुपी क्यों रही ? यह एक गंभीर बात है। दूसरी बात, मैंने एक लैटर पढ़ कर सुनाया, वहां के प्रोफेसर को एक फारेन यूनिवर्सिटी में अपना प्रमोशन चाहने के लिए लेटर लिखाये। इस तरीके से वह लोगों को सी. आई ए. के गठन में लें ; इसको भी बैन

Page No 80

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने के लिए कहा गया, जिसका कण्डमनेशन मुख्य मन्त्री ने नहीं किया है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य मन्त्री क्या कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा है कि वह किसी प्रकार की कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। पर वक्तव्य में है कि जब उनको रिसर्च की अनुमति नहीं मिली तो 27–6–71 को वह जयपुर आये। और जयपुर में रह कर इकबाल नारायण से एक सांठ-गांठ हुई और मिल कर दूसरी रिसर्च स्कीम के लिए योजना बनाई। उसके बारे में, मुख्य मंत्री जी ने, राज्य मंत्री ने लेटर का पोर्शन बताया, अध्यक्ष महोदय, क्या आप नहीं मानते हैं, बीकानेर जोन और दूसरी जगह की जोन इस रिसर्च प्रपोजल को, इस रिसर्च स्कीम को आफिशियली कन्डम किया है।

एक प्रश्न दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार से आप सम्पर्क करेंगे, वह एक बात है, राजस्थान विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय के अन्दर जो प्रोफेसर हैं, वह विश्वविद्यालय ओटोनोमस बॉडी होने के बाद भी राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सहायता से चलने वाले हैं, और विश्वविद्यालयों का एक्ट इस विधान सभा ने बनाया है, तो क्या यह समझते हैं मुख्य मंत्री जी कि अपने गुड आफिस से इन्टरवीन करके सर्विस कन्डीशन्स यह नहीं करवा सकते कि जिन रिसर्च वर्क में प्रोफेसर एसोसियेट करें, उसकी राज्य सरकार को पहले सूचना दें। यह मेरा सुझाव है कि प्रोफेसर जिस रिसर्च वर्क से एसोसियेट करें उसके एरिया आफ आपरेशन, जिस एरिया में जाकर रिसर्च करनी है उसकी सूचना प्रोफेसर वर्क शुरू होने के पहले राज्य सरकार को दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने यह फर्माया कि आपने इकबाल नारायण को बुलवाया....

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने बुलवाया।

श्री उपाध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्लेरिफिशन के लिए बुलवा कर जानकारी चाही-उसमें आपत्ति नहीं है। इकबाल नारायण से जानकारी प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। मेरा प्रश्न यह है, जब यहां चर्चा हो रही थी इस सदन में, उसका मुख्य मंत्री जी को पता नहीं था और उस वक्त ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कोई आदमी दर्शक दीर्घा में सी. आई. ए. का एजेन्ट है और वह इकबाल नारायण को सूचना देगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के उच्च अधिकारी, सीनियर आफिसर ने टेलीफोन किया बिना मुख्य मंत्री के आदेश के और बिना मुख्य मंत्री .. ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य, सदन को कान्फीडेंस में लेना चाहिए, मुख्य मंत्री ने बताया नहीं, इसलिए आपको बताना चाहिए कि कौन से आफिसर हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपको बता दूंगा, इसको मिस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : इस प्रकार किस आधार पर, मैं मोटिव इम्प्यूट नहीं करना चाहता, व्यक्तिगत आधार पर राज्य सरकार के उच्चाधिकारी...

निरन्जन नाथ आचार्य : That is not allowed,

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : जिसके खिलाफ सदन में एलीगेशन चलाये जा रहे हैं, जिसके खिलाफ चार्जेज लगाये जा रहे हैं और चर्चा चल रही है उसको टेलीफोन करके इत्तला देवें, उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वह रिसर्च वर्क में ऐसी एन्टी नेशनल एक्टिविटीज को अनअर्थ कर सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री से यह दो सवाल और पूछना चाहूंगा।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, यह बहुत अनफेअर चार्ज है जो इस आफिसर पर लगाया गया है। अगर जिस वक्त यहां पर बहस चल रही थी, वह पता नहीं लगाता कि इकबाल नारायण यहां हैं या नहीं, तो वह ड्यूटी में फेल होता। तो इन्फार्मेशन इसलिए नहीं दी गई कि इकबाल नारायण यहां से भाग जायं, उन पर शुबाह कौनसा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जैसे जैसे इन्फार्मेशन आ रही थी, वैसे वैसे आफिसर ने चुस्ती के साथ जानकारी हासिल करनी चाही कि कल को यह न हो जाय कि सदन में चर्चा हुई उस वक्त यह सारे लोग सो रहे थे, इसलिए तारीफ न करना, माफ करना, नामुनासिब है, मैं सी. आई. डी. आफिसर की तारीफ करूंगा कि उस व्यक्ति ने एक्शन लिया, हाऊस को समझा, हाउस के मूड को समझा, हाउस के रोष को समझा और यह समझा कि फर्ज अदा करने के अन्दर जल्दी से जल्दी टेलीफोन से वह पिन डाउन कर दे...

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन आफिसर है ?

श्री बरकतुल्ला खां : एस. पी. सी. आई. डी कह रहा हूं, ऐसी क्या बात है। ऐसी चीज में इनीसियेटिव की कद्र की जानी चाहिए....

श्री केदारनाथ : सी. आई. डी. आफिसर है।

श्री बरकतुल्ला खां : सी. आई. डी. आफिसर, उसकी जिम्मेदारी थी, उसने यह जानकारी की। जब सदन में चर्चा हुई, उसके बाद मालूम हुआ, तो चर्चा के बारे में मालूम होने के बाद मैंने कल शाम तक सारी जगह से जानकारी प्राप्त करी, सारे आफिसर्स से जानकारी प्राप्त की डिपार्टमेंट से जानकारी प्राप्त की, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर्स से जानकारी प्राप्त की, इरिगेशन वालों से जानकारी प्राप्त की और फिर भी चूंकि बहुत सी चीजें थी समझने के लिए इसलिए मालपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनको कहा था, आपके पास समय हो तो आप आ जायं। मैं ग्रोपिंग इन डार्क नहीं करना चाहता, मुद्दे को समझना चाहता हूं और समझ कर जांच के इश्यूज को इवेड नहीं करना चाहता हूं। इस तरीके से, जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो भी एन्टी-नेशनल एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए मैं पहले कह चुका हूं, बिकने वालों के लिए कह चुका हूं, बाहर सूचना भेजने वालों के लिए कह चुका हूं, इसी प्रकार मैं ब्लैक मेल करने वालों के लिए कह चुका हूं। मैं यह

Page No 82

(श्री बरकतुल्ला खां)

सब कह चुका हूं, आज फिर किसी को यहने की जरूरत है कि जो देश के खिलाफ जाता है, वह दोस्त नहीं, दुश्मन है, यह एक ओबिविअस चीज है, इसमें कहना क्या है। मैं समझता हूं, आज वह लोग जो देश की इन्फार्मेशन दूसरे देश को देते हैं, वह देश के दोस्त नहीं है, गद्दार हैं। एक इन्फार्मेशन होती है बोनोफाइड इन्फार्मेशन इन न्यू वर्क आफ रिसर्च, एक रिसर्च होती है उसका दूसरे जिले और देश फायदा उठाते हैं, उस रिसर्च में इन्फार्मेशन होती है, एटमिक रिसर्च के बारे में अमेरिका और यू. एस. एस. आर. के साइंटिस्ट की जेनेवा में, बर्न में मीटिंग होती है, और जगह होती है और यह मीटिंग वहां होती हैं फार एक्सचेंज आफ नालेज। एक यह होती है कि एक जगह की मिलट्री सीक्रेट बताना, मिलट्री स्ट्रेन्थ बताना, इरिगेशन सिस्टम बताना, रोड सिस्टम बताना, और दुश्मन को यह बताना कि हमला करो तो यह रास्ते से चलना चाहिए, डेफीनेटली इट इज गद्दारी। मैं ज्यादा निवेदन न करते हुए यह निवेदन करूंगा कि जानकारी कल मिली, जानकारी के बेसिस पर मैंने पूरा कल का दिन लगाया, सब तरफ से इन्फार्मेशन हासिल की, अभी भी इनफार्मेशन हासिल कर रहा हूं, अपनी तरफ से जानकारी कर रहा हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं, सदन में जो भावनाएं सामने आई हैं, और खासतौर से युनिवर्सिटी में रिसर्च और स्कालरशिप के सिलसिले में जो सुझाव दिए हैं, उनको मैं वाइस चांसलर से डिस्कस करूंगा, भारत सरकार से डिस्कस करूंगा। यह फर्माना सही है कि बाहर के लोगों के जरिये युनिवर्सिटी में रिसर्च कराना चाहते हैं तो यह जरूर बताना चाहिए कि किस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद में किस तरह की रिसर्च बनी। मुझे आखिर में यह देखना पड़ेगा कि रिसर्च हमारे यहां हो और फायदा दूसरा उठाये, यह न हो, हमारे देश में रिसर्च हो तो उसका फायदा हमें भी मिलना चाहिए और नालेज को एक्सपेंड करने के लिए जिन्होंने की, उनको मिलना चाहिए। यह सुझाव मैं रखूंगा, शिक्षा मन्त्री से बात करूंगा, वाइस चान्सलर से बात करूंगा, भारत सरकार को लिखूंगा, उनसे बात करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, आज इस स्टेटमेंट से कार्य खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कार्य शुरू हुआ है।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1972 विचारार्थ प्रस्तुत

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय आन ए पाइन्ट आफ पर्सनल क्लेरिफिकेशन... ....

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972 विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद कहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्पष्टीकरण के तौर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1972 विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बाद में, परसनल एक्सप्लेनेशन में कहना चाहें वह कह दें।

राजस्थान विधानसभा सदस्य श्री गुमानमल लोढ़ा द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 276 के तहत यह कहना चाहता हूं, कुछ मुद्दे माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में उठाये थे, क्योंकि कल

(2.10 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

मुखबन्द हो गया था, मैं समझता हूं आज मुझे मुख खोलने की स्वीकृति देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी विभाग का एक संक्षिप्त प्रगति विवरण निकला है, उसके पृष्ठ चार पर लिखा है : 7-11-69 को बकाया की अधिकतम राशि वसूल योग्य नहीं है राज्य सरकार ने उक्त मामले में हाई कोर्ट के डबल बैंच में अपील की है। यह 27–7–71 का निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आबकारी विभाग के लगभग 36 लाइसेंस होल्डर्स के द्वारा रिट याचिकाओं में किया गया जिसमें कहा गया था कि आबकारी विभाग को एक्साइज ड्यूटी लाइसेंस फीस के नाम पर लेने का संविधान में अधिकार नहीं है और राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश वेदपाल त्यागी ने इस बात को स्वीकार करके निर्णय उनके पक्ष में दिया। इन 36 याचिकाओं के अन्दर 5–7 याचिकाओं में मैं अभिभाषक के रूप में उपस्थित हुआ और इस निर्णय के पश्चात् इस सिद्धांत के अनुसार जब राजस्थान आबकारी विभाग जो शराब दे रहा है वह नहीं उठाया जाता है लाइसेंसी के द्वारा उस पर लाइसेंस फीस के नाम पर, एक्साइज ड्यूटी वसूल नहीं कर सकते, यह संविधान के विपरीत है और उन रिट याचिकाओं में राजस्थान के कई वकील और भी थे। लगभग 30-40, 50 याचिकाओं में मैं अभिभाषक हुआ। उसके पश्चात् इसी सिद्धान्त पर कि जो आबकारी राशि शराब के ठेके के समय वसूल की जाती है वह अवैधानिक है। उस बकाया राशि पर यदि किसी को लाइसेंस न दिया जाए तो वह डिस्क्वालीफिकेशन इन्कर नही करता है जो उनका लोजीकल कन्कलूजन था। एक नहीं जैसे वित्त मन्त्री ने कहा, कई ऐसे स्टे आर्डर्स हैं जो मैं हाई कोर्ट से प्राप्त कर रहा हूं और करता रहूंगा।

प्रश्न जो मैंने विधान सभा में उठाया वह पी. एस. सी. का उठाया। राजस्थान में पचासों ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनकी ओर से रिट करके मैंने हाई कोर्ट में प्रश्न उठाया कि पी.एस.सी. का डिसीजन सही नहीं है। मैंने विधान सभा में प्रश्न सरपंचों और कर्मचारियों के बारे में उठाए और पचासों याचिकाएं दायर कीं जिनमें उनके सस्पेन्शन अथवा डिसमिशल के बारे में वैधानिक चुनौती दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों, वेयरहाऊसिंग निगम के कर्मचारियों की ओर से ऐसी कई रिट याचिकाएं की हैं मैनेजमेंट के खिलाफ और एग्रो-इन्डस्ट्रियल निगम की मैनेजमेंट की ओर से याचिकायें की या पैरवी की। सीलिंग कानून में कई याचिकाएं हुई है जिनमें भी मैं वकील हूं और भी वकील है। यह एक नहीं, ऐसे पचासों कानून है जिनको चुनौती याचिकाओं के द्वारा दी हुई है जैसे नई फार्मूला के बारे में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन प्रश्न यह है कि विधान सभा में मैंने शराब के लाइसेंस होल्डर्स के विरोध के अन्दर यह बात उठाई कि उनका आइडेंटीफिकेशन होना चाहिए और फस्ट टेंडर की रकम न दें तो सेकण्ड टेण्डर देते समय रकम वसूल करनी चाहिए। दो करोड़ की राशि इस प्रकार से वसूल नहीं की गई और उसका सरकारी खजाने को नुकसान हुआ जिसके लिए मैंने वित्त विभाग और माननीय वित्त मन्त्री से जांच के लिए निवेदन किया और साथ में कहा कि आपने टेण्डर में ऐसी कोई कन्डीशन नहीं रखी जिसके अनुसार आप दूसरे टेण्डर से वसूल कर सकते थे। राजस्थान में ऐसी कन्डीशन में जिसके अनुसार दूसरे टेण्डर से वसूल किया जा सकता है…

श्री उपाध्यक्ष : जिस पाइन्ट पर आप कल बोल चुके हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में बोल सकते है, यह स्कोप है।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : उसके अनुसार मैं क्लैरीफाई करूंगा। मैंने राजस्थान वित्त मंत्रालय पर 2 करोड़ की धनराशि का ठेकेदारों को लाभ देने का आरोप लगाया, मैंने विधान सभा में ठेकेदारों को लाइसेंस होल्डर्स वे विरोध के अन्दर बात कही है, उनसे 2 करोड़ वसूल होने चाहिए, यह बात कही है और यह वसूल नहीं हो रही है और वित्त मन्त्री और वित्त विभाग के अधिकारियों को दोषी ठहराया और जांच को मांग की है। अतः वित्त मन्त्री के द्वारा यह कहना कि मैं विधान सभा के अन्दर शराब के जो लाईसेंसीज हैं, मैं उनकी खिलाफत तो कर रहा हूं, यह सही है। मैं कहता हूं वसूली होनी चाहिए और वित्त विभाग के नोटिफिकेशन में लकोना होने के कारण वसूली नहीं हुई और इस कारण से दो करोड़ का लाभ नहीं मिल रहा हैं। मैंने खिलाफत की और करता हूं और करता रहूंगा। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के नुकसान के लिए मैं आवाज उठाऊंगा और मैं वित्त मन्त्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमने मोनोपोलिस्ट्स समाप्त किए। जहां तक आफर का सिस्टम है उन्होंने समाप्त किया, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं लेकिन दो करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ जिसके अन्दर सेकण्ड टेण्डर होल्डर से रकम वसूल नहीं की जा सकी, इसका प्रावधान नियमों में नहीं रखा गया, इस बारे में निश्चित रूप से मेरा आरोप है कि वित्त मन्त्री और वित्त विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष जो आबकारी विभाग के नोटिफिकेशन्स निकलें उनमें जनरल फाइनेन्शल रूल्स के अनुसार यह प्रावधान रखा जाए ताकि फर्स्ट टेण्डरर उपस्थित नहीं होगा तो सेकण्ड टेण्डरर से कमी राशि वसूल की जा सके ताकि राज्य सरकार को किसी प्रकार का नुकसान न हो और राज्य सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए।

जहां तक उच्च न्यायालय में लाइसेंस होल्डर या कर्मचारियों या इन्जीनियर्स या मजदूरों या उनके मालिकों की पैरवी करने का प्रश्न है, वित्त मंत्रीजी एडवोकेट तो हैं लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने एक एडवोकेट के नाते कार्य नहीं किया है। मैं जानता हूं संविधान के अनुसार हमारा कर्त्तव्य है कि एक एडवोकेट के नाते हम वहां पैरवी करें

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और यहां बहुत से हैं, उनकी पैरवी करने के बावजूद उनके द्वारा जो कानूनी लुकोना रहता है, उन्हीं का हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय करवाया जाता है। मैं मुख्य मंत्री को सूचना के लिए बता दूं कि सीलिंग कानून में जो लुकोना है, उनके खिलाफ कांग्रेस के सबसे बड़े विधि नेता श्री ए. के. सेन एपीयर होते हैं

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : एपीयर होना एक बात है और यह कहना कि···

श्री मोहरसिंह : जो लोग अदालत में किसी व्यक्ति का केस प्लीड करते हैं वे डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली विधान सभा में या लोक सभा में प्लीड करने के अधिकारी हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आप समझने की कोशिश करें। जो हाई कोर्ट में उनके केस को जिस पाइन्ट पर प्लीड करते हैं उसको विधान सभा में प्लीड नहीं करते।

श्री मोहरसिंह : उसी केस को आप प्लीड कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : आप समझने की कोशिश करें। आपको पता नहीं जो स्टे आर्डर बताया गया····

श्री मोहरसिंह : आपको पता नहीं, आप वाइटवाश करना चाहते है जो कुछ आपने कहा है। मैं चैलेंज करता हूं आपने जो केस प्लीड किया है···

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : डबल फीस ली है।

श्री मोहरसिंह : आप उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मोहरसिंह : जनरल फाइनेन्शल रूल्स के अनुसार माल खरीदने का जो रूल है, वह टेण्डर पर लागू करना चाहते हैं। उसमें डिस्टिंक्शन है।

श्री गुमानमल लोढा : डिस्टिंक्शन नहीं है।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मोहरसिंह : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। गलत इन्टरप्रटेशन कर रहे हैं। आपने एक गलती की और उसको छिपाने के लिए 100 गलतियां और करेंगे।

श्री गुमानमल लोढा : आप उनके दलाल हो। वित्त मंत्रालय भ्रष्टाचार फैला रहा है, आप जांच नहीं करवाते, आप सुनने को तैयार नहीं।

(श्री गुमानमल लोढा व श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय साथ साथ बोलने लगे)

दुर्भाग्य की बात है कि आपमें स्पष्टीकरण को सुनने तक का संयम नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि स्टे आर्डर इस बात का दिया गया ··

Page No 86

(श्री यशवन्तसिंह नाहर व श्री गुमानमल लोढ़ा साथ साथ बोलने लगे)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है। आपको इस सदन के द्वारा अधिकार दिया गया है कि आपके खिलाफ कोई पर्सनल चार्ज हो तो आप स्पष्टीकरण करें। ये सब दूसरी बातें हैं कि आप वहां क्या कह रहे हैं, सदन में क्या कर रहे हैं वह सब जानते हैं। आपके विरुद्ध कोई चार्ज हो, आपके करेक्टर पर कोई चार्ज हो, आपकी वकिंग पर चार्ज हो तो you can clear your position.

यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय मैं तो स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

श्री मोहरसिंह : ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहे बल्कि अपने कारनामों को छुपा रहे हैं। यह तो एक इतिहास की तरह बता रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य अभी तक समझते नहीं है उन्हें अभी ज्ञान नही, धीरे धीरे समझ जायेंगे। मेरा इन्हें यही कहना है कि पहले पूरी बात सुनें और समझें।

एक माननीय सदस्य : आप ठेकेदारों की वकालत करते हैं और यहां पर मन्त्रियों के खिलाफ में झूठी आवाज उठाते हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप आवाज बन्द रखिये। यों चमचागिरी करने से काम नहीं चलेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था.....

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ही दें सिर्फ। बाकी की बातें तो आप अपने भाषण में बता चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं वही बता रहा हूं कि किस प्रकार राज्य सरकार के नियम उप नियमों में लेक्यूनाज होने से हाईकोर्ट से स्टे आ जाते हैं और बाद में उससे राज्य सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिये वह नहीं मिलता हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो ठेकेदारों के वकील हैं। उनका फायदा कराते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारी दुनिया का धन लूट कर लाये हैं आप। मैं तो वकील हूं और वकील रहूंगा। वकील तो हमारे देश के बड़े नेता श्री भोला भाई देसाई भी थे जो लेजिसलेटिव असेम्बली में जाते तब गरीबों की पैरवी करते और वकालत करने जाते कोर्ट जब बड़े बड़े अमीरों का केस भी लड़ते थे। कोर्ट में चाहे किसी के लिये केस लड़ूं पर यह बता दूं कि जो आरोप मुझ पर लगाये गये हैं गलत हैं। क्योंकि मेरे पास हाई कोर्ट में कोई भी केस उन ठेकेदारों का नहीं है लेकिन जिनकी वजह से राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ में मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। आज राज्य सरकार की गलत नीतियों, गलत नियम, उप नियमों से सरकार को 2 करोड़ रुपये का ठेकेदारों से नुकसान हो रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ठेकेदारों से पैसा लेकर वकालत करते हैं और यहां सदन में आकर उनकी खिलाफत करते हैं।

एक माननीय सदस्य : ये तो मुख में राम बगल में छुरी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो वकील हूं। वकालत करता हूं और करता रहूंगा। मैं तो खूनी की भी वकालत करता हूं, चोर की भी वकालत करता हूं, डाकू की भी वकालत करता हूं। पर जो सदन में खास मुद्दे का प्रश्न है वह यह है कि 2 करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ है उसके बारे में राज्य सरकारी की मैं आलोचना करूंगा। क्योंकि ये दो करोड़ रुपये का जो घोटाला हुआ है वह नियमों, उप नियमों में लेक्यूनाज की वजह से हुआ है इन्हें दुरस्त किया जाना चाहिये। इसके विपरीत मेरे ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं,

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कुछ बहस में कह दिया है उसको तो कहने की जरूरत नहीं है बाकी अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय उसी के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि माननीय वित्त मन्त्रीजी को भ्रम है कि मैं ठेकेदारों का वकील हूं। मेरे पास हाईकोर्ट में ठेकेदारों की कोई रिट नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की जो शराब के ठेके के बारे में प्रथा थी, और जो कानूनी अड़चनों की वजह से राज्य सरकार को एक्साइज ड्यूटी की वसूली नहीं हो रही थी राज्य सरकार की जो रेवेन्यू वसूली नहीं हो रही थी उसके लिये जो केसेज हाईकोर्ट में डबल बैंच में निर्णय हुए हैं उसकी आगे पैरवी श्री ए० के० सेन कर रहे हैं, श्री छागला कर रहे हैं। तो चूंकि आज उस एक्ट में लेक्यूनाज है उन्हें एमेन्ड कर लिया जाय तो सरकार को फायदा होगा। वरना आज एक्साइज ड्यूटी 68-69 से वसूल नहीं हो रही हैं वो हो जाय। वैसे मेरे ऊपर आरोप चाहे किसी का वकील होने का लगादो। मैं वकील मिल मालिक का हूं, मजदूर का हूं, एक एल. डी. सी. का वकील हूं और कई गवर्नमेन्ट आफिसेज का वकील भी हूं। वह अलग मेरा पेशा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मिल मालिक तो आपके ही हैं। आप उनसे अलग थोड़े ही हो।

श्री गुमानमल लोढा : मैं आपके मारफत उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के मन्त्री महोदय मुझे यह आश्वासन दें कि जो एक्साइज लेजिस्लेसन में लेक्यूनाज हैं उन्हें ठीक करा दिया जायेगा, वरना मैं कहूंगा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों से राज्य सरकार के गलत नियमों से आज 2 करोड़ रुपये का घोटाला शराब के ठेकेदारों में है और मैं अभी आगाह कर देता हूं कि अगर एक्साइज लेजिसलेशन में एमेन्डमेन्ट नहीं लाया गया तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा हो जायेगा और उसका दोषी मैं नहीं होऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीविश्म्भरनाथ जोशी।

राजस्थान विनियोग संख्या (2) विधेयक, 1972 पर विचार

श्री विश्म्भर नाथ जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय आज जो सदन में बहस चल रही है उसमें मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करने खड़ा हूं। सर्व प्रथम मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्तमान वित्तीय वार्षिक बजट बनाया गया है वह बहुत ही बड़ा ध्रुव कार्य था। उनको नयी आर्थिक नीति के अनुसार बजट तैयार करना पड़ा। पर फिर भी यह सही है कि बजट में जो पहले थोड़ा घाटा बताया गया और बाद में अकारण ही उसमें

(श्री विश्म्भरनाथ जोशी)

वृद्धि कर दी गई है। इसमें रिपेलटीज ग्राफ दी सोल्यूशन हमें नजर नहीं आते। क्योंकि वास्तविकता यह है कि हालांकि इसमें काफी लम्बी चौड़ी भूमि का वित्त मंत्रीजी ने बनाई है पर बजट में जो देनदारी है उसके लिये राज्य सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाये है। पर फिर भी जो घाटा 31 करोड़ रुपये का बताया था वह बढ़कर कुछ ही दिनों में 59 करोड़ रुपये का हो गया है। यह इसलिये हो गया कि राजस्थान सरकार ने जो आय के साधन बताये है, उसमें प्राप्ति के ठोस कदम नहीं उठाये है। यह कारण है कि घाटे की यह असाधारण वृद्धि हुई है।

(विद्युत व्यवस्था भंग)

श्री गुमानमल लोढा : इस बजट से अन्धेरा हो गया है, दीपक जलाओ ? लो दीपक जल गये।

एक माननीय सदस्य : दीपक नहीं जल गये बिजली जल गई है। आप दीपक की ऐज में ही रहना चाहते है क्या ?

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : तो इस प्रकार मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे बजट के अन्दर 60 करोड़ का घाटा हो गया है। हमारा खर्च जो बजट में हैं उससे ऐसा दिखाई देता कि हमारा बजट एम्बीसियस है। हमारे प्लान एम्बीसियस है इसमें साढ़े ग्यारह करोड़ रुपया तो डिस्पेन्सरीज औषधालय, सड़क आदि पर खर्च होगा। आज पिछले 24 वर्षों से हम राजस्थान के विकास के लिये कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने शिक्षा के विकास के लिये भी काफी रुपया रखा है पर फिर भी जितना विकास हमें करना चाहिये वह हम नहीं कर पाये है। अभी हमें जरूरत ज्यादा से ज्यादा डिस्पेन्सरीज की, सड़कों के विकास की, बिजली आदि के बारे में तथा समाज कल्याण विभाग के लिये छात्रावासों की यह सभी काम हमें करने हैं उपाध्यक्ष महोदय आज पिछले 24 वर्षों में हमने काम किया है पर फिर भी हमारे कई नान प्लान के वर्क है वे अवरूद्ध है क्योंकि हमारी राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज बजट में हमारे ऊपर देनदारी उसके बारे में राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। इसके अलावा मैं आपको निवेदन कर दू कि जो नेशनल डेट कमीशन की बात की है कि हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं उससे हमें कोई खास राहत नहीं पहुंचने वाली हैं। मैं आप से निवेदन कर दूं सही स्थिति यह है कि आय के जो साधन हैं वह सभी केन्द्रीय सरकार के पास हैं और जो स्टेट्स वगैरह से आय होती है वह फेडरल फाइनेन्स स्ट्रक्चर होने की वजह से हमें पैसा केन्द्र से जो वह देता है उतना ही मिलता है जिससे पूरा पैसा प्राप्त होता नहीं है और दिनों दिन देनदारी बढ़ती ही जाती है। इसलिये हमें भारत सरकार से ज्यादा पैसा मिले इसके लिये दूसरे राज्यों को साथ लेकर प्रयास किया जाना चाहिये। तो उस पर पुनः विचार करें या किसी तरह से उस बात को ध्यान में रखते हुए यह नहीं सोचते हुए कि भारत सरकार का ऐसा रूख रहेगा। एक एक पैसा दिया जावेगा उसका ब्याज लिया जावेगा। ओवर ड्राफ्ट अलाऊ नहीं होगा, हमारी वित्तीय स्थिति पर ध्यान न दिया जाकर प्लान और नोन प्लान में से, सेन्ट्रल टैक्सेज की रेवेन्यू की जो शेयर है उसको ओवर ड्राफ्ट

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

से डिडक्ट कर लेने की बात कर लेंगे। हमें भी कहने का अधिकार है कि फेडरल फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर से इस गरीब प्रदेश को जब हम से हमारी रेवेन्यू ली थी उसकी कीमत आज 320 करोड़ की होती है यह सब एक पैसा मुआवजा दिये बगैर ले लिया जाय, इस सारे डेट को कम करके या राइट आफ करके किया जाय। इस दिशा में कोई सरकार के द्वारा कारगर कदम उठाने की तैयारी बजट भाषण में नहीं दिखाई देती और अब भी तैयारी दिखायेंगे तो मुझे खुशी होगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको खुशी होगी और उनको शर्म आयेगी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कतई नहीं, गलत है यह।

राज्य की जो समस्यायें हैं उनको रियेलिस्टिक तरीके से हल निकालने का प्रयास नजर नहीं आता है। बेरोजगारी सब राज्यों की एक ज्वलन्त समस्या है और हमारा नैतिक और राजनैतिक कर्त्तव्य है कि हम इसका हल निकालें। लाखों की तादाद में हर साल बच्चे स्कूलों और कॉलेजों से निकल रहे हैं और आज जो बच्चों को शिक्षा मिलती है उसको देखते हुए वे स्वावलम्बन की ओर नहीं बढ़ पाते हैं और 80 प्रतिशत से ज्यादा लड़के सर्टीफिकेट्स हाथ में लेकर एम्पलोयमेंट के लिये, रोजगार के लिये चक्कर लगाते हैं। सरकारी नौकरियों में बेन लगा हुआ है। बेन न हो और उठा भी लें तब भी उनको आप जगह नहीं दे पायेंगे, रोजगार नहीं दे पायेंगे। वे पढ़े लिखे बच्चों की भी संख्या बढ़ती जा रही है और आज की जो बेरोजगारी की ज्वलन्त समस्या है इस प्रकार चलती रही तो ऐसा भी समय आयेगा जबकि एनार्की फैल सकती है। सारे भारत में और राज्यों में केन्द्रीय सरकार की ओर से एक क्रेस प्रोग्राम चल रहा है। साल में दस माह चलेगा, काम करने वाले को ढाई रुपया रोज मिलेगा, फावड़ा चलाना और मिट्टी खोदने का काम होगा, उसमें कितने मैट्रिकुलेट और ग्रेज्यूएट्स आ सकते हैं यह वित्त मंत्री जी के ध्यान में होगा सांकेतिक धनराशि का भी पिछले वर्ष उपयोग नहीं हो पाया है। यह क्रेस प्रोग्राम एक फ्रिन्ज को भी टच नहीं करता है। एजुकेटेड क्लास को ध्यान में रखते हुए 6 हजार बेरोजगार ट्रेन्ड टीचर्स थे उनको आप खपाने की व्यवस्था करेंगे और एक हजार मिडिल स्कूल और एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। यह भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है। इस तरह से इस बजट भाषण में शुरू से आखिर तक बेरोजगारी के लिए, निराकरण के लिए कोई कदम नहीं मिलेगा। पासिंग रेफरेन्स देना चाहूंगा। यह ठीक है राजस्थान एक गरीब प्रदेश है, इसके पास विकास के लिए अरबों और खरबों की धनराशि नहीं है, हमें समझना चाहिये कि जो भी मांग आती है इण्डिस्ट्रयेलाइजेशन की, कितनी ही इन्डस्ट्रीज हो लेकिन आज जो बेरोजगारी की भयंकर समस्या है और जो बेरोजगारों की संख्या है उसको देखते हुए हेवी इण्डस्ट्रीज उस समस्या को खत्म नहीं कर सकती है। उनको ये नहीं खपा सकती है। हेवी इण्डस्ट्रीज का आउट पुट एम्पलायमेंट का काम होता है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। राउरकेला आदि हेवी इण्डस्ट्रीज पर कितना भारी खर्चा करना पड़ा है और मुश्किल से ढ़ाई हजार को एम्पलायमेंट मिला होगा। अरबों रुपया भी

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

खर्च कर लेंगे तब भी एम्पलायमेंट नहीं दे पायेंगे। इसका सबसे बढ़िया इलाज यह है कि कोटेज इण्डस्ट्रीज और अदर अलाइड इण्डस्ट्रीज को हमको बढ़ाना चाहिये। खादी की संस्थायें हैं। टोंक जिला खादी पैदा करता है। ढाई लाख से यहां संस्था शुरू हुई और आज 7 लाख से अधिक केपिटल नहीं है। पार्ट टाइम एम्पलायमेंट भी लेलें तो 7 हजार लोगों को एम्पलायमेंट दे रखा है और इन्वेस्टमेंट 7 लाख। राउरकेला और अदर हैवी इण्डस्ट्रीज इसकी मिसाल है। हैंड रन इन्डस्ट्रीज, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम होता है और काफी लोगों को इसमें रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज को अपनाया जाय। इस सेक्टर को लागू किया इसको अपनाये और प्रोत्साहन दें। खादी वगैरा ओल्ड इण्डस्ट्रीज हैं, कोटेज इन्डस्ट्रीज हैं और इसको डेवलप करके लोगों को एम्पलायमेंट दें। इसलिये केवल नहीं कि हम प्रोडक्शन ज्यादा कर पायेंगे किन्तु आज जो लाखों पढ़े लिखे और बे पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगार लोगों की फौज तैयार हो रही है उसको रोजगार देने की भयंकर समस्या है और समाज में उससे एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है, समाज के गलत रास्ते पर चल कर एक वर्ग संघर्ष का खतरा पैदा हो गया है, उसके इलाज के लिए हमें हैवी इण्डस्ट्रीज और मेकेनाइज्ड इण्डस्ट्रीज को छोड़ कर कोटेज इन्डस्ट्रीज और हैंड रन इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दें और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इस ओर डाइवर्ट करें।

दूसरा जो निवेदन करना है वह है बेरोजगारों की समस्या के विषय में यह भी कहना चाहता हूं कि बद-किस्मती है पढ़े लिखे लोगों की कि स्कूल और कालेजों से निकल रहे हैं उनमें से पांच परसेन्ट को भी उस अनुपात में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। यह भारी भयंकर समस्या है। असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बर्स ऐसे नौजवानों की नवयुवकों की मदद करते हैं फिर भी वे अपने अधिकारों को पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं। इसलिए कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट को नोटीफाई करना जरूरी है, हर एक विभाग में कितनी पोस्टें हैं और अपोइन्टमेंट फलां तारीख को किया जाना है। वित्त मन्त्रीजी और सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि एक नहीं ऐसे बीसों केसेज हैं एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज को रेफर नहीं किया जाता है, पूछा नहीं जाता है, स्टेटमेंट भेजते हैं, रिमाइन्डर भेजते हैं लेकिन 29 डिपार्टमेंट ऐसे पाये गये हैं कि रिमाइन्डर देने के बाद भी जो लाजमी इन्फोर्मेशन उनको भेजनी थी वह उन्होंने नहीं भेजी। विभागाध्यक्षों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर पाये और जिस प्रकार बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ रही है, उनको हमारी प्रणाली में जब बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज को रेफर किये ही अपोइन्टमेंट अपने लोगों को दे दिया जाय तो विश्वास नहीं हो सकता है और उसके कारण उनको फेयर नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। इस प्रकार की जो धांधली विभागों में चल रही है यह बहुत ही चिन्ताजनक विषय है।

इसके अलावा एक बात माननीय वित्त मन्त्री जी ने कही। आज असलियत में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जिसको हम भी महसूस करते हैं और करनी भी चाहिए कि हमको यथासम्भव जो भी साधन आमदनी के बढ़ाने के हो सकते हैं

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

उन हर एक साधनों को हमें टैप करना चाहिए। टैक्स आपने लगाये हैं, सम्भवतः आपके लिए बहुत जरूरी थे लगाने, आपने वह लगाये; लेकिन बिना टैक्स लगाये भी दूसरे ऐसे जरिये हैं कि जिसे राज्य की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है लेकिन उन जरियों को अख्तियार नहीं किया जा रहा है और कभी कभी मुझे तो यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि वास्तव में इस राज्य की गिरती हुई आर्थिक स्थिति की तरफ जो चिन्ता हमारी होनी चाहिए वह है क्या ? और हम वास्तव में राज्य की आमदनी को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, क्या ? इस बात को भी मुझे सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि मैंने शायद बजट स्पीच के समय भी कहा था। मैं यह समझता हूं कि हर एक माननीय सदस्य को नोटिस में यह होगा कि राजस्थान में बहुत से ऐसे कस्बे और शहर हैं और उनके साथ जो लगी हुई जमीन है उन जमीनों के ऊपर बेतहाशा आज नाजायज कब्जे होते चले जा रहे हैं जिसको हमारी राज्य सरकार की मशीनरी नहीं रोक पा रही है। इसका परिणाम यह होता है कि जो कानून को मानने वाले नागरिक हैं, कानून को हाथ में ले नहीं सकते, जो ला अबाईडिंग नागरिक हैं वह तो जमीन के अभाव में बैठे रहते हैं और तकलीफ पाते हैं लेकिन आज कानून को हाथ में लेने वाले लोग जमीनों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और राज्य सरकार ने उनका हौंसला और बढ़ा दिया है कि कुछ वर्षों के बाद हम उनको नियमित करने का फैसला ले लेते हैं। यह क्यों होता है। "नेसेसिटी इज दी मदर आफ इन्वेन्शन" जन संख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं इसलिए आज इसकी आवश्यकता है कि हम प्लाट्स बना कर जो नगरपालिकायें हैं उनकी सीमा का विस्तार करें और विस्तार करने के बाद में जो नये क्षेत्र आये उनमें नये प्लाट्स बनाकर आक्शन करें, जमीन को बेचें तो करोड़ों रुपया राजस्थान में आ जाता लेकिन यह नहीं किया जा रहा है। उसके बजाय लोग मर्जी आती है जिस तरह से "ला आफ जंगल" प्रिवेल करता है नाजायज मोहल्ले और मार्केट बन जाते हैं और फिर हमारी स्थिति यह नहीं रहती कि हम सारे बाजार को और मोहल्ले को तुड़वायें। एक एग्जाम्पल क्रियेट करने के लिए एक बिल्डिंग को भी नहीं तुड़वा सकते और अंत में हमको रेगुलेराइज करना पड़ता है। This is nothing but rewarding the offences of rape and theft. क्योंकि कब्जा कर लिया, क्योंकि यहां आकर बैठ गया इसको हटा नहीं सकते इसलिए चलो कुछ पैसा लेकर इसको रेगुलेराइज कर दो। इसका नतीजा यह होता है कि लॉलेसनेस को प्रोत्साहन मिलता है। तो एक तरफ तो हम लॉलेसनेस को प्रोत्साहन देते हैं और दूसरी तरफ लॉ अबाइडिंग सिटिजन्स को घाटे में रखते हैं, राजकोष की हानि होती है करोड़ों रुपये की उसको बरदाश्त करते हैं और उसके बाद भी निर्णय लेते हैं कि हम नियमीकरण करेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या हमारी एग्जेक्ट रेट्स हों, किस रेट पर करेंगे इसका फैसला सालों तक नहीं हो पाता है। इसकी वजह से कलेक्टर और तहसीलदार जमीनों का नियमीकरण की कार्यवाही में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार के मामलों में शिथिलता राज्य की आमदनी के लिए बड़ी खतरनाक चीज

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

है । इसकी तरफ राज्य सरकार और खास तौर से वित्त मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए और मेरी समझ में नहीं आता कि अगर रेवेन्यू के कानून में ऐसी भूमि जो कि आराजो काश्त है जिसके ऊपर काश्त हो सकती है और दूसरी काम उस पर नहीं हो सकता राजस्थान रेवेन्यू लाज के मुताबिक बहुत से शहरों के पास उन्होंने सैकड़ों मकान और दुकानों के लिए बेच दी और कोई पाबन्दी नहीं कर सकी, मकान बन गए और पटवारियों ने शिकायत नहीं की । तो होना तो यह चाहिए था कि किसी एक केस में इन्क्वायरी करके तहसीलदार को पटवारी को डिसमिस किया जाता । किसी एक जगह स्टर्न एक्शन ले ले तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों में नाजायज कब्जा करना बन्द हो जाता । लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं । इसके पीछे फर्मनेस की आवश्यकता है, डिटरमिनेशन की आवश्यकता है । अनफार्चुनेटली इस मामले में हम बड़े बैंकिंग दिखाई दे रहे हैं और राज्य सरकार की आमदनी में कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है ।

इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सालों में हमारे यहां पथ परिवहन निगम ने काफी मुनाफा किया है । क्या वजह है कि जब राजस्थान पथ परिवहन निगम मुनाफा कर रही है तो राजस्थान के बहुत बड़े बड़े हिस्सों में बहुत सारे डिविजन खाली पड़े हैं कि जिनमें रूट्स का नेशनेलाइजेशन होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहे हैं । मिसाल के तौर पर उदयपुर डिवीजन में एक रूट भले ही हो बाकी के नहीं हैं । तो क्यों उसको छूट दी गयी है । जब सोशियेलिज्म और राष्ट्रीयकरण अच्छा है तो फिर सभी जगह के लिए अच्छा है । किसी एक डिवीजन के लिए इसको बुरा क्यों माना जा रहा है ?

इसके अलावा हमारे मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं । हम अपने आपको एक गलती से सबक सीखने के अयोग्य साबित करते चले जा रहे हैं । आज यह कहा जा रहा है कि हम असेट्स बिल्ट कर रहे हैं और यह हमें रिटर्न्स देंगे । सबसे बड़े असेट्स हो सकते हैं राजस्थान केनाल, चम्बल वगैरह । आज

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारी यह हालत है कि प्रोजेक्ट्स बना दिये गये करोड़ों रुपया खर्च करके लेकिन पानी लेने वाला नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तान या राजस्थान का किसान बहुत ही कन्जर्वेटिव टाइप का है और जो पच्चासों साल से बल्कि पीढ़ियों से जो सिंगल क्राप पैटर्न है उसी पर वह चला आ रहा है । अब उसको डबल क्राप पैटर्न पर लाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की आवश्यकता है । उसका समय पर प्रबन्ध नहीं किया जाता और वाटर रेट्स तय करने के लिए हर प्रोजेक्ट में पांच-सात साल जाया हो जाते हैं । प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद भी वाटर रेट्स का तय नहीं हो पाता है कि किस रेट से वसूल किया जायेगा । किसान क्योंकि राज्य को शोषण करने वाला समझता है इसलिए वह समझता है कि न मालुम क्या रेट कायम कर दे राज और यह तो हमारी कुड़की करके नीलाम करा लेंगे इसलिए वह कहता है कि पहले वाटर रेट्स तय हो जाने दो उसके बाद ही पानी लूंगा और पहले वह सोचता है कि उस रेट में पड़ता खाता होगा तो ले लूंगा । इसलिए वह अभी बिना रेट्स तये

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

हुए पानी नहीं लेना चाहता उसके बाद में क्या होता है कि रेट्स फिक्स का फैसला हो गया तो यह फैसला नहीं होता कि नहर से खेत तक ले जाने के लिए फील्ड चेनल कौन कन्सट्रक्ट करेगा। यह कन्ट्रोवर्सी चम्बल के एरिया में चलती रही और किसान कहता रहा कि हमारे खेत तक पानी आना चाहिये, हम तो गरीब आदमी हैं। कमिश्नर और दूसरी अथारिटीज ने कहा कि हम तो ज्यादा से ज्यादा सब-चेनल्स दे देंगे बाकी खेत में तो फील्ड चेनल्स आप ही बनायें। राज्य सरकार तक यह मामला आया और ढ़ाई साल के बाद फैसला हो पाया कि खेत में तो फील्ड चेनल किसान ही बनायेगा। अगर शुरू में ही यह फैसला ले लिया जाता तो वह अपना इन्तजाम करते।

इसके बाद क्या होता है कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं है पेपर प्लानिंग है। पानी आ गया और हजारों बीघा जमीन की सिंचाई का इन्तजाम हो गया और किसान को हमने राजी भी कर लिया कि तुम गन्ना बोओ, चावल बोओ, कपास बोओ। वह गन्ना तो बो लेगा लेकिन उसके लिए मार्केटिंग की सुविधा होनी चाहिए, वहां शुगर मिल लगनी चाहिये। आखिर एक एक गिलास गन्ने का शरबत पीने वाले कितने मिलेंगे? लाखों एकड़ में गन्ना पैदा होगा तो उसको लोगों ने लिया नहीं। चम्बल के एरिया में यह हुआ कि जिस साल जोरों का गन्ना हुआ वह गन्ना इतना सस्ता गया कि किसानों ने देखा कि उनके साथ धोखा हुआ, उनको रिटर्न नहीं मिला और दूसरे साल उन्होंने गन्ना बोना ही छोड़ दिया। इसके साथ साथ शुगर फैक्ट्री बनाने की बात चली तो केशोरायपाटन में कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लगाने की बात हुई। यह फाइल भी आठ दस साल तक चलती रही। मुझे भी यह फाइल देखने का मौका मिला था, तो इसमें पोलिसी डिसीजन लेने में ही आठ दस साल का समय लग गया। सारी फार्मेलिटीज को पूरा करने में इतना समय लग गया,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग में ही इतना समय लग गया कि किसानों को उससे कोई फायदा ही नहीं मिल सका। इसलिए जहां कपास की खेती को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ-साथ टेक्सटाईल मिल लगानी चाहिये, अगर गन्ने की खेती बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ शुगर मिल लगनी चाहिये और इसके साथ साथ मार्केटिंग फेसेलेटिज की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे किसानों को अपनी मेहनत का फल मिल सके। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि कोई ऐसे अधिकारी को, जो लोकप्रिय हो, पुराना रिटायर्ड हैंड हो जिसका इस बारे में अनुभव हो, उसको लाइजन आफिसर लगाया जाय जो बिटविन इर्रीगेशन अथारिटीज एण्ड दी टीनेंटी काम करे, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करे और इस बारे में स्टेप्स ले। तभी जाकर हम अपने प्रोजेक्ट्स से फायदा उठा सकेंगे। वरना आप देख रहे हैं कि हरएक इर्रीगेशन प्रोजेक्ट में, चाहे राजस्थान नहर हो चाहे भाखरा नहर हो, चाहे चम्बल नहर हो, चाहे जंवाई बांध हो, इनमें करोड़ों रुपयों की मशीनरी पड़ी रही, न उसको बेचा गया, न उसको डिस्पोज आफ किया गया न उसको दूसरे प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर किया गया और मशीनें वहीं की वहीं पड़ी रहीं और जाम हो गई। इसका असर यह हुआ कि पानी 5-5

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

साल तक फालतू पड़ा रहा, पानी भरा रहा लेकिन उसका उपयोग प्रोडक्शन में नहीं किया जा सका। इर्रीगेशन रेट्स फिक्स अप नहीं कर पाए और किसान बड़ी मुश्किल में फंस गया कि खेत तक चैनल लाइन कौन बनाए, मार्केटिंग की उसको कोई फेसेलिटि नहीं दे सके और इनसे जो रिटर्न स्टेट को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल सका तो फिर हम किस प्रकार लोन्स को वाईप ग्राफ कर पायेंगे। यह हमारी आशा दुराशा में साबित हो रही है कि हम इस प्रकार से असेट्स बिल्ड-अप करके अपने कर्जों को बेबाक कर देंगे। यह बिल्कुल दुराशा मात्र साबित हो रही है।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आज हमारे सामने पौने आठ करोड़ के कर्जे का सवाल है। आज हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है और यह हमारे सामने समस्या है कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाय। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रजातंत्र के युग में किसी भी जनतांत्रिक सरकार के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह जनता को विश्वास में ले, जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करके अपने कार्यक्रम को सफल बनावे। जनता का सहयोग लेकर कोई भी सरकार अपनी योजनाओं को कामयाब बना सकती है। उसके लिए यह भी जरूरी है कि जिस जनता से हम पैसे लेते हैं, जो जनता राज कोष के लिए, हमारी सारी योजनाओं के लिए धन जुटाती है उसको अपनी वाजिब मांगों को पूरा कराने का भी हक है। उसको हक है कि जो भी नागरिकता की एमेनिटिज है उनको प्राप्त करने का वह सरकार से एक्सपेक्ट कर सकती है और उसको एस्पेक्ट करने का अधिकार है। इसमें वह यह मांग भी कर सकती है कि उसको सस्ता न्याय मिलना चाहिए। उसकी यह मांग न्यायोचित मांग है और वाजिब मांग है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान राज्य सरकार के कोष में साढे चव्वालीस प्रतिशत रुपयों की आय का हिस्सा ईस्टर्न राजस्थान अदा करता है। और ईस्टर्न राजस्थान की बराबर सब ओर से यह मांग है कि राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जो कि इस राज्य के एक कोने में है, उसकी एक बैंच जयपुर में हो। आज जिस कोने में उच्च न्यायालय है वहां तक पहुंचने में भरतपुर के नागरिकों को, धौलपुर के नागरिकों को, अलवर के नागरिकों को, कोटा और गंगानगर के नागरिकों को और ईस्टर्न जोन के दूसरे हिस्सों के नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए साढे तीन सौ मील का फासला तय करना पड़ता है और बहुत ज्यादा खर्चीली न्याय व्यवस्था में फंसना पड़ता है और जो इतना खर्चा नहीं कर सके उसको न्याय प्राप्त करने से वंचित रखा जाता है। आज गरीब किसान की न्याय का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं होती। हम यह नहीं कहते कि हाई कोर्ट को वहां से हटाया जाय, हम तो सिर्फ यहां जयपुर में एक बैंच चाहते हैं। उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, एक और भी व्यवस्था की जा सकती है। अगर जोधपुर के लोगों को बहुत बड़ा मोह हो और ख्याल हो कि 7 या 9 जजों में से एक दो जजेज के चले जाने से और 10-15 क्लर्कों के चले जाने से जोधपुर को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, जोधपुर की अर्थ व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जोधपुर को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा तो मैं यह

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

कहूंगा कि चलिए एक भी जज, एक भी चपरासी, एक भी क्लर्क और एक स्टूल तक वहां से मत हटाइए। वे वहां पर जैसे आज हैं वैसे ही वहां पर रहे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आज राजस्थान हाई कोर्ट में 11 हजार से भी ज्यादा केसेज पेंडिंग हैं और उच्च न्यायालय में एरियर बढता चला जा रहा है और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड। इंसाफ मिला लेकिन देर से मिला तो गैर इंसाफ हो गया। इस बात को ध्यान में रख कर आगे या पीछे विवश होकर यह निर्णय लेना पड़ेगा। और जजों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि दो या तीन जजेज की संख्या बढ़ाई जाय और बजाय उसकी संख्या वहां बढ़ाने के लिए उनकी जयपुर में एक बैंच बना दी जाय और वहां के लिए एक डिप्टी रजिस्ट्रार या जोइन्ट रजिस्ट्रार अपोइन्ट कर दिया जाय, 10-15 क्लर्क्स को कायम कर दें। इससे जोधपुर के लोगों को भी साइकलोजिकल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जोधपुर से कोई जज नहीं गया, जोधपुर का कोई क्लर्क वहां से नहीं गया, एक स्टूल तक वहां से नहीं गया, वहां पर वैसे का वैसे ही रहा और जयपुर में एक नई बैंच बन गई। मैं समझता हूं कि इससे अगर राजस्थान सरकार नहीं करती है तो फिर जयपुर का जो टेक्स पेयर है, जो ईस्टर्न राजस्थान का टेक्स पेयर है जो राज्य के खजाने में 45 परसेंट कण्ट्रीब्यूट करता है उसको अधिकार है कि वह अपनी वाजिब मांग के लिए कार्य करे। यह उसका अधिकार है। इस मांग के लिए कहा जाता है कि यह तो वकीलों की मांग है। मैं कहना चाहूंगा कि यह वकीलों की मांग नहीं बल्कि जनता की मांग है, जनता की पुरजोर मांग है और राज्य सरकार को उसके औचित्य को स्वीकार करना चाहिए और जन कल्याण के लिए इसके औचित्य को स्वीकार करना चाहिए।

जहां तक इसके वर्क लोड का सवाल है, हाई कोर्ट में आज जितना वर्क लोड है उसमें ज्यादातर जयपुर और कोटा के एरिया का ज्यादा है और कोटा के लोगों की यह पुरजोर मांग है कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में बननी चाहिए क्योंकि वह उनके नजदीक पड़ता है, तो कोटा और जयपुर क्षेत्र को मिला कर जो वर्क लोड है उसको आप देखेंगे तो पता लगेगा कि ईस्टर्न राजस्थान का, कोटा को मिला कर वर्क लोड सबसे ज्यादा है और बाकी सारे राजस्थान का वर्क लोड आधे से भी कम होगा।

इसके अलावा एक सिद्धान्त यह रखा गया कि यूनिफाईड हाई कोर्ट होनी चाहिए जोधपुर में, लेकिन लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट को किसी और स्टेट ने नहीं माना है। आज केरल जैसा छोटा सा राज्य है उसमें भी बैंचेज हैं। एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम में बैंचेज हैं। मध्यप्रदेश में इन्दौर और ग्वालियर में अलग अलग बैंचेज हैं। उत्तरप्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद की बैंचेज तो हैं ही लेकिन मेरठ और आगरा में भी हाई कोर्ट की बैंच लगाने की पुरजोर मांग चल रही है। इसी प्रकार दूसरे राज्यों में भी है। तो फिर राजस्थान ने ही क्या गुनाह किया है कि यहां पर बैंच नहीं हो सकती। आज यहां के गरीब किसानों को न्याय पाने के लिए हैसियत से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, अपनी बीबी के जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं और न्याय प्राप्त करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करना

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

पड़ता है यह कहां तक उचित है। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि अगर हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, पीपल्स आर दी मास्टर्स मानते हैं, जनता को मालिक मानते हैं तो जनता के जो वाजिब सवाल हैं उनके प्रति ठीक एटीट्यूड लें। इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, न कोई हमारी खुद की प्रतिष्ठा का सवाल है, जनता जनार्दन का सवाल हैं, हम अपने को जनता का सेवक कहते हैं, जनता की सेवा करने का हम नारा देते हैं तो यह हमारा बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि जनता की जो वाजिब मांग है, जो जनमत है उसके आगे झुकें और उचित मांगों को स्वीकार करें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दो मिनिट में समाप्त करता हूं। इसी प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मेजर शेयर रीयल कन्ट्रीब्यूशन स्टेट की रेवेन्यू में ईस्टर्न राजस्थान का और 45 परसेंट तक वह कण्ट्रीब्यूट करता है। इसके बावजूद भी इस राजस्थान के निर्माण से आज तक एक भी मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट इस इलाके में नहीं बना। चाहे चम्बल प्रोजेक्ट को ले लें, चाहे भाखरा और राजस्थान नहर को ले लें, चाहे गंग केनाल और जंवाई को ले लें चाहे माही को ले लें, इन सारे प्रोजेक्ट्स में से किसी एक प्रोजेक्ट्स से भी एक बूंद पानी तक इस ईस्टर्न राजस्थान की जनता को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है कि यहां पर कोई बड़ी नदी नहीं है। जिधर नदियां हैं वहां प्रोजेक्ट बन गए। वे भी राजस्थान का हिस्सा हैं, कम से कम हमारा वह इलाका तो आबाद हुआ। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का यह इलाका बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है, यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सकता है और राज्य की रेवेन्यू बढ़ सकती है, लोगों की आर्थिक हालत सुधर सकती है। इसके लिए एक बनास की योजना बनाई गई है लेकिन अब उस योजना को त्यागा जा रहा है। उस योजना को भी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने उस दिन कहा कि जयपुर के लिए वे मानते हैं कि जयपुर को पानी मिलना चाहिए लेकिन यह बनास से ही मिले यह उनकी जिद् बताई। हम उनको पानी जरूर देंगे लेकिन कहां से देंगे। बनास योजना को आप लेना नहीं चाहते तो फिर आल्टरनेटिव सोर्स आफ सप्लाई कौनसी है जो आपने तय की है। आज तक आप यह तय नहीं कर पाए कि बनास का पानी नहीं लायेंगे तो फिर जयपुर को पानी कहां से देंगे। जब वित्त मंत्रीजी अपना जवाब देंगे तब उसमें बतायें कि किस जगह से आप यहां पानी देंगे। दूसरे इलाकों में, उपाध्यक्ष महोदय, जब जवाई प्रोजेक्ट बना तो भारत सरकार और योजना आयोग से तीन करोड़ से ज्यादा रकम दी गई प्योर्ली इर्रीगेशन प्रोजेक्ट के लिए। भारत सरकार और योजना आयोग की अनुमति से जिस इर्रीगेशन प्रोजेक्ट को हमने बनाया इर्रीगेशन के नाम के लिए उस को डाइवर्ट कर लिया जोधपुर शहर को पानी देने के लिए और हेमावास में जवाई के सारे पानी को, सारी केनाल को डाईवर्ट कर दिया और साढ़े तीन करोड़ बट्टे खाते कर दिए सिचाई के दृष्टिकोण से। मैं ही नहीं कहता इसे बल्कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सज्जनसिंहजी जो

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

जोधपुर के इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने भी इस पर आधे घण्टे तक रोष प्रकट किया इस सदन में और कहा कि इस इर्रीगेशन के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसको अन्यायपूर्ण कार्य बताया था और यह बताया था कि जोधपुर शहर को प्यास इतनी बढ़ गई कि वे हमारी सारी जवाई कैनाल को पी गये और हमारा इलाका सूखा रह गया। इस तरह से उन्होंने कर लिया और प्लानिंग कमीशन ने ऐतराज किया। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा। दूसरे क्षेत्रों का सवाल आया, सारे आठ जिलों में केवल एक योजना है और योजना भी आपने खटाई में डाल दी। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस योजना की पहले भी सर्वे की गई थी, वह किस आधार पर की गई थी। अब उसकी पोटेन्शियलिटी कैसे कम हो गई। क्या नई बात हो गई। क्या जो आपके इन्जीनियर थे वे गलत थे और अब जो सर्वे कराया गया है उसका क्या क्राइटेरिया ले लिया गया है। इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। यह कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कोई पेरीनियल सोर्स ऑफ इर्रीगेशन नहीं है, बारह मास बहने वाली कोई नदी नहीं है। यह सही है कि ऐसी नदी यहां पर नहीं है हालांकि दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी नदी नहीं है। कम से कम ऐसा कोई आल्टरनेटिव सोर्स आफ इर्रीगेशन वेस्टर्न राजस्थान के लिए आपको सोचना होगा, देखना होगा। यह हमेशा सम्भव है और वह है ट्यूब वेल्स से। इस क्षेत्र में पानी काफी ऊपर है और काफी तादाद में है। गवर्नमेंट को इस इलाके की पूर्ति करने के लिए वेस्टर्न राजस्थान में ट्यूब वेल्स खुदवाने चाहिए और हर पंचायत समिति के अन्दर दो सौ, तीन सौ ट्यूब वेल्स बनाये जाने चाहियें। उसका सारा खर्चा किसान देंगे, चार पांच किसान मिल कर वह खर्चा देंगे। यह तो कम से कम होना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन का डायरेक्टिव है कि किसी भी क्षेत्र में रीजनल इम्बेलेन्सेज नहीं होना चाहिए। कहीं यह पैदा हो गया तो सारी प्लानिंग ही खत्म कर देगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से क्षेत्रीय असन्तुलन है वह राज्य के अन्दर नहीं होना चाहिये। हमारी वर्तमान प्रणाली रीजनल इम्बेलेन्स को क्रियेट करने वाली है और उसको बढ़ाने वाली है और यही हमारी प्लानिंग को खतम करने वाली होगी। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यह सरकार का रवैया गलत रहा है। आशा है सरकार इसको सुधारने की कोशिश करेगी वेस्टर्न राजस्थान की जनता सारे राजस्थान की 2/5 भाग है। यहां की जनता के साथ अब न्याय करना आवश्यक है और इसके बारे में सरकार वाजिब तरीके से अपनी पोलिसीज को रि-एडजस्ट करे, यही मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द (अग्रवाल)

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति भाई गोकुल भाई भट्ट आज तीन दिन से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आमरण अनशन पर किशोर निवास में बैठे हैं। वे एक सैद्धांन्तिक आधार पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। यही व्यक्ति है, यदि वे उस वक्त सहयोग नहीं करते तो मैं समझता हूं कि आबू और सिरोही राजस्थान के आज भाग नहीं बनते और वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पद का लोभ छोड़ कर सामाजिक सेवा की है। यदि वे लोभ को रखते तो वे आज महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हो सकते थे। ऐसे व्यक्ति आज शराबबंदी की बात को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। राज्य सरकार ने एक अप्रेल 72 से राजस्थान में पूर्ण शराब बंदी की घोषणा की थी लेकिन आज उसी घिसीपिटी घोषणा को अर्थ का बहाना लेकर उससे आप हटना चाहते हैं। राज्य सरकार शराब बन्दी को लागू नहीं करना चाहती है और इस प्रकार वह अपने वायदों से मुकर रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति तो राजस्थान सरकार की दिनोदिन खराब ही होगी। यह आर्थिक स्थिति कोई अच्छी होने वाली नहीं है। इससे तो शराब बन्दी न आज होगी और न कभी बंद होगी। इसी प्रकार यह राज्य सरकार प्रचार करती है कि वह गरीबी को मिटायेगी, गरीबी हटाने का उसने नारा दिया है। आप शराब बंदी इसलिये नहीं करना चाहते है कि गरीब आदमी शराब पीकर यह भूल जाता है कि वह गरीब है और वास्तव में उसने शराब पीना छोड़ दिया तो सरकार का यह नारा असत्य हो जायेगा और वह भी सोचने लगेगा कि राज्य सरकार ने कोई घोषणा की थी कि वह गरीबी को मिटायेगा परन्तु यह गरीबी तो मिटी नहीं है। इस प्रकार आपका यह नारा उसके सामने नहीं चल सकेगा। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि यह सरकार जुआ खेलने वालों को भी बंद नहीं कर सकेगी, और न ही वैश्यावृत्ति को बन्द कर सकेगी। महात्मा गांधी का कथन है कि शराब की जो आय है वह एक प्रकार से वैश्या वृत्ति की आय के समान है। परन्तु आज तो शराब पीने वालों की, इस आजादी के बाद तो इज्जत अधिक बढ़ी है और शराब की इज्जत भी बढ़ी है। राजस्थान सरकार ने लाटरी सिस्टम लागू किया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह लाटरी सिस्टम की प्रेरणा देने वाले गोकुलभाई ही थे या कोई और थे? यह राजस्थान सरकार ने वायदा किया था कि इसको बंद कर देने पर हमारी आय का होगा? गोकुल भाई ने ही यह कहा था। आज इसी लाटरी के जरिये राजस्थान सरकार लाखों रुपये कमा रही है और इसके बावजूद भी आप शराब बंदी को लागू नहीं कर रहे है। आज मैं यहां पर वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थ की कमी का जो तर्क वे किया करते हैं वह तर्क उनका बेकार हो गया है। हमारे राष्ट्र नेता जवाहरलालजी नेहरू ने भी कहा था- नशा बन्दी के विरुद्ध आर्थिक कठिनाई की दलील निरी बकवास है। यह हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू का वाक्य था। हमारे यहां पर 1962 के पहले शराब की बोली लगती थी और उस समय काफी नाजायज शराब चली। इसके बाद 62 में गारंटी सिस्टम चला और ठेकेदारों ने इस गारन्टी सिस्टम के आधार पर लाखों कमाया और सरकार का लाखों रुपया उनमें बकाया रह गया। हाई कोर्ट के फैसले ठेकेदारों के पक्ष में गये और सरकार उनसे वह बकाया रकम वसूल नहीं कर सकी। वित्त मंत्री महोदय ने यहां पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बताया है कि यह करीब 1 करोड़ 50 लाख के करीब हैं। यह जो ठेकेदार में बकाया हैं उस बकाया की वसूली मथुरादास जी माथुर ने भी शुरू की थी। इसके बाद यहां पर दूसरा सिस्टम चला। पहले भोलाराम जी के वक्त में यह ओपन सिस्टम था, कौल के समय में गारन्टी सिस्टम चला, मथुरादासजी माथुर के टाइम में आफर सिस्टम चला और अब यहां पर बैदजी आ गये हैं और उन्होंने टेन्डर सिस्टम लागू कर दिया। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक हमारी सरकार की यह नीति स्पष्ट नहीं है कि वह शराब की बिक्री राज्य में किस ढंग से करना चाहती है। वह आज तक इस नीति को निश्चित नहीं कर कर सकी है। इस सरकार ने शराब की बिक्री निश्चित करने के लिये दुनिया भर के सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कर डाला है परन्तु फिर भी वह कोई एक ढंग निश्चित नहीं कर पायी है। श्री बैद एक कुशल व्यापारी हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप शराब के ठेके देते समय कम से कम इस बात की जांच कर लें कि ठेकेदार अनुभवी है या नहीं है। उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है और तीसरा यह है कि ठेकेदारी बेनामी तो नहीं है। प्रत्येक ठेके में फिर चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग का हो, चाहे कृषि विभाग का हो, चाहे वह सिंचाई विभाग का हो इस बात को अवश्य ही देखना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जांच तो होनी ही चाहिये। पार्टीज अपने टेन्डर विभिन्न नामों से सरकार को देती है। यह देखा जाना चाहिये कि ठेके के बीच में ऐसा तो कोई फंसा हुआ नहीं है। इस टेन्डर प्रणाली में एक ही ठेकेदार विभिन्न रेट्स विभिन्न नामों से दे देते हैं और इस प्रकार वे ठेका प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। सरकार जो चीज बनाती है तो इसके व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। आप किस आधार पर इसको नहीं करना चाहते हैं क्योंकि रोडवेज का आपने राष्ट्रीयकरण किया है, अनाज के व्यापार का आप राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर आप इस सदन में वोट ले लें तो वे ही व्यक्ति जो ठेकेदारों का पक्ष लेते हैं मैं समझता हूं इसके पक्ष में नहीं होगे बाकी सम्पूर्ण सदन इसके पक्ष में होगा, एक ही राय होगी। आपको राजस्थान में शराब का राष्ट्रीयकरण कर के अपनी दुकानें खोलनी चाहियें।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो बेरोजगारी मिटाने की बात कही है वह समस्या भी दूर हो जायगी। एक ठेके पर कम से कम 5 व्यक्ति आपके रखने पड़ेंगे और एक हजार ठेकों का आपने लिया है राजस्थान में तो 5 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल जायगा। उससे बेरोजगारी दूर हो जायगी। आज राजस्थान में····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप शराब का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा हूं। अगर उसको समाप्त करें आप तो बड़ी खुशी होगी, परन्तु आप नहीं करेंगे तो कम से कम राष्ट्रीयकरण करें। आप अपनी दुकानें खोलें और दुकानों पर लोगों को लगायें तो लोगों को काम मिलेगा और बेरोजगारी दूर हो जायगी। आपके यहां बेरोजगार डाक्टर्स घूम रहे हैं। 750 डाक्टर्स राजस्थान में बेरोजगार हैं और एक भी पुरुष डाक्टर को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

काम नहीं मिला है। बेरोजगार इन्जीनियर्स जो माननीय मुख्य मन्त्रीजी की कोठी पर और वहां पर लाठी खाई और यहां पर आये। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बेरोजगारों को नौकरी पर लगाने लगेंगे तो आपको अच्छे डाक्टर्स भी मिलेंगे और इन्जीनियर्स भी शराब बेचने के लिए आपको योग्य आदमी मिल जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य ने पूछ लिया है क्या उन बेरोजगारों से ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको उनको डाक्टर की नौकरी देना चाहिए। आपको बेरोजगार इन्जीनियर्स को काम देना चाहिए। यह सरकार बेरोजगार डाक्टर्स और बेरोजगार इन्जीनियर्स को काम नहीं दे सकी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उनको काम नहीं दे सकते तो डाक्टर्स को लगा दें, इन्जीनियर्स को लगा दें। उनको काम पर लगाना उनका कर्त्तव्य है। गांवों में डाक्टर्स को भेजें और जो बचें उनको इस प्रणाली के आधार पर काम दे सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में मोलासेज जिसको हम शीरा कहते हैं वह बनता था। इस प्रकार का एक कारखाना भोपालसागर, उदयपुर में है। गंगानगर शूगर मिल में जो कि सरकारी मिल है उसमें मोलासेज कम मिलता है और सरकार को वहां से मोलासेज कम मिलने के कारण सरकार को शराब बनाने के लिए गंगानगर मिल के लिए दूसरी जगहों से महंगे भाव पर मोलासेज खरीदना पड़ता है। भोपालसागर उदयपुर की जो फैक्ट्री है उस पर आपने कन्ट्रोल लगा रखा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में एक डिस्टिलरीज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कम्पनी है जो कि शराब की कम्पनी है उसके खोलने की क्या आवश्यकता आई है ? उस कम्पनी को भोपालसागर से मोलासेज प्राप्त होते हैं। वह आपको गंगानगर शूगर मिल को सप्लाई करना चाहिए। उसमें आप सप्लाई नहीं करते हैं लेकिन सारे मोलासेज वहां से उदयपुर की प्राइवेट कम्पनी को सप्लाई किया जाता है। आपके द्वारा संचालित गंगानगर शूगर मिल में मोलासेज नहीं मिलते हैं और उनको महंगे भाव से बाजार से खरीदने पड़ते हैं, और उदयपुर की प्राइवेट कम्पनी को शराब बनाने के लिए जो नहीं मिलने चाहिए पता नहीं किस प्रकार से मोलासेज भोपालसागर फैक्ट्री से उनको मिल जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में यह समाचार आया है कि शोभारामजी से कांग्रेस के लोगों ने जवाब तलब किया है कि उन्होंने जयकिशनजी को थानागाजी से हरवाया है और उन्हीं शोभारामजी ने शराब के ठेकेदारों से चन्दा इकट्ठा किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको इस सम्बन्ध में सारी जानकारी करना चाहिए।

अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने राष्ट्रीयकरण की बात कही और माननीय मन्त्रीजी ने कहा है कि हम 85 बसों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं इस जयपुर शहर के अन्दर और दो महीने में यहां पर रोडवेज की बसें चलने वाली हैं। आपने कहा कि 65 मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने बजट को देखा है। मैंने अपने बजट को

Page No 101

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

देखा है। मैं वित्तमन्त्री तो हूं नहीं और न मुझे बजट का इतना ज्ञान है। यदि आप रोड़वेज का राष्ट्रीयकरण करना चाहते तो इसमें सवा करोड़ रुपये चाहिए जो कि न तो ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन दे सकता है और न ट्रान्सपोर्ट के बजट में इस प्रकार का प्रावधान है। आप उत्तर देंगे कि मेरे पास 150 गाड़ियां पड़ी हुई हैं उन्हें चला दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि क्या इन रूट्स के लिए 150 गाड़ियां पर्याप्त हैं। आपको केपिटल एक्सपेन्डीचर करना पड़ेगा, लेकिन आपने घोषणा करदी और घोषणा इसलिए कर दी कि जिन रूट्स पर प्राइवेट बसेज चल रही हैं तो वे लोग घबड़ा जायेंगे और बातचीत प्रारम्भ हो जायगी फिर किसका राष्ट्रीयकरण करना है और किसका राष्ट्रीयकरण नहीं करना है यह आपकी मरजी पर होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झूठी घोषणाएं कर देने से और दुनियां को डरा देने से काम किसी प्रकार से चलने वाला नहीं है।

जयपुर शहर के लिए भी जो इस प्रकार का विचार कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई एक दूसरी धारणा है। आज कमल एण्ड कम्पनी घाटे में चल रही है और कमल एण्ड कम्पनी के पास बसें अच्छे प्रकार की हैं नहीं। वह जयपुर शहर की जनता की सेवा नहीं कर सकती। वह खटारा बसें हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जयपुर शहर की बसों का जो आप राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं उसके पीछे आपका इन्टेन्शन दूसरा है। आप कमल एण्ड कम्पनी की जो बसें हैं, जो खटारा बसें हैं उनकी खरीद करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहूंगा कि यदि आपने कमल एण्ड कम्पनी की खटारा बसों को खरीदने की चेष्टा की तो वह ठीक नहीं होगा राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जो उसमें पार्टनर हैं उनके हित को ध्यान में रखकर आप नई गाड़ियां खरीदें। आप नई गाड़ियां खरीद कर जयपुर शहर में बसें चलायें। कमल एण्ड कम्पनी स्वयं अपनी बला टालना चाहती है। वह घाटे में चल रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जो पूंजीपतियों का पोषण करना चाहती है तो वह पोषण नहीं करे। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि उत्तरप्रदेश के जो चीनी मिलों के मालिक हैं उन्होंने कहा कि चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और यदि राष्ट्रीयकरण हो जाय तो वे सरकार को उनकी जो खटारा मिलें हैं उन खटारा मिलों को खरीदवाना चाहते हैं। उसके पीछे उनका यही उद्देश्य है। इसके पीछे भी यही है कि सनसनी फैल जायगी और सौदेबाजी होने लगेगी। आप गजट में छापा करेंगे कि हम इन 25 मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, और आप तो भली प्रकार जानते हैं कि ऑब्जेक्शन्स आने लगेंगे, ज्वाइन्ट लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के पास एप्लीकेशन आने लगेगी और आर. टी. ए. के पास कोई भी नहीं भेजी जायगी, और उसका परिणाम यह होगा कि नये परमिट जारी नहीं होंगे। गजट में प्रकाशित होने के बाद जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं उन पर नई बसें नहीं चलेगी नियमावली के आधार पर नहीं चलेगी तो जो गाड़ियां चल रही हैं उनको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा कि जो गाड़ियां परमिट से रूट पर चल रही हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उनकी मोनोपोली हो जायगी। आपने गजट से शाया कर रखा है तो दूसरे आदमी को परमिट नहीं देंगे और उनकी गाड़ियों को रिन्यूअल परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। दो-दो, तीन-तीन साल तक आपका यह झगड़ा चलेगा और फिर आप कहेंगे कि नोटिफिकेशन में गलती हो गई दूसरा और होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो तरीका बना रखा है उसके हिसाब से बगैर रिन्युअल के जो पहले से गाड़ियां चल रही हैं उन लोगों की मोनोपोली हो जायगी।

अब आपने एक और काम किया। मैं ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन का वकील नहीं हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन को भंग करने का नोटिस दे दिया, और ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन ने आपको लम्बा चौड़ा जवाब दे दिया। अब गलती किसकी है। मैं तो गलती सरकार की मानता हूं। तो नोटिस देने वाली भी सरकार और नोटिस का उत्तर देने वाली भी सरकार। निवेदन मैं इसलिए करना चाहता हूं कि कार्पोरेशन के सदस्य कौन हैं, होम कमिश्नर फाइनेन्स कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी होम, दो रेलवे के ऑफिसर, चैयरमैन ज्वाला प्रसादजी, हेमेन्द्रसिंहजी एम० पी०, हजारी-लालजी शर्मा इन्टक वाले और सेठ दुर्लभजी ये हैं। नोटिस देने वाला कौन है? होम कमिश्नर। उत्तर देने वाला कौन है? होम कमिश्नर। होम कमिश्नर यहां सेक्रेटेरियेट में बैठकर कहता है कि आपका ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन बेईमान है और उधर ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर आफिस में बैठकर वह कहता है कि नहीं सरकार बेईमान है। एक ही व्यक्ति नोटिस देने वाला और एक ही व्यक्ति उत्तर देने वाला।

उपाध्यक्ष महोदय की घंटी बज जायगी वर्ना मैं बताता कि यह सरकार क्या है किस तरह की है। मैं आपके सामने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता कि राजस्थान सरकार यह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह थोथी घोषणा करने से क्या लाभ। आपस में नोटिस दिये जा रहे हैं। यह एक प्रकार की थोथी घोषणा है।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स का बस वालों पर लाखों रुपया बकाया है। आपने घोषणा की कि आप कोई भी रकम नहीं छोड़ेंगे और सब वसूल करेंगे तो मैं आपकी घोषणा का स्वागत करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बस वाले लोगों से तो पैसा वसूल कर लेते हैं और सरकारी खजाने में जमा नहीं कराते हैं और बीच में ही खा जाते हैं। जिन लोगों ने पैसा वसूल कर लिया और पैसा वसूल करने वालों से आप वसूल नहीं करते हैं। उदयपुर में बसों का राष्ट्रीयकरण किया नहीं। मेरे पास एक चिट्ठी है उस पर टिकिट लगा हुआ है। उदयपुर में राष्ट्रीयकरण नहीं करने के कारण नकली बसें चल रही हैं जिनको परमिट दिये हुए हैं वे बसें उदयपुर में नहीं चल रही है। वे बसें हरिद्वार की यात्रा कर रही हैं। वे बसें द्वारिका को जा रही हैं। वे लोग इधर उधर यात्रा कर लेते हैं। असली बसें बाहर और नकली बसें उदयपुर में चलेंगी। नकली टिकट यह मेरे पास मौजूद हैं। गाड़ी नम्बर भी बता सकता हूं। यह 2416, 2605, 3955, 6511, 6761, 9075, 1752, 1905, 1396, 1397,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ऐसी बड़ी लम्बी सूची है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टिकट भी नकली। आपके • विभाग का आदमी जाता है कि लाम्रो पैसेन्जर टेक्स इस तारीख को गाड़ी चल रही थी तो मालिक कह देते हैं कि श्रीमान वह गाड़ी तो यहां पर थी ही नहीं। गाड़ी तो हरिद्वार गई थी। नकली गाड़ी जरूर चल रही थी वह टिकिट से अपनी आय जरूर करता है और वह सारी गाड़ी की कमाई खा जाता है।

असली गाड़ी यात्रा करती रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप यह प्वाइण्ट लायें। ये जो ट्रांसफर दिखाये गये हैं, यह उन्होंने ही किये हैं। मैंने टाइप नहीं कराये हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में घोषणा की गई थी कि हम मनोरंजन कर माफ नहीं करेंगे। आज के मुख्यमन्त्री महोदय, उस समय मथुरादास माथुर ने यह घोषणा की थी जब कि वह वित्तमंत्री थे। उस समय के लॉ मिनिस्टर आज के मुख्य मन्त्री जी थे। उनके समय में एक पिक्चर यहां आयी थी। जिसका नाम था 'शेरा और रेशमा'। जब शोभाराम जी वित्त मन्त्री थे तो मुख्यमन्त्री जी ने उनसे पूछा भी नहीं, मुख्यमन्त्री जी के पास उस पिक्चर की मालिक नरगिस गई तो आप जानते ही होंगे एक मिनट में पिक्चर को कर मुक्त कर दिया। नरगिस को देखते ही पिक्चर को कर मुक्त कर दिया। तीन घण्टे तक उनके बंगले पर····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:—आप को दर्शन हो जाते तो आप क्या करते ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव:—आप तो जब 5 बजे भाषण देंगे तब ताली बजाना। आप तो ताली बजाने वाले हैं। ताली बजाकर हमारी बात में आस्था प्रकट कर देंगे।

तो वहां मुख्यमन्त्री जी से मिलने के लिए अकाल के नाम पर गये। वह 3 घण्टे तक वहां पर बैठे रहे। मुख्यमन्त्री नहीं मिले क्योंकि नरगिस से मुलाकात हो रही थी। यह मैं टैक्सेज की बात कहता हूं। 37 लाख 64 हजार रुपया जयपुर से टैक्स लेते हैं। 10 रुपया पर शो अलग से लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जयपुर शहर से आप लेते हैं और जयपुर शहर को मिलता कुछ भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य:—खाली जयपुर शहर वाले ही सिनेमा नहीं देखते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जयपुर में सन् 56 तक 3 सिनेमा थे। 5 रु. मनोरंजन कर होता था। आज 7 सिनेमा घर हैं सिनेमा भी बढ़े हैं और सिनेमा देखने वाले भी बढ़े हैं। 1 रु० में 65 पैसे आप एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लेते हैं। 10 रु. अलग से पर शो लेते हैं। जयपुर नगर परिषद को डेढ़ लाख रुपया देते हैं उसमें भी पानी और बिजली के नाम पर काट लेते हैं। 37 लाख 64 हजार आप लेते हैं आप 4% अपने इन्सपेक्टर्स का काट लें। तो हमारी मान्यता है कि आप एक एक खन सिनेमा के ऊपर और बनालें तो भी 33 लाख 64 हजार और 10 रु० अलग से मिलेगा। सन् 1957 से जयपुर शहर में जैमिनी सर्कस आता था उसमें 2,250 रु० प्रतिदिन आपने कमाया है। लाखों रुपयों की आय है। इसको जयपुर नगर परिषद को दे दें। तो वित्तमन्त्री जी आप की मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है। जयपुर नगर परिषद स्वयं ही अपना विकास कर लेगी। मुख्य मंत्री जी ने तो यह घोषणा की है कि वह एक वर्ष में जयपुर शहर का विकास कर देंगे। मैं

Page No 104

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

निवेदन करूं कि मुख्यमन्त्री जी को छोड़िये जयपुर का हम स्वयं ही विकास करके दिखा देंगे। वहां आप का स्वागत भी होगा। यह हवा महल, यह विधान सभा हमारी हवामहल कान्स्टीट्यूएंसी में है आप से यह सारा पैसा लेकर विकास किया जा सकता है। इसके अलावा मै आपको कहना चाहूंगा कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को दी गई है। आज भी उसके कारण लोगों को परेशान किया जाता है। आई० पी० सी० की धारा 307, 302 आज भी लोगों पर लगी हुई हैं। लोग परेशान होते हैं। 900 पृष्ठ की उनकी रिपोर्ट है। आज भी लोगों के ऊपर वारण्ट हैं मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर का विकास आपके बजट में नहीं झलकता है। नगर परिषद और नगर न्यास बने हैं। दुहरा व्यय हैं वह कहते है कि हम को आय का पैसा मिलना चाहिए। मैं उस आधार पर मांग करूंगा। विजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हरिजनों को प्लाट किस आधार पर देखें। अनुसूचित जाति और जनजाति को किस प्रकार से देंगे। यह नियम आज भी नहीं बने हुये हैं। 15 साल से 19570 लोगों की एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। आपने इसके लिए लाटरी सिस्टम भी चालू कर रखा है। यह अन्य लोगों के प्रति न्याय नहीं होगा। भूमि के अभाव में जो मकान कृषि भूमि में अव्यवस्थितरूप से बन रहे हैं, उनको फिर रूड़वाना ठीक नहीं है आप ने कन्वर्सन रेट्स बहुत रखी है। यह तो वह मकानों को बेचकर भी नहीं दे सकते हैं। वह नक्शे पास करवाने के लिए कहां जायें। आपको नक्शे भी पास करने पड़ेंगे। मेरा निवेदन है कि आप पांच रुपये गज के हिसाब से वसूल कर लें तो जयपुर में इतनी कोपरेटिव सोसाइटी हैं, जयपुर शहर में लोग मकान के लिए इतने दुःखी हैं कि इससे सरकार को छः करोड़ की आमदनी हो जायेगी और फिर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पैसे से आप जयपुर शहर की ड्रेनेज की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार आपको टैक्सेज की आमदनी में से कुछ राशि देती है, उसी प्रकार आप इस पैसे में से स्वायत्त शासन की संस्थाओं को दें। यह छः करोड़ अगर आप नगरपालिका को दें तो जो भी समस्या हैं, ड्रेनेज की, पानी की, बिजली की उनको नगरपालिका इस पैसे से हल कर सकती है। इसी प्रकार से जो फ्लड की समस्या है, जिससे बरसात के दिनों में चौड़े रास्ते में पानी आ जाता है, जौहरी बाजार में पानी आ जाता है, पुरानी बस्ती में पानी आ जाता है, रामगंज में पानी आता हैं और वह पानी जल महल को जाता है, इस विधान सभा के बाहर मे होकर पानी जाता है, इसके लिए जो फ्लड स्कीम है उसको आप पूरा करा सकते हैं।

इसी तरह से सरकार ने जो सैनिकों के नाम से प्लाट दिये, उनमें कई के नाम फर्जी हैं। जिस सैनिक के महावीर चक्र प्राप्त करने की बात कही गई, उसकी जगह दूसरे व्यक्ति ने ले लिया और सत्रह हजार में वह प्लाट बेच दिया। उसको कलेक्टर ने जांच की है और यह आरोप सही पाया गया है, 26-4-72 को असली भूखण्ड दिया गया, नकली नाम के व्यक्ति को। इसी तरह से मानसिंह राजस्थान बुनकर संघ में काम करने वाला है वह 31635 नम्बर से मद्रास

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रेजीमेंट में भारतीय सेना में गया। 15-2-71 से 12-4-72 तक वह सेना में रहा। वह वापिस आ गया, सेना से रिटायर हो गया तो बुनकर संघ में गया और उसको नौकरी पर जो लेना चाहिए था वह नहीं लिया। वह मेरे घर पर चक्कर लगा रहा है, आप उसको नौकरी नहीं दे सकते हैं। वह मान-सिंह परेशान है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बनास योजना को क्यों छोड़ा ? इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने उसके बारे में कहा। अगर ऐसा है तो मैं कहना छोड़ दूं। मेरा निवेदन है कि बनास योजना को, मैं कहता हूं, इसलिए नहीं छोड़ें। जयपुर नगर की पानी की समस्या का समाधान करना है तो उसका साधन एकमेव यह बनास योजना है। आप मानें या न मानें, जयपुर शहर को इस योजना से वंचित इसलिए नहीं करें कि मुझे गरीब को चुना है। तीन कांग्रेस और कम्युनिस्ट विधायकों के साथ मुझे चुना है, तो मैंने क्या पाप किया है, क्या यह पाप किया है कि मैं जनसंघ से जीता..........

श्री चन्दनमल वैद : इससे बढ़ कर पाप नहीं हो सकता कि जनसंघ से जीत कर आये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम विरोधी दल से हट कर सत्तारूढ़ दल में आ सकते हैं और आप विरोधी दल में आ सकते हैं, यह तो चन्दनमल जी हवा है, आपको जनता ने झोली भर कर वोट दिए हैं। आप चिन्ता न करें, आप मन्त्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आपको सबके साथ में एक सा व्यवहार करना चाहिए। गांवों में जो आज पानी की समस्या है, नगरों में आज पानी की समस्या है, आप यह जानते हैं, कई सालों से जनता चिल्ला रही है, पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही है। आप सोचते हैं कि दो सौ नलकूप खोद कर आप उनको पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। इससे यह समस्या हल नहीं हो सकती है। यह पैसे का दुरुपयोग है। आप ट्यूब वैल खोदेंगे तो किसान रोयेंगे, उनके कुओं का पानी सूख जायगा। इससे आप बेरोजगारी को नहीं मिटा सकेंगे बल्कि उसको बढ़ायेंगे। मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग की जो योजना है उसको बलाये ताक रखिये और राजनैतिक आधार पर उस योजना को लागू मत करिये। उस योजना को आप इसलिए लागू करना चाहते हैं ताकि चित्तौड़ की सीमेन्ट फैक्ट्री को पानी दिया जा सके। इसकी क्या आवश्यकता है ? जयपुर की जनता को तो पानी मिलेगा नहीं और चित्तौड़ के सीमेन्ट के कारखाने को पानी मिलेगा-इसलिए वहां बांध आप बना रहे हैं। आपने सदन में यह माना था, नलकूप योजना है, यह बेकार योजना है, इसलिए इस बनास योजना को हाथ में लिया जायेगा। आपने 44,434.54 सर्वे के अन्दर खर्च कर दिये। उसके बाद उसको बन्द करके आप दो सौ नलकूप खोद कर पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं। आपने जो पहले नलकूप तैयार करायें, अमानी शाह के नाले में, वहां देख लीजिए, उनके कारण से आसपास के कुओं का पानी नीचे जा रहा है, उसकी सतह नीची हो रही है। इससे किसान रोयेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर की पानी की समस्या का समाधान करना है तो इस बनास योजना को क्रियान्वित कीजिए, इससे जयपुर के लोगों को नहर के दर्शन भी हो जायेंगे। आप, वित्त मन्त्री महोदय, जयपुर के लोगों को नहर के दर्शन करायेंगे तो आप लोगों के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लिए भागीरथ हो जायेंगे और लोग आपको याद करेंगे। आप जयपुर, टोंक और अजमेर में नहर ले आए तो चन्दनमल जी, आपको लोग याद करेंगे कि चन्दनमल बैद का जमाना था जिसमें जयपुर के लोगों को नहर के दर्शन हुए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की बैंच का प्रश्न है। यह बड़ा जटिल प्रश्न है, इसे जटिल लोगों ने बना दिया है, चाहे जोधपुर के लोगों ने बनाया हो, चाहे और लोगों ने बनाया हो। आपको सस्ता न्याय जनता को देना है, निश्चितरूप से, क्योंकि आपने वायदा किया था। आपने स्वर्गीय मानसिंह जी से जमीन ली थी 17 बीघा 5 बिस्वा, नई हाई कोर्ट बिल्डिंग के नाम से रिक्शे वाले, तांगे वाले जानते हैं और उसी नाम से पुकारते हैं। उसके पीछे ही विधानसभा के लिए जमीन है। राजस्थान सरकार और स्वर्गीय महाराजा के बीच में पत्र-व्यवहार हुआ था और केन्द्रीय सरकार के साथ में जो राज्य सरकार का पत्र-व्यवहार हुआ उसके आधार पर इसका नक्शा बनाया गया उसमें दस लाख रुपये खर्च कर दिये। लेकिन अब कौनसी प्रतिष्ठा की बात आ गई जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच नहीं लाना चाहते हैं। आप इस प्रश्न पर इस सदन में वोटिंग करवा लें, अगर वोटिंग के आधार पर इस प्रश्न को तय करना चाहते हैं, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी का भी हाथ हमारे साथ उठेगा, वह भी आपका साथ नहीं देंगे, और अगर वह आपका साथ देंगे तो मैं तिजारा जाऊंगा, आपने रोडवेज का पास दे रखा है, उससे मैं तिजारा जाकर लोगों से कहूंगा, दोस्तों, बैंच के प्रश्न पर मुख्य मंत्री ने आपके हित में हाथ नहीं उठाया। तो दुबारा जनता द्वारा ही इसका फैसला हो जायगा। मेरा निवेदन है कि सत्तारूढ़ दल को इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बैंच लानी चाहिए और लोगों को सस्ता न्याय देना चाहिए। यहां से लोग आखिर जोधपुर जाते हैं तो उनका अनाप शनाप खर्च होता है आपके कई केसेज में अधिकारी भी जाते हैं, उस पर राज्य सरकार का खर्च होता है। आज कितने ही गवर्नमेंट के केस पेंडिंग पड़े हैं। इस लिए मेहरबानी करके आप उदार हृदय रखिये। हाई कोर्ट की बैंच के प्रश्न को लेकर जो आन्दोलन हुआ था वकीलों का उसको दबाने के लिए, मन्त्री महोदय, कितनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय, आप जनता की मांग को स्वीकार कर लें।

जयपुर में बिजली की व्यवस्था आपने देखी है, हम विधान सभा में भी देखते हैं कि दिन में पांच बार बिजली गुल होती है। यह हालत है, चौकड़ी के लोग परेशान हैं, आप कभी बाजार में पधारते हैं, आप त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार में पधारें, आप ठोकरें न खा जायं तो कहिये। यह हालत है, बाजार में जानवर बैठे रहते हैं सड़क पर खड़े हो गये हैं, आने जाने वाले जानवरों से टकरा जाते हैं। एक स्कूटर पर मियां बीबी जा रहे थे, उनका स्कूटर उलटा हो गया। वाटर वर्क्स की करामात यह है कि वह सड़क खोद देते हैं, बीच में जानवर बैठे रहते हैं। आप सड़क की हालत देखिये, इसके अलावा उस बाजार में ट्यूब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लाइट्स तक नहीं हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड म्युनीसिपेलिटी से पांच लाख रुपये मांगता है कि ट्यूब लाइट्स डालें। मेरा निवेदन है कि पांच लाख रुपये जब प्रति वर्ष बिजली विभाग को बिजली के खर्च का देते हैं तो कन्ज्यूमर को बिजली का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की होनी चाहिए। आज इस तरह की व्यवस्था चलती हैं कि बिजली का वोल्टेज पूरा नहीं मिलता है। इस व्यवस्था की ओर आप को देखना चाहिए।

जेल रिफार्म कमीशन ने 1964-65 में सुझाव दिये उन सुझावों के अनुसार आपने कौन कौन से काम किये हैं। सम्पूर्णानन्द जी के बड़े भाई परिपूर्णानन्द जी उस कमीशन के अध्यक्ष थे। सम्पूर्णानन्द जी चले गये और परिपूर्णानन्दजी का काम पूरा हो गया वह चले गए तो उसका काम भी पूरा हो गया। आज एल. डी. सी. तनख्वाह वहां बैठा पा रहा है। पारिश्रमिक की योजना है उसको आप जेल में लागू करें तो जो भी कैदी छूट कर घर जाय तो वह कुछ रुपया लेकर जायेगा और अपने बीबी बच्चों को कह सकता है कि कमा कर लाया हूं इसलिए यह जो पारिश्रमिक योजना है इसे आपको लागू करनी चाहिए।

इसके अलावा जो पी.टी. करते हैं उनकी ओर ध्यान दे। विधान सभा में जो सिपाही खड़े हैं उनकी ओर भी ध्यान दें। जयपुर शहर में सफाई की व्यवस्था करें। आप रेजगी की हालत देखें।

गत विधान सभा के वक्त, माननीय मंत्री जी को ध्यान होगा कि रिक्शा वालों ने आन्दोलन किया था। उनके लिए एक्ट भी पास कर दिया गया था। भारत सरकार की उस पर स्वीकृति भी आ गई है। उसको छः महीने हो गये हैं, लेकिन अभी भी उसके रूल्स बने नहीं है और रिक्शे वाले रो रहे हैं। उनको रिक्शा मालिक परेशान कर रहे हैं। रिक्शा चलायें, उसका यह नियम पास कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि आपको नियम बनाने चाहिए। नियम बनाकर म्युनिसिपेलिटी को भेज दें तो रिक्शा चालक रिक्शे के मालिक हो जायं।

एस. एम. एस. अस्पताल की दशा है, वह आपको मालूम है। वहां पर पानी का अभाव है। पानी पीने को मिलता नहीं है। कूलर बन्द पड़े हुए हैं। मैं पन्द्रह दिन पहले देख कर आया था, कूलर बन्द है। आप सम्पूर्ण हास्पीटल में घूम जायं, आपको पानी नहीं मिलेगा, दवा की बात तो आप छोड़दें। गरीब मरीजों को दवा मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन दवा तो क्या पानी भी नहीं मिलता है, मुफ्त में। ए. पी. सी. की गोली नहीं मिलती है, मीठा सोडा नहीं मिलता है, पट्टी तक नहीं मिलती है। पट्टी के लिए लोग धोती फाड़ फाड़ कर लाते हैं। यह हालत है जयपुर के एस.एम.एस हास्पीटल में यह हालत है और डिस्पेंसरी में भी यही हालत है। मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर का जो कुटीर उद्योग है, हस्तकला है, चूड़ियां बनाने का उद्योग, मूर्तिकला उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धन्धे, इन कुटीर उद्योगों को आप प्रोत्साहित करें, बैंकों से ऋण दिलायें और नला बाजार बनायें। आपको आश्चर्य होगा आतिश और घुड़शाला के लिए सोडाला में पैक्ट हुआ था, सवाई मानसिंह से आपका पैक्ट हुआ था कि घुड़शाला दे देंगे और आतिश ले लेंगे। आतिश में कुटीर उद्योग धंधों के लिए मार्केट बनाइए।

खजानों वाले रास्ते में तो ऐसा ऊबड़ खाबड़ है कि गर्भवती स्त्री वहां से गुजरे तो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उसका गर्भ ही गिर जाए। जयपुर की सड़कों की हालत को देखिए, उनको ठीक करायें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और बहुत सी लंबी जन्मपत्री है यू. आइ. टी. वगैरह की। लेकिन समय कम है। हलवाइयों, सोने चांदी के व्यापारियों को सेल्स टैक्स माफ करें और राज्यों में सेल्स टैक्स कम है, अनाज पर से, ट्रैक्टरों से सेल्स टैक्स हटायें। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपका कहना मानते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर, एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए मैं खासतौर से राज्य सरकार पर जो डेट बर्डिन है, देनदारियां हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। मैंने वित्तमंत्री के भाषण को भी देखा है। उसमें लिखा है कि क्यों बढ़ा है मगर उसके कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं सिवाय यह कहने के कि अकाल की वजह से हमारी देनदारी बढ़ी है:

"There have been various reasons for the mounting debt burden, which I do not think it possible to explain in detail now. The successive famines and the huge expenditure we had to incur on providing relief to the affected population have also sapped the finances of the State. In the last resort it is by productive investments and revitalising of the economy that resources can be generated and financial stability ensured but, in this respect, backward States like Rajasthan seem to be caught in a vicious circle-because of poor economic progress, there are no resources and because there are no resources to invest, there is poor economic progress."

श्री चन्दन मल बैद: मैंने जब जनरल डिस्कशन का जवाब दिया था तो विस्तार से बताया था।

श्री पी० के० चौधरी: डेट बर्डिन का नहीं बताया। खैर, आपने डिटेल्स नहीं दिए कि किस किस वजह से डेट बढ़ा है। मैंने उसको ऐनेलाइज करने की कोशिश की है। यह जो 600 करोड़ का कर्जा है और 91 करोड़ का ओवरड्राफ्ट है, आपने बताया कि इस साल डेट सर्विस चार्जेज 96 करोड़ थे जिसमें से 41.95 करोड़ इन्टरेस्ट चार्जेज आते हैं। इस प्रकार जो हमारे इन्टरेस्ट चार्जेज आते हैं वह करीब करीब एक एन्युअल प्लान के बराबर आते हैं। इस साल एन्युअल प्लान में 63 करोड़ का था लेकिन आपके इन्टरेस्ट चार्जेज 41-42 करोड़ हैं। जैसे जैसे कर्जा बढ़ता जाएगा तो सिर्फ इन्टरेस्ट चार्जेज हमारे एन्युअल प्लान के बराबर होते जायेंगे और जो प्रिन्सीपल डेट है इस साल वह 45 करोड़ तो काफी डेट बर्डिन होता है। हम बजट को देखते हैं कि आया, जैसे मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, सरकार खर्चे की बात करती है, सरकार कहती है कि हम एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, इससे कर्जा मिट जाएगा। लेकिन जो कर्जा हुआ है

(श्री पी. के. चौधरी)

एसेट्स क्रिएट करने में लगा है या दूसरे कामों में, उनका एनेलिसिस होना चाहिए। 1972- 73 तक हमने जो योजनाओं पर व्यय किया है, उसके आंकड़े इस तरह हैं:

पहली योजना 1951-56	64:00	करोड़
दूसरी योजना 1956-61	103:00	,,
तीसरी योजना 1961-66	212:00	,,

उसके बाद एन्युअल प्लान्स चल रही है:

1966-67	48:96	करोड़
1967-68	39:87	,,
1968-69	47:97	,,
1969-70	53:56	,,
1970-71	69:00	,,
1971-72	65.90	,,

कुल मिलाकर आज तक योजनाओं पर इतना व्यय हुआ है कि शुरू से आखिर तक 694:26 करोड़। अब सवाल आता है हमारा जो कर्जा है वह 643 करोड़ हो सकता है। इन्हीं योजनाओं पर लेकिन ऐसा नहीं है। उसके आंकड़े मैंने जो बजट में जानकारी थी उससे लेकर इकट्ठे करने की कोशिश की है।

डेवलपमेंट लोन्स और जो दूसरे कर्जे सरकार ने लिए हैं : भाखरा नांगल के लिए 46:00 करोड़, उसमें से आज 22:62 करोड़ बाकी हैं चंबल के लिए 53:13 करोड़ लिए थे उसमें से 52:10 करोड़ बाकी हैं। गांधी सागर डेम के लिए 2:33 करोड़ लिए थे, उतना ही बाकी है, व्यास प्रोजेक्ट के लिए 66:82 करोड़ लिए थे उसमें से 65:66 करोड़ बाकी हैं, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए 60:36 करोड़ लिए थे, उसमें से 58:22 करोड़ बाकी है, परमेनेन्ट इम्प्रूवमेंट इन स्केयरसिटी एरियाज 2:75 करोड़ लिए थे, उसमें से 1:96 करोड़ बाकी हैं, जवाई प्रोजेक्ट में 1:22 करोड़ लिए थे, उतना ही बाकी है, फ्लड कन्ट्रोल के लिए 6:42 करोड़ लिए थे, 6:30 करोड़ बाकी हैं। एक्सपेन्शन आफ पावर 1:18 लिए थे, 0:54 करोड़ बाकी हैं, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन 9:78 करोड़ लिए थे, उसमें से 9:70 करोड़ बाकी हैं, अर्बन वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन 8:09 करोड़, जिसमें से 6:99 करोड़ बाकी, कम्युनिटी डेवलपमेंट 10:29 करोड़, बाकी 4:26 करोड़। ग्रो मोर फुड 34:86 करोड़ बाकी 14:28। मिसलेनियस डेवलपमेंट स्कीम्स 103:42, बाकी 72:31 करोड़। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज 3:04 करोड़, बाकी 1:02 करोड़। लो इन्कम हाउसिंग लोन 3:06 करोड़, बाकी 2:26 करोड़, सब्सीडाइज्ड इण्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम 0:52 करोड़, बाकी 0:34 करोड़। रिलीफ एण्ड रिहैबिलिटेशन 4:86 बाकी 1:33 करोड़...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आय व्ययक में सारी चीजें मिलेंगी। एप्रोप्रिएशन बिल पर जो सरकार की नीति है उस पर ही बोलें।

श्री पी० के० चौधरी : आप सुनिए तो सही, मैं आ रहा हूं। इस प्रकार जो टोटल डेवलपमेंट लोन्स लिए थे डेवलपमेंट पर्पजेज के लिए वह था 444:26 करोड़, जिसमें से 337:62 करोड़ बाकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 643 करोड़ कर्जा है उसमें से 337:62 करोड़ तो डेवलपमेंट

(श्री पी. के. चौधरी)

का कर्जा बाकी रहा, कर्जा 305 करोड़ जो डेवलपमेंट का नहीं है, अन्य कार्यों पर खर्च हुआ। सवाल आएगा कि कितना खर्चा हुआ तो उसमें से अकाल का कर्जा बाकी 100 करोड़ रुपए का है। अकाल के लिए पिछले वित्त मंत्री ने भाषण में बताया था कि पिछले 8 साल में 1963-64 से 1970-71 तक अकाल पर जो खर्चा किया गया था वह करीब 157 करोड़ रुपए था और आज फेमिन रिलीफ पर 100 करोड़ बाकी हैं। 200 रुपए का खर्चा सिर्फ नॉन-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मीट करने के लिए किया है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि वह जो वित्त मंत्री ने कहा सेंटर का कमीशन बैठना चाहिए। डेट रिलीफ कमीशन वह अच्छी बात है। हमको भी कम से कम खुद एनलाइज करना चाहिए कि हमारे डेट्स क्यों बढ़े। जिन कामों के लिए कर्जा देते हैं जिनकी फिगर्स आपने हमको दी है उनसे जाहिर होता है कि 337 करोड़ का जो कर्जा बाकी है वह डेवलपमेंट लोन है और बाकी जो 305 करोड़ का कर्जा है वह आता है फार नॉन-डेवलपमेंट लोन्स, नॉन प्लान लोन्स, उसमें से 100 करोड़ अकाल के लिए काट दो तो 200 करोड़ कर्जा ऐसा है जिसका कोई अकाउंट आपने नहीं दिया है।

इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, यह 200 करोड़ रुपये का कर्जा बाकी है वह किस किस मद में खर्च किया गया, यह हमें मालूम नहीं है। ये फिगर्स सदन के सामने आने चाहिये। जिस प्रकार बजट में एलोकेशन किया हुआ होता है कि उक्त रकम इस मद में खर्च हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सभी स्थिति सदन के सामने लायी जाय। आज राज्य सरकार के ऊपर 643 करोड़ रुपये का कर्जा है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह कर्ज किस किस काम के लिये लिया गया और उसमें एक्चुअली वह पैसा उस काम में लगा या नहीं। वह खर्चा जो हमने किया वह प्लान में किया या नॉन प्लान में किया या फिर हमारा जो खर्चा ज्यादा हो गया है अन प्रोडेक्टिव परपजेज में उस डेफिसिट को मीट करने के लिये लिया गया है। तो इस बात के लिये मैं कहूंगा कि दो बातें हो सकती हैं। पहले तो डेफिसिट फाइनेन्स स्पेण्ड अप्ट कन्ट्रोल नहीं होने की वजह से हुआ। जो पिछला खर्चा हमने ज्यादा कर दिया उसके लिये हुआ या हमारे केपीटल एक्सपेन्डीचर पर हुआ या कर्जा अपने प्लान के लिये हुआ जैसे सड़क बनाना, बिजली देना, कारखाने लगाने वगैरह के लिये सम्मिलित किया गया है। या यह खर्च जो हुआ है वह इन सभी मुद्दों पर खर्च न होकर एस्टेब्लिशमेन्ट के ऊपर हुआ है। जैसे आपने लोगों की तनख्वाह वगैरह चुकाने में खर्चा किया या कोई ऐसा खर्चा जो आगे चल कर करोड़ों पर चला गया हो या जो खर्च हमने किये हैं और जो कर्जा लिया उस पर हमने इन्टरेस्ट पर खर्च किया। तो इस प्रकार सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि यह खर्च किस पर हुआ है। आज राज्य सरकार का 95, 96 करोड़ रुपये का डेफिसिट चल रही है। ये लाइबीलिटी आगे जाकर ज्यादा हो गयी। तो इसके बाद इस प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह 200 करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। क्या आपने डेवलपमेन्ट प्लान में किया या नॉन प्लान में किया इसकी सूचना आज सदन के सदस्यों को होनी चाहिए।

(श्री पी. के. चौधरी)

दूसरी बात मैं मानता हूं कि स्टेट के फाइनेन्स को मीट करने के लिये "In the last resort, it is by productive investments and revitalising of the economy that resources can be generated and financial stability ensured...."

तो वह प्रोडेक्टिव प्लान इन्वेस्टमेन्ट कोई उद्योग के लिये हैं। आज हमारे राजस्थान का प्रोडेक्टिव प्लान इन्वेस्टमेन्ट पांच साला योजनाओं में खर्चा किया गया। उसके हिसाब से प्रथम प्लान में 54 करोड़ रुपये खर्च किये गए। दूसरी पंच वर्षीय योजना में हमने 103 करोड़ रुपया इनवेस्ट किया। तीसरा सन् 61 से लेकर 66 तक हमने 212 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट किया। उसके मुकाबले में हमने फेमिन में 157 करोड़ रुपया खर्च किया। जो करीब हमने फर्स्ट प्लान और सैकण्ड प्लान में जो खर्चा किया उससे डेढ़ गुना ज्यादा खर्चा किया। यह खर्च हमने सन् 1970 तक किया जो करीब पिछले 8 साल से हो रहा था। फेमिन में हमने जो 157 करोड़ रुपये खर्च किये उसमें हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिससे हमें परमानेन्ट रिलीफ मिले। जब हमने इतना रुपया खर्च भी फेमिन में किया जो कि हमने अपनी फर्स्ट और सैकिण्ड फाइव इयर प्लान में भी नहीं किया तो मैं कहता हूं कि हमें जो खर्च करना चाहिये था वह ऐसे मेथड़ से खर्च करना चाहिये था कि जिससे हमें परमानेन्ट रिलीफ मिलता और इन फ्यूचर कभी ऐसी दुर्घटना नहीं घट सके। राज्य सरकार को ऐसे एक्सपेण्डीचर करने चाहिये थे कि जिससे राज्य सरकार को परमानेन्ट रिटर्न प्राप्त होते। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे यहां जो प्लान के अन्तर्गत खर्चा किया गया है इन फाइव इयर प्लान्स में, जिससे यह हुआ है कि एक रीजनल इम्बेलेन्स क्रियेट हो गया है और विशेषतौर से राजस्थान में जयपुर जिले के साथ यह अन्याय हुआ है। आज जयपुर जिले की जो पोपुलेशन है वह राजस्थान की पोपुलेशन की वन टेन्थ है। तो जिस प्रकार खर्चा किया गया है उसके अनुसार हमारे यहां खर्चा कम किया गया है। हमारे यहां पर तीन करोड़ रुपया फर्स्ट प्लान में, 9 करोड़ सैकिण्ड प्लान में और 12 करोड़ रुपया थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्तर्गत खर्चा हुआ है। सन् 66-67 में हमारे यहां पर 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। सन् 67-68 में हमारे यहां पर 1.78 लाख रुपया का खर्चा किया गया। सन् 68-69 में 2.10 लाख रुपया खर्च किया गया, इसके अलावा 69-70 में 2.37 लाख रुपया, सन् 70-71 में 2.97 लाख रुपया और सन् 71-72 में 3.68 लाख रुपया खर्च किया गया। मेरा निवेदन यह है कि जब राजस्थान में 694 करोड़ खर्च किया गया तो जयपुर जिले पर सिर्फ 39.39 लाख या 40 करोड़ रुपया खर्च किया गया है जो कि टोटल खर्च हुआ है राजस्थान में उसका 5.6 प्रतिशत खर्चा होता है। जबकि राजस्थान में जयपुर की पोपुलेशन जो है वह 10 प्रतिशत है और 10 प्रतिशत के हिसाब से जयपुर जिले के लिये 70 करोड़ रुपये खर्च होना चाहिये था। अगर आप ज्युडिशियसली धनराशि खर्च के लिये अलोट करते तो रीजनल इम्बेलेन्स नहीं होता। आज राजस्थान की जनता जो टैक्स पे करती

(श्री पी. के. चौधरी)

है उसमें जयपुर जिले से जो रेवेन्यू टैक्स द्वारा प्राप्त होती है वह कुल रेवेन्यू की 20 प्रतिशत है तो आपको अगर रेवेन्यू के बेसिस पर या पोपुलेशन के आधर पर एलोकेशन आफ बजट खर्चे का जयपुर जिले के करते तो जो खर्च अभी किया गया है इसमें कम से कम 20 करोड़ रुपए और जयपुर जिले के हिस्से में आते। जब राजस्थान सरकार का टोटल इन्सीडेंन्स आफ टैक्स रिसोर्सेज जयपुर जिले का 20 परसेन्ट है। मेरा निवेदन है कि अगर पोपुलेशन के अनुसार ही रुपया खर्च किया जाता तो 20 करोड़ रुपया और जयपुर जिले पर खर्च होते तो काफी डेवलपमेंट हो सकता था। मैं यह नहीं कहता कि आप बैकवर्ड एरिया में विकास काम मत करो। लेकिन जो खर्च 20 करोड़ रुपया कम हुआ है वह जयपुर जिले के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिफ्ट इर्रीगेशन और डेवलपमेन्ठ के लिये खर्च किये जाने चाहियें। वित्त मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि जो 20 करोड़ रुपया जयपुर जिले के लिये कम खर्चा किया गया वह खर्च अब जयपुर जिले के लिये किया जाना चाहिये। अगर आप फैमिन में 157 करोड़ दूसरे बैकवर्ड इलाकों में खर्च कर सकते हैं तो आप को ज्युडिशियली फैसला करके एलोकेशन 20 करोड़ का और जयपुर जिले के लिये करना चाहिये जिससे जयपुर जिले का विकास हो सके। मेरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जो भी खर्च किया जाये वह प्रोडेक्टिव एक्सपेण्डीचर होना चाहिये। दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, विशेषतौर से वह डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। आज सरकार की पोलिसी का इम्पेक्ट जनता पर पड़ता है वह पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन पर। आज कौन सैकेट्री है, कौन हैड ग्रॉफ दी डिपार्टमेंट है प्रशासन का इससे राजस्थान की जनता को मतलब नहीं है। वह जानते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन अधिकारी है और वहां एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। किस प्रकार से सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन होता है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन लूज है और चाहे आपके प्लान कितने ही अच्छे क्यों न हो जनता उसे ठीक नहीं मानेगी। तो मेरा मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अधिकारी हो वह जो हमारे राज्य सरकार के प्रोग्राम होते हैं चाहे बिजली के बारे में हो, इर्रीगेशन के बारे में हो, चाहे फेश प्रोग्राम के बारे में हो ये अच्छे या बुरे कहलायेंगे आपके क्रियान्विति पर। इसलिये मेरा कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो उसमें स्लेकनैंस नहीं होनी चाहिये। आज हमारे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह स्लेक है। ये स्लेकनैंस खतम होनी चाहिये। चाहे रेवेन्यू डिसिजन्स के बारे में हो चाहे किसी डिपार्टमेंट के बारे में हो।

मैं बिजली के सम्बन्ध में भी दो चार बातें कहना चाहूंगा। यहां भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहिये या रिजनल एडमिनिस्ट्रेशन कहिये लागू होता है। हर काश्तकार की यह शिकायत आती है कि वॉल्टेज कम आता है। इससे उनको बड़ा नुक्सान होता है। मोटरें और मीटर जल जाते हैं और फसल जल जाती है। यह वॉल्टेज कम क्यों आता है आपका जो विभाग है उसमें एन्टीसिपेसन की कमी है। 10 साल पहले जमाना था कि जब एक कुए में बिजली लगाते थे तो पांच आदमी आते थे, आज पचास आदमी आते हैं। उन्हों ने यह एन्टीसिपेट नहीं किया कि किस प्रकार की डिमान्ड है। पावर की कमी नहीं है।

(श्री पी. के. चौधरी)

काफी सप्लाई भी है जनरेशन्स से उसके बावजूद भी प्रोपर वोल्टेज आना चाहिये वह नही आ पाता है और वे लोग दे नहीं पाते हैं। हमने यह विजुलाइज नहीं किया कि कितना वोल्टेज चाहिये। हाई टेन्शन पर चल रहा है। 33 के. वी. पर चलते चलते 11 के. वी. पर आ जाता है। बिजली गांवों में देने के बाद भी लाइनों को चेन्ज नहीं किया। एन्टीसिपेट नहीं किया और इस कारण जगह जगह से शिकायतें आरही हैं एन्ड दिस इज लेक आफ एन्टीसिपेशन ओन दी पार्ट आफ एडमिनिस्ट्रेशन दे। इसको पूरा करने के लिये काम करना चाहिये। वोल्टेज कम होने से मोटर जल जाती है और मीटर जल जाते हैं। नये मीटर के लिये 250 रुपया जमा कराना पड़ता है और पुराना मीटर बिजली विभाग वाले ले जाते हैं। नया मीटर लगाते हैं और तो पुराना मीटर वापिस काश्तकार को मिल जाना चाहिये वह नही मिल पाता है इसलिये हमारे मन में शंका पैदा होती है कि पुराने मीटर को ही ठीक करके नये के रूप में लगा दिया जाता है और 250 वसूल कर लिया जाता है। नीचे का स्टाफ मीटर के देने में गड़बड़ी कर देता है या खुद खराबी रख देता है इसलिये मीटर जल जाता है और यह आम रवैया बिजली विभाग का देखने को मिलता है। आम शिकायत है। एक दो की नहीं है। आम शिकायत हैं। पुराना मीटर वापिस नहीं देते हैं। दुबारा ठीक होकर आ सकता है यह उनका विश्वास हैं। इसलिये मीटर किसी का ले जाते हैं तो नया देकर पुराना नहीं लेजाना चाहिये और काश्तकार को दे देना चाहिये, काश्तकार ही उसको ठीक करवा ले कहीं से।

हरियाणा में यह है कि मीटर ही नहीं है! फर्स्ट पेज पर चार्जेज लेते हैं। लेकिन हमारे यहां पर मीटर सिस्टम है। यदि एक मीटर जल जाता है फसल के मौके पर जल जाता है तो दस पन्द्रह दिन उसके रिप्लेसमेंट में लग जाते हैं। इस ओर भी ध्यान देना हैं। चाहे आप रेट बढ़ा दीजिये। मीटर सिस्टम खत्म कर दीजिये और दूसरी व्यवस्था करिये। हरियाणा में जो सिस्टम लागू है वैसा ही यहां कर दीजिये। काश्तकारों को जो तकलीफ होती है, समय नष्ट होता हैं और फसल बर्बाद हो जाती है उसको इस प्रकार की व्यवस्था करने से बचाया जा सकता है।

और भी कई दिक्कतें हैं काश्तकारों की बिजली विभाग की वजह है। मैं कहना चाहता हूं कि हम रेवेन्यू और पुलिस विभागों के बारे में कहते थे कि यहां पर करप्शन ज्यादा है लेकिन आज हम देखते हैं कि बिजली विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन है। आज इसका वातावरण सबसे आगे बढ़ गया है। पटवारी का काम छः महीने भी रुक सकता है लेकिन बिजली की मोटर जल जाय और मीटर जल जाय तो एक घण्टा भी काश्तकार के लिए बहुत भारी हो जाता है। वोल्टेज कम आने से और कमी ज्यादा आने से जो भयंकर मुसीबत काश्तकार के सामने आ जाती है यदि उसकी मोटर और मीटर जल जाय और एक हफ्ते की भी डिले यदि फसल का समय है तो बहुत बड़ी भारी होती है और उसकी फसल जल जाती है। गांवों में इस प्रकार की बड़ी भारी दिक्कतें हैं। लाइन चेन्ज करने में भी देर होती है। हफ्ते भर में भी कोई लायगा तब भी उसके लिए बड़ी भारी डिले है। शहर में आपका और हमारा एक्सपीरियेन्स है। दो दो तीन तीन घण्टे बिजली नहीं आती है। कल 3 बजे बिजली चली गई मेरे यहां

(श्री पी. के. चौधरी)

पर। 6 बार टेलीफोन करने के बावजूद 6 घण्टे में उसको ठीक करने के लिए आदमी आया। इसका कारण मैं एक समझ पाया हूं वह यह है कि फैज बन्धे हुए हैं उनमें एल्यु-मिनियम लूप्स लगे हुए हैं इस कारण से वे जल जाते हैं और लूज हो जाते है हवा चलती है तो और इसी कारण वोल्टेज कम आता है इसलिए ऐल्यूमिनियम लूप्स की जगह कोपर लूप्स लगाये जाने चाहिये। गर्मी की सीजन में ये लूप्स तो चल ही नहीं सकते। इसलिए जहां जहां जोइन्ट पर ये लगे हुए हैं उनको चेन्ज करके कोपर लूप्स लगाये जाने चाहिये। इस ओर पूरी तरह से ध्यान देकर ठीक कराना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जयपुर जिले के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले के इरिगेशन के वाटर लेवल को देखते हुए रूरल इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई की जो स्कीम है, इले-क्ट्रीसिटी वाले कहते हैं कि फण्ड्स की कमी नहीं है, जितना चाहे उतना रुपया है, जयपुर जिले में वाटर लेवल नजदीक है, और इसी के किलिप्स लगायें तो यह जो हमारी शिका-यत है रीजनल इम्मबेलेन्स की, वह शिकायत थोड़ी दूर हो सकती है। इरींगेशन के तौर पर 250 करोड़ खर्च किया है सारे राजस्थान में, जबकि जयपुर जिले में सिर्फ 50 लाख रुपया खर्च किया है, लिफ्ट इरींगेशन बिजली से हो सकता है यह मेरा सुझाव है। एक लाख कुओं से दस बारह हजार कुओं में ही बिजली लगी है। 90 हजार कुओं में बिजली लगा देंगे तो इनकम बढ़ेगी, इकोनोमी बढ़ेगी और हमारी ग्रिवान्स है वह भी दूर होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में हाई कोर्ट की बेन्च के लिए भी कहना चाहता हूं। मुझे इस बात का ताज्जुब लगता है कि हाईकोर्ट को राजनैतिक मांग समझते हैं।

मैं समझता हूं कि जहां तक सस्ते न्याय का सवाल है उसको न तो राजनीति के साथ जोड़ना चाहिए और न प्रेस्टिज इश्यू बनाना चाहिए और मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जनता की जो मांग है वह वाजिब मांग है और इस मांग से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यह नहीं है कि जोधपुर से हाईकोर्ट की बैंच यहां आ जाये तो जोधपुर का कोई नम्बर आफ केसेज कम हो जायेगा या जोधपुर की इकानामिक आमदनी कम हो जायेगी या वहां पर मिठाई या अनाज की बिक्री कम हो जायेगी। आज हाईकोर्ट में 65 से 70 परसैन्ट केसेज हमारे इस इलाके से जाते हैं। आखिर वकीलों का सवाल इसलिए नहीं है कि पंच भी होते हैं, सरपंच भी होते हैं और उनको रिट करने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। छोटे काश्तकारों को भी हाईकोर्ट में जाना पड़ता है और आने जाने का उनके ऊपर भार पड़ता है। सस्ते न्याय को दिलाने की बात आप मानते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसको पालिटिकल इश्यू क्यों बनाया जा रहा है? सरकार बार बार कहती है कि यह तो पालिटिकल इश्यू है इसलिए पालि-टिकल डिसिजन होगा। तो यह अच्छी बात नहीं है। इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, इसके कान्सीक्वेन्सेस अच्छे नहीं होंगे। आखिर कब तक वह सुनते रहेंगे? जब से सेशन शुरू हुआ रोज कोई न कोई मसला लेकर असेम्बली के सामने लोग प्रदर्शन करते हैं। वह क्यों आते हैं? किसी के पास फालतू टाइम है क्या? क्या उनके पास कोई काम धन्धा नहीं है। वह तंग आ जाते हैं इसलिए प्रदर्शन करते हैं इसलिए मेरा

(श्री पी. के. चौधरी)

फिर से निवेदन है कि जयपुर में हाईकोर्ट की मांग के ऊपर सरकार विचार करें और इसको न तो पालिटिकल इश्यू बनाये और न प्रेस्टिज इश्यू बनाये और यदि सरकार इसको पालिटिकल इश्यू बनाकर चलेगी तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचंद सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सन् 1972-73 के बजट के अन्तिम चरण की तरफ से गुजर रहे हैं और राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या (2) 1972 जिसके जरिये 605 करोड़ 8 लाख 75 हजार रुपये की धनराशि के व्यय का प्रश्न है उसको हम स्वीकृत करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर अगर हम देखें और सरकार और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा-पत्र था उसकी नीतियों से तालमेल देखें तो कई माने में यह बजट उन नीतियों के अनुसार है भी और कई माने में इसमें कुछ कमियां भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव घोषणा-पत्र के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहली बात यह कही थी कि हमारे देश की सीमा के ऊपर जो सैनिक काम आये हैं जिनका परिवार बहुत दुखी है या वह सैनिक जो विकलांग हो चुके हैं जो कि अपने हाथ पैरों से काम नहीं कर सकते उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं मैं तो इस बजट में इन लोगों के लिए, उन सैनिकों के लिए और सैनिक परिवारों के लिए सरकार क्या ठोस योजनाबद्ध काम करने जा रही है और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाने जा रही है उसका विस्तृत विवरण मुझे इसमें देखने को नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे हमारे यहां सैनिक कोष है और सैनिक कोष से इन लोगों को मदद देने की बात है लेकिन मैं इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष सुझाव पेश करना चाहता हूं कि सरकार इन सैनिकों के लिए और जो विकलांग हो चुके हैं या वह सैनिक जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवारों के लिए एक ठोस स्कीम तैयार करें। ठोस स्कीम से मेरा तात्पर्य यह है कि जो भी पैसा इकट्ठा हो उस पैसे को बढ़ाया जाये और उनके परिवारों को लगातार मदद मिले और जो विकलांग हो चुके हैं उनको भी कन्टीन्युअल मदद मिले। यह नहीं कि किसी को हजार या दो हजार रुपया एक दफा दे चुके और आप कह दें कि हमने मदद दे दी। आपको उनके जीवन के लिए सोचना पड़ेगा जो लोग शहीद हो चुके हैं या विकलांग हो चुके हैं।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर सबसे ज्यादा व्यय शिक्षा के ऊपर देखते हैं। शिक्षा के ऊपर करीब 48 करोड़ 43 लाख रुपये का खर्चा हमारी शिक्षा के मद में है। सबसे ज्यादा खर्चा हमारी शिक्षा की मद में है। उपाध्यक्ष महोदय शिक्षा की जहां तक नीति है यह बात ठीक है कि सरकार ने इस वर्ष एक हजार प्राथमिक पाठशालायें और एक हजार मिडिल स्कूल खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विस्तार करने का प्रयास किया है और इसमें कुछ अध्यापकों को भी नौकरी मिलेगी

(श्री शंकरलाल)

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ ही जो बेसिक पालिसी है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और वह यह है कि शिक्षा एक प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के जीवन के भावी विकास के लिए और उसको समाज में सक्रिय सदस्य बनाने के लिए है। आज हम समाज के अन्दर हरित क्रांति की बात करते हैं और हमारे वित्त मंत्री जो ने व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें लेकिन साथ में रूट रेवोल्यूशन की बात भी करें और यह तभी होगा जब कि हमारी शिक्षा का क्षेत्र है उसमें रूट रेवोल्यूशन लायेंगे, जड़ से उसमें क्रांति लायेंगे और उससे हमारा समाज और हमारा देश शिक्षा के जरिये जो हमारे समाज में रहने वाले लोग है वह विकसित होकर अच्छे नागरिक होकर अपने देश के सक्रिय सदस्य बनें। मैं थोड़े बहुत सुझाव दूंगा उपाध्यक्ष महोदय।

जिस समय हमने अपनी धर्मनिर्पेक्ष नीति मान ली है तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूल, हास्टल जाति या धर्म के नाम पर अब कायम नहीं रहना चाहिए। अगर किसी जगह कोई राजपूत हास्टल है, जाट हास्टल है, किसी जाति के नाम से कोई हास्टल है तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाध्यक्ष महोदय सरकार को चाहिए कि इसको तुरन्त समाप्त करे। जाति के नाम पर; धर्म के नाम पर कोई शिक्षा संस्था होनी ही नही चाहिए और ऐसी शिक्षण संस्थाये जो कि धर्म या जाति के नाम से चलती है उनको सरकारी ऐड नहीं दी जानी चाहिए। आज शिक्षण संस्थाओं के अन्दर हम धर्म निर्पेक्षता का रूट से पैदा नहीं करेंगे तो यह चीजें आगे जाकर जाति संघर्ष पैदा करती हैं। इसलिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से इसको हटाना पड़ेगा।

साथ ही उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिक पाठशाला के पूर्व जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी कि कम उम्र होती हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए मोहल्ले वाइज बाल मन्दिर की एक योजना होनी चाहिए। वह योजना इस प्रकार की योजना हो कि मोहल्ले में रहने वाले छोटे बच्चे जो कि 5 साल से कम के हों, वह चाहे बच्चे हों या बच्चियां हो, एक जगह मिलें और उनके लिए दूध का प्रबन्ध हो। वह बच्चे एक साथ बैठेंगे तो उनमें एक कम्युनिटी की भावना जागृत होगी। ऐसी स्कीम के लिए मुझे ज्ञात हुआ है कि दूसरे राष्ट्र भी इसमें मदद देते है और ऐसी योजना हमारे गुजरात में चल रही है। हमारे राजस्थान के अन्दर भी प्राथमिक पाठशालाओं के पूर्व के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मोहल्लेवाइज बाल मन्दिर की योजना तैयार करें तो प्रारम्भ से लेकर बच्चों के अन्दर एक समुदायिक भावना, सामाजिक भावना पैदा होगी और वह बच्चे आगे चलकर हमारे देश के होनहार युवक बनने के अन्दर मदद देंगे।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो भी पुस्तकालय है वहां कैसी पुस्तकें हों, किस प्रकार की मेगजीन हों, किस प्रकार के समाचार पत्र हो, हर डिस्ट्रिक्ट में जो लाइब्रेरी हैं उनके लिए सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। जहां भी पुस्तकालय हैं वहां अच्छी किताबें हों,

(श्री शंकरलाल)

अच्छे समाचार पत्र हों जिनके जरिये दिन में काम करने वाले लोग शाम को जाकर अध्ययन कर सकें जिससे उनको जनरल नालेज देश की और विदेश की मालूम हो। तो इस प्रकार के पुस्तकालयों का विकास होना चाहिए।

साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर मारल वैल्यू बहुत गिर रही है और इसका कारण यह है कि हमारी जनरेशन उपन्यास पढ़ने वाली और चलचित्र देखने वाली जनरेशन हो रही है और उपाध्यक्ष महोदय और आप इसको फिल्म जनरेशन का नाम लें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह जो फिल्म जनरेशन है ये शहरों में जिस प्रकार की पोशाक पहनते हैं। जो युनिवर्सिटी की शिक्षा है वह चलचित्र देखना ज्यादा पसन्द करते हैं और ऐसे चलचित्र जो कि समाज के अन्दर बहुत गलतफहमी फैलाने वाले हैं और समाज के अन्दर कुरीतियां पैदा करने वाले हैं। या इस प्रकार के भद्दे और अश्लील चलचित्रों को दिखाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे यह राज्य सरकार का सब्जेक्ट हो या केन्द्रीय सरकार का सब्जेक्ट हो, हमें इस बात के लिए राज्य की ओर से आवाज उठानी पड़ेगी, हमें इस बात की आवाज उठानी पड़ेगी कि जो चलचित्र दिखाए जाते हैं जिससे कि इम्पेक्ट पड़ता हैं विद्यार्थियों पर और उनके आने वाले जीवन पर जो कुत्सित करता है उनके दिमाग को इन चल चित्रों के जरिए उनको रोकना पड़ेगा। हम को कुछ शिक्षाप्रद और ऐसे चित्र दिखाने पड़ेंगे जिससे देश और समाज के प्रति सेवा की भावना जागृत हों। यह बहुत बड़ी समस्या है इस फिल्मी जेनरेशन के दिमाग को हमें इसे चेनेलाईज करना पड़ेगा। साथ ही उपन्यास इस प्रकार के निकल रहे हैं कि जहां कहीं भी आप देखिए, चाहे बस में, चाहे ट्रेन में जाइए आप देखेंगे विद्यार्थियों को कोई न कोई उपन्यास पढ़ता पायेंगे ये सस्ते उपन्यासजिस प्रकार के प्रकाशित होते हैं और जिस प्रकार का यह साहित्य प्रकाशित होता है इसको हमें आसानी से नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर वे जासूसी उपन्यास पढते मिलेंगे। सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि कैसा, क्यों और किस प्रकार की पुस्तकें, किस प्रकार के उपन्यास उनको पढने को दें, किस प्रकार का साहित्य उनको पढ़ने को दें।

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह बुनियादी बातें अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का रूट रिवोल्यूशन, जड़ की क्रांति नहीं लायेंगे तो हमारा समाज आगे जाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा और आदर्श समाज नहीं हो पाएगा जैसा कि हम भारतवर्ष में एक आदर्श समाज को रचना करने की उम्मेद रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में यह निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कहीं और आज मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि आज जहां हमारे राजस्थान के पुराने नेता, कर्मठ कार्यकर्ता श्री गोकुल भाई भट्ट इस गर्मी की ऋतु में आमरण अनशन व्रत किए हुए हैं और वह इसलिए कि हमारे राज्य के अन्दर शराब बन्दी की जाय। राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि सन् 72 से हम पूर्ण नशाबन्दी करेंगे लेकिन सरकार उससे मुकर गई और इसी का परिणाम है कि आज यह आमरण अनशन शुरु हुआ है।

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है। यह बात भी सही है कि इससे दस करोड़ की आमदनी राजस्थान सरकार को होती है। हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि अभी अभी अपनी योजना के अन्दर करीब साढे ग्यारह करोड़ की कटौती भारत सरकार ने की है। हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी मोरल वेल्यूज का सवाल आता है, हमारी नीतियों का प्रश्न आता है, जहां पर बुनियादी बातों का प्रश्न आता है और सरकार इस बात को कहती है कि हम बुनियादी तौर पर पूर्ण मद्यनिषेध इस स्टेट के

(4.24 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पीठासीन)

अन्दर करेंगे लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण हम इसकी पूर्ण नशाबन्दी नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों की तरफ की बातों को देखना पड़ेगा। सरकार की जो बात है, जो उनकी कठिनाइयां हैं, उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा लेकिन साथ में गोकुलभाई भट्ट का अनशन जो कि नीति पर आधारित है, मोरल वेल्यूज पर आधारित है, जो कि पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार है और जो उनकी बातों में सत्यता है उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा समझता हूं कि इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा सरकार ने जहां पहले कुछ जिलों में मद्यनिषेध को लागू किया था और उसके अन्दर उन्होंने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर की छः तहसीलों को उनमें लिया था। अगर सरकार पूर्ण नशाबन्दी न कर सके तो कम से कम उदयपुर की जो शेष तहसीलें है उनको और एक जिला और ले लें, पाली जिले को ले लें और इस प्रकार कम से कम गोकुल भाई को मनावें। हम प्रयत्न करें और सरकार से कहें कि अगर आप पूर्ण नशाबन्दी नहीं कर सकें तो कम से कम एक जिला और ड्राई घोषित करें। पाली जिले के हम सब विधायक इसके लिए तैयार हैं, मैंने सब से बात की है और हम चाहते हैं कि गोकुल भाई का आमरण अनशन जल्दी से जल्दी तोड़ा जाय और उनको इस बात के लिए राजी किया जाय कि सरकार मद्यनिषेध की नीति को मानती है लेकिन आर्थिक दशा को देखते हुए हम पूर्ण नशाबन्दी न कर एक जिला और ड्राई घोषित कर रहे हैं और शेष तहसीलें जो उदयपुर की हैं उनको भी घोषित कर रहे हैं। मैंने पाली जिले की बात इस लिए कही कि यह जिला सिरोही से मिलता हुआ है। पाली पिछड़ा हुआ इलाका है, यहां पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, वहां पर मिल है, वहां पर लेबर क्लास है, वहां के लोग शराब के कारण कितने बुरे कार्यों में पड़ते हैं, कितना उनका खराब खर्चा होता है, उस दृष्टि से मैंने पाली जिले को लिया है।

सभापति महोदय, इसके साथ में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं सरकार की दूसरी नीतियों के ऊपर और वह यह है कि सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा की कि अनुसूचित जाति के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, जनजाति के लोग,

(श्री शंकरलाल)

दूसरे गांवों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को रिहायश के लिए प्लाट मुफ्त में देंगे और इसके साथ ही हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने यह भी घोषणा की कि आगामी, आने वाले 15 अगस्त, 1973 तक यह प्रोग्राम पूरा कर देंगे। गांवों के अन्दर और शहरों के अन्दर रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को रिहायशी प्लाट मिलेंगे। रिहायशी प्लाट मिलने के बाद इन पर मकान बनाने की बात आएगी। आज राजस्थान के अन्दर मकान बनाने के लिए एक हाऊसिंग बोर्ड है जिसके कि गैर सरकारी सदस्य श्री द्वारका प्रसाद पुरोहित चैयरमैन हैं और हाउसिंग बोर्ड का जुरिस्डिक्शन कुछ शहरों के अन्दर है और उन्होंने कुछ टेनेबल मकान भी बनाए हैं। साथ ही हमारे यहां अपेक्स सोसायटी हाउसिंग की है जो ऋण देगी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को। जो 400) रुपये के शेयर लेंगे उनको चार हजार का ऋण देंगे और उन चार सौ रुपयों में भी तीन सौ रुपया सरकार अनुदान के रूप में शेयर में कण्ट्रीब्यूट करेगी। इसमें एक तो, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस हाऊसिंग सोसायटी और हाउसिंग बोर्ड में कोआर्डीनेशन होना चाहिए और मकान बनाने के लिए जो हाउसिंग बोर्ड है और ऋण देने के लिए जो हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी है इन दोनों का कोआर्डीनेशन होना चाहिए और इनके अन्दर भी जो हाउसिंग सोसायटी ऋण देती है और यह हाउसिंग बोर्ड जो मकान बनाता है इनका जुरिस्डिक्शन केवल कुछ चन्द शहरों तक ही सीमित न रहे बल्कि बड़े-2 दूसरे कस्बों में, बड़े-2 गांवों तक बढायें। जैसे पाली शहर है। इसके अन्दर हाउसिंग बोर्ड का जूरिस्डिक्शन होना चाहिए जो अभी नहीं है। मैं चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड का जूरिस्डिक्शन पाली जैसे शहर तक भी पहुंचे ताकि वहां के लोगों को मकान योजनाबद्ध तरीके से बनाने का साधन मिले।

साथ ही मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस हाउसिंग के लिए सरकार की ओर से एक और जरिया है वह है एम. आई. जी. एच. और एल. आई. जी. एच. यानि मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम और लो ग्रुप इन्कम हाउसिंग स्कीम। इन स्कीमों के द्वारा भी ऋण दिया जाता है। यह एक डिपार्टमेंटल ऋण है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ पैसे ईयर मार्क हैं और सरकार देती है। मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में उनको ऋण देते हैं जो इन्कमटैक्स पेयर हैं और जो लो इन्कम हाउसिंग स्कीम हैं वह जो इन्कम टैक्स पेयर नहीं है, जिनकी कम आमदनी है उनको ऋण देती है लेकिन वह लोन भी सिस्टेमेटिक नहीं है। जिन लोगों को लोन दिया उनमें कइयों के मकान अधूरे पड़े हैं और उन मकानों की कोई योजना नहीं है। मेरा निवेदन है कि जब आपने हाउसिंग बोर्ड बना दिया तो यह लोन भी हाउसिंग बोर्ड को दे दें ताकि वहीं मकान बनाने के लिए ऋण दे और योजनाबद्ध तरीके से मकान बनें। इसी प्रकार एम. आई. जी. एच. एल. आई. जी. एच. हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी और हाउसिंग बोर्ड, तीनों का इस मकान बनाने के मामले में को-आर्डीनेशन हो और यह आवश्यक समस्या है, चाहे वह कच्ची वस्ती की हो, चाहे वह शहरों की हो, इस समस्या को हल करने के लिए कोआर्डीनेटिव एफर्ट्स होने चाहिए जिससे

(श्री शंकरलाल)

कि हमारी योजना सफल हो सके। साथ ही यह भी निवेदन करना है कि हमारे पंचायत अधिनियम के नियम 267 के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट के आदमियों को मुफ्त प्लाट देने का प्रावधान है। इसके साथ ही टीनेंसी एक्ट की धारा 31 के अन्दर भी प्रावधान है कि जमीन दी जाएगी लेकिन इसका पालन नहीं होता है। घोषणाएं तो पहले से ही मौजूद हैं लेकिन प्रश्न तो इनको इम्प्लीमेंट करने का है। इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, मकान और ऋण, इन सबका जुरिस्डिक्शन और पावर्स हाउसिंग बोर्ड में बढाई जायं और इस योजना को पूरे राजस्थान के अन्दर ठीक से लागू किया जाय।

सभापति महोदय, दूसरा मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें बिजली के सम्बन्ध में बताई थी, मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आज के जमाने के अन्दर बिजली एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए हमारे विकास की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है लेकिन बिजली की बहुत भारी दिक्कत गांवों में और शहरों में है। हमने कुछ आंकड़े देखे हैं, उसमें साढ़े सात करोड़ रुपया दिया है। वह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से हमारी स्टेट ने लिया है लेकिन दूसरी स्टेट की तुलना करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान ऐसी स्टेट है जिसने सब से कम इस योजना का फायदा उठाया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन से दूसरी स्टेट ने जितना पैसा लिया है वह राजस्थान ने नहीं लिया है। वे इसलिये ले पाये हैं उन्होंने इसकी योजना बनाई है और उसके बाद उनको सेन्ट्रल कारपोरेशन से पैसा मिला है। हमारी कोई योजना समय पर नहीं बनती है और इस कारण हम साढ़े सात करोड़ रुपया ही ले पाये हैं। मेरा निवेदन है कि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन की योजनाएं बना कर हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से आर्थिक मदद लेने की कोशिश करनी चाहिये

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं आवश्यक बातें ही निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : कोरम का अभाव है। ·······

(गणाभाव सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान विद्युत मण्डल को यदि हम सक्रिय रुप से चलाना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि उसके जो चेयरमैन हों वह एक गैर सरकारी सदस्य होना चाहिये। जब तक गैर सरकारी सदस्य आर. एस. ई. बी. का चैयरमेन नहीं होगा तब तक इस बिजली की उपयोगिता का, किस प्रकार शहर में, गांवों में बिजली पहुंचाना है, नहीं होगी। यह काम आफिशियल ढंग से नहीं होगा। जितनी भी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स है उनको पब्लिक अन्डर टेकिंग्स बनाया जाना चाहिए। आप इनको आफिशियल पब्लिक अन्डर-टेकिंग्स मत रखिये। आप आर. एस. ई. बी. का चेयरमैन कोई नान-आफिशियल व्यक्ति को बनावें और बिजली के काम को सुधारें।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूरे बजट के अन्दर और भाषण

(श्री शंकरलाल)

में, सारी बातों को हमने देखा है, एक जो हमारी प्राब्लम है, गरीबी हटाओ, यह नारा हमने लगाया है, विकास का नारा लगाया है, अब हमारे राज्य के अन्दर एक और प्राब्लम है, वह है बेगर प्राब्लम। जयपुर शहर के अन्दर चले जाइये, अजमेर में चले जाइये, प्लेटफार्म पर चले जाइये, बाजारों में चले जाइये, आपका नागरिक जिसको मत-दाता भी कहते हैं वह आकर हमारे सामने भिक्षक के रूप में खड़ा हो जाता है। उसको देख कर हमारा मस्तिष्क नीचा हो जाता है। आजादी के बाद भी कोई भिक्षक रहता है, बेगर रहता है, तो यह हमारे लिए कलंक की बात है। इस बेगर प्राब्लम को मिटाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। कई राज्यों ने इस बारे में कदम उठाये हैं, कानून बनाये हैं। यहां पर भी पहले असेम्बली के अन्दर बेगर प्राब्लम के लिये आया था, वह इन्ट्रोड्यूज नहीं हो पाया, पता नहीं सरकार ने क्यों ड्राप कर दिया। क्यों नहीं लाया गया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जयपुर के अन्दर कुछ भिक्षुक गृह चल रहे हैं। उनको वहां मदद दी जाती है। मैं कहता हूं कि वह कोई योजनाबद्ध तरीका नहीं है। इन लोगों की पूरी सर्वे करवा कर, जो हाथ पैर हिला सकते हैं उनको आप काम दीजिये। काम देने का आपका वैधानिक कर्तव्य है और उन लोगों का भी यह वैधानिक अधिकार है। उनको काम देना पड़ेगा। उनको भिक्षुक वृत्ति से हटाना चाहिये और जो भिक्षुक हैं उनको काम पर लगाना पड़ेगा। कई ऐसे भिक्षुक हैं जो विद्वान हैं उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं वे काम नहीं कर सकते हैं। उनके लिये आपको आश्रम की व्यवस्था करना चाहिये और वहां वे अपनी कमाई का जरिया निकाल सकते हैं। उनको प्रशिक्षित कर के काम लिया जा सकता है और वे देश के प्रोडक्शन में किसी हद तक मदद दे सकते हैं। यह सारा काम स्टेट का है। डेमोक्रेसी के अन्दर, जो कि पब्लिक स्टेट है, उसके अन्दर इस प्राब्लम को मिटाने के लिये सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना पड़ेगा और इसको मिटाने के लिये सक्रिय कदम उठाने होंगे।

सभापति महोदय, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं कई लोगों ने प्रशासन के बारे में बात यहां पर कही है। यह सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमें डिसेन्ट्रेलाइजेशन करना पड़ेगा। छोटी सी बात हो उसको ले जाकर मुख्य मंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ता है दूसरों के पास जायं हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, यह ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर गति लानी होगी तो आपको डिसेन्ट्रेलाइजेशन हरेक लेविल पर करना पड़ेगा। डिसेन्ट्रेलाइजेशन हरेक डिस्ट्रिक्ट पर किया है। कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वह एक कोआर्डिनेट ऑफिसर है फिर भी हम देखते हैं कि उनमें भी कई प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। आप कलेक्टर बढ़िया रखें यह जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का, एक ही वर्ग का हो। इस पैटर्न को आप चेंज करें। हिम्मत के साथ चेंज करें। आज क्या आवश्यकता है कि इस पद पर आप आइ. ए. एस. को रखे। आप भारत सरकार को कह सकते हैं। आप ऐसे अनुभवी व्यक्ति को रखें जिनको सर्विसेज में बहुत अर्सा हो चुका हो, जिनकी ईमानदारी की छाप प्रशासन में जम चुकी हो, जनता में उनकी पैठ जम चुकी हो, आप ऐसे व्यक्ति को कलेक्टर बनाइये और उनको पावर्स दीजिये ताकि वह

Page No 122

(श्री शंकरलाल)

नेकनीयत से काम कर सके। आज जो नेकनीयत से काम करने वाले हैं उनको पावर्स नहीं है। जिसको पावर्स हैं वह नेकनीयत नहीं है डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिये नेक आदमी चाहिये और उसके पास ताकत चाहिये। एडवाइजरी कमेटीज डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कायम करिये और जिसमें एम.एलएज. हों, चाहे वे किसी पार्टी के हों और दूसरे नुमाइन्दे भी हो सकते हैं और कमेटी हरेक प्राब्लम के बारे में मीट करे। दस, पन्द्रह दिन में जब भी आवश्यकता हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से गति लाकर समस्या को सुलझावें जिससे छोटी छोटी बातों के लिये जयपुर और दिल्ली के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ें।

यहां पर पहले भी हमने खर्चे में कमी करने के बारे में कहा है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है इस सदन में मैंने पहले भी कहा है और आज भी आपकी मार्फत वित्त मंत्री महोदय और इस सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि आपको क्या आपत्ति है। आज ऊंची तनख्वाह और नीची तनख्वाह में भारी अन्तर है। इस अन्तर में कमी की जानी चाहिये। आप इस बात की घोषणा कीजिये कि राजस्थान के अन्दर एक हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वाला कोई नहीं हो और तीन सौ से कम पाने वाला कोई नहीं हो। यह क्या बात है कि एक आदमी को एक हजार मिले और दूसरे को डेढ़ सौ रुपया ही मिले और दोनों के मेडिकल बिल्स बराबर हों। मेडिकल बिल्स में आज कितना घोटाला है। इसमें आपको इकोनोमी करनी चाहिये। कह दीजिये कि जो 500 रुपये से ज्यादा पाने वाले हैं उनके मेडिकल बिल्स रिएम्बर्समेन्ट नहीं होंगे। इसमें आपको क्या दिक्कत है। यह आज आपकी नीति का प्रश्न है कि किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन में गति लावें जिससे आपका समाजवादी दृष्टिकोण जनता के सामने आवे कि हमारे यहां पर ऊंची तनख्वाह वाले एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं होंगे। इस प्रकार का दृष्टिकोण एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की आवश्यकता है (समय समाप्ति सूचक घंटी)... अधिक नहीं कहूंगा।

एक दो बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह यह है कि यहां पर सस्ता न्याय दिलाने की बात कही गई है। हाई कोर्ट की बात कही गई है। मैं इसके प्रतिरोध या पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जनता को सस्ता न्याय कब मिलेगा। सभापति महोदय, वकील करने के लिये कोई जाता है तो पहले वकील को फीस चुकानी पड़ती है। एक आदमी को न्याय की जरूरत है और उसको हाईकोर्ट में जाना है तो उसके लिये, मैं नहीं कहता कि उसको कोई अच्छा वकील मिल जायेगा, पहले उसको वहां पर पैसा देना होगा, उसके बाद उसको कोर्ट फीस चाहिये। कोर्ट फीस का जो कानून है, आप किसी पर दावा करना चाहते हैं जिसमें कि आप रुपया मांगते हैं तो पहले आपको उसके लिये कोर्ट-फीस जमा करानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि हमें न्याय प्राप्त करने के लिये पहले फीस देनी पड़ती है। यह हमें कोर्ट फीस के रूप में देनी पड़ती है। न्याय सस्ता उसी राज्य में होगा और वही राज्य पक्का समाजवादी होगा जहां कि न्याय लेने के लिये हमें फीस नहीं देनी पड़े। सस्ता न्याय तभी मिलेगा जब कि कोई कोर्ट फीस नहीं

(श्री शंकरलाल)

हो। हमारे यहां पर दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कोर्ट फीस है, जो कि कम होनी चाहिये ताकि साधारण से साधारण आदमी भी न्याय का दरवाजा खटखटा सके। हाईकोर्ट इधर रहे या उधर रहे उससे ही सस्ता न्याय प्राप्त नहीं होगा। कोर्ट फीस में कमी होगी तभी न्याय सस्ता होगा, जब वकीलों की फीस पर सीलिंग आयेगी। आज वकीलों की फीस पर कोई सीलिंग नहीं है। चाहे जितनी फीस वे लेते हैं, पांच हजार, दस हजार जितना वकील चाहें लेता है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी गवर्नमेन्ट एडवोकेट हैं, उनके लिये सरकार को कहना पड़ेगा कि जो भी ऐसे आदमी हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, उनके लिये गवर्नमेन्ट एडवोकेट को कहिये कि वे अपनी बुद्धि का दान करें। आज आपने जिनको गवर्नमेन्ट एडवोकेट मुकर्रर किया है, उनका कोई उपयोग नहीं है। आचार्य विनोबाभावे ने भूमि दान की बात कही है, वही जिनके पास में बुद्धि है, उनसे भी बुद्धि दान की बात कही है। जो हमारे गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स हैं और जिनको कि हजारों की तनख्वाह मिलती है, वे उन गरीब आदमियों की, जिनके पास वकील के लिये पैसा नहीं है, उनको वकील की जरूरत पड़े तो गवर्नमेन्ट एडवोकेट उनकी पैरवी करे (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं इस विषय में अब और अधिक बात नहीं कर रहा हूं? सस्ता न्याय तभी मिल सकता है। जबकि कोई कोर्ट फीस नहीं ली जावे। केवल हाई कोर्ट इधर हो जावे तो यह कोई सस्ते न्याय की बात नहीं होगी। सस्ता न्याय भी मिलेगा, यह मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं जब कि कोर्ट फीस में कमी हो और वकीलों की फीस के ऊपर सीलिंग हों और जो एडवोकेट हों वे अच्छे आदमी की पैरवी करें।

सभापति महोदय, केवल मैं दो मिनिट और लेना चाहता हूं फेमिन के डिमांड के बारे में वह हमारे इस सदन में आई नहीं। आज भी राजस्थान के अन्दर कई जिलों में अकाल की भयंकर स्थिति है। सरकार कहती है पैसा कम है। यह बात ठीक है, लेकिन मैंने एक सूची दी थी सरकार को कि जो 10 जिले रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत आ चुके हैं, जैसे पाली जिला, जोधपुर जिला। इनमें यहां पर सेक्शन है तो 1-2 करोड़ रुपये तीन साल में खर्च करने हैं और इसलिए खर्च करने हैं कि उन जिलों के अन्दर अकाल की स्थिति आकर नहीं पड़े। जब अकाल पड़ गया तो दो करोड़ रुपये तीन साल में खर्च नहीं करें और एक साल में ही खर्च कर लें तो इसमें भारत सरकार पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और आपको भी दूसरे फण्ड्स क्रियेट करने की जरूरत नहीं होगी। हम यह चाहते हैं कि रूरल वर्क्स प्रोग्राम का पैसा जो 3 साल में पाली जिले में खर्च करना है और चूंकि फेमिन पड़ गया है तो एक साल में ही खर्च कर दें। गांवों के लोगों के पास में रोजगार नहीं है। क्रेश प्रोग्राम और रूरल वर्क्स प्रोग्राम की बात करते हैं तो बहुत कम काम खुले हुए हैं। गांवों में काम खोलने का मौका है। लोग बेकार फिर रहे हैं। जब बरसात आयेगी तो बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं, बैल की जोड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

सरकार उनके लिए बीज की व्यवस्था करे, बैलों की जोड़ी के लिए व्यवस्था करे। यह

(श्री शंकरलाल)

जो डेढ़ दो करोड़ रुपया है सरकार चाहे जो भी फेमिन एरिया हो उस पर खर्च करें। वह आप फुलफिल नहीं करते हैं तो जनता में असन्तोष है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

फेमिन वर्क्स की सेंक्शन हो गई है तो वहां पर फेमिन वर्क्स खोलें।

श्री सभापति : और भी बोलने वाले हैं। आपकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, अधिक न कहकर मैं यही कहकर समाप्त करूंगा। मेडिकल के बारे में बहुत सी बातें कही गई। एक योजना के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा जो कि बहुत छोटी सी है। वह मोबाइल सर्जीकल युनिट की है। एक मोबाइल सर्जीकल युनिट है सरकार की तरफ से अभी जहां तक मैंने बजट देखा है उसमें मोबाइल सर्जीकल युनिट से काफी एरिया के लोगों को लाभ मिलता है। आप हर गांव में डिस्पेन्सरी खोलते हैं तो स्टाफ मिलता नहीं, इंस्ट्रूमेंट मिलते नहीं तो हरेक जगह डिस्पेन्सरी नहीं खोलकर मोबाइल सर्जिकल युनिट हर डिविजन में रखें और वह डिविजन में घूमती रहे तो लोगों को कार्आ-डिनेटेड में हर प्रकार की सुविधा मिल सकती है और आपके यहां पैसे की भी बचत हो सकती है। डिस्पेन्सरियां कम खोलें और मोबाइल युनिट्स को बढ़ावा दें।

सभापति महोदय, मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी थी। आपकी बहुत ताकीद है इसलिए मैं इसकी अभी समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि चुनाव से पूर्व जिस तरीके की बातें की गई, जनता से जो वायदे किये गये सत्तारूढ़ दल ने उन वादों से कतई मुंह फेर लिया। बेरोजगारी और गरीबी मिटाने का जो परम लक्ष्य था, आज मानवता के लिये बेरोजगारी, भुखमरी और कंगाली, एक कलंक है उसको मिटाने के लिये कोई भी दल हो किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहे, वह सरकार को खुले दिल से मदद देने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस एक्सटेन्ट तक कार्य करती है जिस एक्सटेन्ट तक वह जनता को गुमराह कर सके। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आपकी नीति ऐसी लगती है कि सरकार गरीबी मिटाने के बजाय गरीबों को मिटाना चाहती है, भूखों को अधिक सताना चाहती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े सेठों से मिल कर उन लोगों को प्रोटेक्शन देती है। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बेरोजगारी मिटाने के लिये क्या सब्स्टेन्शल कदम उठाये गये हैं। कितने लोग राजस्थान में बेरोजगार हैं, कितने शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, कितने अर्ध बेरोजगार है? उनके बारे में किस प्लान के मुताबिक कितने कितने लोगों को काम दिया जायेगा। अगर इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में वह क्या कर सकती है। वह बेरोजगार दरअसल में शिक्षित बेरोजगार है। इनके बारे में, सभापति महोदय, मैं पूर्णरूप से आशान्वित हूं कि अगर सरकार का इस तरह का रवैया रहा 2-4 साल तो वे इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। यह

(श्री मूलचन्द सामरिया)

बेरोजगार नवयुवक, शिक्षित, पढ़े लिखे हैं। वह यह समझते हैं कि जो सरकार इस तरह निकम्मी है कि वह केवल आन्दोलन की भाषा में ही समझती है, जो सरकार घेराव की भाषा में समझती है, तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति भूख से तड़फता हुआ, अपने बाल बच्चों को भूख से मरते हुए देखकर, अपने बुजुर्ग माता–पिता को भूखा मरते हुए देखकर अपने आपको खत्म कर लेगा और इस सरकार को मजबूर करेगा कि या तो रोजगार दो अन्यथा वह सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। यह सरकार राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहती है और इस बारे में किसी तरह का सुझाव नहीं सोचती है, कोई कदम नहीं उठाती हैं।

सभापति महोदय, क्या कारण हैं कि इस बजट को देखने से शराब जैसी बुरी चीज को जिसको पीने से दिमाग विकसित होने के बजाय उसमें विकार उत्पन्न होता है जो कि व्यक्ति को व्यभिचारी बनाती है। शराब के पीने में शायद इसमें कोई ऐसा तत्व हो कि वह हमारे परिवार नियोजन जिसके ऊपर हम करोड़ों रुपया खर्च होता है, वह फैल हो जाता हैं। शराब एक गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट काटकर लत की वजह से पीता हैं। एक तरफ तो महात्मा गांधी के सच्चे शिष्य आमरण अनशन पर बैठें और यह सरकार यह जवाब देकर टाल रही है कि हमारी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, हम दीवाले में फंसे हुए हैं इसलिए शराबबन्दी नहीं कर सकते हैं। यह सरकार इस प्रकार का बहाना लेती हैं तो सरकार चलाने वाले लोगों में दिमाग नहीं है। अपने कुकर्मों से जान बचाकर गलियां ढूंढती हैं। ये अपने ऐशो-आराम में कमी नहीं कर सकते हैं, अपने लग्जूरियस लिविंग में कमी नहीं कर सकते हैं, अपने नौकरों में कमी नहीं कर सकते हैं जो अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता से चुनकर आये हैं तो फिर डर किस बात का? आप जनता से चुनकर आये हैं और जन-प्रतिनिधि हैं तो जन-प्रतिनिधि को इस तरह सीकचों, बन्दूकों और लोगों के पहरों में रहने की क्या आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों को कम कर सकते हैं। इन बेकार के खर्चों पर रोक लगाई जाय। आप दावतों में जा सकते हैं, लेकिन गोकुलभाई भट्ट जो महात्मा के शिष्य हैं यदि वह यह कहें कि शराब बन्दी करो तो यह कहेंगे कि पैसा नहीं हैं। जितना पैसा जनता अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार को देती है उसके खर्चे पर कन्ट्रोल करें और बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों पर टैक्स बकाया है उसको वसूल कर लें तो आप शराब बन्द कर सकते हैं, लोगों को धन्धा भी दे सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार भी दे सकते हैं। अगर पैसा पूरा वसूल करते तो भूखे लोगों को रोटी और कपड़ा दे सकते थे। एक तरफ तो आपने यह नहीं किया और दूसरी तरफ आपने टैक्सेज बढ़ा दिये किसानों पर 2 करोड़ के टैक्सेज लगाने की कोशिश की। जिस समय वह खाद लेने जायगा तो खाद पर टैक्स, किसान खेत पर पानी देगा तो उसकी सिंचाई की रेट बढ़ा दी, ट्रैक्टर पर टैक्स ट्राली पर टैक्स और जब बेचने जाय तो वहां पर टेक्स और चुंगी बढ़ा दी जयपुर नगर परिषद् ने उसको बन्द किया तो कमिश्नर साहब ने कह दिया कि मैं नहीं मानता। अध्यक्ष कौन होता है। वह बाजार में जाय तो हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया,

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मिठाई पर टैक्स, कचौरी पर टैक्स। मैं पूछना चाहता हूं इस किसान की परवाह करने वाली सरकार से, जिस किसान की महरबानी से सरकार यहां पर आई है उस सरकार ने किसानों के ऊपर यह महरबानी की। क्या इसी तरह से किसानों की हिमायत होगी ? जिस किसान के पास 10-15 बीघा जमीन है उसको लोन नहीं मिलता है। वह किसान बीज सेठ के यहां से खाता खोलकर लाता है, उसके बाद हल चलाने के लिए बैल के लिए रुपया वह सेठ के यहां से लाता है तो जब खेत में नाज पैदा होता है तो सेठ साहब उसको उठाकर ले जाते हैं। उसको आपने टाइम पर कितना कर्जा दिया।

इस समय सरकार इतना पैसा इस लिहाज से देगी। उनको मेक्जिमम लिमिट क्रेडिट देगी। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार किसानों को धोखा देने की बात करती है। सरकार किसानों का शोषण करती है। खानों में जो मजदूर 200-300 फीट नीचे गहराई में जाकर झुलसाने वाली आग की जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर काम करते हैं। वह खानों में जाकर मर जाते हैं। उनके बच्चे रोते रहते हैं। उनके लिए मन्त्रियों ने और सरकार ने क्या किया है। यहां विधान सभा में आकर बैठ गये यहां आकर मजदूरों का शोषण किया और पूंजिपतियों का पक्ष लिया। तो यह विडम्बना है। गरीब, मजदूर और किसान का शोषण किया जाये। उसके लिए मन्त्रियों को कहते हैं तो वहां कानून लागू नहीं होता है। इस तरह की बात सोचने की गुंजाइश नहीं रहती है। मैं क्या कह रहा हूं। किस के बारे में कह रहा हूं। आज मजदूर इतना दुखी होकर काम करें। आप पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट लागू नहीं करते हैं। लेबर आफीसर होते हैं, लेबर इन्सपैक्टर होते हैं। सभापति महोदय, मैं दावा करता हूं कि लेबर ऑफीसर जो होते हैं, वह मजदूरों के लिए अपाइण्ट किये जाते हैं। लेकिन वह सेठों के साथ होते हैं। वह साजिश किया करते हैं और मजदूरों को कुचल कर फेंक देते हैं। उनकी मौजूदगी में मजदूर पीटे जाते हैं। पुलिस उनको 151 में पकड़ कर हवालात में रख देती है। वह उस समय इण्डस्ट्रियलिस्टों का साथ देते हैं। मजदूरों का साथ नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही श्रम नीति है। मैं कहता हूं कि अगर सही समाजवाद लाना चाहते हैं तो समाजवाद की नीतियों पर चलना होगा। जो मंत्री हैं वह फार्म वाले बन जाते हैं। वह उद्योग में जाते हैं तो उद्योगपति बन जाते हैं। वह जिधर भी जाते हैं तो उनके 20 प्रकार के धन्धे हो जाते हैं। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है। अगर किसी प्रकार का ज्यादा नहीं किया जाये तो मन्त्री का लड़का आइ. ए. एस., कलेक्टर। उसके मुकाबले में हरिजन का और आदिवासी का लड़का, उसको कोई रोजगार मिलता है या नहीं, यह कोई देखने वाला नहीं है। यह सरकार बराबरी में लाने की बात करती है। यह झूठ है। एक मिनिस्टर का लड़का ऊंची से ऊंची जगह पर रहता है। ज्यादा से ज्यादा पे उसको मिलती है। सभापति महोदय, कहते हुए शर्म लगती है। ये बेकारी के इन्सपैक्टर है। अगर कोई पी. डब्ल्यू. डी. में अकाउण्टेण्ट है तो उसका लड़का भी पी. डब्ल्यू. डी. में अकाउन्टेन्ट बन जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाता है। वह हमेशा उन्हीं सब बातों को देखा करता है।

सभापति महोदय, मनीलैण्डर के बारे में कानून बना। 20-25 और 30 हजार वालों

(श्री मूलचन्द सामरिया)

को अलग रख दिया है। उन पर यह लागू नहीं होगा। यह जान बूझकर क्यों ऐसा किया है क्योंकि ये लोग मनीलैण्डर है, ये दूसरों के द्वारा लेन देन करते हैं। शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिए जो कानून बनाया है, उनकी पेइंग कैपिसिटी क्या है। इस पर गौर न कर उनको विदइन ट्वेल्व ईयर देना पड़ेगा। वह 500 रुपया महीना कैसे दे सकते हैं। यह क्या रिलीफ देना चाहते हैं। ये स्टेण्डर्ड के उद्योगपति लोग हैं। यह हमारे समाजवाद की कसौटी है।

श्री सभापति : दो मिनट। ऐसा है, समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : 40 मिनट और होना चाहिए।

श्री सभापति : आप 20 मिनट बोल चुके हैं।

श्री चन्दनमल वैद : बाकी कल बोल लीजिये।

श्री सभापति : मेरा ऐसा विचार है, थोड़ा बुलवा कर समाप्त कर दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं अभी और बोलूंगा।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से माननीय सदस्य जब तक बोलेंगे, समय बढ़ाया जाता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा निवेदन है कि सब से बड़े नेता, सबसे बड़े काश्तकार सबसे बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट प्रान्त के एक मंत्री हैं। जो खानभाकरी को अपने मित्र श्री रामलाल, बंशीलाल को देना चाहते हैं। खानभाकरी पब्लिक की है और इसके ऊपर मुकदमा हुआ है, जिसका फैसला हो चुका क्या वित्त मन्त्री जी उनको यह खान श्री बंशीलाल जी को देने से रोक सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार कुछ कर सकती है। नहीं तो विरोध में बोलने के कारण अगर आप नहीं करें तो बात और है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर फिर अपनों को देय। इस प्रकार से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। जो लोग बेरोजगार हैं, तो क्या उद्योग मंत्री जी आप उनको कोटा, परमिट और लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। जिससे कि उनकी माली हालत ठीक हो। आज शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में भी एक ऊंची क्लास बन गई है जो कि इनको कंट्रोल करती है प्राय: उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं और साधारण लोगों की तरफ आपकी निगाह नहीं जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार यह एस्योरेन्स दे कि वास्तव में हरिजन, आदिवासियों की दशा आपको सुधारनी है तो उद्योगों में कोटा, परमिट, लाइसेंस जितनी चीजे हैं, उनमें उनका रिजर्वेशन किया जायगा ताकि उनकी माली हालत अच्छी हो और जो आज गरीबी के सींकचों में तड़प रहे हैं उससे निकाल कर स्वतंत्रतापूर्वक वह जी सके। आज दो नम्बर के नागरिकों जैसी उनकी हालत हैं, उससे निकाल कर ठीक तरह से रख सके, इसके लिए आप इन्डस्ट्रीज में उनको हिस्सा दीजिये।

आज पब्लिक स्कूलों को मदद दी जाती है, जिनमें बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन जो गांवों में प्राइमरी स्कूल होती हैं, उनमें बैठने के लिए ठीक जगह भी नहीं होती है, गर्मी सर्दी में बच्चों को उनमें बैठना पड़ता

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है, कई बच्चे गर्मी सर्दी से मर जाते हैं। गरीब के बच्चों को इस तरह के स्कूलों में शिक्षा देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन से सबको इक्वल राइट और अपार्चुनिटी पाने का अधिकार है। आज कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन से किस के बच्चे आगे आयेंगे और किनको मौका मिलेगा? वह बड़े आदमियों के बच्चों को ही मिलेगा। यह कैसी विषमता है। एक आदमी जीप में जाये और दूसरा पैदल और उनको कहें कि जो आगे जायेगा उसको जीता हुआ मान लिया जायगा तो पैदल चलने वाला कैसे उसका मुकाबला कर सकता है। मेरा निवेदन है कि आप मेट्रिक तक या सैकेण्डरी तक की पढ़ाई निःशुल्क रखे ताकि शिक्षा के मामले में समानीकरण हो। आज बड़े आदमियों के लड़कों के लिए अच्छे स्कूल हों और गरीब बच्चों के लिए छोटे स्कूल हों जिनमें गर्मी सर्दी में तड़पने के लिए मजबूर करते हों तो इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती हैं।

आपने सर्विस में रिजर्वेशन किया, लेकिन वास्तव में सर्विसेज में कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप बताइये कि कितने आइ.ए.एस. अधिकारी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में से हैं, मजदूरों की क्लास में से कितने आये हैं, कितने किसानों में से आये हैं? आज कितने जुडिसियरी में है जो इन लोगों में से है। आर.ए.एस. में कितने हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे हैं? यह आंकड़े सरकार देखे तो इस सरकार की आंख खुलेगी। आज इस सरकार ने झाड़ू के काम को बहुत बड़ा काम समझ कर इन लोगों के लिए छोड़ रखा है। मैं कहता हूं कि यह सरकार को मुबारक हो, बड़े बड़े मन्त्री हैं उनके लिए ही इस काम को छोड़ दें आप उन लोगों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग धन्धों में लगा दीजिये, झाड़ू लगाने का बड़ा इज्जत का धन्धा है, यह धन्धा मंत्री के लड़के और बड़े बड़े आदमियों के बेटे के लिए छोड़ दें तो मुझे आपत्ति नहीं है। उन लोगों को आप छोटे छोटे उद्योग धन्धे में लगा दीजिये, वह लोग झाड़ू अपने हाथ से फैंक देंगे। आप हिम्मत करिये, आप कहिये कि हम रोज सफाई करेंगे और सफाई करने वाले हरिजन हैं उनको दूसरा धन्धा दे देंगे...

श्री चन्दन मल बैद : मैं तो रोजाना एक एक विरोधी सदस्य की सफाई करूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह आपके बस की बात नहीं है, आपकी इच्छा है कि आप विरोधी सदस्यों की सफाई करें लेकिन यह आपके बस की बात नहीं है। आप सरकार चलाने का कार्य करते हैं तो आप दिमाग खरीद कर नहीं लाते हैं, उधार का दिमाग लाते हैं, इसलिए आपके लिए यह सम्भव नहीं है। सम्भव है आप एक दो सदस्य को हटा दें, लेकिन उनके साथ ही आप खुद भी चले जायेंगे...

श्री चन्दन मल बैद : आपके घरों पर आकर सफाई करूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप वही तो हैं जो सुखाड़ियाजी जब मुख्य मंत्री थे, उस समय उनकी चमचागिरी करके मिनिस्टर बने थे और बाद में चमचागिरी करके कृषि निगम के अध्यक्ष रहे और जिस प्रकार ट्रेक्टर आपने लोगों को दिये वह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोचदार हैं? आज आप बरकतुल्ला खां के साथ हो गये क्योंकि आप अन्तर आत्मावादी सदस्य

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हैं। अगर हैं तो आप हाई कोर्ट के प्रश्न पर अन्तर आत्मा से लोगों को सोचने दीजिये।

आप सस्ते न्याय के सिद्धान्त को मानते हैं लेकिन सस्ता न्याय आप लोगों को देना नहीं चाहते हैं। यह आपसे जनता पूछेगी कि आप न्याय के काबिल हैं, जब आप न्याय ही नहीं दे सके। जनता इसका बदला लेकर रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपमें हिम्मत हो तो आप व्हिप जारी मत कीजिये, इस विधान सभा में खुला वोटिंग कराइये, जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच रहे या नहीं। फैसला इस पक्ष में होगा कि बैंच यहां हो। अगर आप न्याय की बात करते हैं तो आपको जनता के सामने जाना चाहिए और हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में आये, इस बात को माननी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जेल में जो एक रुपया, दो रुपया चोरी करके जाता है, वह तो सी क्लास में रखे जाते हैं और बड़े बड़े लोगों को ऊंची क्लास में रखा जाता है। इसी आधार पर यह सरकार समाजवाद की बात करती है। मैं समझता हूं कि यह समाजवाद का ढोंग रचती है। मेरा निवेदन है कि जेल में एक क्लास होनी चाहिए। आज जो लोग समाज में विकसित हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो ऊंची क्लास और जो परेशान हैं, दुःखी हैं, जो पीड़ित हैं उनको नीची क्लास में रख कर हमेशा हमेशा के लिए अपराधी बना देना चाहते हैं, जो समाज की निगाह में नीचे बन जाते हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जेल में क्लास सिस्टम खत्म होना चाहिए। मंत्री महोदय, यदि आपमें दम हो तो आप घोषणा करिये। आज विधायक क्वार्टरों में रहते हैं, राजकीय प्रवास में रहते हैं और एक एक पोर्शन, एक एक कमरे में रह कर निर्वाह करते हैं। बहुत से लोगों के पास यहां मकान नहीं है, वह परेशान हैं और शांति के साथ यहां रह नहीं सकते। आप बंगला बना कर बैठे हैं और शान से उसमें रह रहे हैं। आप घोषणा करें, आप विधायकों के समान ही वेतन लेंगे क्योंकि आप कोई ज्यादा काम नहीं करते हैं। आपका काम तो सारा सेक्रेटरी करते हैं। सेक्रेटरी आपके पास में रहता है, क्लर्क आपको मिलते हैं और चतुर्थ श्रेणी के लोग आपको मिलते हैं। आप इस तरह समाजवाद की बात करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप विधान सभा के विधायकों के बराबर तनख्वाह लेने का कानून बनायें और उस पर अमल करें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : खुदा गंजे को नाखून नहीं देता।

श्री मूलचन्द सामरिया : दौसा में पहले डी. एम. एच. ओ. का ऑफिस था लेकिन उसको आपने जयपुर में बुलवा लिया। मेरा निवेदन है कि उसको आप वापिस दौसा में भेज दें। वहां से आपके एम. पी. हैं, वहां पर चेयरमैन आपके हैं, कृषि उपज मंत्री के अध्यक्ष आपके हैं. क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष आपके हैं, केवल मैं विरोधी हूं। मेरा निवेदन है कि डी. एम. एच. ओ. ऑफिस आप यहां भेज दें।

पानी की स्कीम है, बिजली की स्कीम है, मेरी समझ में नहीं आता, सभापति महोदय, बिजली विभाग और वाटर वर्क्स में कितनी धांधली है। यह पता नहीं चलता है कि किस तरीके से काम करते हैं। आप समाजवाद की बात करते हैं लेकिन लाल फीताशाही को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप पॉलिसी फ्रेमर हैं ? मेरा निवेदन है कि

(श्री मूलचन्द सामरिया)

दौसा में बिजली कनेक्शन के लिए वाटर वर्क्स ने पैसा जमा करा दिया है, इसलिए आप आदेश दीजिये कि विदिन सेवन डेज आप बिजली के कनेक्शन लगवा दें। आपकी चलती है तो आप जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कीजिये। पानी की स्थिति वहां पर विस्फोटक है। वहां पर आन्दोलन हुआ और जुलूस निकाला था। मैं निवेदन करूंगा कि दौसा में जो नई योजना है उसके लिए पैसा प्राप्त हो चुका है, उसको आप पूरा करें।

भांडारेज के लिए मैं निवेदन करूंगा, वहां वाटर स्कीम में कनेक्शन देने बाकी हैं। वहां पर स्कूल के दो कमरे पब्लिक ने बना कर दे दिये हैं। एक डवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बीज गोदाम बनाया है, वहां गोदाम नहीं बना सके क्योंकि वह स्कीम फेल हो गई। वह कमरा स्कूल को देने की स्वीकृति दे दीजिये। ताकि एग्रीकल्चर की क्लासेज वहां चल सकें। भांडारेज में बलाई के मोहल्ले में बिजली नहीं गई है, वहां बिजली दिला दें।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हरिजनों को वन फोर्थ ऑफ द रेजिडेंसियल प्लाट देने की बात कही थी, उसके अनुसार आपने कितने प्लाट दिये हैं?

कितने हरिजनों को मकान दिए? सारे जयपुर में वित्त मन्त्री पधारें और देखें कि कितने मकान हरिजनों के हैं, कितनी दुकानें हरिजनों की हैं, कितनी आदिवासियों की दुकानें हैं। इन फाइनेन्सेज पर कौन हावी है? या तो आप या कोई न कोई आपका दोस्त। अगर पहाड़ियों के किनारों पर, रेतीले स्थानों पर, पानी के बहाव की जगह पर भी मकान देकर इन लोगों को बसा सकते हो तो चलो जिंदा रहने के लिए मौका तो इनको मिलेगा।

बजट में मैंने कहीं नहीं देखा कि जिसका अनाज जल जाता है, मवेशी जल जाते हैं, बरसात में मकान ढह जाते हैं या जल जाते हैं तो ऐसी हालत में तत्काल कुछ भी राहत उनको नहीं दे सकते हैं ताकि आने वाली खेती के लिए फसल के लिए जिन्दा रह सकें।

अभी सेंथल गांव में कइयों के मकान भस्म हो गए, वे लोग अपना कैसे गुजारा कर सकें। सरकार क्या विचार रखती है। भूख के कारण चोरी करा दें तो जेल में आप उनको रखो और आप कहोगे कि चोर हैं, गुण्डे हैं, बदमाश हैं, लोफर हैं। इसलिए सरकार उनके बारे में कुछ करे। या तो मकान बनवाकर दो। आने वाली फसल तक अगर वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो जो भी आप उनको राहत दे सकें, दें।

एक कमेटी बिठाई थी उस कमेटी ने लिखा था कि दौसा में इतने केसेज होते हैं इसलिए वहां सीनियर सिविल जज का कोर्ट होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमीशन बिठाया गया था, उसकी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार क्या घोषणा करेंगे कि दौसा में जल्दी सीनियर सिविल जज की कोर्ट स्थापित की जाएगी? क्योंकि बार बार घण्टी बज रही है, मैं कहना तो बहुत चाहता था लेकिन ज्यादा न कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल 19-5-72 को 11 बजे प्रातः तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.13 बजे शुक्रवार दिनांक 19 मई, 1972 प्रातः के 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

ता० प्र० सं० 953 की सूची

सूची राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय संबंधो

क्रम सं०	1-4-62 से 29-2-72 के निर्णय दिनांक एवं केस का अनुमान सहित	अधिनियम, नियम, उपनियम की धारा जो अवैध घोषित हुई	राज्य सरकार द्वारा संशोधन सम्बन्धी कब कब क्या कार्यवाही हुई	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	31-1-1962] तिलका मय गोविन्दलालजी बनाम राजस्थान सरकार	1. नाथद्वारा टेम्पल. एक्ट 13 / 1959 की धारा 2 (8 के शब्द "includes temple of Shri Navneetpriya-ji and Shri Madan Mohan Lalji" अवैध घोषित ।	1. कोई संशोधन नहीं	
		2. धारा 16 के शब्द " An affairs of the temple." अवैध घोषित	2. Word "Secular" was added before the Pharse affairs of the temple.	
		3. धारा 28 (2) व 28 (3) व धारा 30, 36, 37, अवैध घोषित	3. 30 का सब क्लाज (अ) डिलीट कर दिया गया अन्य कोई संशोधन नहीं ।	

1	2	3	4	5
2.	1-10-1961 बंशीधर बनाम युनिवर्सिटी राजस्थान वगैरा	राज. युनि. एक्ट 1946 के :— ऑर्डिनेन्स 252 का प्रोविजों अवैध घोषित	युनिवर्सिटी ने संशोधन कर दिया है।	
3.	15-7-63 जितेन्द्र जैन बनाम मोहन लाल	अजमेर लैन्ड रेवेन्यू रेग्यूलेशन 1877 की धारा 29 अवैध घोषित	कोई संशोधन नहीं।	
4.	5-9-62 चन्द्र कान्त राव बनाम राजस्थान सरकार	लैन्ड रिफोर्मल एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर रूल्स 1954 की धारा 37 को (4) अवैध घोषित।	कोई संशोधन नहीं।	
5.	30-11-64 विजयसिंह बनाम डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एण्ड टैक्सेशन	राजस्थान लाइसेन्स एक्ट 14/61 की धारा 8 एवं राजस्थान लाइसेन्स एक्ट 11/2 की धारा 9 अवैध घोषित।	राज्य सरकार ने एक्ट में, 2/1966 दिनांक 19-3-66 से त्रुटि दूर की एवं एक्ट नं० 8/70 दि० 6-5-70 द्वारा उक्त धारा को Recast कर दिया।	
6.	30-3-66 सूरज मल सिघवी बनाम सरकार	राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट संख्या 42/1959 की धारा 17 (3) धारा 52 (1) (डी) ग (ई) एवं धारा 53 (4) (5) अवैध घोषित।	कोई संशोधन नहीं हुआ।	
7.	22-12-65 भंवर लाल सोहन लाल व सरकार	एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस मार्केट, रूल्स 1963 की धारा 69 से 74 अवैध घोषित।	प10 (110) एग्री. 5/65 दि० 28-5-66 से संशोधन हुआ।	

1	2	3	4	5
8.	5-12-1962 मदन लाल थानवी बनाम उप-महानिरीक्षक आरक्षी	राजस्थान गवर्नमेंट सरवेन्ट्स पेन्शन कन्डक्ट रूल्स की धारा 23 व 23 (अ) अवैध घोषित ।	नोटीफिकेशन 4 (5) नि. क. 3/69 दि० 3-10-70 से संशोधन किया गया।	
9.	25-7-1962 घोकल बनाम रुघ	अजमेर लॉज रेग्यूलेशन 1877 की धारा 9 की तीसरी क्लाज अवैध घोषित हुई।	कोई संशोधन नहीं हुआ ।	
10	9-1-69 गूजर मल बनाम सुखलाल	राजस्थान पंचायत एक्ट सं० 21/53 की धारा 44 व एक्ट की दूसरी शिड्यूल में दस मर्यादा वाले सम्बन्धित प्रोविजन अवैध घोषित ।	कोई संशोधन नहीं हुआ ।	
11.	12-1-1970 सतीश चन्द्र शर्मा बनाम सरकार	राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट की धारा 21 (4) व आर्डिनेन्स 384- बी अवैध घोषित ।	युनिवर्सिटी ने संशोधन कर दिया है।	
12.	31-10-68 सुरेन्द्र कुमार बनाम सरकार	मेडीकल कॉलेज, प्रोस्पेक्टस में ऐसा निर्णय जिनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा मेडीकल कॉलेजों में सीटें डाक्टरों, वैद्यों, हकीम, मेम्बर पार्लियामेंट या एसेम्बलियों के लड़कों के लिये या अपनी इच्छा से किसी के लिये सीटें सुरक्षित रखना हो अवैध घोषित ।	कोई संशोधन नहीं ।	
13.	11-5-1970 गुलाब जी बनाम सी. टी. ओ. सिरोही ।	राजस्थान एन्टरटेनमैन्ट एण्ड एडबरटाइजमेंट एक्ट नं० 24/1957 की धारा 10 की सब क्लाज (3) अवैध घोषित ।	कोई संशोधन नहीं ।	

सूची सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सम्बन्धी

1	2	3	4	5
1.	15-3-67 प्रेमनाथ व राजस्थान सरकार	राजस्थान हायर ज्यूडीशियल सर्विस रूल्स 1955 अवैध घोषित 3 ए यद्यपि रूल्स के तहत की गई नियुक्तियां कायम रहीं क्योंकि संविधान के अनुसार 233 ए से इन नियुक्तियों को वैध करार दे दिया गया था।	सन् 1969 में नये उच्च न्यायालय सेवा नियम बनाये गये	
2.	22-9-1965 जवाहरमल व राजस्थान सरकार	राजस्थान यात्री एवं माल टैक्सेशन (एमेन्डमेन्ट एवं वेलीडेशन) एक्ट नं. 22/64 की धारा 4 अवैध घोषित हुई।	राज्यपाल महोदय ने ओर्डीनेन्स नं. 7/65 दि० 3-12-1965 जारी कर त्रुटि दूर की	

परिशिष्ट 2

(ता. प्र.सं. 595 की सूची)

List of X-Ray Machines in the Radiology Department SMS Hospital, Jaipur

S. No.	Particulars of X-Ray Machine	Date of Receipt	Cost
(1)	Siemens Co. 500 Ma.	18-2-59	Rs. 114268.60
(2)	Siemens Co. A. O.T. Changer for Angeio Cardiographic Bombay.	9-5-67	Rs. 83455.85
(3)	Watson 100 M. A. Diagnostic Machine	7-11-68	Rs. 37898.85
(4)	Schonander Skull Table 200 M. A.	30-3-68	Rs. 107014.94
(5)	Mass Miniature Radiographic Odella Camera for Miniature Films.	26-3-62	Rs. 37432.00
(6)	I. G. H. Co. 200 MA diag. Unit with atomographic Attachment.	—	—
(7)	I. G. H. Co. 200 MA-Sneh Tuso madh noe worked with a single K. R. D. control (Diagnosis)	13-2-71	Rs. 32934.25
(8)	Escourts 200 M.A. (Diagnostic Set)	16-3-69	Rs. 61912.48
(9)	Mobile X-Ray Unit (Diognostic set) 25 MA	—	—

1	2	3	4
	Therapy Sets		
(1)	250 Maximar-Conventional Deep Therapy Unit one —	—	—
(2)	Tele Cobalt 60 Therapy Unit J- ...	Jan. 64	Donated by Govt. of Canada
(3)	Superficial X-Ray Therapy Unit (Siemens)	—	—
(4)	Radium Needles only 29-5 Mgs.		
	Physiotherapy		
(1)	Short wave Diathermy Unit-	19-3-62	Rs. 7500.00
(2)	Ultrasonic Therapy Unit.	16-3-62	Rs. 2370.00
(3)	Inflara Red Ray Lamp.	10-3-71	Rs. 540.75
(4)	Ultraviolet Lamp.	—	—

X-Ray Machine in Cardiac Thoracic Surgery ward under Dr. G. C. Sharma Prof. & Head of Department of Surgery.

1	2	3	4
(1)	Siemens Monphos-3/ Telepleascope 100 MA-X-Ray Machine May, 1969		
	X-Ray Machines		
(1)	Minor 20 MA (Philips-Superprashix)		
(2)	Orthodiagraphi-Grant-Genrescope (Minor-10 MA sicker X-Ray drugs)		
(3)	Minor 50 MA (Siemens plyskos X-Ray Apparatus)—		

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 619 की सूची)

अकाल राहत के अन्तर्गत अधूरे कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	अधूरे कार्य पूर्ण करने हेतु राशि की आवश्यकता
1	2	3	4
	दक्षिणी उप खण्ड : अजमेर		
1.	अम्बा टेंक	अजमेर	0.50
2.	शिव सागर रिचमालिया	,,	0.50
3.	नांदला रपट	,,	0.50
4.	लांनपुरा फिडर	,,	0.50
	उत्तरी उप खण्ड : ब्यावर		
1.	खगरा फिडर	ब्यावर	0.20
2.	राजियावास	,,	0.20
3.	गोहाना	,,	0.20
4.	काली कंकर	,,	0.20
5.	शेरों का बाला	,,	0.20
6.	नोहार पुरा	,,	0.20
7.	पार्वती गणेशपुरा	,,	0.10
8.	प्रेमसागर कालीनगर	,,	0.10
9.	लोटीयाना टेंक	,,	0.10
10.	सरवीना टेंक	,,	0.10
11.	देवता टेंक	,,	0.10
12.	पालाद टेंक	,,	0.20
13.	जवाजा टेंक	,,	0.30
14.	किशन पुरा फिडर	,,	0.20
15.	नंदरी टेंक	,,	0.10

1	2	3	4
16.	मकपेदा	ब्यावर	0.30
17.	बाबरी टैंक	,,	0.10
18.	कडिया टैंक	,,	0.10
19.	रोहर बेड़ा टैंक	,,	0.10
20.	भीम गोगला	,,	0.10
21.	जगमुंडी	,,	0.10
22.	नरबदखेड़ा	,,	0.10
23.	बंदवारा	,,	0.10
24.	सतवारियां	,,	0.30
25.	खातौलिया	,,	0.10
26.	लोतीयाना	,,	0.10
27.	शिवसागर	,,	0.10
28.	खारी की श्राव	,,	0.20
29.	जीवाना टैंक	,,	0.10
30.	सोमेला	,,	0.20
31.	बारा तालाब साधाना	,,	0.10
32.	बहादुर सागर रामगढ़	,,	0.20
33.	रतनसागर मसुदा	,,	0.10
34.	विजय सागर श्योपुरा	,,	0.10
35.	वायाला तालाब	,,	0.15
36.	करनी सागर नासुन	,,	0.15
37.	अन्धेरा बेओरो	,,	0.15
38.	गोपाल सागर	,,	0.15
39.	देवी सागर खेमपुर	,,	0.16
40.	फतेहगढ़	,,	0.15
41.	शक्ति सागर सारवा	,,	0.30
42.	मानसागर जोताया	,,	0.40
43.	काला तालाब गुढ़ा	,,	0.20

Page No 139

1	2	3	4
44.	विजय सागर खेड़ो	ब्यावर	0.30
45.	बावाड़ा टैंक बड़गांव	,,	0.20
46.	बड़ा तालाब सपनी खेड़ा	,,	0.10
47.	सूरज सागर मिनाय	,,	0.20
48.	उम्मेदसागर सरगांव	,,	0.20
49.	शील सागर किटाय	,,	0.10
50.	बड़ा तालाब तेलाड़ा	,,	0.10
51.	बावड़ी का सागर	,,	0.10
52.	बड़ा टैंक पाड़लिया	,,	0.10
53.	चावंड़ सागर चावड़िया	,,	0.20
54.	थोतोल टैंक	,,	0.10
55.	अखे सागर बांदनवाड़ा	,,	0.20
56.	लोड़किया टैंक नागोला	,,	0.20
57.	जीवाना तालाब व चादर	,,	0.10
58.	देवी सागर शीवपुरा	,,	0.20
59.	किया सागर श्योपुरा	,,	0.10
60.	लोडियाना रपट	,,	0.07
61.	बड़ा तालाब मायला	,,	0.15
62.	शिव सागर शिवनगर	,,	0.10
63.	नंदसागर नान्दनवाड़ा	,,	0.10
64.	सातोलाई श्यामगढ़	,,	0.10
65.	करण सागर नासून	,,	0.10
66.	लूलवा रपट	,,	0.10
67.	कुडिया टैंक व नहर	,,	0.10
68.	अंधेरी देवरी नया	,,	0.05
69.	अंधेरी देवरी पुराना	,,	0.05
70.	बहादुर सागर बहादुरपुरा	,,	0.20

Page No 140

1	2	3	4
71.	राय सागर सिकरानी	ब्यायर	0.15
72.	बडा टैंक लाम्बा	,,	0.20
73.	बख्तावर सागर शेरगढ़	,,	0.10
74.	ढोसला नहर	,,	0.05
75.	लालिलाव	,,	0.10
76.	खेलजा नहर	,,	0.06
77.	भोम गोगेळा	,,	0.06
78.	कालाटोला बग्गाल	,,	0.09
79.	लसानी रातामाटा फीड़र	,,	0.15
80.	रातामाटा राजोरा फीड़र	,,	0.15
81.	कावरा नहर दाई	,,	0.15
82.	गोहाना नहर	,,	0.10
83.	नाहरपुरा	,,	0.05
84.	मुजारेल रपट	,,	0.80
85.	भीमादेह प्रोजेक्ट	,,	10.00
			24.73

परिशिष्ट—4

(ता. प्र. सं. 623 की सूची)

क्र.सं. 1	सामान का नाम 2	संख्या 3	टेण्डर आमन्त्रित करने की तिथि 4	टेण्डर खोलने की तिथि 5	फर्म का नाम 6	दर 7	सामान खरीदनें का समय 8
1.	त्रिपाल	72	1266–73 / 12–5–71	18–5–71	मैसर्स जयन्ती टेड्रर्स रतलाम	359	मई 71 सप्लाई आर्डर नं. 1714–17 दिनांक 24–5–71
					मैसर्स अजीजुल्लाखां झालावाड़	359	जून 72 सप्लाई आर्डर नं. 2126–28 दिनांक 11–6–71
					मैसर्स लालचन्द मोहनलाल ,,	359	जून 71 सप्लाई आर्डर नं. 2129–31 दिनांक 11–6–71
					मैसर्स नरेन्द्र विजय एण्ड कम्पनी जयपुर	359	जून 71 सप्लाई आर्डर नं. 2497–99 दिनांक 25–6–71
2.	वाटर ट्रंक	4	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई जाखम प्रोजेक्ट द्वारा स्वीकृत दरों पर ।		मैसर्स मोर्डन आयरन वर्क्स, उदयपुर	5000	अप्रेल 71 सप्लाई आर्डर नं. 45–46 दिनांक 14–4–71

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	सिरकियां	3500 / पेयर	21 से 24 / 3-4-71	12-4-71	मैसर्स लालचन्द मोहनलाल झालावाड़	7-50 प्रति	अप्रल 71 सप्लाई आर्डर नं. 390 दिनांक 13-4-71
					मैसर्स अजीजुल्लाखां झालावाड़	,,	जून व जुलाई 71 सप्लाई आर्डर नं. 1901-3 दिनांक 2-6-71 व 26-97-99 दिनांक 6-7-71
					मैसर्स मुन्नाखां झालावाड़	,,	जून 71 सप्लाई आर्डर नं.
					मैसर्स जगन्नाथ कोहोवाल, भीलवाड़		जून 71 सप्लाई आर्डर नं. 1899-500 दिनांक 2-6-71 मई 71 सप्लाई आर्डर नं. 1211-13 दिनांक 6-5-71
4.	फरनीचर संलग्न सूची के अनुसार		31-34 / 20-2-71	2-3-71	मैसर्स भगवती एण्ड कं. जयपुर। कथित मुद्दों की जांच की जा रही है		संलग्न सूची के अनुसार

STATEMENT SHOWING FURNITURE REQUIREMENT OF IRRIGATION CONSTRUCTION DIVISION JHALAWAR AND ITS SUB DIVISIONS

S. No.	Name of Articles	Quantity	Rate
1	2	2	
1.	Well seasoned tank wood officer's table size 6'x4'x2½' with sunglass top three drawers with common looking arrangement or right hand side one cup Board with shutter and locking arrangement on left hand side, spirit polished with smooth finishing complete.	1 No.	650/-each
2.	Well seasoned teak wood table 5'x3'x2½' with blue blazer top, three drawers with common locking Arrangement on right hand side one cup board with shutter and locking arrangement of left hand side, spirit polished with smooth finish complete.	5 Nos.	273/-each
3.	Office table 4¼'x2½'x2½' with one drawer on one side and wooden top well spirit polished with smooth finish complete.	32 Nos.	96/-each
4.	Well seasoned teak wood ordinary office chairs with arms, seat and back canned spirit polished.	76 Nos.	35/-each
5.	Easy chair standard size with canned seat and canned back.	2 Nos.	75/-each
6.	Well seasoned teak wood table 3'x1½'x1½' with sunglass top and spirit polish and smooth finish complete.	1 No.	90/-each

Page No 144

1	2	3	
7.	Side racks 3'x1¼'x2½' with compartment for files of well seasoned teak wood with spirit polish complete.	36 Nos.	51/-each
8.	Wooden Almirah 5½'x3⅛'x1½' of well seasoned teak wood having four compartments and locking arrangements with handles including spirit polishing.	11 Nos.	289/-each
9.	Well seasoned teak and drawing table size 7'x4'x3' wooden top, including polishing.	1 No.	246/-each
10.	Well seasoned wooden bench of 5'x1½'x 2½' including spirit polishing with wooden seat and back.	5 Nos.	89/-each
11.	Waste paper basket of well seasoned wood including spirit polishing.	40 Nos.	13/-each
12.	Wooden file tray of standard size with side grips of well seasoned wood including spirit polishing.	5 Nos.	10/-each
13.	Well seasoned wooden stoll of small with top with spirit polishing.	37 Nos.	13/-each
14.	Officer chair (moving) wooden.	1 No.	170/-each
15.	Foot rest (wooden)	9 Nos.	12/-each
16.	Well seasoned teak wood officer's chair with arms, seat and back sanned spirit polish.	9 Nos.	501/-each

परिशिष्ट –5

(ता. प्र. सं. 589 की सूची)

श्रम न्यायालय, राजस्थान, जयपुर

क्र.	मुकदमें का वर्णन	मुकदमों की संख्या जो 15–4–72 को विचाराधीन हैं	सम्बन्धित कामगरों की संख्या	मुकदमों की संख्या जो 2 साल से अधिक समय से चल रहे हैं	मुकदमों की संख्या जो 5 साल से अधिक समय से चल रहे हैं
1	2	3	4	5	6
1.	रेफरेन्स	420	1100	132	12
2.	शिकायत जे. दफा 33 ए	21	21	4	3
3.	मु. द. जे. दफा 33 ए (2)	53	74	58	—
4.	मु. द. जे. दफा 33 सो	375	375	83	42
5.	एस. ओ. अपील	4	—	3	—
6.	दरख्वास्त जे. दफा 13 ए स्टेन्डिग आर्डर्स एक्ट	5	5	—	—
7.	दरख्वास्त जे. दफा 33 सो (केन्द्रीय सरकार)	121	121	10	5
	योग :	999	1696	290	62

परिशिष्ट (6)

(ता. प्र. संख्या 602 की सूची)

परिशिष्ट (ब)

सीलिंग नियमों के अन्तर्गत भूमि अधिक्रमण करने बाबत प्रगति विवरण
दिनांक 31-3-1972 तक का (क्षेत्रफल एकड़ों में)

क्र. सं.	नाम जिला	क्षेत्रफल अधिग्रहण हेतु आदेश जारी किए गए। इस माह के अन्त तक कुल	अधिग्रहण किया गया क्षेत्रफल इस माह के अन्त तक कुल	भूमि जो आवंटन की गई
1	2	3	4	5
1	अजमेर	6,736	1,811	126
2	अलवर	2,105	191	63
3	उदयपुर	16,188	4,015	—
4	कोटा	2,235	—	—
5	गंगानगर	4,661	529	—
6	चित्तौड़गढ़	2,251	1,402	71
7	चूरू	2,152	1,866	—
8	जयपुर	17,336	2,885	—
9	जालौर	11,996	3,064	667
10	जैसलमेर	9,493	—	—
11	जोधपुर	11,001	2,118	1,182
12	झालावाड़	2,317	9	—
13	झुंझनूं	63	—	—
14	टोंक	1,940	1,725	—

1	2	3	4	5
15.	डूंगरपुर	1,611	745	—
16	नागौर	2,173	1,046	—
17	पाली	13,872	13,641	2,411
18	बाड़मेर	30,593	13,765	80
19	बांसवाड़ा	1,432	1,360	1,184
20	बीकानेर	37,368	10,766	6,629
21	बूंदी	9,032	169	—
22	भरतपुर	594	577	51
23	भीलवाड़ा	14,878	3,768	322
24	सवाई माधोपुर	4,048	680	56
25	सिरोही	506	215	—
26	सीकर	419	49	—
	योग	2,07,080	66,396	12,842

परिशिष्ट (ख)

क्रम सं.	नाम जिला	रजिस्ट्रियों की संख्या	बिके हुए स्टाम्पों का मूल्य
1	2	3	4
1–	गंगानगर	15,241	40,15,049 रु.
2–	चूरू	जमीनों का असाधारण बेचान नहीं हुआ।	—
3–	नागौर	भूमि के स्थानांतरण में साधारण सी वृद्धि हुई है।	—
4–	बांसवाड़ा	240 सैल गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हुये। ऐसा समझा जाता है कि उनमें करीब 89 सीलिंग कानून से बचने के लिये कराये गये हैं।	16,151 रु.
5–	अजमेर	(1) 818 सैल डीड	75,652 रु० व्यक्तिगत
		(2) 27 गिफ्ट डीड	48,185.75 रु० स्टेम्प वेंडर द्वारा
		योग : 845	1,23,837.75 रु.

1	2	3	4
6–	जयपुर	1906	3,12,401 रु.
7–	झालावाड़	349	41,634 रु.
8–	सीकर	311	30,728 रु.
9–	बाड़मेर	175	5,309.75 रु.
10–	टोंक	526	59,644 रु.
11–	कोटा	346	51,500 रु.
12–	पाली	592	39,468 रु.
13–	डूंगरपुर	सिवाय तहसील आसपुर के कोई असाधारण स्थानांतरण नहीं हुए।	
14–	भरतपुर	स्टाम्प ड्यूटी	1,70,704.50 रु.
		रजिस्ट्रेशन फीस	42,281.75 रु.

परिशिष्ट 7

(ता. प्र. सं. 606 की सूची)

ग्राम पंचायत कोलखंडा द्वारा गत 10 वर्षों में आदिवासियों को मकान बनाने हेतु दी गई स्वीकृति का विवरण।

क्रमांक	नाम आदिवासी मय निवास स्थान का पता
1	2
1	श्री पूनिया पुत्र श्री रूपा मीणा, डोगराफला
2	,, खोमणिया पुत्र श्री नानजी मीणा, बारीफला
3	,, मना पुत्र श्री वाला मीणा, डोगराफला
4	,,ताजू पुत्र श्री वेला मीणा, बारीफला
5	,, कालिया पुत्र श्री तेजा मीणा, समोताफला
6	,, जेवा पुत्र श्री गला मीणा, पुनेलाफला
7	,, धूला पुत्र श्री दोला मीणा, डूंगराफला
8	,, मोगा पुत्र श्री कचरा मीणा, डूंगराफला
9	,, सवजी पुत्र श्री खातरा मीणा, समोताफला
10	,, मोगजी पुत्र श्री गोतम मीणा, बारीफला
11	,, लालू पुत्र श्री कचरू मीणा, जोगीवाड़ा
12	,, सोमा पुत्र श्री जगनाथ मीणा, जोगीवाड़ा
13	,, लालजी पुत्र श्री मोगा मीणा, बारी
14	,, सवजी पुत्र श्री दोला मीणा, बारी
15	,, सोमा पुत्र श्री धूला मीणा, बारी
16	,, प्रेमजी पुत्र श्री मनजी मीणा कुबेराफला
17	,, पेमा पुत्र श्री गांगला मीणा, डूंगराफला
18	,, भूरा पुत्र श्री हुलिया मीणा, डूंगराफला
19	,, मंगरा पुत्र श्री नानजी मीणा, डूंगराफला
20	,, धूला पुत्र श्री भावा मीणा, डूंगराफला
21	,, वजा पुत्र श्री हकरा मीणा, बारीफला
22	,, जोमजी पुत्र श्री कचरा मीणा, डूंगराफला

Page No 151

1	2
23	श्री मोगजी पुत्र श्री वडू मीणा, डूंगराफला
24	,, अमरा पुत्र श्री मानजी मीणा, डूंगराफला
25	,, सोमा पुत्र श्री हूलिया मीणा, कोलखंडा
26	,, हीरा पुत्र श्री मेमजी मीणा, पानेरा
27	,, नवनीतलाल पुत्र श्री पुजाजी, समोता
28	,, देवा पुत्र श्री खोमण मीणा, बारीफला
29	,, कोदरा पुत्र श्री मनजी मीणा, बारीफला
30	,, थाना पुत्र श्री लालू मीणा, डूंगराफला
31	,, हीरा पुत्र श्री सोमण मीणा, डूंगराफला
32	,, मोगा पुत्र श्री माना मीणा, बारी
33	,, कूरिया पुत्र श्री गोविन्द मीणा, ओडा

Page No 152

परिशिष्ट 8

(ता. प्र. संख्या 615 की सूची)

परिशिष्ट (क)

भूमि वर्गीकरण	सीलिंग ग्रुप वाइज क्षेत्रफल एकड़ों में				
	प्रथम ग्रुप	द्वितीय ग्रुप	तृतीय ग्रुप	चतुर्थ ग्रुप	पंचम ग्रुप
1	2	3	4	5	6
जिला गंगानगर					
1. राजस्थान केनाल, गंग केनाल, भाकरा प्रोजेक्ट एवं घग्गर नाली द्वारा सिंचित तथा असिंचित नहरी क्षेत्र	29	35	39	43	
2. ऐसा नहरी क्षेत्र जिसमें नहरी पानी केवल एक बार दिया जावे।	43	52	59	65	
3. पाला, नाली	64	78	88	97	
4. बिला पाला, रोही	73	89	101	111	
5. धोरा, बंजड़	85	104	117	229	
जिला कोटा					
1. चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आने वाली समस्त श्रेणियों की नहरी	22	26	32	—	
2. खातली 1	24	29	35	—	
3. नहरी माल ऐसे तीन नहरी तालाब 1,2 नहरी खेड़ा 1,2 नहरी, नहरी बारानी 1 से 4 तीर, 1, 2 खेड़ा, 1 बात खातली 2।	27	33	40	—	
4. खेड़ा 2	29	35	42	—	

1	2	3	4	5	6
5. तीर 3 माल ए 1	31	38	45		
6. बारानी ए, माल 2, समस्त श्रेणियों की चाही मय जाव ऐसी नहर क्षेत्र जिसमें नहरी पानी केवल एक बार दिया जावे।	37	44	53		
7. तालाबी 1	40	48	57		
8. तालाबी 2	44	53	63		
9. बारानी 1	55	66	79		
10. बारानी 2	63	75	90		
11. बारानी 3, 4 बाड़मेर घास 1, 2 बीड़ 1, 2	73	88	105		
12. बंजड़ 1, 2	88	106	126		

परिशिष्ट (ख)

THE RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE CONSTITUTED UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI S. P. SINGH BHANDARI TO CONSIDER THE GROUPINGS OF THE VILLAGES IN DISTRICT KOTA FOR CEILING PURPOSE

The Committee has examined and discussed the points raised by the local representatives and has made the following recommendations:—

(1) That the rivers Chambal, Kalisindh, Parbati and Parban do affect the productive capacity of the region through which the rivers flow therefore the Committee has recommended that villages situated within a radius of one mile on either banks of these rivers and whose area is more than 50%within this one mile belt should be given an enhancement in their ceiling areas by 10%. The total number villages are 475.

(2) That the Rivers Gherapachar, Ujar, Moj, Andheri, Lasi Mangli and Talera do affect that productive capacity of the region through which the rivers flow. Therefore, the Committee has recommended that villages situated within a radius of half a mile on either banks of these rivers and whose area is more than 50% within this half a mile belt should be given an enhancement in their ceiling by 5%. The total number of villages are 238.

(3) The remaining villgaes in the command area of Chambal river have been further distributed by the Committee into two categories on the basis of a report by Shri K. M. Mehta, Director, Agriculture known as 'Soil and Crop Investigation Survey, Chambal Commanded Area' published by the Department of Agriculture in the year 1958. In which the committee recommended enhancement benefit of 10% and5% in the concerned categories.

(4) The benefit has been prepared in view of the water legging, seepage and salinity caused by the Chambal Canal' Complex. If the Cabinet approves the recommendations of the Committee, then amendment in the Rules to cover these recommendations and to give these benefits to the effected cultivators shall have to be made in the Rules and administrative instructions by the Department.

परिशिष्ट 9

(अ० ता० प्र० सं० 229 की सूची)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राजस्थान, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड़, जयपुर

क्रम सं०	वस्तु का नाम	फर्म का नाम जिसे ऑर्डर दिया गया	वार्षिक आवश्यकता	दिनांक 1 मार्च, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक के आर्डर	दिनांक 31-3-72 को बकाया वस्तु	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	कॉटन	1. मैसर्स कॉटन प्रोडक्ट ऑफ इण्डिया, उदयपुर।	3000-400 पैकेट	ऑर्डर की तादाद राशि 1000 पैकेट 3,590)		
		2. मैसर्स कॉटन प्रोडक्ट ऑफ इण्डिया, उदयपुर।		1500 पैकेट 5,385)		
		3. मैसर्स ग्लोब सर्जिकल, जयपुर		400 पैकेट 1,400)	690 पैकेट	
				2900 पैकेट 10,375)		
2.	विस्मत कार्य	इन्टर नेशनल ट्रेडर्स, जयपुर	319-500 ग्राम पैकेट	100 500 ग्राम 25,225)	नहीं	

1	2	3	4	5	6	7
3.	बैन्डेज 2.5 से.मी.	मैसर्स एक्मे एजेन्सीज,जयपुर		2000 दर्जन	1,400	आदेश फरवरी-71 को दिया गया लेकिन सप्लाई 2-3-71 को हुई ।
				1000 दर्जन	700	
			5000 दर्जन	3000	2,100)	नहीं
4.	बैन्डेज 5 से.मी.	मैसर्स किन एजेन्सीज, जयपुर	2500 दर्जन	800 दर्जन	1,360)	
				500 दर्जन	850)	
				1300 दर्जन	2,210)	नहीं
5.	बैन्डेज 10 से. मी.	इण्टरनेशनल ट्रेडर्स, जयपुर	8000 दर्जन	1500 दर्जन (आदेश 3000 का दिया हुआ था लेकिन सप्लाई 1500 दर्जन हुई)	5,400)	
		मैसर्स किन एजेन्सीज, जयपुर	(1500 दर्जन	(रिस्क परचेज आॅर्डर)	-5,400)	
		मैसर्स किन एजेन्सीज, जयपुर	(1500 दर्जन		-5,400)	
			योग	4500 दर्जन	16,200)	नहीं

औषधालयों का वार्षिक मांग-25 प्रतिशत आरक्षित स्टाक

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राजस्थान,

लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड़, राजस्थान, जयपुर-6

तारांकित प्रश्न संख्या 291/स्वा० मं० द्वारा श्री मोहनलाल छंगाणी सदस्य, राजस्थान

विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर

---

(4) दवाइयां : अन्य औषधियां	स्वीकृत विक्रेताओं से खरीदी गई	दिनांक 31-3-72 तक क्रय की गई व 31-3-71 को बकाया औषधि का मूल्य रु० 12, 11, 583) 96-पैसे	चालू साल में व्यय रु० 10, 30, 724.69 पैसा	दिनांक 31-3-72 को शेष रही दवाइयों का मूल्य रु० 1,80,859) 27 पैसे

परिशिष्ट 10

(अ. ता. प्र. सं. 233 की सूची)

श्रीगंगानगर डिविजन में निम्नलिखित शहर कस्बों के हरिजन मोहल्लों में बिजली लगाई गई है :—

1 सादुलशहर
2 श्रीगंगानगर
3 रायसिंहनगर
4 गजसिंहपुर
5 श्रीकरणपुर
6 केशरीसिंहपुर
7 श्रीविजयनगर
8 जैतसर
9 रिड़मलसर
10 14 पी० एस० वी०
11 19 पी० एस०
12 22 पी० एस०
13 7 एस० वेस्ट एण्ड सैकिण्ड
14 2 डब्ल्यू
15 सूरतगढ़
16 पीलीबंगा
17 डबली
18 हनुमानगढ़ टाउन
19 सँगरिया
20 मक्कासर
21 रोडावाली
22 सतीपुरा
23 चक ज्वालासिंह वाला
24 हनुमानगढ़ कालोनी
25 नोरंगदेसर
26 कोहला
27 हनुमानगढ़ जंकशन
28 भादरा
29 नोहर

परिशिष्ट 11

(अ. ता. प्र. सं. 239 की सूची)

विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना की चालू राशन की दुकानों की सूची ।

क्र.सं.	दुकान का नाम	अधिकृत विक्रेता का नाम
1.	सूरतगढ़	श्री महावीर प्रसाद मूंदड़ा
2.	लखूवाली	,, बंशीधर भंवरलाल
3.	तलवाड़ा	,, गोपी राम राजेन्द्र कुमार
4.	फरीदसर	,, कश्मीरी लाल मिड्ढा
5.	कालूसर	,, मुक्ति लाल अग्रवाल
6.	रावतसर	,, चन्द्र भान ओझा
7.	बड़ोपल	,, मदन सिंह
8.	हनुमानगढ़ जं०	,, ओम प्रकाश कुलदीप कुमार
9.	आर० डी० 243	,, जितेन्द्र कुमार
10.	राजियासर	,, भोजराज भगवंत राय
11.	मल्कीसर	,, भेरा राम ओझा
12.	लूनकरणसर	,, बाबू लाल मोजक
13.	धीरेरा	,, भंवर सिंह
14.	बामनवाली	,, मांगीलाल
15.	भादेरा	,, पृथ्वीराज
16.	महाजन	,, मान सिंह
17.	श्री विजयनगर	,, हरि सिंह
18.	माण्डा कॉलोनी	,, ओम प्रकाश अग्रवाल
19.	खारबारा	,, चतरसिंह मोहनसिंह
20.	भोपालपुरा	,, गिरवर सिंह
21.	घरसाना	,, जीत सिंह
22.	अनूपगढ़	,, रामगोपाल नन्द लाल
23.	जैतसर	,, भोला शंकर

Page No 160

क्र.सं.	दुकान का नाम	अधिकृत विक्रेता का नाम
24.	बीछवाल	श्री डूंगर मल
25.	खारा	,, चैन सिंह
26.	श्री सियासर चौगान	,, मदन गोपाल शंकर लाल
27.	फलोदी	,, खेत सिंह
28.	कोडमदेसर	,, बद्री नारायण भंवर
29.	अमरपुरा	,, जगमालसिंह
30.	नाचना	,, चिमन लाल चावला
31.	बीकम पुरा	,, सवाई सिंह
32.	बज्जू	,, भागीरथ मल
33.	आर० डी० 980	,, बनवारीलाल
34.	छत्तरगढ़	,, मोहनलाल शर्मा
35.	खाजूवाला	,, किशन लाल रामकिशोर
36.	आर० डी० 475	,, निहाल सिंह
37.	आर० डी० 682	,, खेमा राम जगजीत सिंह
38.	आर० डी० 452	,, भंवर लाल
39.	,, ,, 510	,, छोटू लाल पुरोहित
40.	,, ,, 533	,, कानी राम शिव नारायण
41.	,, ,, 560	,, हनुमान सहाय
42.	सत्तासर	,, चैन सिंह
43.	लूणखा	,, रामचन्द्र मोहन दास

ह० प्रोजेक्ट मैनेजर
विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना,
सूरतगढ़ ।

———

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 18 मई, 1972)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
31	1	चिम्मनसिंह भाटी	श्री चिम्मनसिंह भाटी
53	अन्तिम से 5	श्रीमती भगवता	श्री भगवती देवी
85	6	वित्ती	वित्तीय
59	12	नर	नरक
109	4	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
118	अन्तिम से 4		
128	2		
198	अन्तिम से 10	श्री गिरधारी लाल भागव	श्री गिरधारीलाल भार्गव
252	,, 8	लगती हैं	लगती है
257	7	आप न्याय के	आप न्याय देने के